राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का तेइसवां दिवस [संख्या 17

शुक्रवार

दिनांक 11 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अमीन खां ।

कृषि उपज मंडियों की आय

431. श्री अमीन खां (शिव) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राजस्थान की कृषि उपज-मण्डियों में खरीफ की फसल में कितना अनाज आया व उससे सरकार को कितनी आय हुई ? कृपया मंडीवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह): वर्ष 1981-82 में खरीफ फसल में अनाज की आवक व उससे प्राप्त मंडी शुल्क का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । वर्ष 1982-83 की खरीफ फसल में अनाज की आवक जो दिसम्बर 1982 तक हुई और जो आय इससे प्राप्त हुई वह निम्न प्रकार से है :-

1. अनाज की आवक 16.53 लाख क्विन्टल।

2. प्राप्त मंडी शुल्क से आय 22.91 लाख रुपये ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, इसमें शायद या तो टाइप में गलती रह गई है या मेरे देखने में ही गलती रह गई है। मेरे प्रश्न पूछने की मंशा यह थी कि कृषि उपज-मंडियों में जितना अनाज आता है उसमें किसी कृषि उपज मंडी में तो 1 लाख क्विंटल से भी अधिक अनाज की आवक हुई, और किसी में 10 हजार क्विटल से अधिक अनाज की आवक नहीं हुई, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अकाल जो डिक्लेयर होता है तो लाख क्विन्टल से ऊपर की जहां उपज होती है उस क्षेत्र में तो अकाल डिक्लेयर है और जहां 10 हजार क्विन्टल भी आवक नहीं हुई वहां भी अकाल, तो क्या कृषि उत्पादन से अकाल का सम्बन्ध होता है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें

(श्री देवेन्द्रसिंह)
कहीं कोई टाइप की गलती नहीं है। आपकी सूचना के लिये मैं यह निवेदन कर दूं कि कृषि की डिमान्ड के समय विस्तार से चर्चा कर लें ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री जगन सिंह, श्री हरि सिंह, श्री दीपेन्द्र सिंह ।

उप-स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम जोरावर (सवाईमाधोपुर)

432. श्री जगन सिंह (बयाना), श्री हरि सिंह (महुआ), श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) तहसील श्री माधोपुर में ग्राम जोरावर नगर उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कब हुआ एवं उस पर कितनी लागत आई ?

(2) इस उप-स्वास्थ्य केन्द्र को ग्राम जनता की सुविधा के लिये कब चालू किया गया ?

(3) उक्त केन्द्र पर आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था कब की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) स्टाफ की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ? अब तक व्यवस्था नहीं की गई उसके लिये जिम्मेदार कौन है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़)
(1) उप स्वास्थ्य केन्द्र (सब सेन्टर) जोरावर नगर का निर्माण वर्ष 1978-79 में रुपये 19,300/- की लागत से हुआ था ।

(2) दिनांक 8-3-83 को आदेश जारी कर दिये हैं ।

(3) दिनांक 8-3-83 को ए. एन. एम. की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(4) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : यह बड़ा साधारण सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री जी की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि गांवों में एक पोस्ट वेकेन्ट पड़ी रहती है उसके लिये हमें सवाल करना पड़ता है। अब तक मैंने कई पत्र भी लिखे हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बात सही है कि इतनी-सी बात के लिये तारांकित प्रश्न पूछा गया है। जो कमी रही है, उसकी जानकारी माननीय सदस्यों ने करा दी । माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा और हमने फौरन व्यवस्था कर दी ।

श्री अध्यक्ष : आपने नियुक्ति तो कर दी लेकिन कौन जायेगा, यह नहीं बताया ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वहां पर आदमी पहुच गया है उसका नाम पूनम कुमार है। उसने वहां ड्यूटी जोइन भी कर ली है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री कैलाश मेघवाल ।

अजमेर शहर की बाढ़ से सुरक्षा की योजना

433. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर

(श्री कैलाश मेघवाल)

पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में वर्ष 1975 एवं 1979 की विनाशकारी बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने अजमेर शहर के बाढ़ से बचाव हेतु समय-समय पर योजनायें बनाई हैं ?

(2) यदि हां, तो वर्ष 1979 के बाद प्रथम योजना कब बनी, उसका स्वरूप क्या था और उस पर कुल कितना व्यय होना था तथा उसकी क्रियान्विति हेतु क्या कदम उठाये गये ?

(3) उस योजना में कब-कब, क्या-क्या संशोधन होकर अब अन्तिम रूप से उसका स्वरूप क्या है, उस पर कुल कितना व्यय होना है तथा वर्तमान में क्या प्रगति है तथा वह योजना कब तक पूर्ण कर दी जायगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उस योजना की क्रियान्विति में सिंचाई विभाग, नगर सुधार न्यास, नगर परिषद् आदि का समन्वय नहीं होने से विलम्ब हो रहा है ?

(5) वर्ष 1979 से अब तक बाढ़ बचाव हेतु इस योजना के अन्तर्गत कितना कितना खर्च किस-किस रूप में हुआ है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेश डांगी) : (1) जी हां ।

(2) सन् 1979 के पश्चात् सन् 1980 में एक योजना अजमेर नगर को बाढ़ से बचाव हेतु बनायी गयी थी । सिंचाई विभाग, नगर परिषद, जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एवं रेलवे द्वारा प्रस्तावित कार्यों के आंकलनों के अनुसार योजना की लागत लगभग 870 लाख रुपये आंकी गई थी । इसमें इन विभागों के लिये क्रमशः 306.65 लाख, 146.46 लाख, 372.05 लाख एवं 45.00 लाख रुपये का प्रावधान था । सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यों के लिये 306.65 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मार्च, 1981 में दी गई तथा कार्य वर्ष 1980-81 में प्रारम्भ कर दिया गया था ।

(3) वर्ष 1980 में बनायी गयी योजना के स्वरूप में अभी तक कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है । सिंचाई विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर फरवरी, 1983 तक 31.55 लाख रुपये व्यय किये गये हैं । इस योजना का पूरा होना धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

(4) जी नहीं ।

(5) वर्ष 1979 से अब तक बाढ़ बचाव हेतु इस योजना के अन्तर्गत किया गये व्यय का विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची में दर्शाया गया है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें) ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से इस संबंध में कुछ सवाल पूछना चाहता हूं ।

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : आप सिंचाई मंत्री जी से पूछें या राज्य

(श्री परसराम मदेरणा)
मंत्री जी से पूछें, एक ही बात है।

श्री कैलाश मेघवाल : सिंचाई राज्य मंत्रीजी को पूरी शायद जानकारी नहीं है। मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं यह जो आंकड़े दिये हैं, अजमेर नगर को बाढ़ से बचाव योजना के तहत सिंचाई विभाग के लिये 306.65 लाख, नगर परिषद् के लिये 146.46 लाख, यह आगे जो और फिगर है, जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के लिये 372.05 लाख का प्रावधान किया गया है और रेलवे के लिये 45 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। धनराशि इन चारों विभागों को मिलाकर 8 करोड़ 70 लाख होती है। सिंचाई मंत्री जी, क्या यह बताने की कृपा करेंगे, सब विभागों के समन्वय से एक साथ योजना को लागू नहीं किया गया तो समन्वय बिना अजमेर नगर को बाढ़ से बचाने का जो सवाल है उसमें क्या लाभ मिलेगा? नम्बर-एक, नम्बर दो··

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सिंचाई विभाग और जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने बाढ़ से बचाव के लिये अजमेर शहर की एक योजना बनाई है। जो आंकड़े राज्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किए हैं वे 8 करोड़ 70 लाख 16 हजार के हैं उसमें से सिंचाई विभाग की योजना 306 लाख 65 हजार की है। सिंचाई विभाग की तीन योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट सवाल पूछा है, अगर ये सब विभाग मिलकर एक साथ इस योजना को क्रियान्वित नहीं करेंगे तो क्या अजमेर शहर को बाढ़ से बचाने की कल्पना पूरी हो सकेगी? नम्बर एक। नम्बर दो, माननीय सिंचाई मंत्री जी अजमेर पधारे थे तो मैंने निवेदन किया था कि आपकी कागजी कार्यवाही में गलती हो सकती है, आपके ठेकेदार, इंजीनियर्स गलत कह सकते हैं। आपके सिंचाई विभाग की स्कीम कैसे चल रही है इसके लिये मैंने आपकी स्वीकृति लेकर घोषणा की थी कि आप उसका मौका मुआयना करेंगे। किन्तु आप उन ठेकेदारों और इंजीनियरों का काम देखने नहीं आये। मैं कहना चाहता हूं कि जो एस्केप चैनल बनाई गई है वह आपके विभाग ने बनाई है। यह एस्केप चैनल कई जगह 5—7 या 10 फीट छोड़ दी गई है। मेरा निवेदन है कि जब वहां पानी आयेगा तो वह बस्तियों में घुस जायेगा। आप उस समय मौका देखने क्यों नहीं आये? यह पूछना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप कभी इस योजना को जोधपुर से आते या जाते समय, किसी समय देखने का वायदा करेंगे? यह भी मेरा पूछना है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जब बरसात ज्यादा होती है तो द्वार होल से पानी आदर्श नगर में चला जाता है। अब तक जो पानी आता रहा है वह मैन मार्केट में जो स्लोप है उस पर से आता है। वहां पर पानी तेजी से आने की वजह से नुकसान होता है। नुकसान से बचने के लिये योजना बनाई जानी चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसी कि योजना बनी थी, 1979 के अन्दर अजमेर में जबर्दस्त बाढ़ आयी थी, उससे नगर में जन-धन

(श्री परसराम मदेरणा)

की क्षति भी हुई थी। उस वक्त की योजना 4 विभागों की थी। अन्य विभागों के बारे में जैसा कि मैंने आज प्रातः जानकारी प्राप्त की है, उनको प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रश्न का संबंध जहां तक सिंचाई विभाग से है, उसके संबंध में मैंने आपको निवेदन कर दिया। आपने कहा कि कतई काम नहीं हुआ, उसी वक्त मैंने एक्स. ई-एन. को निर्देश दिया था कि काम ठीक तरह होना चाहिये। जो काम चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इरिगेशन विभाग के तीन काम चल रहे हैं कल्याणपुरा बाई पास चैनल, पूनमपुरा डेम और लोहागल चैक डेम, इसमें से कल्याणपुरा बाई पास चैनल और पूनमपुरा डेम का कार्य 83 तक पूरा हो जायगा। कल्याणपुरा बाई पास चैनल का काम जून, 83 तक निश्चित रूप से पूरा हो जायेगा। आपने जो एलीगेशन लगाया था कि जो कार्य किये जा रहे हैं उनमें ठेकेदारों की मिलीभगत की वजह से जिस प्रकार की क्वालिटी और डिजाइन होनी चाहिये उस क्वालिटी और डिजाइन के अन्दर डेटिरियोरेशन होता है। इस मामले की निश्चित रूप से जांच करके जो रिपोर्ट आयेगी उससे मैं माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप मौका, क्या वह नहीं देख सकते हैं क्योंकि जब आप अजमेर गये थे तब आपने वायदा किया था ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विभागीय अधिकारियों से राय लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। इन्दरकोट का जो बांध बना हुआ है, उसमें दरार आ चुकी है। दरार आने के कारण इन्दरकोट का बांध टूटेगा, उससे अजमेर बह जायेगा। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि आप स्वयं मौके पर जाकर देख लें। आपके जो चीफ इंजीनियर है मुझे उनसे मतलब नहीं, मैं तो आपसे एक वायदा चाहता हूं कि क्या आप मेरे साथ चल कर उन सारे कार्यों को देखने का विचार रखते हैं ? मैं केवल यही चाहता हूं। इसके बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लम्बा भाषण दे रहे हैं। आपने यह निश्चित रूप से कहा था कि आप मौके पर चलें। मैं जाना भी चाहता था। लेकिन चूंकि मेरा शिड्यूल प्रोग्राम था इसलिये जब आपने कहा था तब मैंने साफ मना कर दिया था कि मेरे पास समय नहीं है। मुझे 20 पाइण्ट प्रोग्राम की मीटिंग में जाना था....

श्री कैलाश मेघवाल : वायदा किया था आपने ?

श्री परसराम मदेरणा : You can take information in the question hour, मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी कार्य के अन्दर गड़बड़ है, क्वालिटी में गड़बड़ है, उसके लिये निर्देश दे दिये हैं। यह 8 करोड़ 70 लाख की योजना है, जब तक अन्य विभागों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति नहीं आती है यह पूरा कार्य इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के द्वारा होना असम्भव है।

श्री कैलाश मेघवाल : मंत्री जी जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री जी तो आप ही हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं एक प्रश्न पूछने की इजाजत दे रहा हूं।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सिंचाई मन्त्री महोदय से दो जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि क्या राज्य सरकार का इरादा सिंचाई विभाग से बाढ़ बचाव कार्यों की बात को तोड़ने का नहीं है ? क्या इस तरह की चर्चा नहीं चल रही है ? दूसरा यह कि 1983-84 के बजट में आपने कितना पैसा सिंचाई विभाग की योजना में इस योजना के लिए रखा है ?

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं······

श्री अध्यक्ष : मैं आपको इजाजत दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : इस योजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 15 करोड़ 15 लाख रुपये रखे गये हैं पूरे राज्य भर में··

श्री केसरीचन्द चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पर्टीकुलरली मैं जानना चाहता हूं जिस योजना को आपने बनाया है उसमें अजीब विकास का काम किया है। यह योजना चारों विभागों, रेलवे, सिंचाई वगैरह की थी, यह योजना अलग-अलग विभागों की है। 1979 की जो योजना बनी थी उसमें काम हुआ। आज भी इस योजना को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए कृपया यह बताने की कृपा करें कि 1983-84 के बजट में आपने कितना पैसा इस योजना के लिये रखा है ? यदि नहीं रखा है तो क्यों नहीं रखा है ? आखिर इस योजना का अन्त क्या होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : 306 लाख 62 हजार की योजना के अन्दर इस साल का प्रावधान 17 लाख रुपये है और······

श्री केसरीचन्द चौधरी : 1982-83 के बाद ?

श्री परसराम मदेरणा : यह 1982-83 का है। 1983-84 का प्रावधान क्या है, यह अभी मेरे पास सूचना नहीं है। बजट का रेलेवेन्ट पेज माननीय सदस्य भी देख सकते हैं लेकिन मैं उनको सूचना दे दूंगा। 15 करोड़ 15 लाख का जो प्रावधान रखा है, उसमें टोटल प्लान आउटले 6 करोड़ का छठी पंचवर्षीय योजना का था। दि मोबीलाइजेशन आफ रिसोर्सेज एण्ड एस्केलेशन आफ प्राइसेज को देखते हुए प्लान के जो आंकड़े हैं वह बढ़ने के बजाय बराबर कम होते जा रहे हैं। भारत सरकार के सामने जो वार्षिक योजना रखी जाती है, वह आप सब जानते हैं। अकाल पड़ता है उसके कारण वित्तीय स्थिति पर भार बढ़ता जा रहा है। 306 लाख 62 हजार की यह योजना बनायी गयी है। छठी पंचवर्षीय योजना में अजमेर के लिए सिंचाई विभाग को प्राप्त राशि से वह योजना पूरी हो जायेगी, मैं ऐसा कोई एश्योरेन्स नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से इतना ही कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी रकम बाढ़ सहायता के लिए दी है लेकिन यह जो खूनी कांजी का नाला बाढ़ का वास्तविक कारण वही है।

श्री अध्यक्ष : अब आप अधिक विस्तार में आ रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या इस कांजी के नाले की वजह से वार्ड नम्बर 36 जिसमें जिलाधीश का निवास भी है, बाढ़ की चपेट में आ जाता है। पानी की रुकावट का कारण हैं अवैध निर्माण। इसलिए या तो अवैध निर्माणों को तोड़ा जाय या कांजी के नाले को

Page No 7

(7)

(श्री भगवानदास शास्त्री)

झील के रूप में बना दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बाढ़ का मूल कारण कांजी का नाला है जिसकी वजह से सारे लोग मौत के मुंह में चले जाते है। सैंकड़ों तो नहीं मरते लेकिन 50-60 जरूर मर जाते हैं। इस नाले के पानी को रास्ता नहीं मिलता है इसलिये वह पानी लोगों के घरों में चला जाता है और बाढ़ का कारण बनता हैं।

श्री अध्यक्ष : अन्तिम पूरक प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री : अन्तिम प्रश्न यह है कि कांजी के नाले के बारे में आपने क्या सोचा है? इसके बिना सारी योजना आपकी अधूरी रह जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अन्तिम पूरक प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री : कांजी के नाले के बारे में तय करें आप।

श्री कैलाश मेघवाल : जो जवाब आया है आप भी स्वयं मंत्री रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आप विवाद से बचायें। जिस रफ्तार से इरिगेशन विभाग का काम चल रहा है इस रफ्तार से इस पूरे काम को खतम होने में 20 साल लगेंगे। इनकी योजना 3 करोड़ कुछ की है। उसमें 20 लाख के जो काम हो रहे हैं उसके कारण 50 हजार लोग जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के वहां रहते हैं जो वहीं की निचली बस्ती है, अपनी जान-माल के बारे में आशंकित हैं इस रफ्तार से योजना 20 साल में पूरी होगी जो काम हर साल करते चले जाते हैं वह टूटते चले जाते हैं। तो अजमेर को बाढ़ से बचाने की स्थिति कब पैदा होगी? दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं आपसे कि आप एक बार वहां चल कर काम को देखिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, गंगा फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड और यमुना फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड में जिसमें हिन्दुस्तान के सिंचाई मंत्री भी थे मुझे दो दफा जाने का अवसर मिला है। उसमें पूरे देश का जो खर्च आने वाला है वह 20 से 22 हजार करोड़ रुपये का है। आज पूरे देश के अन्दर जो खर्च अभी बताया, 1045 करोड़ रुपये मुझे पता नहीं ठीक से कि 25 है या 45 है, पूरे देश के लिए रखा गया है उसमें से राजस्थान के लिये जो प्रावधान है वह 15 करोड़ रुपये का है। जैसा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य और किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था कि अगले साल 1983-84 के अन्दर अजमेर में फ्लड प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रावधान है? इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वॉर्ड नं. 36 के संबंध में आप अलग प्रश्न पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में बाढ़ आई, जयपुर की जनता की सुरक्षा करने के लिए आपने आठ करोड़ रुपया मंजूर कर दिया। अजमेर में बाढ़ आई, पचास हजार लोगों की जिन्दगी खतरे में थी उसके लिए ...

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है कि सन् 1981 की जुलाई में जब जयपुर में बाढ़ आई.....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह पचास हजार

(श्री कैलाश मेघवाल)
लोगों की जिन्दगी का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होंगे, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : यह भाषण नहीं है, अध्यक्ष महोदय, लोगों की जिन्दगी का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : इन परिस्थितियों में अगर अजमेर में फिर बाढ़ आई तो लोगों की जिन्दगी के साथ क्या हालत बनेगी, क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होंगे, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है कि सन् 1981 में भयंकर बाढ़ जयपुर में आई उस बाढ़ से बचाव के लिए कुछ कार्य यहां पर किए गए। उस समय कांग्रेस (आई) पार्टी की सरकार सत्ता में थी उसने यह कार्य किया लेकिन 1979 में जब अजमेर में बाढ़ आई उस समय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी और माननीय सदस्य उस सरकार के मंत्रिमंडल में थे। उन्होंने अपनी अयोग्यता का नमूना दिखा कर वहां के लिए एक पैसा मंजूर नहीं करवाया।...

(व्यवधान)

भारत सरकार उनकी थी, राजस्थान सरकार उनकी थी, वे क्या कर रहे थे उस समय?

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो...

श्री कैलाश मेघवाल : ×××

श्री भगवानदास शास्त्री : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं एक प्रश्न और पूछूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं एक प्रश्न इसलिए पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप बैठिये, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री केसरीचन्द चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्नकर्त्ता को एक प्रश्न करने की इजाजत दूंगा लेकिन प्रश्न के साथ भाषण नहीं होगा।

श्री केसरीचन्द चौधरी : मैंने दो प्रश्न पूछे थे जिनका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों माननीय सदस्यों को एक एक प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा, लेकिन संक्षेप में।

श्री केसरीचन्द चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है,

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री केसरीचन्द चौधरी)
बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए जो आपका खण्ड है वह तोड़ रहे हैं या रख रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य ।

श्री केसरीचन्द चौधरी : अलग से प्रश्न नहीं है ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से यह उम्मीद नहीं करता था कि वे इसमें राजनीति लायेंगे । जब 1975 में पहली बाढ़ आई थी उस समय आप भी सरकार में बैठे थे, उस समय आपने क्या किया था ? जब 1979 में अजमेर में बाढ़ आई तो जनता पार्टी के शासन में जो सिंचाई मंत्री थे उन्होंने वहां के लिए 870 लाख रुपयों की योजना मंजूर करवाई थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । कृपया बैठ जावें, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह जनता पार्टी की नीतियों का ही फल था....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

श्री केसरीचन्द चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा । कृपया बैठ जावें ।

(व्यवधान)

श्री केसरीचन्द चौधरी : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं कि सन् 1975 में बाढ़ आई थी उस समय कांग्रेस सरकार ने जितना काम किया था उतना आपकी सरकार सोच भी नहीं सकती....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया नियमों का पालन करें, माननीय सदस्य । अंकित नहीं हो ।

श्री भगवानदास शास्त्री : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : ×××

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर । मैं आपको नाम से सम्बोधित करता हूं । माननीय सदस्य, आप आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं । आर्डर प्लीज ।

श्री नन्दलाल मीणा ।

अनुसूचित जन-जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को बस खरीदने हेतु ऋण

434. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में राज्य सरकार के वित्त निगम ने अनुसूचित जन-जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए केवल 25 हजार में बस दिलाने के लिये प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये थे ? यदि हां तो निगम के पास कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए और कितने व्यक्तियों को बस रोडवेज में चलाने के लिये ऋण दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No 10

(10)

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : राजस्थान वित्त निगम ने अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को बस दिलवाने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सहयोग से एक योजना तैयार कर विज्ञापित करवाई थी। इस योजना के तहत अनुसूचित जन-जाति के दो बेरोजगार व्यक्तियों को संयुक्त रूप से निगम द्वारा बस की कीमत का 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाना था। इस योजना के तहत निगम के पास 116 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 32 प्रार्थना-पत्रों को बसे दिलवाने हेतु ऋण स्वीकृत किया गया। ये बसें राज्य पथ परिवहन निगम से अनुबंधित रहेंगी। स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल यह था कि वर्ष 1981 में, एस. टी. के बेरोजगार व्यक्तियों को वित्त निगम ने कितना कर्जा दिया ? कितने प्रार्थना-पत्र आए थे ? अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची दी गई है वह वर्ष 1981-82 की है। मैं क्या यह मानूं कि जो फरवरी 1981 में प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए गये थे, उसके बदले में जो प्रार्थना-पत्र आए उनको वर्ष 1982 में ऋण स्वीकृत किया गया, और 1981 में एक भी व्यक्ति को आपने ऋण स्वीकृत नहीं किया ?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि 116 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र आपके पास आये और आपकी शर्त के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को पांच हजार का बॉण्ड प्रस्तुत करना था। उन 116 व्यक्तियों ने पांच हजार के बॉण्ड प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेश किए जबकि आपने वर्ष **1982-83** में केवल 32 व्यक्तियों को कर्जा दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों को कब पैसा वापस लौटाया गया और उनका इंट्रेस्ट कब लौटाया ? आप कर्जा देते हैं और उसका साढ़े तेरह प्रतिशत ब्याज लेते हैं उनके पैसे का छः प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं। तो यह अन्याय क्यों कर रहे हैं? इसका मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि यह एप्लीकेशन्स वर्ष 1981 में इन्वाइट की गई थीं। 116 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। उन 116 प्रार्थना-पत्रों में से 32 एस. टी. के लोगों को ऋण मंजूर किया गया।

श्री नन्दलाल मीणा : कब किया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : फरवरी, 1982 के अन्दर इण्टरव्यू हुए। इण्टरव्यू होने के बाद लोगों को बुलाया गया। कुछ कण्डीशन्स के अनुसार उनसे जानकारी प्राप्त करनी थी। इसलिए यह बात सही है कि वर्ष 1982 में उनको ऋण स्वीकार किया जा सकता था।

(व्यवधान)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिन शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को आपने पहले ऋण स्वीकार किया वे अपने माथे के हाथ लगा कर रो रहे हैं अब उनको और बर्बाद करेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सच बात है, अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को ऋण दिया गया उन लोगों से साढ़े तेरह पर्सेंट की दर से ब्याज लिया जा रहा है जो कि आई. टी. डी. सी. द्वारा मंजूर किया हुआ है। यह बात भी सही है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, जिन लोगों ने एप्लीकेशन्स दीं उसके साथ उन्होंने पांच हजार का बॉण्ड जमा कराया था उस पर उनको छः प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है। जो उनको रुपया लौटाया गया उसके ब्याज का इसी दर से चुकारा किया गया है। यहां जो हमारी कण्डीशन थी, अध्यक्ष महोदय, जब प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए थे उस वक्त ही हमने बता दिया था कि इस दर से ब्याज मिलेगा। यह जो माननीय सदस्य ने दोहराया है ऋण स्वीकार करने में कुछ दिक्कतें हैं। यह बात सही है, एबनार्मल डिले हुई है एप्लीकेशन्स के डिस्पोज आफ करने में। शिड्यूल्ड कास्ट्स के 83 लोगों को कर्ज दिया गया और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की एप्लीकेशन्स को डिस्पोज आफ करने के अन्दर एक साल से अधिक का समय लगा जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। उसके कई कारण थे। इसके अन्दर रोडवेज की तरफ से चेसिस अवेलेबल करानी थी इसलिये शिड्यूल्ड कास्ट्स को अवेलेबल कराने में काफी समय लगा। जो डिमाण्ड थी उसके अनुसार सौ के करीब चेसिस उपलब्ध नहीं होने की वजह से डिले हुई। पहला कारण तो यह था।

श्री नन्दलाल मीणा : 1981-82 में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों से एप्लीकेशन्स मांगी गयीं, उन्होंने 5-5 हजार रुपया जमा कराया, लेकिन एक भी व्यक्ति को ऋण मंजूर नहीं किया। आपको ऋण नहीं देना था तो विज्ञापन निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी थी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : विज्ञापन निकालना तो बुरा नहीं हुआ। शिड्यूल्ड कास्ट्स की एप्लीकेशन्स तो टाइमली डिस्पोज आफ हो गयीं।

श्री नन्दलाल मीणा : पांच-पांच हजार रुपया लेकर उनको ऋण नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, बेचारे वह तो वैसे ही प्राकृतिक रूप से निर्धन हैं, जो यह ऋण देते हैं उस पर 15 प्रतिशत ब्याज लेते हैं...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : बसों के लिए एस. टी., एस. सी. के नाम पर जिनको ऋण दिया गया, सही मायने में वे एस. टी. और एस. सी. के लोग नहीं थे। उनसे एप्लीकेशन्स दिलवा कर घोटाला किया। सही मायने में शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्ति को ऋण नहीं मिल कर गैर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को शिड्यूल्ड कास्ट्स के नाम से मिला है। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के नाम से नेता बनते हैं उन्होंने ऋण लिया, दूसरी जाति के लोगों ने लिया। उन गरीबों को फायदा नहीं हो पाया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो एप्लीकेशन्स इन्वाइट की गई थीं वह सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों से इन्वाइट की गई थीं।

कुल मिलाकर 115 लोगों को कर्ज दिया गया था। इसमें किसी अन्य जाति के व्यक्ति को कर्ज नहीं दिया गया। 83 शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्तियों को कर्ज दिया गया...

श्री नन्दलाल मीणा : शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ब्रेक-अप कर रहा हूं। 115 लोगों को ऋण दिया गया, उनमें से 83 शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्तियों को ऋण दिया गया तथा 32 शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों को दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही निवेदन किया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों के प्रार्थना-पत्र टाइमली डिस्पोज आफ करके उनको कर्ज दे दिया गया था। शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों के मामले में डिले हुई है, यह इसलिए हुई कि जो कमेटी बनायी थी, उसमें चेयरमैन ने जनरल मैनेजर(एडमिनिस्ट्रेशन) से कहा, उन एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करिये। जब इसकी फाइल मेरे पास आयी तो मैंने सवाल किया कि एप्लीकेशंस कब डिस्पोज आफ हुई हैं। मैंने फाइल देखी है, जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, आर. एफ. सी., जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, ने यह लिखा है, चूंकि मैं शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हूं इसलिये इन एप्लीकेशन्स को मुझसे डिस्पोज आफ नहीं करायें क्योंकि मेरे जाति के लोग मुझे प्रशराइज करेंगे। उन्होंने आपत्ति की, दूसरी, साइमलटेनियसली रोडवेज वालों से की और देर से हो रही थी. . .

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिये, जनरल मैनेजर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के थे उन्होंने यह प्रश्न उठाया था। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूर्व में जो कमेटी गठित हुई थी उसके द्वारा ही शिड्यूल्ड कास्ट्स की एप्लीकेशन्स डिस्पोज आफ हुई हैं, उसी कमेटी को इन शिड्यूल्ड ट्राइब्स की एप्लीकेशंस को भी डिस्पोज आफ करना चाहिये। इसी में दो-तीन महीने निकल गये। इसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन का ट्रांसफर हो गया। उन्होंने कहा, नये मैनेजिंग डायरेक्टर आयेंगे तब करेंगे। राज्य सरकार को नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपाइन्ट करने के लिये आई. डी. बी. आई. की स्वीकृति लेना पड़ती है, इसमें काफी समय लग गया। इन कारणों से डिले हुई।

जहां तक करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैंने पूर्ण रूप से जांच कर ली है, जिन लोगों को ऋण दिया गया उनमें किसी अन्य जाति के व्यक्ति को ऋण नहीं दिया गया। सब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट और एफिडेविट पेश किये हैं। किसी अन्य जाति के व्यक्ति को ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया, यही मैं कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वीकार किया है जिसने पांच-पांच हजार रुपये जमा कराया उसको 6 प्रतिशत की दर से वापस लौटाया गया है। उनको पूर्व में यह बात बता दी गई थी, यदि एप्लीकेशन्स ज्यादा आयेंगी. .

श्री अध्यक्ष : लेने और देने के भाव अलग-अलग होते हैं क्या ?

श्री नन्दलाल मीणा : जब आप ब्याज उन लोगों से 13.5 प्रतिशत वसूल करते हो

श्री अध्यक्ष : बैंक में भी जमा करते हैं तो और ब्याज मिलता है और उधार लेते हैं तो और ब्याज लगता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आई. डी. बी. आई. को आर. एफ. सी. की गाइडलाइन पर चलना पड़ता है। आपने स्वयं फर्माया कि डिपोजिट करने वाले और उधार लेने वालों को अलग - अलग रेट मिलती है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मंग्लाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : सरकार से मिलने वाली जो सुविधा है...

श्री अध्यक्ष : आप यह बतायें, इस योजना से कोई फायदा हुआ क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : बरबाद हो रहे हैं।

श्री मंग्लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को इससे सुविधा मिलने वाली थी, उदयपुर जिले का शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स का कोई बड़ा आफिसर नहीं होने के कारण वहां के लोग वंचित रह गये। जब कि उदयपुर जिला राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ है उन लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर ऋण मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न : इसका उत्तर नहीं आयेगा।

श्री उम्मेद सिंह, श्री मेघराज तावड़।

जयपुर मेटल्स एवं इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

435. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) व श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा सम्भाले जाने के उपरान्त इस कारखाने की डाइकास्टिंग से संबंधित एक मशीन केवल मात्र 6 लाख रुपयों में किसी पार्टी को बेच दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मशीन की आयातित कीमत 17 लाख रुपया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मशीन के बेचने के संबंध में राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन को सूचित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के बारे में यह लिखा था, आपने भी आपत्ति उठायी थी, यह प्राइवेट कम्पनी है इसमें सरकार का कुछ धन लगा हुआ है। कल यह व्यवस्था कर दी है कि इसका उत्तर आ जायगा, इसलिए इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं।

अगला प्रश्न।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मजदूरों को भुगतान नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सभी परिस्थितियों पर विचार करके कल यह व्यवस्था दी है।

(श्री अध्यक्ष)
इसका उत्तर दिलाया जायेगा । तो आज मैंने स्थगित किया, आगे उत्तर दिलाया जायगा ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उत्तर दिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो मैं उत्तर लाया हूं ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दीजिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं उत्तर दे रहा हूं । आप व्यवस्था कर रहे हैं तो ।

श्री अध्यक्ष : आप एक बात कहें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी आज्ञा हो, तो मैं उत्तर लाया हूं ।

(1) जी हां, डाइकास्टिंग मशीन 18 नवम्बर, 1982 को 6 लाख रुपये में बेची गई है ।

(2) जी नहीं । यह मशीन 1961 में 1,48,570 रुपये में आयातित की गई थी ।

(3) जी नहीं । राजस्थान वित्त निगम से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही मशीन बेची गई । इसलिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री उम्मेद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, डाइकास्टिंग मशीन किस फर्म को बेची गई ? बेचने का क्या कारण था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : डाइकास्टिंग मशीन ...

एक माननीय सदस्य : अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही तो करो ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जबर्दस्ती तो मैं अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता ।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : सारे अधिकारियों को तो बचाते हो, इनके खिलाफ तो कार्यवाही करो ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : डाइकास्टिंग मशीन सजय सेल्स कार्पोरेशन को बेची गई थी ।

आपने दूसरा प्रश्न क्या पूछा ?

श्री उम्मेद सिंह : बेचने का क्या कारण था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस मशीन का फैक्ट्री में इस्तेमाल नहीं हो रहा था । डाइकास्टिंग मशीन आज की हालत में जिस चीज का प्रोडक्शन करती है, उसके हिसाब से आब्सलीट मशीन हो चुकी थी । इसको बेचने के लिये आर. एफ. सी. से परमिशन ली है । मैंने इसकी पूरी जानकारी ली । आई. एफ. सी. से अलग परमिशन ली, एक्जीक्यूटिव कमेटी से अलग परमिशन ली । मशीन बेची गई वह नेशनल पेपर्स में विज्ञापन निकाल कर बेची गई ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं । आपने इस मशीन को बेचने का कारण बताया उसके साथ यह भी बताया कि यह मशीन डेढ़ लाख रुपये में खरीदी गई थी । तो क्या यह सही है कि इस मशीन को लाने के लिये यहां के अधिकारी पांच महीने इन्तजार में बैठे रहे ? दूसरा क्या यह सही है कि इस मशीन पर उस समय

(श्री मेघराज तावड़)

कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत थी जो आज के दिन 150 प्रतिशत है, इस हिसाब से आज की तारीख में इसकी 18 लाख से ऊपर की कीमत है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा क्या आपने इस मशीन को बेचने के लिये टेण्डर काल किये ? और किये, तो कब किये और किस-किस फर्म से टेण्डर आये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, 1961 में यह मशीन इम्पोर्ट की गई थी उस वक्त यह एक प्राइवेट फर्म थी, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं था। आज तो आटोमेटिक मशीनें आ रही हैं। यह एक हैण्ड आपरेटेड मशीन थी। 1961 के बाद 20 वर्षों में कितनी टैक्नोलोजी इम्प्रूव हो गई है, यह आप जानते हैं। यह ठीक है कि आज इस पर 150 प्रतिशत ड्यूटी हो गई लेकिन हैण्ड आपरेटेड मशीनों का आज उपयोग नहीं रह गया। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको बेच कर ठीक किया। यह साइनस कम्पनी की मशीन थी और मूल समस्या यह थी कि इससे बड़े मीटर्स का निर्माण होता था। आज की तारीख में छोटे मीटर्स का निर्माण हो रहा है। जो ऊपर के बोर्ड बनते थे वे भी इस कारण से बेकार हो गये हैं, उनका भी कोई उपयोग नहीं रह गया है। आज मीटर मार्केट में स्लम्प आया हुआ है, 67.00 रुपये मीटर रेट मार्केट में क्वोट हो रही है। इन सब हालात में जो मशीन को बेचने के लिये भी कार्यवाही करनी थी, वह पूरी की गई। इससे 3–4 साल से बराबर घाटा हो रहा था। इन्डस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया भी बार-बार कह रहा था कि इस हैण्ड आपरेटेड मशीन का उपयोग नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मूल बात को छिपाना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस मशीन को जहां तक बेचने का सवाल है इसमें टेण्डर्स इन्वाइट किये गये हैं।

श्री मेघराज तावड़ : टेण्डर कहां-कहां से आये आपके पास ? क्या यह बात सही है कि यह मशीन रात को 8 बजे गाड़ी द्वारा निकाली गई ? यदि हां, तो 8 बजे निकाले जाने का क्या कारण था ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : नेशनल पेपर्स के जरिये टेण्डर्स इन्वाइट किय गये हैं। मैसर्स आदर्श इंजीनियरिंग वर्क्स, मैसर्स अलका इंडिया लिमिटेड और मैसर्स संजय सेल्स कार्पोरेशन, इन तीन फर्म के टेण्डर्स हमारे पास आये। जिसका हाइएस्ट टेण्डर था उसको मशीन दी गई। इसमें कहां गड़बड़ी हुई श्रीमान। कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जो एक्जीक्यूटिव कमेटी है उससे प्रस्ताव पास करा कर मशीन बेची गई है।

(व्यवधान)

नवम्बर, 1982 में इसको बेचा गया। किसी चीज को बचने के लिये जितनी फार्मेलिटीज होती हैं वह पूरी की जाती हैं। इसके लिये भी टेण्डर इन्वाइट किये गये, जिन-जिन का पैसा इन्वाल्व है उनसे बेचने की परमिशन ली गई उसके बाद एक्जीक्यूटिव कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर इस मशीन को बेचा है। आप कहें तो पढ़ कर सुना दूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बैठ जाइये ।

श्री यदुनाथ सिंह : इस फर्म में राज्य सरकार की हिस्सेदारी । है यह फर्म लगातार घाटे में चल रही है, तो राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी इस फर्म से समाप्त क्यों नहीं कर लेती ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए रिलीफ अण्डरटेकिंग एक्ट के अन्तर्गत जिस प्रकार जयपुर उद्योग का काम चला रहे हैं उसी प्रकार इस फर्म को चला रहे हैं । जयपुर उद्योग में जैसे आई. डी. बी. आई. भारत सरकार के प्रतिनिधि, प्राइवेट फर्म के मालिक और उनके प्रतिनिधि और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, उसी प्रकार से इस फर्म में हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समाप्त हुआ ।

श्री मेघराज तावड़ : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आपके पास एक पार्टी और आई थी, जिसने कहा कि वह इस मशीन के 13 लाख देने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो 6 लाख में वेचने का क्या औचित्य था ?

श्रीप्रद्युम्न सिंह : ऐसा कोई आफ्शन नहीं आया, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री दीन मोहम्मद ।

जमवा रामगढ़ से चौमू रोड तक सड़क निर्माण

436. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) व **श्री दीन मोहम्मद** : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जमुवा मोड़ रामगढ़ से चौमू रोड तक कोई रोड सीकर रोड के नाम से बनाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या ? कृपया योजना के मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त रोड के निर्माण से कितना आबादी क्षेत्र प्रभावित होगा तथा क्या प्रभावितों के लिये भूमि व मुआवजे का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या प्रस्तावित रोड को कुछ और ऊपर से लिये जाने पर आबादी क्षेत्र की क्षति को रोका जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः सर्वे कराने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी हां । एक सड़क माउंट रोड (आमेर रोड से डी. पी. कालोनी, शास्त्रीनगर तक) निकालने की योजना है । योजना का मानचित्र सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) प्रस्तावित सड़क के निर्माण में 200 व्यक्तियों के मकानों का कुछ हिस्सा/चार दिवारी/चबूतरा/पूर्ण मकान सड़क परिधि में आते हैं । प्रभावितों को भूमि व मुआवजे का प्रश्न विचाराधीन है ।

(3) प्रस्तावित सड़क को कुछ ऊपर लिये जाने से वह—

(अ) कुछ नालों में से होकर निकालनी पड़ती है ।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(ब) काफी अधिक खर्चीली बैठती है।

(स) रॉक ब्लास्टिंग की आवश्यकता हो जाती है जो आज की परिस्थितियों में निकट ही घनी आबादी होने के कारण जान-माल को क्षति का कारण बन सकती है।

(द) और भी ज्यादा व्यक्तियों के मकान सड़क की परिधि में आते हैं।

इन्हीं सब कारणों को देखते हुए यह सड़क मौजूदा सड़क रास्तों पर से होती हुई इम्प्रूवमेंट करती हुई निकाली जा रही है।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न में स्पष्ट रूप से विवरण मांगा है परन्तु विवरण नहीं दिया गया है। आबादी जहां पर है वहां पर अव्यवस्था उत्पन्न करने की योजना बनायी गयी है। अपूर्ण विवरण की यह प्रति क्यों उपलब्ध करायी गयी। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको बताऊंगी कि किस तरह का उत्तर टालने के लिये दिया जाता है। बिन्दू नम्बर दो पर मैंने विवरण मांगा है। विवरण सदन के पटल पर नहीं रखा गया है। मंत्री महोदय ने यह जो पूरा उत्तर दिया वह गोलमाल है। आपने कहा है कि पार्शली मकान, चबूतरा और कुछ पूरे मकान इसमें आने वाले हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आपने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने की क्या कोई योजना बनायी है ? सड़क पहले बनेगी या उनको मकान पहले उपलब्ध कराये जायेंगे ? यह मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो भी वांछित सूचना माननीय सदस्या ने चाही थी वह सदन के पटल पर रख दी गयी है। सड़क का सर्टिफाइड मैप, जो मेरे टाउन प्लानिंग विभाग ने दिया है, पेश किया है। जो यह टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का नक्शा है मैंने इस नक्शे को देखा है और समझा है। ऐसा आभास होता है कि माननीय सदस्या को मैप रीडिंग की शायद जानकारी नहीं है। वे कृपया इस मैप को पहले देख लें या दिखा लें। जहां तक मकानों का प्रश्न है, मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया है कि कुल मिला कर 200 मकान सड़क में आयेंगे, जो मकान पूर्ण रूप से नष्ट होंगे, ऐसे मकान 50 हैं और 150 ऐसे मकान हैं जिनकी पार्शल बाउण्डरी जायेगी या चबूतरा जायेगा या उस मकान का कुछ हिस्सा जायेगा। इस प्रकार 200 में से 150 ऐसे मकान जो हैं जो आंशिक रूप से नष्ट होंगे और 50 मकान ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से नष्ट होंगे। उन 50 मकानों में से 35 कच्ची झोंपड़ियां हैं और 15 मकान पक्के हैं। अभी उनके एक्वीजिशन की कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है। नेगोसिएशन चल रहा है, बातचीत चल रही है। बातचीत के आधार पर सैटलमेंट करने का इरादा है उनका आल्टरनेट यह प्रोवाइड कर रहे हैं कि जमीन के बदले जमीन देंगे जिनके मकान हैं उनको मुआवजा, पक्के और जो कच्ची झोंपड़ियां हैं उनको एक-एक कमरा पक्की ईन्टों का बना कर दिया जावेगा।

श्री मेघराज तावड़ : जो पक्का कमरा दिया जायेगा वह कितने बाई कितने का होगा ? मंत्री महोदय, स्पष्ट बतावें।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह पूछना चाहती हूं कि कितने मकान सड़क की परिधि में आते हैं, उसके एरिया में आते हैं? मकानों की व्यवस्था पहले कर दी जायेगी या सड़क पहले बनेगी ? मुझे तो इसका उत्तर दिलाया जाये ।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है ।

श्रीमती उजला अरोडा : यह तो सैटलमेंट करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : एक एक मकान के बारे में यहां पर चर्चा नहीं होगी । नीति की बात आ गयी है । उनके लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ।

अगला प्रश्न ।

श्री शिवराम शर्मा (बनी पार्क) : जिन लोगों के मकान सड़क में आ रहे हैं उन लोगों को शहर के आस–पास जमीन दी जायेगी या दस मील की दूरी पर दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : जयपुर शहर बहुत फैल गया है ।

श्री मेघराज तावड़ : आपकी सोसाइटी में जगह होगी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क आमेर के पास से बाई-पास के रूप में सीकर रोड से जोड़ने के लिये बनायी जा रही है । जयपुर में ट्रेफिक की प्राब्लम बढ़ती हुई आबादी के कारण हो रही है इसलिये सीधे ही उस ट्रेफिक को डाइवर्ट करने के लिये यह वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है । जिनके मकान इसमें आ रहे हैं उनके लिये वैकल्पिक व्यवस्था इस प्रकार की होगी जिससे कि उनको दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी तक कितने मकान तोड़े जा चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या आपने प्रश्न पूछ लिया है ।

अगला प्रश्न । श्री दाऊ दयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य ।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न । प्रश्न संख्या 437.

कोटा नगर में जल व वायु प्रदूषण

437. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दिगोद) व **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा नगर में कौन-कौन से उद्योग से जल एवं वायु प्रदूषण होता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने हेतु कोई कानून है ? यदि हां, तो उस कानून के तहत गत 3 वर्षों में किन-किन उद्योगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई व उसके क्या परिणाम रहे ?

(3) कोटा नगर में जल व वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कौनसा विभाग कार्यवाही करता है ? उसका दफ्तर कोटा नगर में कहां पर स्थित है ? उसमें कौन-कौन पदाधिकारी एवं कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? उक्त विभाग के प्रगति प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर): (1) कोटा नगर में स्थित जल एवं वायु प्रदूषण करने वाले प्रमुख उद्योग की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गयी है।

(2) जी हां। गत तीन वर्षों में जिन जल प्रदूषक उद्योगों ने उच्छिष्ट उपचार संयन्त्र लगा लिये हैं तथा जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है मय उनके परिणाम सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) विवरण मय प्रगति प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दिया है।

(सूची/विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोटा नगर में जल प्रदूषण करने वाले 50 प्रतिशत से अधिक अर्थात 17 उद्योग हैं। वायु प्रदूषण करने वाले 9 उद्योग हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा है, वहां पर उद्योग तो हैं। हमारे यहां पर तो कोई उद्योग नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : पिछले तीन साल में इन 26 उद्योगों में से कितने उद्योगों के खिलाफ कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष : यह आपने पूछा नहीं है। यह अलग से प्रश्न है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार की कोई जिम्मेदारी है ? यदि है, तो क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण चाहे वह जल का हो, चाहे वायु का हो अथवा थल का हो सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि विदिन परमिसिबल लिमिट अलाउ किया जाय। जल एवं वायु का प्रदूषण रोकने के लिये एक बोर्ड बना हुआ है। इसके लिये कानून बना हुआ है उस कानून के तहत ही कार्यवाही की जाती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : उस कानून के तहत क्या कार्यवाही की गयी है, कृपया यह बतावें ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक उद्योग का केस कोर्ट में चल रहा है। उसकी 19 तारीख है....

श्री दाऊदयाल जोशी : 26 में से एक।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : डिपार्टमेंट अभी बना है। बाकी उद्योगों में से 3 तारीख को नोटिस दिया गया है कि या तो वे ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा दें अन्यथा इस बारे में कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय सरकार यह चाहती है कि समझाइस के तौर पर इस बात की कोशिश की जाये कि प्रदूषण को कम से कम किया जाये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय कोटा के दो उद्योगों को ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने का आदेश दिया गया था। जे. के. और डी. सी. एम. समूह 75 पर्सेन्ट जल प्रदूषण और 60 पर्सेन्ट वायु प्रदूषण फैलाते हैं। क्या उन्होंने ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा लिया है ? यदि हां तो क्या प्लांट चालू हैं ? यदि नहीं, तो क्या इसलिये चालू नहीं किये जा रहे हैं कि यह महंगा सौदा है ? राज्य सरकार

(श्री दाऊदयाल जोशी)
इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और न आपके अधिकारी ही ध्यान दे रहे हैं।

श्री **गोविन्द सिंह गुर्जर** : इन उद्योगों के नाम बताइये।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : डी.सी.एम. समूह और जे.के.। क्या उन्होंने ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाया है ?

श्री **गोविन्द सिंह गुर्जर** : कोटा में कोई सीमेंट प्लान्ट नहीं है।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : ट्रीटमेंट प्लान्ट ?

श्री **अध्यक्ष** : ट्रीटमेंट प्लांट।

श्री **गोविन्द सिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ नहीं पाया हूं। 17 उद्योगों की लिस्ट दी है। पहले जो आठ हैं उनमें है श्री राम फर्टीलाईजर, श्री राम रेयेन्स, जे. के. सिन्थेटिक्स, जे. के. इलेक्ट्रोनिक्स, जे. के. स्टेपल, मल्टीमेटल इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ऑफ कोटा, फोरेन एक्स-कोटर्स, इन्डो एसोसिएशन, उन्होंने तो ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिये हैं। बाकी को जो एन. ओ. सी. देते हैं उसके लिये मना कर दिया है। उन पर कार्यवाही की जा रही है। उनके लिये यह लिखा है कि उनका प्रोसीक्यूशन किया जाय।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : आठ में से एक में भी ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री **अमराराम चौधरी** (पचपदरा): माननीय, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ। ऑर्डर प्लीज।

श्री **मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्थगित कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : ×××

श्री **अध्यक्ष** : कोई फायदा नहीं है माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : ×××

श्री **अध्यक्ष** : भाषण नहीं, माननीय सदस्य। मैं बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री **हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री **हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्ता हूं। एक सप्लीमेंट्री की भी इजाजत नहीं देंगे क्या ?

श्री **अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

श्री **हीरालाल आर्य** : ×××

श्री **यदुनाथ सिंह** : कल कान्फ्रेंस में आइयेगा।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 21

(21)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न महत्वपूर्ण है स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि इस प्रश्न को किसी अन्य माध्यम से उठायें। मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

(व्यवधान)

बैठ जाइये। अंकित नहीं हो रहा है। इस तरह झगड़ा करने से क्या फायदा है। इस तरह कुछ नहीं होगा। बैठ जाइये। ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, 463।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, इसे किसी अन्य तरीके से उठायें, मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सर्किट हाउस, अजमेर में नवीनीकरण पर व्यय

487. **सैयद मोहम्मद अय्याज महाराज** (मसूदा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर के सर्किट हाउस के नवीनीकरण पर वर्ष 1977-78 से वर्ष 1981 तक प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ?

(2) उपरोक्त राशि किस-किस मद में खर्च की गई ? उक्त अवधि में इस सर्किट हाउस में मैनेजर के पदों पर कौन कौन व्यक्ति कार्य कर रहे थे ?

उत्तर

(1) अजमेर के सर्किट हाउस के नवीनीकरण पर वर्ष वार निम्न प्रकार राशि व्यय हेतु स्वीकृत की गई है :–

क्र. सं.	वर्ष	व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	1977-78	10,000/-
2.	1978-79	9,224/-
3.	1979-80	16,500/-
4.	1980-81	8,06,000/-
5.	1981-82	2,06,000/-

(2) क्रमांक 1, 2, 4, एवं 5 वाली स्वीकृतियां बजट मद 459-लोक निर्माण कार्यों-पर पूंजीगत परिव्यय (ख) निर्माण (i) सामान्य भवन (ii) अन्य प्रशासनिक सेवाएं-सामान्य प्रशासनिक भवन मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) के माध्यम से (आयोजना) से जारी की गयी थीं एवं क्रमांक 3 वाली स्वीकृति बजट मद 259—लोक निर्माण कार्य (ग) निर्माण 2- अन्य प्रशासनिक सेवाएं सामान्य प्रशासनिक भवन (आयोजना भिन्न) से जारी की गयी थी।

इस अवधि में श्री रमेश चन्द्र सक्सेना मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे थे।

मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर व्यय

488. **श्री नाथू सिंह** (बांदीकुई): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमण्डल के वर्तमान सदस्यों पर 31 जनवरी, 1983 तक कुल कितनी धनराशि यात्रा

(श्री नाथूसिंह)

भत्ता व टेलीफोन पर पृथक–पृथक रूप में व्यय की गई ? कृपया सूची सदन की मेंज पर रखें ?

(2) क्या मुख्य मंत्री जी ने उक्त खर्च को कम करने हेतु कोई निर्देश जारी किये थे ? यदि हां, तो उसका क्या असर हुआ ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मंत्रिमण्डल के वर्तमान सदस्यों पर दिनांक 31-1-83 तक यात्रा भत्ता व टेलीफोन पर हुए व्यय के भुगतान का विवरण संलग्न परिशिष्ट में अंकित है ।

(2) जी हां । निर्देशों की क्रियान्विति की जा रही है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जयपुर में शेयर बाजार प्रारम्भ करना

490. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में शेयर बाजार चालू होने के सम्बन्ध में सरकार को राजस्थान परिषद्, कलकत्ता की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

(2) यदि हां, तो ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यह बाजार कब चालू होगा तथा इसकी प्रस्तावित पूंजी क्या होगी तथा कितने-कितने रुपये के शेयर होंगे ?

उत्तर

(1) कुछ प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों एवं व्यवसाइयों आदि द्वारा जयपुर में शेयर बाजार (Stock Exchange) के खोले जाने की दशा में प्रयत्न किये गये। राजस्थान परिषद, कलकत्ता से कोई ज्ञापन उद्योग विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रवर्तकों के द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के पश्चात शेयर बाजार के चालू होने की संभावनायें है। प्रर्वतकों द्वारा बनाये गये मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स आॅफ एसोसियेशन के प्रारूप के अनुसार शुरू में अधिकृत पूंजी 5.00 लाख होगी। प्रत्येक शेयर 1000/- रुपये का होगा। भारत सरकार द्वारा जयपुर स्टाक एक्सचेंज के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन को स्वीकृत करने के पश्चात एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात ही शेयर बाजार चालू किया जा सकेगा ।

नगरपालिका भीनमाल को भवनों का हस्तान्तरण

491. **श्री कनकराज मेहता (सांचौर):** क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 10 वर्ष पूर्व नगरपालिका, भीनमाल द्वारा सात भवन 3.5 लाख में खरीद कर राशि जमा करा दी थी ?

(2) क्या उक्त निर्णय केबिनेट से किया गया था ? यदि हां, तो उन भवनों में से आबकारी व वन विभाग के भवन आज दिन तक नगरपालिका को हस्तान्तरित न होने के क्या कारण हैं ?

(श्री कनकराज मेहता)

(3) अब उक्त दोनों भवन कब तक नगरपालिका को सुपुर्द कर दिए जायेंगे ?

(4) क्या उक्त देरी से हॉस्पिटल का विकास रुका हुआ है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । केवल 6 भवनों को 3.50 लाख रुपये की राशि एक मुश्त जमा कराने की शर्त पर नगरपालिका मण्डल, भीनमाल को विक्रय किये जाने की स्वीकृति दिनांक 29–7–1969 को जारी की गई थी मगर नगरपालिका द्वारा एक मुश्त 3. 50 लाख रुपये जमा नहीं कराकर 50,000/- -रुपये दिनांक 4-11-1971 को व 18-1-1975 को 3. 00 लाख रुपये जमा कराये गए ।

(2) जी नहीं । नगपालिका, भीनमाल से इस विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग राजकीय कार्यालय के भवन निर्माण में किया जाना था । नगरपालिका ने एक मुश्त राशि जमा न कराकर अधिकांश राशि काफी विलम्ब से जमा कराई जिससे भवनों की कीमत व निर्माण व्यय बढ़ गया ।

(3) उक्त भवनों का पुनः बाजार भाव पर मूल्यांकन कराने तथा नगरपालिका की इस पर सहमति प्राप्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है ।

(4) देरी का प्रश्न ही नहीं है व उक्त भवनों के हस्तान्तरण नहीं होने से हॉस्पिटल के विकास का कार्य नहीं रुका है ।

रेवासा झील (सीकर) में नमक उत्पादन

492. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले की दातारामगढ़ तहसील में रेवासा झील में पानी आने से नमक उत्पादन नहीं हो रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सौमावती नदी हरिपुरा बांध, हात्याज बांध बन जाने से रेवासा झील में पानी आना रुक सकता है ?

(3) क्या यह भी सही हैं कि सिंचाई विभाग ने इन बांधों के लिए 40 प्रतिशत धनराशि उद्योग विभाग से मांगी है ?

(4) इस झील का कुल क्षेत्रफल कितना है ? इसमें पानी न आने से कितना नमक उत्पादन हो सकता है और कितनों को रोजगार मिल सकता है ? स्पष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इन बांधों के बनने से रेवासा झील में पानी की आवक कम होने की संभावना है ।

(3) जी नहीं ।

(4) इस झील के भराव का क्षेत्रफल लगभग 11.25 वर्ग किलोमीटर है । नमक का उत्पादन ब्राइन की स्ट्रेन्थ व उपलब्धता पर निर्भर करता है । अगर नमक उत्पादन किया जाय तो 10 एकड़ के एक प्लाट पर लगभग 7 मजदूर औसतन कार्य करते है जिसके अनुसार लगभग 700 मजदूरों को आंशिक रोजगार मिल सकता है ।

भूमि विकास बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मृत्यु का प्रकरण

494. श्री कमलेन्द्रसिंह (बल्लभनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़ भूमि विकास बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मृत्यु 2-4-1982 को चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन पर हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय लोगों ने इस मृत्यु को संदिग्ध बताया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी से बैंक सचिव का झगड़ा हुआ है और उसी के बाद वह मृत पाया गया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

तहसील प्रतापगढ़ में विभिन्न अपराधिक घटनायें

495. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रतापगढ़ शहर एवं तहसील में वर्ष 1981-82 में कितनी चोरियां एवं डकैतियां हुईं और उनमें से कितनी बरामद हुई ? वारवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

यात्री गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था

496. श्री भैरूं सिंह गुर्जर (खारची): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में चलने वाली यात्री गाड़ियों में सुरक्षा हेतु राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा शस्त्र गश्त चलाई जाती है ?

(2) यात्री गाड़ी ठहरने पर इन गश्ती पुलिस कर्मचारियों की क्या ड्यूटी होती है ?

(3) क्या उच्चाधिकारियों द्वारा इनकी ड्यूटी का आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है ? यदि हां, तो माह जनवरी, 1983 में कब-कब निरीक्षण किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) रेलवे पुलिस सशस्त्र गश्ती गार्ड अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों व अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखती है।

(3) जी हां। माह जनवरी, 1983 में रेलवे पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा दिनांक 1-1-83, 4-1-83, 7-1-83 13-1-83, 17 व 18-1-83 एवं 27 व 29-1-83 को विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सशस्त्र गश्ती गार्ड का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है।

"कौमी एकता मंच" का आयोजन

497. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) व श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 19 नवम्बर, 1982 से 11 दिसम्बर, 1982 तक राजस्थान में "कौमी एकता मंच" का आयोजन किया गया था और इस आयोजन की रिपोर्ट भारत सरकार को भी भेजी गई थी ?

(2) यदि हां, तो कृपया, भारत सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) कौमी एकता माह का आयोजन 25-11-1982 से 11-12-82 तक किया गया था। इस सम्बन्ध में वांछित सूचना समस्त जिलाधीशों से प्राप्त की जा रही है।

(2) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अभी रिपोर्ट नहीं भेजी गई है ।

जिला जैसलमेर में फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना

498. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर में सेना के लिये फील्ड फायरिंग रेंज की कब स्थापना की गई व इस रेंज में जिले के कितने गांवों को खाली कराया गया ? कृपया, ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों के अनेक परिवारों को न तो मुआवजा मिला, न ही भूमि आवंटित की गई है ?

(3) यदि हां, तो कृपया, उक्त परिवारों के नाम व गांववार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या राज्य सरकार इन विस्थापित परिवारों को मुआवजा व भू-आवंटन कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में सेना के लिए फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी, जिसके लिये जिले के 14 ग्रामों को खाली कराया गया। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं ! खाली कराये गये ग्रामों के समस्त परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है तथा भूमि भी आवंटित कर दी गई है।

(3) जी नहीं । प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(4) सभी विस्थापित परिवारों को मुआवजा व भू-आवंटन किया जा चुका है।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 8 देखें)

तहसील शिव के विभिन्न ग्रामों में सिंचाई योजना

499. श्री अमीन खां (शिव): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा

Page No 26

(26)

(श्री अमीन खां)

करेंगे :—

क्या बाड़मेर जिले की तहसील शिव के ग्राम डेन्डू-कानासर-आर ग-चोचरा, रतकोडीया व शेखे का गांवों में खेती के लिए सिचाई की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के कारण सभी कार्यों का सर्वेक्षण एक साथ किया जाना सम्भव नहीं है ।

ग्राम बरवाड़ा (आमेर) में हैण्ड पम्प्स

500. श्री तेजपाल यादव (चौमूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील आमेर के ग्राम बरवाड़ा में कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक ग्राम बरवाड़ा में केवल दो हैण्ड पम्प ही लगाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों और बाकी हैण्ड-पम्प कब तक लगा दिये जायेंगे ?

(3) चौमूं तहसील के कितने ग्रामों में हैण्ड पम्प लग चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) चौमूं तहसील के किस-किस गांव में हैण्ड पम्प लगाना बाकी है और सरकार इन ग्रामों में कब तक हैण्ड पम्प लगवा देगी ? कृपया, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) ग्राम बरवाड़ा के लिये 5 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं ।

(2) जी हां । दो हैण्ड पम्प मिट्टी वाले स्ट्रेटा में लगा दिये गये हैं । शेष तीन हैण्ड पम्प, जो कि पथरीली भूमि पर लगाने है, मार्ग दुर्गम होने के कारण उपयुक्त रिग पहुंचाने की व्यवस्था शीघ्र की जा रही हैं ।

(3) चौमूं तहसील के 19 ग्रामों में हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं । विवरण संलग्न हैं ।

(4) चौमूं तहसील के तीन स्वीकृत ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाना बाकी है । धन उपलब्धि के अनुसार हैण्ड पम्प लगाये जा सकेंगे । विवरण संलग्न है ।

(विवरण के लिये कृपया, परिशिष्ट 9 देखें।)

सहायक अभियंता, बाड़मेर के विरुद्ध शिकायतें

501. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार को सहायक अभियन्ता, बाड़मेर श्री रूपसिंह चौधरी के विरुद्ध अपने कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार, छुआछूत एवं कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान करने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उन शिकायतों की जांच की है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम बताने की कृपा करें ।

(जन. स्वा. अभि. मन्त्री)

उत्तर

जी हां। रामलाल, सहायक द्वारा शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच अधिशाषी अभियन्ता, बाड़मेर द्वारा की गई व उसे बेबुनियाद पाया गया।

लसाड़िया बांध की मरम्मत

502. श्री रामकंवार बैरवा (फागी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील फागी में लसाड़िया बांध के मरम्मत हेतु वर्ष 1981-82 में 1,75,000/- रुपये की स्वीकृति हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध के मरम्मत में स्वीकृत राशि के व्यय नहीं किये जाने से बांध अपूर्ण पड़ा हुआ है ?

(3) क्या सरकार अब उक्त बांध को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया, पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, तहसील फागी में लसाड़िया बांध की मरम्मत हेतु वर्ष 1981-82 में 2,95,000/- रुपये की स्वीकृती हुई थी।

(2) जी नहीं। बांध की मरम्मत की जाकर, उसे क्षति होने से पूर्व की स्थिति में ला दिया गया है। बांध को पूर्व स्वीकृत डिजाइन के अनुसार कुछ ऊंचा करने का कार्य बाकी है।

(3) जी हां। आगामी वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व इस बांध के कार्य को पूर्व स्वीकृत डिजाइन अनुसार पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम सोरखण्ड (कोटा) के किसानों को अवाप्त भूमि का मुआवजा

503. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि ग्राम सोरखंड, तहसील मांगरोल, जिला कोटा के तालाब के निर्माण में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा सभी सम्बंधित किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितने किसानों को मुआवजा नहीं मिला, और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

जिन काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया है उनके नाम एवं कारण सदन के पटल पर रखी गई सूची के क्रमशः कॉलम 2 एवं 4 में दर्शाये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 10 देखें।)

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय

504. श्री घनश्याम तिवाड़ी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
(सीकर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कार्य वर्ष 1982–83 में राज्य में निर्माणाधीन वृहत, मध्यम और आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(2) व्यय की गई धनराशि किस-किस परियोजना पर कितनी कितनी खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में राज्य में निर्माणार्धीन वृहद, मध्यम एवं आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं पर जनवरी, 1983 तक 1673.10 लाख रुपये व्यय किये गये (राजस्थान नहर के व्यय को छोड़कर) ।

(2) परियोजनाओं पर व्यय की गई धनराशि का योजनावार विवरण संलग्न सूची में सदन की मैज पर रख दिया गया हैं।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 11 देखें।)

गैर योजना व्यय में कटौती

505. श्री **यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये गैर-योजना व्यय का कितना प्रस्ताव है ? स कथं कितने गैर-योजना व्यय में कटौती का प्रस्ताव है ? 31 जनवरी, 1983 तक इसमें कितनी कटौती हो पाई है ?

उत्तर

वित्तीय वर्ष 1982-83 में गैर योजना व्यय में संशोधित अनुमानों के अनुसार 1,17,409.63 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है। वित्त मंत्री जी के वर्ष 1982 83 के बजट भाषण के पैरा 36 के अनुसार रुपये 10 करोड़ के गैर आयोजना मद में कटौती का प्रस्ताव था। अब तक गैर आयोजना मद में 4.21 करोड़ रुपये की कटौती के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

राज्य के ग्रामीण उद्योगों को ऋण

506. श्री **जीतमल जैन** (अलवर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा 1980 से अब तक राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के कितने उद्योगों को ऋण दिया गया है ? कृपया, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक कितने रुग्ण उद्योगों को पुनर्वित्त दिया है, एवं उपरोक्त उद्योगों में कितनी इकाइयों ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भुगतान अवधि बढ़ाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये है ? कृपया, जिलेवार विवरण मय की गई कार्यवाही सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा

(वित्त मंत्री)

1980 से अब तक राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को जिलेवार स्वीकृत ऋण का विवरण (सूची-1) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त अवधि में 8 रुग्ण उद्योगों को भारतीय औद्योगिक पुनर्जीवन निगम के सहयोग से पुनर्जीवन योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किया गया जिनका जिलेवार विवरण (सूची-2) सदन के पटल पर रख दिया गया है। इन उद्योगों को पुनर्जीवन योजना के अनुसार भुगतान अवधि भी बढ़ाई गई।

(विवरण के लिये कृपया, परिशिष्ट 12 देखें।)

नीमकाथाना में राजकीय चिकित्सालय

507. श्री **मोहन लाल मोदी** (नीम-का थाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नीमकाथाना राजकीय चिकित्सालय भवन का निर्माण जनता द्वारा कब व कितनी लागत का कराया गया ? इस भवन में राजकीय चिकित्सालय कितने समय से चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन को जनता द्वारा सरकार को हस्तान्तरित करने के लिये कई बार आवेदन किया गया लेकिन अभी तक सरकार ने इसे ग्रहण नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक यह कार्य पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) नीम का थाना चिकित्सालय में भवन निर्माण का कार्य जनता द्वारा वर्ष 1966 में रुपये 4,37,849.00 की लागत से कराया गया था। इस भवन में चिकित्सालय दिनांक 13-2-67 से चल रहा है।

(2) जी नहीं। चिकित्सालय भवन को राज्य सरकार ने जुलाई, 82 में अधिग्रहण कर लिया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस भवन की देखभाल के लिये अपनी सूची में नहीं लिया गया है। इसे उनकी सूची में सम्मिलित करवाने का का प्रयास किया जा रहा है।

बांसवाड़ा में स्वास्थ्य रक्षकों को भुगतान

508. श्री **फतेसिंह** (कुशलगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में जन-स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में भी जन-स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त थे ? यदि हां, तो क्या वह अभी कार्यरत हैं ? जन-स्वास्थ्य रक्षक को प्रति माह कितना भत्ता दिया जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में जन-स्वास्थ्य रक्षकों को भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब से तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

Page No 30

(30)

(श्री फतहसिंह)

(4) क्या जन-स्वास्थ्य रक्षकों को दवाईयां या अन्य सामग्री वितरण हेतु दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन जन-स्वास्थ्य रक्षकों के क्या कृत्य हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर में 116 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़ क्षेत्र में 53 कुल 169 जन-स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षित किये गये थे।

(2) जन-स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षित किये थे उनमें से दिसम्बर, 82 से 50 पुनः ग्रामीण स्वास्थ्य दर्शक की हैसियत से काम करने लग गये हैं। प्रत्येक ग्रामीण स्वास्थ्य दर्शक को 50 रुपये प्रतिमाह का मानदेय मिलता है।

(3) जी हां। वर्ष 80-81 से ही योजना बन्द होने से भुगतान भी बन्द हो गया। माह दिसम्बर, 1982 से इस योजना को पुनः प्रारम्भ किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य दर्शक को भुगतान की व्यवस्था पंचायत विभाग के सौजन्य से की जा रही हैं।

(4) जी हां। जन-स्वास्थ्य रक्षक अपने ग्राम के लोगों को साधारण उपचार के अतिरिक्त उन्हें स्वास्थ्य रक्षा के नियमों की शिक्षा देने तथा उन्हें गांव की सफाई रखने में मदद करता है। वह निरोध वितरण का डिपो-होल्डर भी होता है। मलेरिया, बुखार की गोलियां देता है व खून की जांच की स्लाइड बनाता है, लोगों को परिवार कल्याण सम्बन्धी जानकारी देता है। वह स्वास्थ्य सेवाओं के राज्य कर्मचारियों और जनता के बीच सम्पर्क के साधन की एक कड़ी है। इसके माध्यम से जिन लोगों को स्वास्थ्य मार्ग दर्शकों की क्षमता से ऊपर की सेवाओं की आवश्यकता हो, तो उसके लिये लोगों को उपकेन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सहायक स्वास्थ्य केन्द्र पर भेजता है। कुओं में ब्लिचिंग पाउंडर भी डालता है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को रोग प्रतिरोधक टीके लगवाने, मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण सेवायें प्रदान करने एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम में मदद करता है।

सलूम्बर में रेफरेल हास्पिटल

509. श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सलूम्बर में रेफरेल हॉस्पिटल का भवन तैयार हो गया है ?

(2) सरकार इस रेफरेल हास्पिटल के लिए डाक्टरों की नियुक्ति कब तक करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भवन निर्माण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण की स्वीकृति के पश्चात् ही डाक्टरों की नियुक्ति करना संभव होगा।

कोटवाल ब्रदर्स, अलवर के विरुद्ध कार्यवाही

510. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या

(सुश्री पुष्पा जैन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटशाल भ्रदर्स, अलवर के विरुद्ध भेषज अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत मामले को राज्य सरकार ने वापस लिया है? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस फर्म द्वारा निर्मित क्लोरोमाइसिन के केप्सूल में चिकित्सा विभाग के निदेशालय द्वारा नियुक्त टीम द्वारा जांच करने पर चाक भरी हुई पाई गई ? कृपया, इस जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज्य में लघु एवं सीमांत कृषकों को खाद अनुदान

511. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की यह जानकारी है कि आन्ध्र, गुजरात, हिमाचल, कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं बंगाल प्रदेश की सरकारें सीमान्त एवं लघु कृषकों को खाद का उपयोग कर अधिक उपज पैदा करने के लिए अनुदान/छूट (सब्सिडी/रिबेट) देती है ? यदि हां, तो कृपया, अनुदान/छूट की मात्रा की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार राजस्थान के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खाद खरीदने के लिए अनुदान/छूट देती है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभिन्न प्रदेशों से उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान के बारे में कोई सूचना राज्य के कृषि विभाग में उपलब्ध नहीं है। उक्त सूचनाएं मंगवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) पूरे देश में क्रियान्वित किये जा रहे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुरूप ही राजस्थान में भी लघु एवं सीमान्त कृषकों को पोटाश, एवं फासफेट खाद हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिसकी दर लघु कृषकों के लिए 25 प्रतिशत एवं सीमान्त कृषकों के लिये 33.33 प्रतिशत है। इन वर्गों में से जो कृषक अनुसूचित जनजाति के हो, उन्हें 50 प्रतिशत की दर पर अनुदान उक्त प्रकार के खादों के लिये उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अलावा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जहां, फसल का नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक हुआ हो वहां बीज, खाद एवं कीटनाशक औषधियों आदि के लिये 250 रुपये प्रति हैक्टेयर ऐसे उपादानों की अधिकतम लागत मानते हुए लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता

(श्री कृषि राज्य मंत्री)

है जिसकी दर लघु कृषकों के लिये 25 प्रतिशत सीमान्त कृषकों के लिये 33.33 प्रतिशत एंव उक्त श्रेणी में से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये 50 प्रतिशत होती है। वर्ष 81 में राज्य में आई बाढ़ से प्रभावित छः जिलों के लिये भी लघु एवं सीमान्त कृषकों को उक्त दरों पर खाद बीज हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

पिड़ावा में कृषि विपणन बोर्ड का सब-यार्ड

512. श्री शोवानसिंह (पिड़ावा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सुनेल जिला झालावाड़, क्षेत्र पिड़ावा में राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन बोर्ड का सब-यार्ड घोषित किया हुआ हैं इससे राज्य सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ व इस राजस्व में से कृषकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कितना रुपया कहाँ कहां खर्च किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अभी तक सब-यार्डकायम नहीं किया गया है ? राज्य सरकार इसको कब तक कायम करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, मंडी समिति, भवानी मण्डी के अधीन दिनांक 14-5-31 को सुनेल को गौण मंडी यार्ड घोषित किया जा चुका है। आय व्यय विवरण प्रेषित हैं :—

आय गौण मंडीयार्ड सुनेल में	व्यय	
1	2	3
160897.90	1) कार्यालय किराया	1,944.00
	2) जल व्यवस्था	2,121.50
	3) नीलामी व चौकीदारी यवस्था	20684.00
	कुल योग	: 24,749.50

(2) कायम किया जा चुका है।

रामगंज मण्डी में किसानों को घटिया बीज का वितरण

513. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष कृषि विभाग द्वारा कोटा जिले की रामगंज मंडी में किसानों को ऐसा बीज वितरण किया गया जो जमीन में ही रह गया व पौधे जमीन से बाहर ही नहीं आये ?

(2) यदि हां, तो इससे किसानों को कितनी क्षति हुई ? सरकार इस विषय में क्या कदम उठा रही है ?

(कृषि राज्य मंत्री)

उत्तर

(1) रामगंज मण्डी में किसानों को जो बीज बांटा गया था उसके बारे में कोई स्पेशिफिक शिकायत सामने नहीं आई हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

खेल परिषद् के तहत प्रशिक्षण शिविर

515. **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) : क्या खेल कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान राजस्थान राज्य खेल परिषद् का गठन कब किया गया ? इसके कौन-कौन पदाधिकारी हैं ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) पिछले दो वर्षों में खेल परिषद् द्वारा किन-किन खेलों के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर किन-किन स्थानों पर आयोजित किया गया ? प्रशिक्षण शिविरों के लिए चयनित खिलाड़ियों की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि खेल परिषद् की गतिविधियों को ग्रामीण अंचलों तक नहीं पहुंचाया गया है ? यदि हां, तो इस हेतु वर्तमान में क्या योजना बनाई गई है ? योजना की विस्तृत रूपरेखा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान खेल परिषद् का गठन दि. 5-12-81 को किया गया। वर्तमान पदाधिकारियों की सूची संलग्न है।

(2) पिछले दो वर्षों में राज्य के विभिन्न स्थानों पर जिन खेलों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये, उनकी सूची संलग्न है। प्रशिक्षण शिविरों के लिए चयनित खिलाड़ियों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) जी नहीं। खेल परिषद् द्वारा ग्रामीण युवकों में खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से एवं ग्रामीण अंचल में खेलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य के 142 गांवों में खेलकूद केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों को सचारु रूप से चलाने हेतु खेल परिषद् ने केन्द्र के प्रभारियों को रु. 50/– प्रति माह के मानदेय पर नियुक्ति दे रखी है। इन केन्द्रों के संचालन हेतु नये केन्द्रों को रु. 600/- एवं पुराने केन्द्रों को रु. 300/- का खेल सामान प्रति वर्ष दिया जाता है। ग्रामीण युवकों की विभिन्न खेलों में प्रति वर्ष पंचायत, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं। राज्य प्रतियोगिता में चुने हुए श्रेष्ठ ग्रामीण युवकों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु राज्य से बाहर भेजा जाता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को परिषद् नकद पुरस्कार से सम्मानित करती है। वर्तमान में ग्रामीण केन्द्रों पर विभिन्न खेलों के 7 दिवसीय एवं 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किये जाते हैं तथा प्रशिक्षण शिविर स्थल के खेल के मैदानों के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 13 देखें।)

एशियाड में विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार

516. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या खेल-कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एशियाड 1982 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक प्रदान किये गये ? कृपया, सूची खिलाड़ी के नाम सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है? यदि हां, तो किस प्रकार ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) एशियाड 1982 में राजस्थान के छः खिलाड़ियों ने स्वर्ण, तीन खिलाड़ियों ने रजत एवं दो खिलाड़ियों ने कांस्य पदक प्राप्त किये हैं । खिलाड़ियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां, जिन राजस्थानी खिलाड़ियों ने एशियाड की एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता उन्हें एक-एक लाख रुपये व टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 50-50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जावेगा । एकल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वालों को 50-50 हजार रुपये तथा टीम प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वालों को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रस्तावित है । कांस्य पदक विजेताओं को 10-10 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जावेगा ।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 14 देखें ।)

ग्राम पंचायत, ओलवाड़ा, (सवाई माधोपुर) के विरुद्ध गबन का मामला

517. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में सवाई माधोपुर पंचायत समिति में ग्राम पंचायत ओलवाड़ा के खिलाफ कोई गबन का केस बना था ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि का था ?

(2) क्या यह भी सही है कि ओलवाड़ा पंचायत के भूतपूर्व सरपंच द्वारा गबन की राशि जमा करवा दी गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि जमा कराई गई है और वह किसके पास कब से जमा है ? कृपया, जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । ओलवाड़ा के भूतपूर्व सरपंच बदरीलाल के विरुद्ध धनराशि के दुरुपयोग की जांच उप-जिलाधीश, सवाई माधोपुर के यहां विचाराधीन है । कुल कितनी राशि का वास्तविक दुरुपयोग किया गया है। यह जांच के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगा ।

(2) जी हां । जांच के आधार पर भूतपूर्व सरपंच द्वारा गबन की राशि 12,000/– तत्कालीन विकास अधिकारी के पास जमा करा दिया जाना बताया

(पंचायत राज्य मंत्री)

गया है। इस मामले में विस्तृत जांच उप-जिलाधीश के यहां विचाराधीन है।

पंचायत, समिति, जमवा रामगढ़ में पिछड़े को पहले कार्यक्रम के तहत आवासीय भू-खण्ड

518. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या पंचायत एवं विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, जमवारामगढ़, जिला-जयपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सायीपुरा द्वारा वर्ष 1982 से फरवरी, 1983 तक "पिछड़ों को पहले" कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय भू-खण्डों के पट्टे दिये गये है ? यदि हां, तो कितने और किन-किन को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही हैं "पिछड़े को पहले" कार्यक्रम के अतिरिक्त भी रिहायशी भू-खण्डों के पट्टे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और किन-किन को।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, ग्राम पंचायत द्वारा पिछड़े को पहले कार्यक्रम के अतिरिक्त रिहायशी भू-खण्डों के पट्टे निम्नांकित परिवारों को जारी किये गये है :—

1- श्री लल्लूराम पुत्र श्री पांचूराम कुम्हार।

2- श्री मूलचन्द पुत्र श्री ताराचन्द कुम्हार।

3- श्री राम नाथ पुत्र श्री महादेव कुम्हार।

4- श्री नैनूराम पुत्र श्री सूथाराम बुनकर।

5- सुश्री रतन देवी शर्मा पुत्री श्री सूरजनारायण शर्मा।

6- श्रीमती मुन्नी देवी सक्सेना पत्नी श्री सुरेन्द्र नारायण सक्सेना।

उपरोक्त परिवारों को आबादी भूमि नजराना, ग्राम पंचायत में जमा करके नियमानुसार पट्टे जारी किये गये हैं।

मंगलम सीमेंट फैक्ट्री, मोडक से प्रदूषण

519. श्री हरीश शर्मा (रामगंज-मण्डी), श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की मंगलम् सीमेन्ट फैक्ट्री (मोडक) की चिमनी की लम्बाई कम है तथा नीचे धूल साफ करने का यन्त्र भी लगा हुआ नहीं है जिससे आस पास के गांवों का वातावरण भारी दूषित हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि खेतों पर

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

फैक्ट्री की उड़ने वाली धूल जम जाती है जिससे रबी की फसल भी नष्ट हो रही है और वातावरण दूषित होने के कारण बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इसके निवारण हेतु क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

(3) क्या इस बारे में सरकार को पूर्व में भी जानकारी दी गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या सरकार वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए उद्योग मालिकों को पाबन्द करेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मंगलम सीमेन्ट फैक्ट्री की चिमनी की ऊंचाई 40 मीटर है तथा यह ऊंचाई इन्जिनियरिंग गणना (Calculation) पर आधारित है। इस चिमनी से निकलने वाली धूल को साफ करने हेतु आवश्यक यन्त्र लगा हुआ है किन्तु तकनिकी खराबियों के कारण काम नहीं कर रहा हैं। उसे ठीक कर चालू करने के लिये उद्योग निरन्तर प्रयत्नशील है ।

(2) जी हां। फैक्ट्री की उड़ने वाली धूल से वातावरण दूषित होने की सम्भावना है, वायु प्रदूषण रोकने हेतु राज्य मण्डल फैक्ट्री से सम्पर्क करता रहा है मगर ठोस कार्यवाही तभी सम्भव होगी जब राज्य सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों को अनुमति दे दे, जो राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(3) जी हां। राज्य सरकार स्वतः ही इस बारे में जागरूक है। फलस्वरूप वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 राज्य में लागू कर दिया गया है तथा इसके अन्तर्गत राज्य मण्डल ने नियम बना कर राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये हैं जो राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(4) अवश्य। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु नियमों को राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के तुरन्त बाद ऐसे सभी उद्योगों के विरुद्ध, जिनसे उत्पन्न धूल व गैसों से जन स्वास्थ्य, पशु धन एवं खेती पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी ।

जिला बीकानेर में चरागाह विकास

*520. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वन विभाग द्वारा बीकानेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र में पशुओं की चराई के लिए चरागाह भूमि का क्षेत्र आरक्षित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कहां कहां ? वन मण्डलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) बीकानेर जिले में गत 5 वर्षों से चरागाह विकास के लिए कितने हेक्टेयर जमीन की तारबन्दी की गई और उस पर कितना खर्च हुआ ? चारा आदि लगाने हेतु वर्षवार कितना व्यय हुआ? कृपया, मण्डलवार विवरण सदन पर रखें ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

(3) बीकानेर जिले में वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में कितने चरागाह कहां कहां खोले गए ? कृपया, मण्डलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में चरागाह हेतु वर्ष 1982-83 में जो भूमि आरक्षित व विकसित की गई है, उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) बीकानेर जिले में गत 5 वर्षों में 22,998 हैक्टेयर भूमि पर तारबंदी कर, चरागाह विकास कार्य किया गया है, जिस पर माह जनवरी, 1983 तक कुल व्यय 184.597 लाख रु. हुआ है । मण्डलवार व वर्षवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 15 देखें)

बेरी वेतन आयोग द्वारा सुझाये वेतनमान

521. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बेरी वेतन आयोग ने राजस्थान में वैद्यों के वेतनमान क्या निश्चित करने का सुझाव दिया ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य सरकार ने बेरी वेतनमान की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु जो कमेटी बनाई उसने वैद्यों के क्या वेतनमान सुझाये एवं राज्य सरकार ने उनको माना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बेरी वेतन आयोग ने राजस्थान में वैद्यों के जो वेतनमान निश्चित करने का सुझाव दिया था उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) बेरी वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु औपचारिक रूप से गठित मन्त्रिमण्डलीय उप समिति ने वैद्यों के लिये निम्नांकित वेतनमान प्रस्तावित किये थे जिन्हें राज्य सरकार ने यथावत मान लिया है :–

वैद्य श्रेणी द्वितीय (1) 610–15–640–20–900–25–1000–30–1090

(उन व्यक्तियों के लिये जो सेवा नियमों के अधीन अपेक्षित योग्यता न रखते हों।)

(2) 640–20–900–25–1000
30–1180

(उन व्यक्तियों के लिये जो सेवा नियमों के अधीन अपेक्षित योग्यता रखते हों)

वैद्य श्रेणी प्रथम (1) 740–20–900–25–1000 – 30– 1300–40–1420

(उन व्यक्तियों के लिये जो सेवा नियमों के अधीन अपेक्षित योग्यता न रखते हों ।)

(2) 820–20–900–25 –1000
30–1300–40–1500–50–1550

(उन व्यक्तियों के लिये जो सेवा

(श्री वित्त मंत्री)
नियमों के अधीन अपेक्षित योग्यता रखते हों।)

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 16 देखें।)

आयुर्वेद औषधालय, चांदोली का औषधि बजट

522. श्री **जीतमल जैन** (अलवर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

'आयुर्वेदिक औषधालय, चांदोली (अलवर) का वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में औषधियों का प्रस्तावित बजट कितनी राशि का था और इसके अनुपात में कितनी कम राशि की औषधियां उपलब्ध कराई गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आयुर्वेदिक औषधालय, चान्दोली; जिला अलवर का वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 का स्वीकृत औषध बजट एवं वितरित की गई औषधियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया, परिशिष्ट 17 देखें)

जिला बीकानेर में पापड़ उद्योग

523. श्री **वीरेन्द्र प्रताप सिंह** (गुडा), श्री **देवी सिंह भाटी** (कोलायत): क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बीकानेर में पापड़ उद्योग के कुल कितने यूनिट हैं तथा उनके द्वारा कितने श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है?

(2) उक्त उद्योग के कुल यूनिटों के नाम, पता तथा कार्यरत श्रमिकों की पृथक् पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में पापड़ उद्योग के अन्तर्गत 85 यूनिट हैं तथा इन यूनिट्स के द्वारा प्रति माह औसतन 103 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है।

(2) कुल स्थापित 85 यूनिट्स के नाम व पते संलग्न सूची में अंकित हैं। प्रथम 84 व्यक्तिगत इकाईयां हैं। इकाई संख्या 85 संस्था है जिसमें औसत 19 लोगों को अंशकालिक काम मिलता है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 18 देखें)

जैसलमेर में दुग्ध अवशीतन केन्द्र

524. श्री **चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या डैयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जैसलमेर जिले में दुग्ध उत्पादन व विक्रय के लिये सरकार की क्या योजनाएं हैं?

(2) क्या दुग्ध अवशीतन केन्द्र

Page No 39

(५१)

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)
जैसलमेर मुख्यालय पर स्थापित करने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसे लागू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के पोकरण स्थान पर एक 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का अवशीतन केन्द्र स्थापित किया गया है, जहां पर दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध विपणन की सुविधाओं के साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु पशु प्रजनन, पशु चिकित्सा, संतुलित पशु आहार वितरण व डेयरी प्रसार आदि की सुविधा भी दी जा रही है। पोकरण नगर पालिका क्षेत्र में दुग्ध विक्रय भी किया जा रहा है।

(2) जैसलमेर में एक मिल्क चिलर लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

नगर परिषद्, अजमेर द्वारा चुंगी चौकी का निर्माण

525. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर की सीमा बढ़ाये जाने पर ब्यावर रोड पर एक नई चुंगी चौकी का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो इस चौकी के स्थल का चयन कहां किया गया, और यह स्थान इस रोड पर पूर्व में स्थित चुंगी चौकी से कितना दूर था ?

(2) इस चौकी के निर्माण का नक्शा व एस्टीमेट क्या थे और निर्माण का कुल कितना चुकारा किसको किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस तरह की किसी भी चुंकी चौकी के निर्माण नहीं होने व सारा फर्जी कार्य कागजों पर ही होकर चुकारा करने की शिकायतें हुई थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) नगरपरिषद्, अजमेर की सीमा बढ़ाये जाने के कारण वर्तमान चुंगी चौकी को आगे ले जाने का निर्णय लिया गया था। किन्तु इसका पूरा निर्माण नहीं हो पाया था। यह स्थान तबीजी ग्राम के पास रेलवे क्रॉसिंग से पहले है एवं वर्तमान चुंगी चौकी से करीब 8 किलो मीटर दूर है।

(2) इस चौकी के निर्माण का नक्शा एवं एस्टीमेट संलग्न है। निर्माण कार्य के विरुद्ध 5,910.59 पसे का भुगतान मैं. रतनलाल गर्ग वास्ते अजमेर भवन निर्माण उत्पादक सहकारी समिति को किया गया।

(3) नगरपरिषद् की सूचनानुसार इस विषय में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(नक्शा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(एस्टीमेट के लिये कृपया, परिशिष्ट 19 देखें।)

राज्य की नगरपालिकाओं के कर्मचारियों का नियमन

526. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने लम्बे समय से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमन हेतु स्पष्ट नीति निर्देश नगरपालिकाओं को दिये है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इन नियमों की अवहेलना करते हुये कर्मचारियों के नियमन सम्बन्धी आदेशों के विरुद्ध कोटा नगर परिषद् मजदूर संघ द्वारा प्रशासक को शिकायत की गयी है ?

(3) यदि हां, तो क्या प्रशासक द्वारा इन शिकायतों की जांच की गई ? कृपया, जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) नियमों की अवहेलना तथा रिकार्ड में परिवर्तन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासक महोदय ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां । प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) जांच स्वयं प्रशासक द्वारा नहीं की गई थी । उन्होंने जांच समिति द्वारा जांच कराई एवं जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर संशोधन आदेश जारी किया था ।

(4). पूर्व आदेश पुनर्रावलोकन करते समय किसी अधिकारी व कर्मचारी की कोई गलती नहीं पाई गई । इसलिए किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है ।

(निर्देश के लिये कृपया, परिशिष्ट 20 देखें।)

केसरीसिंहपुर नगरपालिका द्वारा आवासीय भू-खण्ड

527. श्री **मनफूल राम** (केसरीसिंहपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केसरीसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले हरिजन परिवारों के पास आवासीय भू-खण्ड नहीं हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त परिवारों को निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है । कुछ हरिजनों द्वारा आवासीय भू-खण्ड के लिए नगरपालिका को प्रार्थना-पत्र दियें है जो परीक्षणाधीन है ।

(2) प्रश्न के भाग (1) में इसका उत्तर भी दे दिया गया है ।

राज्य के प्रमुख नगरों में मवेशियों के बाड़े

528. श्री **भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भाग-

(श्री भगवान दास शास्त्री)
भैंसे के बाड़े प्रमुख नगरों के मध्य होने से सफाई व्यवस्था में बाधा तथा जन साधारण को दुर्घटना की आशंका रहती है ?

(2) क्या सरकार अजमेर नगर के मध्य गाय-भैंसों के सैंकड़ों बाड़ों को शीघ्र हटाने का विचार रखती हैं। यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या सरकार सूअर जैसे जानवरों से नागरिकों को राहत दिलाने के लिये अजमेर, जयपुर जोधपुर नगरों में सूअरों से मुक्ति की कोई योजना बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) जी हां।

इस बारे में नगर परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(3) नगर परिषद् / पालिकाएं केटल ट्रेसपास एक्ट, 1871 के अन्तर्गत आवारा मवेशियों की पकड़ कराती रहती है जो एक निरन्तर क्रिया प्रणाली है। आवश्यकता पर समय-समय पर अभियान भी आयोजित कर पकड़ करवाई जाती रहती है। उपरोक्त एक्ट की धारा 3 में वर्णित जानवर की परिभाषा में सूअर एवं सूअर जैसे जानवर भी सम्मिलित हैं। अतः पृथक से योजना बनायें जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

ग्राम कागदीवाड़ा (जयपुर) की लिंक रोड

529. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कागदीवाड़ा (ब्रह्मपुरी) जयपुर होकर लिंक रोड (बाई पास) निकाला जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त बाई पास (लिंक रोड) में ग्राम कागदीवाड़ा के किन किन लोगों के मकानों का कितना-कितना हिस्सा आ रहा है? कृपया, नाम मय वल्दियत एवं नक्शे के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त बाई पास में ग्राम कागदीवाड़ा के कुछ गैर सर्वे (विदाउट सर्वे) पुराने व पक्के मकान भी आ रहे हैं ? अगर हां, तो उपरोक्त मकानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त प्रभावित गैर सर्वे पुराने मकान मालिकों को भी नियमानुसार मुआवजा व जमीन देने का विचार रखती हैं ? अगर हां, तो क्या? नहीं तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त लिंक रोड से प्रभावित ऐसे लोगों, जिनकी रिहायशी जमीनों का आधा या कुछ हिस्सा बाई पास में आने के बावजूद भी वे शेष जमीन पर रहना चाहेंगे, को वहां ही नियमित रूप से बसाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कुल बारह लोगों के मकानों का कुछ हिस्सा, जिनका विवरण संलग्न परि-

(राज्य मंत्री नगरीय एवं आवासन)

शिष्ट "क" में दर्शाया गया है इस सड़क में आता है सड़क के कागदीवाड़ा से होकर, निकलने वाले हिस्से का मानचित्र परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, विचाराधीन है।

(4) विचाराधीन है।

(5) विचाराधीन है।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

(विवरण के लिये परिशिष्ट 21 देखें।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 मार्च, 1983)

अवैध शराब के मामले

272. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद), **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या **आबकारी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत एक वर्ष में कोटा डिवीजन में कहां-कहां, कब कब, किस-किस अधिकारी के द्वारा कितने व्यक्तियों से कितनी कितनी अवैध शराब पकड़ी गई ?

(2) उक्त पकड़े गये व्यक्तियों में से कितनों के मामले किस-किस कोर्ट में पेश किए गए, कितनों को सजाएं हुई व वर्तमान में कितने मामले कोर्ट में चल रहे है ? कृपया, उक्त डिवीजन की जिलेवार जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1981-82 में जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी अधिकारी/आबकारी अधिकारी (निरोधक दल) सहायक आबकारी अधिकारी (निरोधक दल) आबकारी निरीक्षक/प्रहराधिकारी के सहयोग से विभिन्न जिलों के गांवों में छापा मार कर अवैध शराब निर्माण/परिवहन करने वाले कुल 7391 व्यक्तियों से कुल 37480 बोतल नाजायज शराब पकड़ी गई।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री यदुनाथ सिंह – गत एक मार्च को थाना नगर जिला भरतपुर क्षेत्र में श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री जगदीश प्रसाद की दहेज न मिलने के कारण हत्या,

(2) श्री राजबहादुर – गत 18 सितम्बर को लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 42 सहायक अभियंताओं को अब तक नियुक्ति न देने के विषय में,

(3) सर्वश्री बालचन्द्र आर्यवीर, हीरालाल आर्य, अनंग कुमार जैन आगामी 14 अप्रेल को बाबा साहब

(श्री अध्यक्ष)

भीम राव अम्बेडकर जन्म दिन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित न किये जाने के विषय में,

(4) श्री महाराम चौधरी– अखिल भारतीय पशु प्रदर्शनी इलाहाबाद, यू.पी. में भेजे गये कुछ पशुओं के लिये पशुपालकों को खर्चा न देने और उनका इलाज न करने के विषय में।

एक माननीय सदस्य : उनकी पूंछ काट दी, साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

(5) श्री हरीश शर्मा– रामगंज मंडी तहसील में कोटा स्टोन की पॉलिश की फैक्ट्रियों से होने वाले जल-प्रदूषण के विषय में,

(6) श्री रामकंवार बैरवा : प्रशासन गांवों की ओर अभियान में राजस्थान के लगभग 30 हजार कृषकों को खातेदारी अधिकारों से वंचित कर देने के विषय में,

(7) श्री बंशीलाल पटवा –भीलवाड़ा नगर परिषद् की ओर से स्थानीय ओवर ब्रिज के पास करवाये जा रहे मूर्ति व अन्य कलाकारी के कार्य के लिए मूर्ति कार्य टैण्डर मांगने से पूर्व ही करा देने के विषय में;

(8) श्रीमती उजला अरोड़ा – जयपुर में 13 श्मशानों में से 8 श्मशानों पर ही नगर परिषद् की ओर से मृत्यु दर के अंकित होने की व्यवस्था होने के विषय में,

(9) श्री कैलाश मेघवाल – गत 5 मार्च को पुलिस थाना गोबिन्दगढ़, जिला जयपुर में एक महिला की हत्या के अभियुक्त श्री बद्री बागड़ा की पुलिस की पिटाई से हुई मृत्यु के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अथवा व्यक्तिगत एवं अस्पष्ट हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(10) श्री भगवान दास शास्त्री– अजमेर नगर में आगामी दरगाह मेले के लिए सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था पूरी न होने के विषय में,

(11) श्री कुंजीलाल, मीणा–ग्राम भोंरकी व बरनाला, जिला सवाई माधोपुर में गत दिसम्बर को पड़ी डकैती के विषय में,

(12) श्री गुलाब चन्द कटारिया– उदयपुर जिले के कांकरोली मन्दिर की संपत्ति के लिये ट्रस्ट बनाने की मांग के विषय में,

(13) श्री चुन्नी लाल जेलिया व श्री हंसराज शर्मा–जिला सवाई माधोपुर के हिंडोन क्षेत्र में लगातार 4 डकैतियां पड़ने के बावजूद पुलिस द्वारा कार्यवाही न होने के विषय में।

इस स्थगन प्रस्ताव को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। इस पर चर्चा की अनुमति नहीं होगी।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य

(श्री अध्यक्ष)
सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है:—

(1) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:– कोटा ताप परियोजना में गत 23 फरवरी को हुई अग्नि दुर्घटना।

सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले में सतर्कता न बरतने के आरोप में 2 अधिशासी अभियन्ताओं एवं 3 आपरेटर्स को निलम्बित कर दिया गया है व दुर्घटना की जांच की जा रही है तथा एक फायर मैन का इलाज किया जा रहा है। इन तथ्यों के आधार पर मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री छीतरलाल आर्य–अटरू तहसील में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था।
यह प्रश्न भी स्वीकृति योग्य नहीं है।

(3) श्री हंसराज शर्मा एवं श्री चुन्नी लाल जेलिया–ग्राम पंचायत शेरपुर, जिला सवाई माधोपुर के ग्राम माधोसिंहपुरा के खसरा नम्बर 58 को किसी कर्मचारी को आवंटित कर देने के विषय में।

(4) श्री मेघराज तावड़–राजस्थान के आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

(5) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी– जयपुर के मुख्य न्यायिक दण्डनायक द्वारा बहस के होने के पूर्व ही एक मुकदमे में निर्णय लिखवाकर रख देने के विषय में।

(6) श्री यदुनाथ सिंह:– भरतपुर, कोटा व जोधपुर में आर. ए. सी. की भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में।

(7) श्री हरीश कुमार शर्मा-राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता श्री केडिया की अधिशासी अभियन्ता के पद पर अनियमित नियुक्ति के संबंध में।

(8) श्री अनंग कुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर–श्री निशान्त व्यास की गत 2 दिसम्बर को पुलिस कर्मचारियों द्वारा पिटाई।

इन स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी का अध्ययन किया जा रहा है। इन पर बाद में व्यवस्था दी जायेगी।

माननीय सदस्य, त्रिलोक सिंह ने बसों में बालकों, विद्यार्थियों को कन्सेशन नहीं देने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, लेकिन जिन बस मालिकों के खिलाफ शिकायत की गयी थी, वह प्राइवेट आपरेटर्स हैं, इसलिए सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती।

एक अन्य प्रस्ताव जे. के. सिन्थेटिक्स के बारे में था, उसमें वक्तव्य दिलाया जायेगा।

जिन माननीय सदस्यों के मैं नाम पुकारूं....

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : पाइन्ट आफ आर्डर, मेरा स्पेशल मोशन है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। पाइन्ट ऑफ आर्डर क्या है?

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, नान-अलाइनमेंट सम्मेलन चल रहा है, उसके बारे में मैंने स्पेशल मोशन दिया है,

(श्री यदुनाथसिंह)
उस पर मुझे इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : नान अलाइनमेंट अपने यहां का विषय नहीं है इसलिये....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : पूरा राष्ट्रीय विषय है ।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री त्रिलोक सिंह ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश गुट निरपेक्ष देशों का अध्यक्ष है, यह तो एक अहम मसला है । निरस्त्रीकरण के लिए कम से कम, राजस्थान विधान सभा से भी प्रस्ताव जाना चाहिये था। ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बारे में अलग से मुझ से मिलें, स्थिति क्या है मैं आपको....

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव मेरी तहसील में प्राइवेट बसेज में बच्चों को कन्सेशन नहीं देने के बारे में था । मेरे जिले में आठ तहसीलें हैं । सात तहसीलों में प्राइवेट बसेज स्कूल और कालेज के बच्चों को कन्सेशन देती हैं किन्तु मेरी तहसील, फतेहपुर में बच्चों को प्राइवेट बसेज कन्सेशन नहीं देतीं । इस सिलसिले में मैंने एडजार्नमेंट मोशन रखा था, अहमियत वाला प्रस्ताव है, जो बच्चों की पढ़ाई से ताल्लुक रखता है, बच्चों की जिन्दगी से ताल्लुक रखता है पर सरकार का जो जवाब आया है, उसको सुनकर मुझे बड़ा भारी अफसोस हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ कि सरकार प्राइवेट बसेज का कुछ नहीं कर सकती । मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि क्या वह प्राइवेट बसेज पाकिस्तान में चलती हैं ? क्या वह प्राइवेट बसेज सरकार के आदेशानुसार काम नहीं कर सकतीं ? अगर नहीं कर सकती, तो बसेज बन्द कर दी जायें । अगर सरकार इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती तो मुख्य मंत्री और सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आदेश देकर बच्चों को कन्सेशन दिलाया जाय । अगर कन्सेशन नहीं दिया जायेगा तो वहां झगड़ा होगा, बसेज रोकी जायेंगी, गांवों में बसों को नहीं जाने दिया जायेगा। बसेज वालों की यह तो खुली लूट है और वह भी बच्चों के साथ । इस मामले को लेकर कम से कम 8–10 जगह पर बड़े-बड़े झगड़े हो गये, मासूम बच्चों को मारा गया, गाड़ियों के नीचे फेंक दिया गया और सरकार कहती है कि हम तो लाचार हैं, प्राइवेट बसेज वाले हमारे काबू में नहीं हैं । मुझे बड़ा ताज्जुब है, मुझे बड़ा अफसोस है ।

मुझे यह कहना पड़ेगा कि सरकार इस तरह की नहीं होनी चाहिये । मैं चाहूंगा कि फौरन सरकार एक आदेश के द्वारा प्राइवेट बसेज को आदेश दे कि हर बच्चे को कन्सेशन दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवान दास शास्त्री ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 127 का नोटिस दिया है, चार तारीख को स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। नैनवा आज भी बन्द है। सरकार वहां होकर आयी है, उसके बावजूद कोई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
स्टेटमेंट देना नहीं चाहती। आखिर इसका कारण क्या है? हमें कोई रास्ता आप बतायें कि कौनसा माध्यम है जिसके द्वारा...

आज वहां 8 दिन से....

व्यवधान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब आसन अनुमति देता है या आदेश करता है, तभी वक्तव्य दिया जाता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आखिर उसकी कोई सीमा तो होगी, 8 दिन से सारा शहर बन्द है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आज वहां एक भी दुकान नहीं खुली, जन-जीवन सामान्य नहीं है, सरकार वहां होकर आयी है, देखकर भी आयी है, हम देख कर आये हैं। स्टेटमेंट क्यों नहीं देते, उसके पीछे कारण क्या हैं? बेइमान लोगों को बचाने के लिए सरकार क्यों कोशिश कर रही है? सरकार यह बताये कि कौन जिम्मेदार है, जिसके कारण झगड़ा हुआ? दोषी कौन है? आखिर हमारे धैर्य की भी कोई सीमा होती है? निर्दोष लोगों को घर से बाहर खींचा जाता है.....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। नियमों की अवहेलना नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : नैनवा में न जाने कब ज्वाला फूट पड़े। यह हैड लाइन है दैनिक नवज्योति की..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। भाषण नहीं होंगे। कृपया, बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री भगवान दास शास्त्री।

(व्यवधान)

इस पर अनुमति नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। आर्डर, आर्डर। ऐसा कोई विनिश्चय नहीं दिया है, माननीय सदस्य। आर्डर। आप बैठ जांय। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : 4 दिन से लगातार कह रहे हैं।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आखिर इस प्रश्न का कोई उत्तर तो होगा । सरकार की ओर से वक्तव्य क्यों नहीं दिया जाता ? आज चार दिन से लगातार इस प्रश्न के ऊपर माननीय सदस्य उत्तेजित हैं । सरकार के प्रतिनिधि वहां जाकर आये हैं,स्थिति का उनको भी पूरा ज्ञान होना और चाहिए, आपको भी । अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में और यहां भी इस प्रश्न के संबंध में कई बार निवेदन किया है, ऐसा माननीय सदस्यों ने कहा । धैर्य की आखिर कोई सीमा होती है । सरकार की ओर से वक्तव्य क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आज इसमें मैं जानकारी मंगवा लेता हूं, उसके बाद मुझसे माननीय सदस्य मिलने का कष्ट करें । इस पर कुछ व्यवस्था करवाई जायेगी, इतना ही अभी निवेदन कर सकता हूं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, आपने तो हाउस को बता दिया । यह सरकार क्यों नहीं बोल रही है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार तो मेरी अनुमति के बगैर कैसे बोलेगी ? नियमों की पालना करते हैं, नियमों का उल्लंघन करके बोलते नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सरकार नियमों का पालन करती है, यह तो बहुत अच्छी बात है । कम से कम एक तो सर्टिफिकेट आपका इस सरकार को मिल गया, सरकार नियमों का पालन करती है ' नियम तो यह है कि सरकार को स्वयं आपको निवेदन करना चाहिये कि वह वक्तव्य देना चाहती है, नियम तो यह है। यह कौनसे नियमों का पालन कर रहे हैं कि हाउस में चुप रहें ? यदि यही नियम का पालन है तो सरकार नियमों का पालन कर रही है, अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि आज इस पर जानकारी लेकर मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से इस संबंध में वार्ता कर लूंगा । उसके पश्चात् कोई निर्णय...

श्री हरीश शर्मा : चार दिन से लगातार चिल्ला रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : फिर वही चर्चा। आर्डर, आर्डर।

श्री हरीश शर्मा : ....स्थिति बड़ी खतरनाक है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज । आर्डर, आर्डर।

श्री भगवान दास शास्त्री : अजमेर नगर में आगामी दरगाह मेले के लिए सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था पूरी न होने के विषय में ।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्व विदित है कि प्रति वर्ष मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में विश्व भर से यात्री दो या तीन लाख के बीच में जियारत करने आते हैं ।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गत सप्ताह पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके आया हूं।

(श्री भगवान दास शास्त्री)

सफाई व अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था तो जिलाधीश महोदय करते हैं। स्थानीय समिति के लोग फैसला करके चले जाते हैं, परन्तु वहां कोई उचित व्यवस्था नहीं होती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रति वर्ष 10 लाख की आमदनी अजमेर नगर परिषद को होती है, इसके अलावा यू. आई. टी. को भी आमदनी होती है। विश्व भर के यात्री दरगाह में आते हैं। अजमेर की गन्दी बस्तियों में घनी आबादी है। वहां सड़क तीन-साढ़े तीन फीट से ज्यादा चौड़ी नहीं है। उन बस्तियों में न डी. डी. टी. फिनाइल छिड़कने की व्यवस्था है और न बिजली-पानी की व्यवस्था है। जितने यात्री आते हैं उनको नाक पर रूमाल लगा कर आना पड़ता है। मैंने अजमेर की पूरी बस्तिओं का अवलोकन किया है। मैं मुंह नाक पर रूमाल डालकर, वहां की गलियों से निकला हूं। सारा मैला गलियों में पड़ा है। जो यात्री आते हैं उनको छूत की बीमारी का शिकार होना पड़ता है। चेचक, महामारी, आंखों का लाल रोग होना इन सब रोग को प्रति वर्ष अजमेर के नागरिकों को भुगतना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है कि इस समय आपने अनुभवी मिनिस्टर स्वायत्त शासन विभाग के लिए हैं। बंगला देश के माननीय राष्ट्रपति, जो कल ही अजमेर से यात्रा करके आये हैं, तो सर्टिफिकेट स्वायत्त शासन विभाग को दे दिया होगा, वह तो बाहर से स्थिति की सराहना करके गये, किन्तु यात्रा करते हुए लोगों का मैंने हाल देखा है मेरा कहना है कि दरगाह के चारों तरफ के वार्ड नम्बर 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 प्रभावित हैं। चारों तरफ जो यात्री आते हैं, उनको होटल वाले और अन्य लोग अपने मकान खाली करके किराये पर देकर चले जाते हैं। उनको किराये से मतलब है। यह परम्परा कम से कम 50-60 वर्ष, पुरानी है।

अध्यक्ष महोदय, आप इन्दर कोट की तरफ देखें, वहां फ्लश की जो लैट्रीन बनी हुई हैं उनका मैला निकालने लिये आठ इंची रबड़ का पाईप पूरे इन्दरकोट में लगा हुआ है। जो मैला उस पाईप से निकलकर सड़क पर आता है उसको गाड़ियां आकर उठा कर रास्ते में गिराती हुई चली जाती हैं यह कोई फ्लश सिस्टम हैं? सीवरेज लाईन की आवश्यकता पर मैं तीन साल से चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा हूं, सीवरेज लाइन गटर सिस्टम तो आप उस घनी आबादी में बनायेगें नहीं, कम से कम आगामी साल जो यात्री यात्रा करने आयेंगे उनको और पांच लाख अजमेर के नागरिकों को राहत दिलाने की आप मेहरबानी करें। आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दें कि पानी–लाइट की सप्लाई कन्टीन्यू रखें, उसके साथ सफाई की व्यवस्था 24 घंटे रखे। मेरी इतनी ही करबद्ध प्रार्थना है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसके बारे में पूर्व में आदेश दे दिये गये है और माकूल व्यवस्था की हिदायत दे दी गई है। सफाई का पूरा इन्तजाम रखा जायेगा।

श्री भगवान दास शास्त्री. धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ऐसे मंत्री और विधायक चाहिए जो उसी वक्त समस्या का हल निकाल सकें।

(श्री अध्यक्ष)

श्री कुंजीलाल मीणा : डकेती के बारे में।

श्री कुंजीलाल मीणा (वामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माह दिसम्बर में ग्राम भोंरकी में डकैती पड़ी थी, उसके बारे में गृह राज्य-मंत्री से करीव 20 आदमी मिले। उन्होंने यह जवाब दिया कि लिखित में दो, हम सुनवाई करेंगे। 20 आदमियों के उनसे निवेदन करने के बावजूद कोई सन्तोषप्रद जवाब उन्होंने नहीं दिया। दो दिन बाद में उन्होंने वही जवाब दिया कि लिखित में दो। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि डकैती तो पड़ी ही पर डकैती के साथ साथ काश्तकारों को पुलिस वालों ने भी भयंकर रूप से लूटा। एक अखबार में छपा था कि ग्राम बिछोछ में एक फैक्ट्री खुली है, उस फैक्ट्री में हथियार बरामद किये। ऐसा अखबार में छपा था। कम से कम सैकड़ों काश्तकारों से हजार दो हजार रुपये की पुलिस ने खुली लूट की है और कम से कम दो लाख रुपये की रिश्वत खाई है। आपसे निवेदन है गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो पुलिस की डकैती पड़ी है उसको तो कम से कम रोके।

श्री चाव खां (कामां): अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने डकैती के बारे में निवेदन किया। मैं तो आपको अपने इलाके के बारे में कुछ बातें बतलाऊंगा। यह हकीकत है एक जगह डकैती होती वह बरामद नहीं की जाती उसके लिए प्रशासन का.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको तो जब पुलिस की मांगों पर विचार हो तब कहें। इन्होंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है, कांकरोली मन्दिर की करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को लोग खुद बुर्द कर रहे हैं। मैंने पिछले सत्र में भी इस बात को उठाया था कि जो मन्दिर की सम्पत्ति है उसको बचाने के लिए कोई ट्रस्ट बनाया जाय, लेकिन आपने स्पष्ट इन्कार कर दिया। इस पर कोर्ट और सैशन कोर्ट में वहां के लोग गये कि वहां जमीन का बेचान किया जा रहा है, पूजा करने वाले लोगों द्वारा अपने परिवारों के बच्चों के नाम से जमीन को अलग-अलग खातों में दर्ज कराया जा रहा है इसको किसी तरह से रोका जाय। सैशन कोर्ट का जजमेंट मेरे पास है हाई कोर्ट का अभी 5 तारीख को स्टे हुआ है। उसमें जमीन बेचान का स्टे दिया। पांच तारीख का हाई कोर्ट का स्थगन आदेश 11 बजे सर्व होगया। उसके बाद दिन में उस जमीन की रजिस्ट्री हुई। इसलिए आप कृपया इस स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट मत कीजिये। आप डाक्यूमेंट्स देख लें। डाक्यूमेंट्स देखने के बाद यह लगेगा कि मैं जिस मामले को उठा रहा हूं वह सही है। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति, इस मन्दिर को सम्भालने के लिये जो लोग लगाये गये हैं, जिनको आदर्श सम्मान देकर पूजते हैं, वे लोग कई वर्षों से नष्ट कर रहे हैं। जो इसके मालिक हैं वे लोग तो बड़ौदा रहते हैं। साल में मुश्किल से दो वार यहां आते हैं। हम लोग यहां के रहने वाले हैं। जिन लोगों की जीविका इस मन्दिर के आधार पर चलती है वे सारे के सारे डूब जायेंगे। यहां तक योजना बन रही है, कि उस मंदिर की मूर्ति को वे लोग यहां से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

से जाना चाहते हैं। वे यहां की सारी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। यह सामान्य प्रोपर्टी नहीं है, करोड़ों रुपयों की प्रोपर्टी को नष्ट कर रहे हैं। आज भी उसको बेचा जा रहा है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस मामले को देखें। मेरे पास सारे डाक्यूमेंट्स हैं हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनको आप देखें।

(12.26 म.पू.)

(श्री देवदत्ततिवाड़ी सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री हंसराज। जिला सवाई माधोपुर के हिण्डौन क्षेत्र में लगातार 4 डकैतियां पड़ने के बावजूद पुलिस द्वारा कार्यवाही न करना।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिला सवाई माधोपुर के हिन्डौन क्षेत्र में डकैतियों का तांता लगा हुआ है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में चोरियों का तांता लगा हुआ है। जिन-जिन क्षेत्रों में डकैतियां हुई हैं, सभापति महोदय, वहां कई महिलाओं के साथ डकैतों ने कुकर्म किया, और सामना करने पर उनको बन्दूक की गोलियों से घायल कर दिया। घायल ही नहीं कुछ लोगों को जान से मार दिया। इस प्रकार की एक नहीं अनेक घटनायें हुई हैं। पिछले दो महीने के अन्दर खन्डार में 4 डकैतियां हुई हैं। चारों डकैतियों में लाखों रुपये का माल ले गये, सारे हिन्डौन क्षेत्र के लोग भयभीत हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी डकैतियां हो रही है और गलत काम हो रहे हैं उसके बावजूद पुलिस प्रशासन सतर्कता

(12.30 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

पूर्वक कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इसके साथ-साथ जैसा माननीय सदस्य ने भोंरकी और बरनाला के लिये कहा कि कीर्तन करते हुये डकैत आये। एक तरफ कीर्तन हो रहा है, मकान में राम-नाम की धुन लगाकर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद में लोगों को पकड़ा, मारा और माल ले गये। पुलिस ने आज तक कोई सतर्कता नहीं बरती। इसी प्रकार से अन्य छोटी-छोटी चोरियों के मामले में भी जिला प्रशासन की पुलिस निष्क्रिय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिला सवाई माधोपुर में चोरियां और डकैतियां बराबर बढ़ती जा रही हैं। जिला प्रशासन निष्क्रिय होकर बैठा हुआ है इसलिये जिला प्रशासन को सतर्क किया जाय और चोरियों को बरामद करें।

अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर एक बात में और कहना चाहता हूं, एक मंदिर में चोरी हुई, जिसका मैंने स्थगन प्रस्ताव में हवाला दिया है। उस मंदिर में चोरी हुई, 15 रोज तक हम सब लोगों ने पुलिस प्रशासन को निवेदन किया, पन्द्रहवें दिन पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद पुजारी को पकड़ा। पकड़कर थाने में ले गये। उस पुजारी जो मंदिर में सेवा-पूजा करता था, को थाने में बराबर पिटाई करते रहे। हमने सोचा कि किसी अन्य जांच में बुलाया होगा। बराबर पुलिस पुजारी को वहां पीटती रही। जब गांव वालों को मालूम पड़ा तो क्षेत्र के 128 मंदिरों के पुजारियों ने एक मेमोरेन्डम तैयार किया। मेमोरेन्डम

(श्री हंसराज शर्मा)

लेकर वे जिला प्रशासन के पास पहुंचे और निवेदन किया कि हम मंदिर की पूजा करते हैं परन्तु जब चोरियां होती हैं, तो पुलिस हमारी पूजा करती है। उन्होंने 128 मन्दिरों की चाबियां जिलाधीश और पुलिस प्रशासन को सौंप दीं कि आप पूजा करिये। हमें पुलिस से पूजा नहीं करवानी है। इस प्रकार की घटनायें आये दिन घट रही हैं, पुलिस खुद निष्क्रिय होकर लोगों को लूट रही है, बुरी तरह से परेशान कर रही है। चोरियों का पता नहीं लगाया जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां के पुलिस प्रशासन को सतर्क किया जाय और चोरियां बरामद की जायं। इस प्रकार मंदिर के पुजारियों को पीटना कहां तक उचित है? मंदिर के जो ट्रस्ट बने हुये हैं, उन ट्रस्टों के जो चेयरमैन बने हुये हैं, पुजारियों से कहा जाता है कि उनका नाम बतायें। जो ट्रस्ट से सम्बन्धित हैं, वह पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, देख-रेख करते हैं क्या उनका ही नाम बता दें? पुलिस पुजारियों को उनका नाम बताने के लिये बाध्य करती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की जांच करवायें। अगर राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वहां के पुजारियों ने अल्टीमेटम दे रखा है कि 128 मंदिरों के ताले लगाकर सारी चाबियां प्रशासन को सौंप देंगे कि मंदिर की सेवा-पूजा आप करो। इस बात का समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना उदयपुर जिले के कांकरोली मंदिर की सम्पत्ति के लिये ट्रस्ट बनाने के सम्बन्ध में दी थी। उस पर अध्यक्षीय व्यवस्था में जो निर्णय दिया गया था उस पर पुनः विचार किया है। उस स्थगन प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी मंगाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री दाऊदयाल जोशी: धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री छीतरलाल आर्य, तहसील अटरू में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र अटरू में लॉ एण्ड आर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। डाकूओं से जनता आतंकित है, जनता पर डाकुओं का आतंक छाया हुआ है, उसके बारे में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। मेरी अटरू तहसील के नीमोदा गांव में 10-1-1983 की रात्रि को 12.00 बजे डकैती पड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 22 व्यक्ति बजरंग बली के जयकारे के साथ गांव में घुसे और एक-एक कर के गांव के किसानों को लूटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के किसान गरीब हैं, उनकी दयनीय स्थिति है इसके बावजूद उनको लूटा और उनकी नारियों के सतीत्व को लूटा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी डकैती 11-1-1983 को दोटा में पड़ी। ग्राम नीमोदा में तो करीब 2-3 लाख रुपये की डकैती पड़ी और दोटा के अन्दर करीब 10 हजार रुपये की डकैती पड़ी। तीसरी डकैती ग्राम पंचायत बडेर के दाणी ग्राम में 2–3 लाख को

(श्री छोतरमल आर्य)

पड़ी । इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में चोरियों की कोई गिनती नहीं है। मेरे क्षेत्र के साथ साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव में भी चोरियां हो रही हैं। वहां की पुलिस और वहां का थानेदार एफ. आई. आर. तक लॉज नहीं करते। इस प्रकार का व्यवहार वहां का थानेदार किसानों के साथ करता है। इससे जनता में भारी निराशा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। रतनलाल माली के घर में रात को डकैत आये। उसकी औरत के जेवर सिर की राखडी सोने की चाकू से काट कर ले गये। उसका आदमी वहां पर खड़ा था उसके हाथ में चाकू मार दिया। इसकी एफ. आई. आर. लॉज कराई गई। लेकिन आज तक पुलिस उसको बरामद नहीं कर पाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, चोरी और डकैती का मामला आपके सामने बयान किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव में भंवरी बाई नाम की एक नौजवान महिला का अपहरण किया गया, तारीख 6-12-1982 को, उसकी आज दिन तक पुलिस ने खोज नहीं की। अध्यक्ष महोदय, आज तक पता नहीं है कि उस महिला का क्या हुआ, वह मर गई या क्या हुआ? उस अपहरण की मोहनलाल मीणा थानेदार ने एफ.आई.आर. लांज तक नहीं की। कितनी शर्मनाक घटना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चोरियों और डकैतियों को आज तक पुलिस द्वारा बरामद नहीं किये जाना में वहां के पुलिस थानेदार एस. एच. ओ. श्री मोहन लाल की मिलीभगत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इस बिगड़ती हुई स्थिति को सम्भाला जायगा? उस महिला भंवरी बाई का जो अपहरण हुआ है उसकी पुलिस से सरकार खोज करायेगी या नहीं?

अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन चोरियों और डकैतियों को रोका जाय और उस एस. एच. ओ. मोहन लाल मीणा को तुरन्त निलम्बित किया जाय। जब से वह वहां गया है डकैतियों और चोरियों की वारदातें ज्यादा हुई हैं।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री देवीसिंह भाटी के गले में लटकी तख्ती व उस पर अंकित इबारत

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर विचार।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था....

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव के बारे में बोलना चाहते हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कुछ फरमायेंगे?

श्री अध्यक्ष : मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : पहले वे बता दें........

श्री अध्यक्ष : दोनों पक्षों को सुनने के बाद यदि हम कोई बात कहते हैं तो फिर से···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमें इस बात की खुशी होगी कि आप बात कहें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो यही कहने वाला था इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। अब इस पर कुछ निर्णय लेना ही उचित होगा ।

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अध्यक्ष की सम्मति

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चर्चा कहां हुई ? अभी तो प्रस्ताव ही नहीं है, अभी तो प्रस्ताव आया ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है। इजाजत आपने दी है लेकिन इजाजत के बाद जो प्रोसीजर है उसका पालन नहीं किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिये निवेदन करना चाहता हूं, अभी सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव ही नहीं है जिसके ऊपर आपको व्यवस्था देनी है ।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 157 से लेकर 168 तक विशेषाधिकार से संबंधित है, इस सदन में विशेषाधिकार का प्रस्ताव माननीय मुख्य सचेतक जी ने रखा, रखने के बाद उस पर चर्चा हुई है । बिना अध्यक्ष महोदय की अनुमति के विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर एक मिनट भी सदन में चर्चा नहीं हो सकती । प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों का नियम 163 स्पष्ट है। नियम 163 में इस बात का उल्लेख है कि अध्यक्ष की अनुमति से या अध्यक्ष जैसा कि उसमें निर्णय लें और संटिस्फाई हो जायं कि वे किसी कमेटी को रैफर करेंगे, प्रिविलेज कमेटी को या इस सदन के निर्णय के लिये उसे छोड़ेंगे । सदन के निर्णय के लिये छोड़ दिया । इस पर चर्चा हुई है । चर्चा होने का मतलब यह है कि माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था है कि इसको अनुमति मिल गई है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष दो प्रस्ताव हैं । एक प्रस्ताव खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया । दूसरा प्रस्ताव माननीय चीफ व्हिप ने सदन में प्रस्तुत किया ····

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे प्रस्ताव को ही अनुमति दी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय ने तो मौन स्वीकृति दी है ।

एक माननीय सदस्य : बाकायदा दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

मैंने नियमों का हवाला देकर के उस प्रश्न को उठाने और उस प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी । उसके पश्चात् नियम 161 के अन्तर्गत कल दिन भर उस पर वाद-विवाद हुआ। और अब आगे की कार्यवाही हो रही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि सबसे पहले प्रस्ताव खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था ....

(व्यवधान)

उस प्रस्ताव को आप नहीं मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था। एक मिनट आप विराजें। मैं स्थिति और भी स्पष्ट कर देता हूं, नियमों का पूरा पालन हो, नहीं हो। नियमों का पालन इस प्रस्ताव के अन्दर हुआ है और नहीं हुआ हो तो भी–

"Provided further that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privillege to be raised at any time during the course of sitting after the disposal of questions."

इसमें कोई फार्मला प्रस्ताव आये, यह भी जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने नियमों का हवाला देकर एडमिट करके....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इसके बारे में पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : किन के ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सदन का ध्यान, सदन में ऐसी घटना हो गई थी उसके बारे में आकर्षित किया। सदन में उतेजना हो गई तब मैंने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। उसके बाद में फिर सदन स्थगित किया गया। तत्पश्चात् मुख्य सचेतक महोदय ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नियमों के हवाले से मैंने उस प्रश्न को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी। उन्होंने उस प्रस्ताव को पढ़ा। उसके पश्चात् उस पर वाद-विवाद हुआ। वह वाद-विवाद अभी चल रहा है। आप तो स्वयं बहुत पुराने पार्लिया-मेन्टेरियन हैं, आप स्वयं जानते है कि यदि नियमों के अनुसार काम करने में छोटी मोटी त्रुटि रह जाती है तो सदन अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करता है। जो छुटपुट प्रश्न सामने आते हैं उनको विनिश्चिय करने का आसन को भी अधिकार है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं रह गई है कि नियमों का पालन हुए बगैर तत्काल बिना किसी को अवसर प्राप्त हुए कोई मसला आ गया हो या कोई पक्ष यह कहे कि हमको वाद-विवाद का समय नहीं मिला, मेरे ख्याल से इन टेक्नि-कलिटीज को छोड़कर अपने मुख्य विषय पर आ जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, टेक्निकलिटीज क्वेश्चन नहीं हैं। अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे तो वह नियमों के अन्तर्गत लेंगे। नियमों में आपको वाइड पावर्स हैं। सदन को भी वाइड पावर्स हैं। सारे नियमों को आप सस्पेंड कर सकते हैं और नियम के सस्पेन्शन के लिये रूल 306 है। अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्स इस बात की साक्षी है कि आपने रूल्स को सस्पेंड नहीं किया....

श्री अध्यक्ष : फिर आप इस पर आ जाइये, हमने कौनसे रूल का वायोलेशन किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं, आपने रूल्स को तो सस्पेंड नहीं किया। रूल्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
का सस्पेंशन नहीं करते हैं तो प्रिविलेज मोशन उठाने के रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स का होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं, आपने उस प्रस्ताव को यहां प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी, इस संदर्भ में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपने अनुमति दे दी, आपने रूल्स को रिलेक्स किया या नहीं किया, लेकिन आपने व्यवस्था के आधार पर अनुमति दे दी। अब मैं, अध्यक्ष महोदय, जो आपने अभी पढ़ा वह पढ़ देता हूं—

"Provided further that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of sitting after the disposal of questions.'

तो यह तो आपने व्यवस्था कर दी। लेकिन इसके आगे एक प्रोविजो और है वह प्रोविजो यह है:—

'If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members, who are in favour of leave being granted to rise in their place and if not less than ten members rise accordingly the Speaker shall declare that leave is granted. If less than ten members rise the Speaker shall inform the members that he has not the leave of the House."

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ने नहीं, हमारे सब सदस्यों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। आप सुन लीजिये। स्थिति स्पष्ट है, मैंने सभी परिस्थितियों पर विचार करके....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना जानना चाहता हूं, यदि इस प्रोविजो को आपने रिलेक्स कर दिया, सस्पेण्ड कर दिया तब तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है...

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं निवेदन करूं। मेरा निश्चित मत यह है कि आपने नियम 157 में परमिशन दी, वह परमिशन मिल चुकी है। नियम 160 का जो प्रोविजो है उसके तहत आपने जो एक्शन लिया उसके लिए आप अथोराइज्ड हैं। नियम 160 (2) उसका क्वेश्चन एराइज यों नहीं हुआ कि आब्जेक्शन रेज नहीं हुआ। वह भी मैं मानता हूं ...

श्री अध्यक्ष: आब्जेक्शन थोड़ा-थोड़ा हुआ था उसमें भी हमने विचार किया। विपक्ष के नेता ने ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने किया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अर्ज करूं, यह प्रश्न भी मेरे ध्यान में आया जो आपने कुछ आपत्तियां उठाई हैं वह आब्जेक्शन की तारीफ में आती हैं या नहीं, आपने कुछ बातें कही थीं लेकिन यह आपने नहीं फर्माया कि इसमें मुझे आपत्ति है। इसलिये सदन से इसको प्रस्तुत करने की अनुमति ली जाये। अनुमति का सीधा-साधा प्रोविजन है,

(श्री अध्यक्ष)
यदि आसन अनुमति दे दे उसके पश्चात कोई माननीय सदस्य उठ कर उसके बारे में आपत्ति करे तो यह आसन को चाहिये कि वह माननीय सदस्यों से कहे, जो माननीय सदस्य इस अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें केवल 10 माननीय सदस्य खड़े हो जाते है तो वह अनुमति मिल जाती है, सदन की इसमें सहमति है इसको लिया जाये। आपने जो बातें कही थीं मुझे यह ध्यान में था, उसी वक्त मैंने बात की। चूंकि आपका इरादा यह होता है, आपको जब कभी डिवीजन कराना होता है, मत लेने होते हैं तो आपके द्वारा उसी वक्त प्रोटेस्ट किया जाता है। आपका एतराज उस तरह का नहीं था, आपके कुछ व्यवहारिक सुझाव थे। चूंकि आप विपक्ष के नेता हैं आपका लम्बा अनुभव है इसलिये हम सुनते रहते हैं। आपने प्रारम्भ में बात कही तो वह बात हमने सुन ली। लेकिन उससे यह कहीं आभास नहीं था, जब हम ..

(व्यवधान)

आपको यह कहना चाहिये था कि वास्तव में, साहब, इसको एडमिट नही किया जा सकता। आपने एडमिट करने की बात कही है आपको नहीं करना चाहिये ....

श्री **राजबहादुर** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि . . .

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : एडमिशन का आया जो मैं आपत्ति करता .... ?

श्री **अध्यक्ष** : नहीं, नहीं। यह नहीं है इसमें।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : एडमिशन का क्वेश्चन ही रेज नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट :—

"If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less then ten members rise accordingly, the speaker shall declare that leave is granted.

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: मैं यही तो कह रहा हूं लीव ग्रान्ट ही नहीं की।

लीव ग्रान्ट करने का क्वेश्चन डिसाइड नहीं हुआ। हाउस की प्रोसीडिंग्स मंगवाई जाए, अध्यक्ष महोदय, आपने अगर लीव ग्रान्ट की है तो।

(व्यवधान)

हाउस की प्रोसीडिंग्स मंगवाकर देख लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे ध्यान में है। कृपया नियम पूरा पढियेगा।

आप थोड़ी गलतफहमी में हैं। मैं नियम 160 को पढ़ देता हूं :—

Mode of raising a question of privilege.—(1) The Speaker if he gives consent

Page No 57

(57)

(श्री अध्यक्ष)

under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and while asking for leave to raise the question of privilege make a short statement relevant thereto:

Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 157 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of question of privillege and state that he refuses consent or, holds that the notice of question of privilege is not in order:

Provided further, that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter allow a question of privilege to be raised at any time during the course of sitting, after the disposal of questions.

अब आता है रेलेवेन्ट—

(2) If objection to leave being granted is taken......"

आप यह समझते हो कि हाउस से मुझे आसन को लीव, अनुमति लेनी पड़ती है कि क्या इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय, ऐसा नहीं है। अनुमति देने का आसन को अधिकार है। आसन अगर लीव दे देता है, उस पर यदि कोई माननीय सदस्य आपत्ति करे कि लीव नहीं देनी चाहिये उस अवस्था में यह लाजमी हो जाता है कि सदन से लीव ले। उस अवस्था में

(व्यवधान)

आपको गलतफहमी यह है कि प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने के लिये सदन से लीव लेनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था नहीं है, अध्यक्ष सक्षम है लीव देने में। जब अध्यक्ष ने लीव दे दी उसके बाद में किसी माननीय सदस्य को आपत्ति हो तो उनको उस प्रश्न को उठाना पड़ेगा। और प्रश्न उठाने के तरीकों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। यदि आप चाहते थे कि नहीं, इसमें दस माननीय सदस्यों की सहमति चाहिये क्योंकि हमने एतराज किया तो उस वक्त कहते। वरना तो यही मान कर चलते हैं कि जो अध्यक्ष कर रहा है वह ठीक कर रहा है। लेकिन यदि कोई एक भी माननीय सदस्य कह दे कि नहीं साहब इसमें अनुमति नहीं होनी चाहिये, विशेष अधिकार हनन का प्रश्न बनता नहीं है या यह नहीं है या वह नहीं है, या आपने इस पर पूरा अपना मन्तव्य बता करके लीव दे दी तो उस अवस्था में केवल दस माननीय सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। इसलिए लीव क्या है, आप चाहते हैं क्या उनको छूट्टी पर जाने की अनुमति है। Have I leave to do this thing that thing.

वह पहले जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपत्ति उठाई है वह आपत्ति यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपत्ति तो आपको ही, सबको हमको समझानी पड़ेगी। आप ही आप

(श्री अध्यक्ष)
समझो और हमको नहीं समझा पाओ तो .....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यही चाहता था, नियम 157 से ही मैं शुरू करूंगा।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : इस मामले में आप कोई कन्फ्यूजन क्रियेट नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य, बोलने दें उन्हें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : "A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee there of. "कोई आपत्ति नहीं है।

158—Notice of question of privilege.—A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised."

अध्यक्ष महोदय, यह आप मन्जूर करेंगे कि इसका कोई नोटिस नहीं दिया गया। एक। दूसरा, "If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document."

लेकिन क्वेश्चन का कोई नोटिस नहीं दिया, प्रिविलेज मोशन मैम्बर्स को सरक्यूलेट नहीं किया। प्रिविलेज मोशन केवल हाउस में पढ़ कर सुनाया गया। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कई बार हाउस में जब इस प्रकार..."

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ियेगा पूरा, इसमें व्याख्या करने की......

(व्यवधान)

थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं हम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अर्ज करूं, अध्यक्ष महोदय, कई बार हाउस में इस प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मुझे याद है, एक बार इसी सदन में इस प्रकार का प्रश्न खड़ा हुआ, तो पहले माननीय मोहन लालजी सुखाड़िया की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया कि रूल 306 के अन्तर्गत रूल्स को रिलेक्स करने के लिये सदन की अनुमति ली जाय। अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्स निकाल लीजिये, सुखाड़ियाजी का प्रस्ताव या उस प्रस्ताव पर पहले रूल को रिलेक्स किया गया। रिलेक्सेशन के बाद स्पीकर की आथोरिटी हो जाती है कि स्पीकर उस प्रकार की अवस्था में चाहे कोई नोटिस दिया जाय या नहीं दिया जाय.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप, कृपया पूरा पढ़ दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : सैकण्ड प्रोविजो-160

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो मैं आगे पढ़ रहा हूं।

Conditions of admissibility of question of privillege.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया पढ़िये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 159 की आवश्यकता नहीं है ।

Mode of raising a question of privilege. The Speaker, if he gives consent under rule 157,

जब तक आप रूल 158 को रिलेक्स नहीं करेंगे तब तक कन्सेन्ट देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वह रिलेक्सेशन हुआ नहीं। रूल 157 और 158 एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, यदि आप मान कर चलते हैं कि स्पीकर की कन्सेन्ट आवश्यक है तो 157 के साथ ही 158 की भी आवश्यकता है। 158 की आवश्यकता इसलिए है कि "A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day..

(व्यवधान)

श्री माणकमल मेहता : प्रोविजो पढ़ लीजिये ।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 158 में प्रोविजो नहीं है। मैं इसलिये कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यदि रूल को रिलेक्स करने के बाद में आप व्यवस्था करते तो कोई आपत्ति नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष : अब आप आगे पढ़ें । पूरा पढ़ दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आगे पढ़ रहा हूं Mode of raising a question of privilege. (1) The Speaker, if he gives consent under rule 158 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto.

अध्यक्ष महोदय, असेम्बली की प्रोसिडिंग्स निकाल लीजिए। माननीय सदस्य ने यह कभी मांग नहीं की कि मुझे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय, उन्होंने तो स्ट्रेट वे हाउस में प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्स में यह बात नहीं है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा लेकिन प्रोसीडिंग्स में यह है कि स्ट्रेट वे माननीय सदस्य खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने प्रस्ताव रखा। उन्होंने किसी बात की अनुमति नहीं ली, इस प्रश्न के ऊपर। आप रिकार्ड देख लीजिये, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्वेश्चन यह है—

"The Speaker if he give consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned."

Have you called any member ?

Page No 60

(60)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

I think that there was no call from the Speaker.

Number-Two, "…. call the member concerned who shall rise in his place and while asking for leave to raise the question of privilege.."

मैं आपसे अध्यक्ष, महोदय, जानना चाहता हूं, क्या माननीय सदस्य ने आपसे अनुमति ली ? माननीय सदस्य ने रिकार्ड के हिसाब से कोई अनुमति नहीं ली। जब अनुमति नहीं ली तो अनुमति देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अनुमति पर आपत्ति करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप रूल को रिलेक्स करने के बाद में……

श्री अध्यक्ष : आप पूरा पढ़ लीजिये, कृपया, पढ़ लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पूरा पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

"Read the notice of question of privilege and state that he refused consent or holds that the notice of question of privilege is not in order.

(3) Provided further that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during course of sitting after the disposal of questions."

श्री परसराम मदेरणा : At any time.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन लीजिये। यह प्रोविजो केवल इस बात का नहीं है, प्रोविजो केवल इस बात का है कि अध्यक्ष महोदय के सामने यदि हाउस में तत्काल कोई मैटर उठाने की इच्छा हो तो वह अनुमति दे सकते हैं। मेरा तो क्वेश्चन है, अनुमति दी ही नहीं, अनुमति मांगी ही नहीं, अनुमति लेने के लिये माननीय सदस्य ने प्रस्ताव ही मूव नहीं किया इसलिये अनुमति देने का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता था और अनुमति का विरोध करने का सवाल पैदा नहीं होता था। अध्यक्ष महोदय, यदि खेतसिंहजी मोशन मूव करते तो आपको अधिकार था कि हाउस में किसी भी समय किसी मूमेंट पर आप चाहें तो प्रिविलेज मोशन पर चर्चा कराने का आपको अधिकार है, आप अनुमति देते लेकिन प्रेसीडिंग्स देख लीजिये उन्होंने अनुमति मांगी ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : आवश्यकता नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आवश्यकता नहीं थी, तो मुझे मोटो स्पीकर साहब लाये प्रस्ताव को, वह दूसरी बात है। लेकिन आवश्यकता थी। अनुमति लेने की आवश्यकता थी, खेतसिंहजी ने अनुमति नहीं ली।

(व्यवधान)

मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उस पर आपत्ति करने का सवाल पैदा नहीं होता। अनुमति मांगी नहीं तो आपत्ति करने का सवाल पैदा नहीं होता। यह मेरी आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता ने एक आपत्ति प्रस्तुत की है कि जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसमें प्रथम बात यह है कि आसन की अनुमति नहीं ली गई। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि इस विधान सभा के जो नियम हैं वह विधान सभा की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिये हैं। इस संबंध में पार्लियामेंट,

(श्री अध्यक्ष)

असेम्बलीज, कोर्ट संब के यह निर्णय हैं कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन हो गया हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके बारे में पुनः विचार नहीं होता। यही मान कर चला जाता है जो कार्यवाही हुई है वह ठीक हुई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप आगे मेरी बात को सुन नहीं रहे।

उसके बाद आपने मुख्य प्रश्न उठाया कि इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं चाही। माननीय सदस्य, चार घन्टे तक मैं बैठा था, अगर उसमें मेरी अनुमति नहीं होती या उन्होंने अनुमति नहीं मांगी होती.....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

विपक्ष के नेता महोदय, आप खड़े होते हैं तो क्या प्रत्येक वार आप अनुमति लेते हैं। अपने नियमों में लिखा हुआ है कि आसन की अनुमति के बगैर कोई माननीय सदस्य नहीं बोल सकता। कई दफा माननीय सदस्य खड़े होते हैं, बोलने लगते हैं, आसन मौन धारण कर लेता है, इसके मायने यह हुए कि मौन स्वीकृति है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह तो मैंने पहले ही कहा, मौन स्वीकृति थी आपकी।

श्री अध्यक्ष : जब इतना गंभीर विषय था, सदन की सारी कार्यवाही और पूर्व निश्चित्त कार्यक्रम को स्थगित किया गया। मैं समझता हूं कि उस वक्त आप मुख्य सचेतक की चिन्ता से भी परिचित होंगे, आदमी चिन्तित हो तो कुछ......

श्री भैरोंसिह शेखावत : यहां तो कोई असर ही नहीं है, चिन्ता का सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी थी तो उस परिस्थिति के अन्दर यह पूछते कि मैंने अनुमति दे दी है क्या ? यही नहीं, मैंने अपनी व्यवस्था में कहा है, मैं प्रोसिडिंग्स निकलवा कर आपको बता दूंगा, अमुक अमुक नियमों के अनुसार मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति देता हूं। उन्होंने अनुमति नहीं मांगी होगी। आप प्रोसि- डिंग मंगा कर देख लीजिये। ऐसा है, इसमें मैं समझता हूं कि सब तरह कि कार्यवाही पूरी हुई है। जब अनुमति दे दी, उस वक्त आप भी शायद काफी चिन्तित होंगे, जैसे मुख्य सचेतक महोदय थे। इसलिये आपने भी अब तक नियमों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया, नियमों की बात की। चूंकि वहस सब समाप्त हो गई उसके बाद में आप भी सोचें, इसमें जिस तरह से त्रुटि पर त्रुटियां कई हो जाती हैं तो अब यह प्रस्ताव किया जा रहा था, उस वक्त मैंने बता दिया था कि नियमों में स्पष्ट प्रावधान है, यदि आसन अनुमति दे देता है। किसी भी वक्त अनुमति दे सकता है सब नियमों के होते हुए, नियमों को बिना रिलेक्स करवाये। यह जो

(श्री अध्यक्ष)

आपने रूल्स रिलेक्स करने की सदन से बात कही, इस कानून को निलम्बित किया जाता है, इसकी भी इसमें आवश्यकता नहीं है। यह आसन को अधिकार है कि किसी मोशन को किसी वक्त वह एडमिट करे। जब एडमिट कर लिया, यदि आपको आपत्ति थी तो तत्काल आपत्ति करते कि, साहब, आप इस पर लीव दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की, इसमें सदन की ऐसी राय नहीं बनती है, साहब। अगर मेरी अनुमति के पक्ष में दस माननीय सदस्य भी खड़े नहीं होते तो मैं मौन धारण कर लेता, कह देता कि भाई इसकी अनुमति नहीं है। मेरा विपक्ष के माननीय नेता महोदय से निवेदन है कि यह आपत्ति टैक्निकल है। इसमें किसी पक्ष के प्रति प्रिजुडिस रहा हो, जिसके कारण यह नहीं हो सका हो, ऐसी बात नहीं है। कल कुछ आवेश का वातावरण भी था, कुछ नाराजगी भी थी, समय भी बढ़ाना चाहते थे। तो मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया कि इन परिस्थितियों में सदन के समक्ष उस प्रस्ताव को विनिश्चय हेतु नहीं रखूंगा। एक दिन तक चर्चा चली, आज दूसरा दिन है। जैसे कि आप परिचित हैं, कल हमारे सामने एक विशेअधिकार के हनन का मामला आया। काफी गंभीर मामला था। जैसे व्यवहार माननीय सदस्य ने किया उसकी विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष ने भर्त्सना की। विरोधी पक्ष और जिस पार्टी से माननीय सदस्य आते हैं उस पार्टी के नेता महोदय और सबने खेद व्यक्त किया। सब की राय यह थी कि इस तरह की बात या इस तरह का प्रदर्शन या इस तरह की लिखी हुई चीज सदन के सामने नहीं आनी चाहिये थी। माननीय सदस्य ने भी स्वयं खेद व्यक्त किया। आप जानते हैं, और कल बार बार माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि जब हम विशेषाधिकार हनन के किसी विषय पर विचार करते हैं तो यह सदन अदालत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अदालत की आचार संहिता, उसके कार्य संचालन के लिये कानून कायदे सब कुछ है लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वह यह हैकि

Justice must not only be done but it should appear that justice is really being done.

यानी हमारा बर्ताव ऐसा होना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई दर्शक हो, यह जनता में या कहीं भी बाहर हमारा निर्णय जाये तो उसका लोगों पर यह असर हो कि बड़े निष्पक्ष तरीके से, ठण्डे दिमाग से, सोच-समझ करके नियम कानून परम्परा, इन सबका ध्यान रख कर हमने फैसला किया है। जो हमारे फैसले होते है महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। यह फैसले दूसरी जगहों पर भी जाते हैं, दुनियां भर में यह फैसले पढ़े जाते हैं। इसलिये उस रीति नीति से हमको काम करना होता है। मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता मै नम्र निवेदन माननीय सदस्यों से करना चाहता हूं, सत्ता पक्ष से भी कि इस प्रस्ताव में दण्डित करने का जो प्रावधान रखा गया है, मेरी समझ मैं वह बहुत कठोर है। आप क्या फैसला लें क्या फैसला नहीं लें, यह आपके ऊपर है लेकिन मैं इन परिस्थितियों

(श्री अध्यक्ष)

में निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य ने जो कुछ किया पूरे सदन ने उस चीज को बुरा बताया। उसके बारे में खेद व्यक्त किया कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिये थी। आप यह भी जानते हैं कि सदन बहुत कम मामलों के अन्दर विशेषाधिकारों के हनन और अवमानना के जो मामले आते हैं उन पर विचार करता है। जितनी भी परम्परायें और जितने भी प्रिसीडेन्ट्स हैं उसमें आप एक बात पायेंगे कि सदन सदैव उदारता का परिचय देता है। यदि खेद व्यक्त कर दिया जाता है तो उसमें और भी अधिक उदारता बरती जाती है। जो कुछ हुआ वह बहुत बुरा हुआ माननीय सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिये था। हम बड़े जिम्मेदार लोग हैं, हमारा प्रदेश बड़ा है, इसलिए आबादी भी बहुत ज्यादा है, जनता की तरफ से हम चुनकर आते हैं। इसलिये यह सब बातें ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य सबक लेंगे, सीखेंगे इस डिबेट का कुल मिलाकर यह सारांश है कि यह सदन कितना सक्षम है, किस हद तक दण्डित कर सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के यह बात समझ में आ गई होगी, और जो नहीं जानते हैं उनके भी समझ में आ गई होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि निष्कासन का प्रस्ताव इन परिस्थितियों में उचित नहीं होगा। इस प्रस्ताव को यदि आप संशोधित करने की कृपा करेंगे तो एक बहुत ही स्वस्थ परम्परा को हम स्थापित करेंगे ऐसा मैं मानकर चलता हूं।

(व्यवधान)

अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री देवीसिंह भाटी के गले में लटकी तख्ती व उस पर अंकित इबारत

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके विचारों से प्रभावित होकर मैं इस प्रस्ताव को संशोधित रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उचित रहेगा कि इस प्रस्ताव को रखने से पहले सदन के माननीय नेता महोदय, से और आपसे इस सम्बन्ध में विचार विमर्श हो जाय। मैं समझता हूं कि माननीय नेता महोदय, सदन की भावना से अवगत हैं, वह सदन के नेता हैं, कोई खेतसिंह जी के ही नेता नहीं हैं, इसलिये सब बैठकर, हम भी बैठकर.....

श्री अध्यक्ष : खेतसिंह जी प्रथम पीढ़ी में तो आते ही हैं, यह तो मानना ही पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, अध्यक्ष महोदय, यह प्रथम पीढ़ी में आते हैं यह तो सही है और उस नाते से, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मैं उनका कितना आदर करता हूं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप और सदन के नेता महोदय, नेता महोदय के साथ मंत्रिमण्डल के अन्य कोई भी साथी, जिनको लेना चाहें, और हम विपक्ष के सदस्य मिलकर, किस तरह प्रारूप बने उस पर यदि चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने जिस तरह की ग्रेस दिखाई, उसी प्रकार की ग्रेस सत्ता पक्ष दिखायेगा यह तो मुझे विश्वास है।

Page No 64

(64)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ एक ही विनती करना चाहता हूं क्वेश्चन रखने के बाद नियम 161 में जो शर्तें हैं उनके भी अनुसार जैसा विपक्ष के नेता ने कहा हैं, वह अनुकूल हैं, अनुरूप है । इसमें यह है कि क्वेश्चन जो डिस्कस किया जायगा फिर उस पर हाउस डिसीजन लेगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़: डिस्कस तो हो चुका है ।

श्री राजबहादुर : डिस्कस हो चुका। अब हाउस को डिसीजन लेना है; तो उसके पहले इस प्रकार की चर्चा और विचार-विमर्श होता है तो अनुकूल होगा, एक परम्परा कायम होगी ।

श्री अध्यक्ष : जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने सुझाव दिया, अगर आपके आपस में बात होती है तो इसमें प्रथम अवसर पर आसन को बीच में आना उचित नहीं होगा । कृपया, विपक्ष के नेता महोदय इस सम्बन्ध में उनके साथ बैठकर विचार विमर्श कर लें और इस समस्या का हल निकलता है तो निकालने की कोशिश करें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल दिन भर चर्चा हुई है। अब समस्या का हल तो मैं प्रस्ताव को संशोधित करके प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन के नेता से बात करने में कोई आपत्ति है क्या ?

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : आप हेरा-फेरी मत कीजिये। यह बैक डोर एन्ट्री है। आप यह मत कीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अगर सदन के नेता में इतना ही विश्वास रखते हैं तो बैक डोर हेरा-फेरी . .

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आपसे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे से तो नहीं है, आपने जो रिफ्लेक्शन किया है वह मेरे पर नहीं है, नेता पर है ।

श्री हरिसिंह : सदन के सामने सारी बातें आ गई ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन के नेता में आपका विश्वास है या नहीं ?

श्री हरिसिंह : हमें तो विश्वास है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है, तो उनसे ही बात कर रहा हूं मैं । क्या आपत्ति है बैठकर बात करने में ? ऐसा कोई रास्ता निकल जाय जिससे हाउस में चर्चा नहीं हो ।

श्री हरिसिंह . यह चर्चा शुरू में ही होती तो सुन्दर लगती । विपक्ष के माननीय नेता यह मानेंगे कि सदन में जो चर्चा हुई वह राजस्थान में सबको मालूम है। अब इसको इस तरीके से टेकल करना कतई उचित नहीं होगा । सदन की भावना देख कर ऐसा मैं सोचता हूं यह डिसीजन यहीं हो जाना चाहिये तो और ठीक रहेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है उसी लाइट में हमको विचार करने की आवश्यकता है उस लाइट में यह और भी सुन्दर होगा कि सब आपस में बैठकर इस मामले का किस प्रकार से निराकरण किया जाय उस पर चिन्तन करें ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से कल सदन के नेता यहां उपस्थित नहीं थे। सदन में उनसे मिलने का भी मौका नहीं मिला, सदन के नेता होने के नाते मैं समझता हूं कि चाहे विरोधी पक्ष के हो, चाहे सत्तारूढ़ दल के हो बात तो करनी चाहिये। मुख्य सचेतक महोदय ·····

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय तो सदन की भावनाओं के अनुरूप ही इस प्रस्ताव का मोडिफिकेशन कर रहे थे; मैं ऐसा समझता हूं। आपको क्यों वहम हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वहम नहीं है। इसका मतलब यह है, आपने तो यह कह कर अध्यक्ष महोदय के ऊपर भी रिफ्लेक्शन कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय विरोधी पक्ष के नेता महोदय, इधर-उधर की बातें करके सदन को हमेशा गुमराह करते रहते है।

He is a man who talks trait, it is charge against him, I say.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे मन्त्रिमण्डल में रहे उस समय भी गुमराह हो गये थे। इस समय की ही बात नहीं है।..

श्री श्रीराम गोटेवाला : बाद में इसी वास्ते आपको छोड़ गये।

श्री हरिसिंह : यह आपकी नहीं चलेगी। आप हेरा-फेरी करते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, अध्यक्ष महोदय, मैं हेरा-फेरी करके इनको भी उठाकर ले गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : छोड़ो बेकार की बातें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर यही तरीका अपनाते हैं तो आप हमको भी अनुमति दीजिये। क्या किसी को फांसी लगा देंगे यूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी को आपत्ति क्या है हमसे बात करने में ? ऐसे प्रश्न पर मुख्य मंत्री जी, क्यों बात नहीं करना चाहते ?

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं·····

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन के नेता से मैंने रिक्वेस्ट की है। जिस तरह का गंभीर मसला है और जिस गंभीर मसले को आपने जिस गंभीरता के साथ सदन में रखा है....

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : It is not the question of jurisdiction of the Chief Minister.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : He is a leader of the house.

श्री यदुनाथ सिंह : He is not a leader of one party. He is a leader of the House.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम अगर कोई बात करते हैं तो उल्टा और ज्यादा धोंस के साथ हमको दबाते हैं। यह कोई तरीका है प्रजातन्त्र का ? कल से बहस चल रही है, बहस को सुन रहे हैं आज उसके ऊपर जो भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं, आखिर हमारे भी अधिकार हैं। यह तो है नहीं कि वह अगर जोर से बोल कर कहते हैं कि हमको छूट दीजिये, आपने तो बहुत छूट दी है। आप भी चुनकर आये हैं और हम भी चुनकर आये हैं। आपको हमारा बहुमत नजर आता है। चेलेन्ज क्या करते हैं ? हमको बोलने की छूट दीजिये । क्या हम कोई आपसे कमजोर पड़ते हैं ? आपने इन कुर्सियों पर बैठाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य है कि मेजोरिटी पार्टी का लीडर मुख्य मंत्री है, वह सदन का नेता है । सदन के नेता है इस दृष्टि से नेता के संबंध में जो कुछ भी व्यवहार या आचरण एक माननीय सदस्य के द्वारा कल यहां पर किया गया उसके कारण जो विशेषाधिकार सदन का है, उनका हनन हुआ है। इसलिये यह जो विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है वह सीधा सदन के नेता के विशेषाधिकार के साथ ही साथ सदन के विशेषाधिकार के हनन से जुड़ा हुआ है। एक बात । दूसरा प्रश्न, जो अभी आप बात करना चाहते हैं सदन के नेता से, जैसा कि मुझे आभास मिला है और मैं समझता हूं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय क्वान्टम आफ पनिशमेंट के संबंध में कुछ बात करना चाहते हैं । क्वान्टम आफ पनिशमेंट के संबंध में भरतपुर से आने वाले कांग्रेस (एस) के माननीय नेता और प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने सदन के नेता से फोन पर जो बात कल की थी, उसमें आपने जो सुझाव दिये थे निश्चित तौर पर उन सुझावों पर मेजोरिटी पार्टी और सदन के नेता महोदय गौर करेंगे और उसको अकामोडेट करने का भी प्रयास करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सुझाव देने का समय तो चला गया , माननीय सदस्य ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

(व्यवधान)

पाइन्ट ऑफ आर्डर माननीय सदस्य ने उठाया है ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि रूल 292 के अन्तर्गत कल माननीय सदस्य, श्री भैरूंसिंह गुर्जर ने एक क्वेश्चन उठाया था । विशेषाधिकार का प्रश्न तो बाद में आया है, नियम 292 के अन्तर्गत प्रश्न पहले आया था, वह पाइन्ट ऑफ आर्डर था । वह पाइन्ट आफ आर्डर डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, उसके पहले ही प्रिविलेज मोशन मुख्य सचेतक ने पुट कर दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि नियम 292 का जो प्रोसीजर है वह प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है । इसलिये आप

(श्री कमलेन्द्र सिंह)
उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। प्रिविलेज मोशन तब ही आयेगा जब आप मेम्बर को नेम करें। उसमें लिखा हुआ है।

If a member is so named. So you have to name the member ?

नेमिंग करने के बाद आप उसको सस्पेन्ड कर सकते हैं। इसके लिये प्रोवाइडेड.....

श्री अध्यक्ष : जो रूल आप पढ़ रहे है, सदन के अन्दर कोई भी व्यक्ति कैसा व्यवहार करे उठते-बैठते उससे सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। लेकिन माननीय सदस्य यहां पधारने के बाद में कोई ऐसा कार्य करें जिससे सदन की अवमानना होती हो अथवा सदन के किसी विशेषाधिकार का हनन होता हो तो उसके लिये अलग नियम है। माननीय देवी सिंहजी उठने बैठने में तो कल बिलकुल ठीक वर्ताव कर रहे थे तो मेरे लिये कोई कारण नहीं था कि मैं उनको सदन से बहिर्गमन करने का आदेश देता अथवा तत्काल यह प्रश्न पूछ लेता कि भाई इनका व्यवहार ठीक नहीं है इसलिये इनको सदन से निलम्बित किया जाय। यह प्रस्ताव मैं ही तत्काल ला सकता था। पाइन्ट ऑफ आर्डर के बारे में आप जो एतराज उठा रहे हैं, पाइन्ट ऑफ आर्डर तात्कालिक होता है। अगर उस पर सुनवाई नहीं हुई तो वह कभी लम्बित नहीं रहता है। आफ वह पाइन्ट ऑफ आर्डर भी उसी दिन उठा था। पाइन्ट आफ आर्डर इसलिये उठाया जाता है कि जो कार्यवाही सदन के समक्ष चल रही है उसमें नियम संविधान का उल्लंधन हो रहा है। उसको यदि प्रेस नहीं किया जाय, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाय और कार्यवाही चालू रहे तो यही माना जाता है कि वह निरस्त हो गया है। यह पाइन्ट आफ आर्डर का विषय ही नहीं था।

श्री खेतसिंह।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : सब मसले गंभीर है, मैंने लम्बे समय तक सुन लिया।

श्री यदुनाथ सिंह : एक मिनट के लिये सुन लिया जाय, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से राजस्थान विधान सभा में कल एक घटना घटी। आम तौर पर और राज्यों के मुकाबले हमारे यहां वातावरण शुद्ध है। कोई घटना घटी, सद्‌भावना से होने के कारण आज वातावरण कुछ शान्त हुआ संदभावना पूर्ण वातावरन बना। अध्यक्ष-महोदय, क्रूअल मेजोरिटी होने के कारण इनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। हम सदन के नेता से बात करना चाहते हैं। हमारे भी नेता हैं। सदन के नेता हैं इस रूप में हमारे भी नेता हैं, हमको उनसे बात करने का मौका कम से कम दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, आप क्रूअल मेजोरिटी के तौर पर प्रस्ताव नहीं लायें। यह राजनीतिक प्रस्ताव आपका माना जायगा। अगर इस तरह से प्रस्ताव लाते हैं तो माननीय सेंणचा जी, माननीय दीपचन्दजी, ××× के खिलाफ माननीय खेतसिंह जी इसी प्रकार का प्रस्ताव लायें तब तो हम समझेंगे कि न्यायाधीश की तरह बैठे हुए

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथसिंह)
हैं। अध्यक्ष महोदय, के खिलाफ माननीय खेतसिंह जी इसी प्रकार का देवीसिंह जी व्यवहार से भी ज्यादा गन्दा उनका व्यवहार अशोभनीय था।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री **यदुनाथ सिंह** : उनके खिलाफ प्रस्ताव लाये तब जाने।

श्री **अध्यक्ष** : मैं उदारतापूर्वक विचार करूंगा।

श्री **मेघराज तावड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार हमने भी विशेषाधिकार का प्रस्ताव कल आपके सामने पेश किया है।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : नियमों के अनुसार विचार करूंगा मैं। आर्डर आर्डर····

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता कल यहां नहीं थे जब कि उन्हें यहां पधारना चाहिये था। चूंकि आज सदन के नेता मौजूद हैं तो उनको दो बात कहने में क्या आपत्ति है ?

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : कृपया। कृपया माननीय सदस्य बाधा न पहुंचाये। कृपया बैठ जायं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो मैंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसकी आखिरी लाइन्स में यह प्रस्ताव रखा था, "सप्तम् विधान सभा की सदस्यता की शेष अवधि के लिये निष्कासित किया जाय"।

उसके स्थान पर अब मैं यह संशोधन प्रस्ताव करता हूं, "श्री देवीसिंह भाटी को विधान सभा के वर्तमान सत्र के सत्रावसान तक के लिये सदन की बैठकों से निलंम्बित किया जाय।"

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : चर्चा क्यों नहीं होगी। आप किसी को बिना चर्चा के ही सजा दे देंगे ?

(व्यवधान)

चर्चा पूरी होगी। चर्चा के बिना आप सजा नहीं दे सकते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : मैं व्यवस्था दे देता हूं। बैठ जाइये।

ऐसा है कि रुल्स आफ नेचरल जस्टिस यह हैं कि किसी व्यक्ति को बिना आरोपित किये या बिना आरोप बताये, इस आरोप के अन्दर क्या सजा तजवीज की गई है उसके बताये बिना दण्डित नहीं किया जा सकता है लेकिन इसमें सवाल यह उठता है, 302 का चार्ज था उसको 323 में कर दिया। एक हजार रुपये जुर्माने का किया था उसको तो कर दिया 200) रु.। तो यह कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप परिचित हैं माननीय सदस्य। सब उसमें आ जाता है। इसलिये उस पर दुबारा चर्चा का प्रश्न नहीं होता है। प्रिजुडिस होता ; अगर इन्होंने यह कह दिया हो, अगर यह संशोधन आया होता प्रिजुडिशियल कि इनको एक महीने की

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

सजा और तजवीज की जाय और निष्कासित किया जाय तो उस अवस्था में हो सकता था। इसलिये इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चर्चा होगी, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

चर्चा करेंगे, विरोध करेंगे। आप पास कर दें प्रस्ताव।

श्री यदुनाथ सिंह : यह कैसे हो सकता है कि चर्चा नहीं होगी। विरोध करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने इसीलिये आरम्भ में निवेदन किया था कि आपस में बहस कर प्रस्ताव लाते तो चर्चा नहीं होती, प्रस्ताव भी पास हो जाता। सम्भव है सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो जाता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारे अधिकारों का सवाल है। चर्चा तो पूरी होगी। आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, किसी आदमी को सजा, जब तक चर्चा न हो, नहीं दे सकते। बोलने का अधिकार ही हमें नहीं मिलेगा ?

(व्यवधान)

एक आदमी, जो चुना हुआ है, को आप हाउस से निकाल रहे हैं और हम बोल नहीं सकते। यह नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

अभी प्रस्ताव संशोधित रूप में आया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

नयी सुनवाई का अवसर तब मिलता है जब नये तथ्य हों, नये विचार बिन्दु हों, सजा अधिक करने का प्रस्ताव हो। यह सब होने पर अवसर मिलता है। यह तो जाना-माना हुआ न्यायिक सिद्धान्त है कि जिन तथ्यों के आधार पर अधिक दण्ड देने की व्यवस्था की गई है उन्हीं तथ्यों के आधार पर उस सजा को यदि कम किया जाय, नये तथ्य इसमें कोई भी नहीं जोड़े जायें तो उस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बिना सुने कैसे कह सकते हैं कि नये तथ्य नहीं हैं ? ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

इस बात को यदि मैं मान भी लूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

इतना रिजिड नहीं होता कभी उसके तो मायने फिर यह हो जायेंगे कि अभी सत्र तक का तय किया है उसके बाद में तय कर लिया सात दिन, तो सात दिन का भी नया विषय हो जायेगा। सात दिन के बाद कर दें पांच दिन तो भी नया विषय हो जायेगा। यह होता नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। मेरा यह निवेदन है, क्या मैं इस प्रस्ताव में अमेन्डमेंट नहीं दे सकता ? आप रोकना चाहते हैं मुझे ? मैं इस प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करना चाहूं, तो क्या मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकता ? अगर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
संशोधन प्रस्तुत कर सकता हूं, तो मैं अपने संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में बोल भी सकता हूं। मेरा अधिकार है संशोधन प्रस्तुत करने का, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि उनके प्रस्ताव में मुझे संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय। प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतनी विनती करना चाहता हूं, आपने पैरेलल कहा, कोट्स के बारे में . .

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सप्तम् विधान सभा के रिमेनिंग पीरियड के लिये उनको निष्कासित करने का प्रस्ताव जब इस सदन में विचाराधीन था, तब तो प्रतिपक्ष के नेता ने कोई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। जब उसको वाटर डाउन करके, डाइल्यूट करके, माइल्ड करके केवल इस सैशन तक के लिये सस्पेंड करने का प्रस्ताव आया है उस वक्त आप बता रहे हैं कि संशोधन प्रस्ताव पेश करने का राइट है। कल आप संशोधन पेश करना कैसे भूल गये ?

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आपका तो आज आया है संशोधन प्रस्ताव। कल सदन के सामने संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : कल पांच घंटे तक चली डिबेट। आपके पास अपोर्चुनिटी थी।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : कोट्स में जो होता है, तो पहले यह होता है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा के लिये अगर आप कोई प्रस्ताव भी मूव करना चाहें, हालांकि सम्पूर्ण चर्चा हो चुकी है, लेकिन चूंकि यह एक टेक्निकल पाइन्ट है इसलिये मैं आधे घंटे का समय और देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता, आधे घंटे·····

श्री अध्यक्ष : समय विनिश्चित करने का अधिकार आसन को है जहां पर यह चीज हो कि भाई समय लेने के लिये····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आरोप मत लगाइये आप। समय लेने के लिये नहीं बोल रहे हैं, हम अपने अधिकारों के लिये बोल रहे हैं। आप नहीं बोलने दें, तो मना कर दें। वैसे एक-एक को निकलवा दीजिये, लेकिन बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। तो आप कितना टाइम ले रहे हो। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

कितने टाइम का सुझाव देते हैं आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई अमेंडमेंट देना चाहे और अमेंडमेन्ट एक्सेप्ट नहीं करें आप

श्री अध्यक्ष : मैंने मना नहीं किया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कापी सर्क्यूलेट कराइये, मैं अमेंडमेंट दूंगा। अमेन्डमेंट पर चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष : अमेन्डमेंट को पढ़कर सुनाने की भी व्यवस्था रही है और उनको प्रस्तुत किया हुआ माना जाता रहा है ....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, कापी सर्क्यूलेट कराइये, कापी के आधार पर हम अमेन्डमेंट पेश करना चाहते हैं।

श्री कमलेन्द्र सिंह : प्रस्ताव नया आया है। हमें अमेन्डमेंट मूव करने का राइट है, नया प्रस्ताव है। सबको टाइम दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : कापी तो दें...

श्री अध्यक्ष : तो फिर प्रस्ताव, अमेन्डमेंट मूव नहीं करने दें...

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में जुबानी संशोधन भी आये हैं। इस प्रकार के इस नेचर के डिसीजन के ऊपर ही नहीं बल्कि टिनेन्सी बिल जैसे इम्पार्टेन्ट बिल, जिसमें लाखों की जिन्दगी का सवाल था, ऐसे मसले पर भी जुबानी अमेन्डमेंट यहां पर आये हैं। अगर जरूरत हुई हैं तो उनको लोगों ने नोट कर लिया है, उस अमेन्डमेंट पर अमेन्डमेंट दिये हैं। इसलिये टेक्निकली यह कहना कि यह अमेन्डमेंट जुबानी आया है इसलिये वेलिड नहीं है, ठीक नहीं लगता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह कब कहा मैंने ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक इस बात का सवाल है कि आप अगर कोई अमेन्डमेंट देना चाहते हैं, चेयर उसको स्वीकार करती है तो उसमें किसी सदस्य को कोई एतराज नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय ने आधे घन्टे का समय निर्धारित किया है, यह उनके विदिन राइटस है। आधे घन्टे का समय दे दिया है। इसके बाद कोई दूसरा अमेन्डमेंट आता है तो फिर वही सवाल पैदा हो जाता है इसलिये...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो यह कहा कि वह जो पढ़ कर सुनाया उसकी कापी हमें मिल जाये। हम देखकर उसमें अमेन्डमेंट दे दें।

श्री हरिदेव जोशी : आप हरेक चीज को उसी तरह करो, जब आप अमेन्डमेंड दो, जब जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी के बिल पर आप जुबानी अमेंडमेंट दे रहे हों तब तो दूसरे सब लोग वैसे ही मान लेवें...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो देखिये, उस चर्चा में थे नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं नहीं था, वह ठीक है। मैं नहीं था मगर मैं सदन का

(श्री हरिदेव जोशी)
पार्ट तो हूं। मुझे भी समझने का उतना ही अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुख्य मन्त्री से भी ज्यादा सीनियर हैं, मैं आपको उतनी रेस्पेक्ट देता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : अच्छा, तब ठीक है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं, चूंकि मैं मुख्य मन्त्री से सीनियर हूं और आपसे भी ज्यादा सीनियर हूं, इसलिए आप से निवेदन करना चाहता हूं आप प्रिलिमिनरी ग्राउन्ड्स पर इस प्रकार का मत कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपको फैसला एक करना है, क्या मैं अमेण्डमेन्ट दे सकता हूं? पहला प्रश्न तो यह है।

श्री अध्यक्ष : दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दे सकता हूं तो मैं कापी चाहता हूं और मुझे संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि यह नहीं होना चाहिए कि··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं टाइम नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अपनी सहूलियत का सवाल हो तब तो चाहे कापी हो, नहीं हो तो भी मान लिया जाय। यह तो आपस में जैसा व्यवहार रहता है, उस हिसाब से बात हैं। स्पष्ट है, आप माननीय सदस्य और विपक्ष के नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि निष्कासन के स्थान पर सत्रावसान तक के लिए उनको निलम्बित किया जाय, यह प्रस्ताव है इसका कोई कानून हम बनाने नहीं जा रहे हैं। सब माननीय सदस्य इसकी मन्शा को जानते हैं। हमारी यह कोशिश रही है कि सदन में सद्भावना का वातावरण रहे। नौजवान एक व्यक्ति है, निष्कासित होने से ऐसा हो जायेगा निलम्बन में फिर आगे भी गुंजाइश रहती है कि निलम्बन पर सदन अगर चाहे तो पुर्नविचार कर सकता है। इसलिए इस वातावरण में, मैं समझता हूं मैंने वाद विवाद में इसलिए सलाह के तौर पर लिया कि बहुत महत्वपूर्ण था। आप, कृपया, जब इधर का सवाल हो तब तो सब कानून की पालना करें और उधर से आप टैक्निकल पाइण्ट उठायें, इससे कोई समस्या का हल नहीं निकलने वाला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, मैं प्रस्ताव मूव कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, प्रस्ताव मूव कर दो।

समय के लिये ऐसा है कि आध घन्टे में राजी नहीं है तो मैं पौन घन्टे का समय दे देता हूं। इसमें सवाल तो दिन का ही है न तथ्यों के बारे में तो कोई नया साक्ष्य तो आयेगा नहीं, नये तथ्य आयेंगे नहीं उसके औचित्य के बारे में 3-3 मिनट में फर्मा दें। आधे घण्टे की बजाय पौन घण्टे का मैं समय दे देता हूं लेकिन आप स्वयं विचार करें कि इससे ता इस मस्या का हल क्या निकलेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हल तो आप करेंगे, साहब।

श्री अध्यक्ष : हम क्या हल करेंगे। हम तो यहां पर प्रस्ताव के ऊपर मत-दान करा देंगे और हल हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो आपसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको हल निकालना है। आपको ही हल निकालना है, हम तो आपसे ही रिक्वेस्ट करेंगे। हम तो रिक्वेस्ट करने का नहीं मौका चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने जिस भावना से निवेदन किया, सत्ता पक्ष ने भी विचार करके माननीय सदस्यों में काफी रोष था, यह मैं आपको बता दूं, विशाल हृदय का परिचय देकर उस प्रस्ताव को संशोधित किया है। पहले वाले प्रस्ताव के अन्दर कोई छूट-रियायत देने की गुंजाइश नहीं थी। इस प्रस्ताव को आप जानते हैं कि इस प्रस्ताव में कई तरह की गुंजाइश है। इस प्रस्ताव में कई तरह की गुंजाइश है, आप अच्छी तरह से समझते हैं, नेता महोदय।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, इस पर राय देने का सबको मौका देना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में यह बहुत अच्छी परम्परा आज डाली गयी है। आप जा रहे हैं क्या?

(व्यवधान)

दो निवर्तमान मुख्य मंत्री एक दूसरे के प्रति सर्वोच्च सम्मान और आदर प्रदर्शित कर रहे हैं, यह अच्छी परम्परा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रारम्भ में इस सदन को यह जानकारी दी कि कल दिन भर प्रिविलेज के ब्रीच के संबंध में जो हाई टैम्पर्स थे, क्योंकि यह सदन एक कोर्ट में परिवर्तित हो गया है इसलिए बिना किसी प्रकार के गुस्से, बिना किसी प्रकार की द्वेष की भावना के इस सदन को जब कोर्ट की हैसियत से बैठना है तो बहुत उदारता से किसी को दण्डित करना चाहिए। पनिशमेंट कम से कम देने की बात का आपने एक परामर्श इस सदन को दिया। उस परामर्श के संबंध में जब प्रतिपक्ष के नेता ने चर्चा करने या संशोधन प्रस्तुत करने की बात उठायी तो आपने कहा कि कल इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और बहुत चर्चा होने के बाद आज मैं आधे घंटे का समय निर्धारित करता हूं। आधे घंटे के समय की जब आपने बात कही, तो प्रतिपक्ष के नेता, जो कूल डाउन हुए थे, बहुत उद्वेलित हुए। उन्होंने सीधा चेयर पर यह आरोप लगाया कि आप जो हैं मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि आप जैसा एक मैच्योर पालियामेंटेरियन, जो इस सदन में लम्बे अर्से से हैं, जो सदन के कन्वेन्शन्स, इस हाउस की डिगनिटी, पालियामेन्ट्री प्रोसीजर से जानकारी रखता है, को इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए थी। मैं ऐसा चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता ने जो इस प्रकार की एक बात, अभिव्यक्ति आसन के लिये की है, उसका सदन की प्रोसिडिंग्स से एक्सपंज किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ नहीं। मैं सदन के उन व्यक्तियों में से होऊंगा, लास्ट पर्सन होऊंगा, जो चेयर की अवमानना करे या चेयर के प्रति ××× किसी भी प्रकार की डिसरेस्पेक्ट करें।

श्री परसराम मदेरणा: आपने तो ××× दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे 30 वर्ष के

××× अभिव्यक्ति शब्द। माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जीवन में मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे व्यवहार पर, आपके बारे में तो एक बार हुआ है पहले, चेयर की तरफ से कभी एक संकेत भी नहीं हुआ कि इस सदस्य का अनुचित व्यवहार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि ....

श्री हीरालाल देवपुरा : आज तो आपने X X X दी थी।

श्री अध्यक्ष : आपके संबंध मधुर ही रहते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कम से कम वर्तमान अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने आज यह कह दिया, संकेत दिया, मार्गदर्शन दिया इस हाउस को, उनके प्रति तो मैं आभार प्रकट करने को तैयार हूं। उनके ऊपर किसी तरह का आक्षेप करूं या उनको धमकाऊं और यह मेरी धमकी में आ जायें, यह आपने कैसे मान लिया ?

श्री चन्दनमल बैद : दी तो थी आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, विरोधी दल में हूं और कई बार अनप्लेजेन्ट टाक भी करनी पड़ती है, इसलिए कई बार ऐसी बातें भी करनी पड़ती हैं।

श्री अध्यक्ष : This is public relation exercise.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा है तो ही, अध्यक्ष महोदय। इसलिए माननीय सदस्य, उसको सीरियस ....

श्री हीरालाल देवपुरा : आप ठीक हैं।

(व्यवधान)

X X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसमें संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। संशोधन यह है, "आज दिनांक 10-3-83 को," जो कल का पेश किया है उसमें संशोधन है।

"आज दिनांक 10-3-83 को सदन में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, श्री देवीसिंह भाटी अपने गले में एक तख्ती लटका कर आये थे जिसमें सदन के नेता के परिवार के विषय में निम्न बातें अंकित थीं।

एक तो यह जो, जिसमें सदन के नेता के परिवार के विषय में निम्न बातें अंकित थीं" यह वर्ड्स डिलीट कर दिये जायें। मैं समझता हूं, खेतसिंहजी एग्री करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं बाद में बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। विपक्ष के नेता महोदय, एक मिनट। मूल प्रस्ताव के बारे में आपको यदि कोई संशोधन करना था तो कल करना था। अभी जो संशोधित प्रस्ताव आया है, उस संशोधित प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करना चाहें तो उसका अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा ! तथ्यात्मक रूप से यह बात सही नहीं है, आपको ध्यान होगा, मैंने यह कल भी कहा था, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। इस एक सही बात को यदि इसमें रख लें तो उचित ही होगा, अनुचित नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं माननीय मुख्य सचेतक महोदय भी इस बात को मानेंगे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि यह शब्द इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। जबकि तथ्य यह नहीं है और···

श्री अध्यक्ष : आगे का संशोधन रखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे यह बातें "राजस्थान के मुख्य मंत्री माथुर की बेटी मंजू के साथ सामूहिक बलात्कार सेना के जवानों द्वारा" अत्यधिक अशोभनीय और सदन की गरिमा को गिराने वाली है अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन लाइनों को डिलीट कर दिया जाए। अब वह प्रस्ताव क्या है क्या नहीं है, यह मुझे पता नहीं है। प्रस्ताव यह हो गया कि अशोभनीय है, सदन मानता है अशोभनीय है। वह हो गया न।,

(व्यवधान)

इसका मतलब यह है, जो खेतसिंह जी ने लिखा मतलब तो उनसे पूछिये।

श्री हरिदेव जोशी : आप फिर से रेप्रीमेंड करना चाहते हैं, यही है न मतलब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बातें तो गरिमा को गिराने वाली हैं; इससे आगे जो है···

श्री हरिदेव जोशी : ठीक है। हम समझ गये इनके प्रस्ताव को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इसलिए करना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : मूल प्रस्ताव में तो संशोधन अब आ नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मूल प्रस्ताव पर नहीं मानें तो इनकी मर्जी की बात है। मेरा कोई विशेष आग्रह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति भी नहीं दे सकता। जो मूल प्रस्ताव था उस पर चर्चा हो गयी नियमानुसार; जैसा प्रस्ताव था वह आना चाहिए था, लेकिन सत्ता पक्ष ने उसके अन्दर एक संशोधन प्रस्तुत किया है, तो उस संशोधन प्रस्ताव में कोई संशोधन हो तो कहें ताकि आप यह कह सकें, हमने तो मूल प्रस्ताव पर ही चर्चा की थी यह नया विषय आ गया, नया विषय आ गया तो नये विषय में कोई और आप समावेश करना चाहते हैं तो वह कह सकते हैं।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कापी तो दिलायी जाये। हमें आइडिया ही नहीं है, उसमें क्या लिखा है।

श्री अध्यक्ष : कापी के बजाय मैंने आपको सीधा साधा बताया, निष्कासित की जगह उनको इस सत्र के अवसान तक सदन की सेवा से निलम्बित किया जावे; यह है। मैंने सभी को कह दिया।

श्री कमलेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक अमेंडमेंट प्रस्तुत करना चाहूंगा। उस मूल प्रस्ताव में यह ऐड कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : मूल प्रस्ताव में अमेंडमेंट के लिए मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री कमलेन्द्रसिंह : संशोधन में यह ऐड कर दिया जावे वह डिलीट करके···

श्री अध्यक्ष : वह इनकी सराहना करता है।

(व्यवधान)

श्री कमलेन्द्रसिंह : सराहना नहीं। उसमें से यह क्लियर कर दिया जावे; उनको इस

(श्री कमलेंद्र सिंह)

सैशन के लिए सस्पेंड करते हैं, उसको डिलीट करके यह रिप्लेस कर दिया जावे कि "श्री देवीसिंह जी भाटी ने अपना खेद प्रगट कर दिया है, सदन में खेद प्रगट कर दिया है, अब सदन उनको बिना शर्त क्षमा करता है" ।

श्री **यदुनाथसिंह** : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री **राजबहादुर** : मेरा एक संशोधन है ।

श्री **मेघराज तावड़** : मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री **अध्यक्ष** : बात यह है कि पौन घण्टा जो निर्धारित किया था उसमें से भी काफी समय चला गया है । कल मैंने बहुत ज्यादा समय दे दिया । कल भी 29 माननीय सदस्य बोले थे । आज भी करीब घण्टे से अधिक का समय हो गया है ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : थोड़ा सा एडजोर्न कर दें ।

श्री **अध्यक्ष** : एडजोर्न नहीं होते यह मामले । यह अटका हुआ रहेगा शुरू से आखिर तक । बजट सत्र है मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, मामला गम्भीर है आपने गम्भीरता से इस मामले को लिया है । मैं समझता हूं, सदन के सभी माननीय सदस्य इस प्रश्न के ऊपर बड़े गम्भीर हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : नहीं, उससे भी गम्भीर यह है। यह बजट पास नहीं होगा।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : बजट कहां जायगा। बजट तो पास होगा। उल्टा नुकसान हमें ही हो रहा है । कल एजूकेशन की डिमाण्ड डिस्कस नहीं हुई । नुकसान हमें ही हुआ।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : यहां पर सारे पत्रकार देख रहे हैं, लाखों लोग क्या सोचते होंगे । राजस्थान की जनता क्या सोचेगी । आज की डिमाण्ड आगे सरकती चली जाय और एक ही विषय पर चर्चा होती चली जाएगी ।

श्री **अध्यक्ष** : 15 मिनट का समय और शेष रहा है ।

श्री **राजबहादुर** : मैं प्रस्ताव में अमेंडमेंट मूव करना चाहता हूं " सदन के सभी सदस्यों विशेषतः विपक्ष के सदस्यों द्वारा श्री देवीसिंहजी भाटी के व्यवहार की भर्त्सना करते हुए खेद प्रगट किया है इसलिए जो सजा की बात जो उसमें आती है उसकी जगह उनको क्षमा दी जाय और उदारतापूर्वक स्वयं सदन के नेता इसको नोटिस लेते हुए उनको क्षमा कर दें" ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। मैंने जो प्रतास्व रखा है उस सम्बन्ध में तीन केसेज साइट करना चाहूंगा । जो केसेज नई बात के लिए नहीं है । ऐसे मसलों पर सदन में किस प्रकार का व्यवहार हुआ है दूसरे सदन में, वह मैं तीन केस साइट करके एक अपील करना चाहता हूं आपकी अनुमति से ।

श्री **चन्दनमल बैद** : संशोधन प्रस्ताव पर अब क्या साइट करेंगे ।

श्री **अध्यक्ष** : सजा के बारे में दूसरे सदनों ने कैसे किया यह बता रहे हैं ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में,....

श्री अध्यक्ष : यह अथॉरिटी लॉ की नहीं मानी जाती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस मेरे कहने से छपेगा नहीं। एक घटना का उल्लेख कर रहा हूं···

श्री अध्यक्ष : हां जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में छपा है Member burns bill in Kerala Assembly.

अब उस पर जो फैसला हुआ है वह मैं सुना रहा हूं–

"In an unprecedented scene, an independant member of the Kerala Assembly on Thursday burnt a bill on the ground that its Malyalam version had not been supplied. He was unanimously censured by the House. Finance Minister, K. M. Mani had just got up to move the Kerala General Sales Tax (Amendment) Bill when Mr. Nenappan Nambadan stood up to register his protest. Mr. Nambadan said he strongly objected to the Govt. persisting in the use of English in the preparation of Bills in spite of repeated promises only the Bill in Malayalam has been presented to the House, he added. As a mark of protest, he is burning the bill, Mr. Nambadan announced as members sat in shocked silence. Mr. Nambadan then struck a match, held the bill aloft and applied the flame to it. Frantic appeals by the Speaker to the member to desist from this action fell on deaf ears. The Speaker later adjourned the House for 53 minutes.

When the House reassembled the Chief Minister moved a motion which stated that Mr. Nambadan's action was a gross violation of the traditions of the Assembly. It was an unpardonable contempt of the House" and should be strongly condemned, he said.

The House approved the motion as Mr. Nambadan sat in grim silence.

(म. प. 1.44)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, वह बिल जलाया। जलाने के बाद हाउस ने उनको कंडेम कर दिया। हाउस फैसला करना चाहता तो उनको निकाला भी जा सकता था, सस्पेंड भी किया जा सकता था, सारी मेम्बरशिप भी समाप्त की जा सकती थी। यह कल की घटना है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार की घटनायें तीन और हुई। केरल असेम्बली का एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिसमें डिस्प्ले ऑफ ए टॉयगन इन दी हाउस। यह तो छोटीसी बात है किये तख्ती लगा कर आ गए। वह टॉयगन हाउस में लेकर आ गये।

टायगन के बारे में फैसला क्या होता है।·····

(व्यवधान)

Page No 78

(78)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभापति महोदय, जरा मेम्बर्स को कंट्रोल तो करिये ।

श्री सभापति : आप कुछ बात ही ऐसी बोल रहे हैं जिससे····

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं बातें कुछ नहीं बोलूंगा । टॉयगन को डिस्प्ले करना, यह बड़ा ऑफेन्स है। किसी भी आदमी का टॉयगन से मर्डर किया जा सकता है, किसी को मारा जा सकता है ।

(व्यवधान)

अच्छा, मैं मान गया आपकी बात······

श्री जयकृष्ण शर्मा : गोली मार देना तो इग्नेरेंटी बात थी,यह बहुत बड़ी बात है । भारतीय संस्कृति में इसी चीज का महत्व है ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : सभापति महोदय, बन्दूक एक बड़ी चीज है या औरत की इज्जत बड़ी चीज है, यह बताइये आप ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप, कृपया, विपक्ष के नेता को बोलने दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, बन्दूक और औरत का मैं कोई मुकाबला नहीं करना चाहता । दोनों बन्दूक हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि डिस्प्ले ऑफ ए टॉयगन इन दी हाउस·····

On September 19, 1973 Shri K. Lingappa a Member displayed a toy gun in the House and stated that he was presenting it to the Chief Minister as symbol of police firing in the State on unarmed people.

On the objection being taken by the Deputy Speaker, who was then in the Chair, the Member explained that he had no intention to show any disrespect to the House and tendered his apology.

यह केस बिल्कुल सिमिलर है ।

On September 20, 1973, the Speaker Shrimati K.S. Nagarathhamma observed as follows:—

"The Chamber of the House is not meant for such demonstration or exhibition of articles by the members. In this connection, I may invite reference to a ruling given in the House of Commons on 9th April, 1952 when the Speaker held that according to usage, it was out of order for Hon. members to bring into the Chamber articles like weapons, sticks, umbrellas and despatch cases.

उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, फैसला यह होता है कि—

If a member is subject to any physical infirmity, he will be permitted to bring a walking stick.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं–

As the Hon'ble member has regretted for the incident, yesterday, I don't propose to pursue the matter. However, I would like to impress upon the Hon. members that with a view to maintain the decorum and dignity of the House and to prevent any untoward incidents, Hon. members may avoid bringing into the House such articles and make any demonstration in future.

सभापति महोदय, इसमें भी एक सदन के माननीय सदस्य, जो यह सब लेकर आए थे, ने सदन से क्षमा मांगी और सदन ने क्षमा देकर अपनी उदारता का परिचय दिया। इसी प्रकार से, सभापति महोदय·····

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : दण्डवते पिस्टल लेकर आ गए थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं यही बता रहा हूं। दण्डवते का उन्होंने उल्लेख कर दिया। यह तो लोकसभा के इसी सत्र में हुआ है कि वह पिस्टल लेकर चले गए। मेंबर्स ने एतराज किया। एतराज किया तो उन्होंने रिग्रेट शो कर दिया। रिग्रेट शो किया तो हाउस ने उनका पीछा नहीं किया कि एक रिवाल्वर लेकर आ गए इसलिये सदन से निष्कासित कर दिया जाय या सदन की कार्यवाही से उनको निलम्बित कर दिया जावे। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि इस प्रश्न के ऊपर सदन के नेता बैठे हैं, उन्होंने निलम्बन का प्रस्ताव रखा है कि·····

(समय 1.48 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

सत्रावसान तक माननीय सदस्य को निलम्बित किया जावे। मेरा पुनः निवेदन करना यह होगा कि मैं उन सारे तथ्यों के ऊपर इस वक्त नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के जिस प्रकार से दो सौ सदस्यों में दो तो नहीं हैं, 198 सदस्य हैं, 198 सदस्यों ने, अध्यक्ष महोदय, जिस मामले को बुरा माना है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने और मेरे अन्य साथियों ने, इस सदन के 198 सदस्यों ने जिसको बुरा बताया, विरोधी पक्ष से एक गलती हुई उसके लिए हमने हाउस में खेद प्रकट किया, मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आप केवल देवीसिंह जी को सजा नहीं दे रहे हैं, आप केवल उनको सजा नहीं दे रहे हैं, हमने भी आपके सामने खेद प्रकट किया है, आप उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप यह चाहते हैं कि सदन से निलम्बन होगा तभी काम होगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की उदारता का जितना प्रभाव माननीय सदस्यों के मानस पर होगा इस सजा का नहीं होगा। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय नेता से केवल इसी प्रश्न पर बात करना चाहता था कि एक नहीं मैं आपको अनेक व्यवस्थायें, जो इस सदन की नहीं अनेक सदनों की हैं बता सकता हूं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यदि, अध्यक्ष महोदय, आप सुनना चाहें तो एक व्यवस्था नहीं सारे में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जिनमें मैम्बर्स के अन्दर हाथापाई हो गई, सारे हाउस का डेकोरम खराब हो गया मामला जब हाउस के सामने आया हाउस ने कंडेम किया ज्यों ही मैम्बर ने खेद प्रकट किया हाउस ने उदारता से खेद प्रकट की बात को स्वीकार करते हुए कार्यवाही आगे चालू करने के निर्देश दे दिये ।

श्री **अध्यक्ष** : विगत में हमने भी कहां किया। कई दफा यहां झगड़े हो जाते हैं ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : आप करते हो, साहब, आप तो बहुत उदार हो, अध्यक्ष महोदय, आपकी उदारता जैसी है मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री उसी प्रकार से उदार बन जायें ।

श्री **परसराम मदेरणा** : उस उदारता का आप मिसयूज भी करते हो ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं जी आप विरोधी दल में बैठे तब बहुत बढ़िया यूज करते थे ।

श्री **चन्दनमल बैद** : विरोधी दल आपको मुबारक हो, ऐसी क्या बात है ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मैं कहता हूं मुबारक हो या नहीं हो, पता लगेगा चुनाव के बाद में ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था, इस प्रश्न पर जो प्रस्ताव माननीय मुख्य सचेतक ने रखा है, माननीय सदस्य के निलम्बन की बात रखी है, मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से, मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपसे....

(व्यवधान)

मेरी बात तो सुनें आप पहले ही इंकार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बिना सुने फैसला करना....

(व्यवधान)

मैं तो आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा, आपने जिस गंभीरता से जिस प्रकार की व्यवस्था दी है या सदन का मार्गदर्शन किया है, मैं समझता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी उस मार्गदर्शन के अनुसार, इस सदन के बड़प्पन और गरिमा के अनुसार इस मामले में ज्यादा आगे नहीं बढ़ कर केवल यहीं तक अपने आपको सीमित रखेंगे। जिस पूरे हाउस ने उस एक्शन को कन्डेम किया, वह कन्डेमनेशन ज्यादा प्रभावी सजा है बनिस्पत मैम्बर के निलम्बन के। इसलिये मैं माननीय मुख्य सचेतकजी, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस लें। सदन उदार है, सदन बड़ा है, जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा हम न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं, काम ऐसा लगना चाहिये जिससे लोगों को यह पता लगे, न्याय किया गया। मैं समझता हूं आज का न्याय तो बहुमत के आधार पर न्याय होगा, बहुमत के आधार पर किया हुआ न्याय माना जायगा, वाजिब न्याय नहीं होगा। लेकिन उदारता के साथ यदि हमने कोई निर्णय लिया और कन्डेमनेशन तक ही अपने आपको सीमित रखा तो लोगों को यह पता लगेगा कि विधान सभा में जो राजस्थान के प्रतिनिधि बैठे हैं वह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नीतिक आधार पर नहीं, दलबंदी के आधार पर नहीं, वह उदारता का भी परिचय देने में सक्षम है। इसी आधार पर मैं ज्यादा न कह कर, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है वह पुनर्विचार करें और जो मैंने प्रस्ताव रखा है उस पर सदन विचार करे।

श्री राजबहादुर (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: अब इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होगी।

श्री राजबहादुर : मैं कोई ज्यादा समय नही लूंगा।

श्री अध्यक्ष : दो दो मिनट।

श्री राजबहादुर : मैं भी अपील करता हूं, सत्तापक्ष के नेता, सदन के नेता तथा सत्तापक्ष के सारे सदस्यों से कि इसको एक दूसरे पहलू से देखना चाहिए। एक व्यक्ति जिसको हमने आरोपित किया है, जिसके व्यवहार की भर्त्सना की है, जिसको हम दंडित करना चाहते हैं, हमने क्षमा की आशा की थी और उन्होंने क्षमा हाउस में मांगी। इस संबध में मेरा व्यक्तिगत प्रस्ताव, अमेंडमेंट इस प्रकार का है "सदन के सभी सदस्यों विशेषतः विपक्ष के सभी दलों द्वारा श्री देवीसिंह, सदस्य के व्यवहार की भर्त्सना करते हुए खेद प्रकट किया गया तथा स्वयं श्री देवीसिंह भाटी ने खेद प्रकट करते हुए क्षमा मांगी, अतः यह सदन श्री देवीसिंह भाटी के व्यवहार पर उनको ताड़ना देती हुई आज की बैठक की समाप्ति तक निलम्बित करता हैं"।

मेरी प्रार्थना यह है कि निलम्बन आप दस दिन का कर लीजिये, एक दिन का कर लीजिये। सिम्बोलिक सजा देने की बात तो इसमें यो आ जाती है। अगर उन्होंने खेद प्रकट न किया होता, क्षमा न मांगी होती और सारे हाउस ने यूनेनिमस न किया होता। मैं निवेदन यह करूंगा, इसे उदारता से देखने और करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से यह कहूंगा स्वयं सदन के नेता मुख्य मंत्री जी का व्यक्तिगत नाम इस में आया है यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें उदारता का वह ही परिचय दें। वह स्वयं इस बात को करें; खुद पहल करें तो और भी अच्छा होगा अन्यथा एक्शन से रिएक्शन are equal and opposite. जैसा आप देख रहे हैं, बहुत से सदस्य हैं बहुत प्रभावित हैं, बहुत उद्वलित हैं कल जो शब्द उधर से इस्तेमाल किये गये जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि वह भी ब्रीच ऑफ दी प्रिविलेज हैं। वह भी इतने ही भर्त्सना के योग्य हैं, उनको भी इतना ही दंड देना चाहिये था। उनके खिलाफ भी ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन आना चाहिये था, वह नहीं आया। कोई यह नहीं कहें..

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज का मोशन कोई भी माननीय सदस्य प्रस्तुत कर सकता है।

श्री राजबहादुर : प्रिविलेज मोशन कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से खेतसिंह जी ने चीफ व्हिप की हैसियत से एक व्यवहार दुर्व्यवहार यह सब किया था, क्या उनका कर्त्तव्य नहीं था, वह भी मामले लेते ऐसा कडण्क्ट कोई भी कर सकता है, कोई भी मैम्बर करेंगे तो खाली एक्सपंज करने से काम नहीं चलता।

(श्री राज बहादुर)

सब दुनिया ने सुन लिया, उन्होंने क्या कहा था। क्या अपमान किया। कोई यह न कहे, अन्त में, तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है, तुम्हारा रंग. है रंग, हमारा रंग कहानी है। अगर अपमान हुआ है तो सबका हुआ है। उधर से उन्होंने किया, इसलिये एक लेवल पर उसको लाकर फिर आपसे अपील करूंगा कि इसमें ज्यादा टेम्पर न आवे, शांति के साथ सोच लें। निलम्बन आप दस दिन का करके क्या कर लेंगे और एक दिन का करने में आपको क्या आपत्ति हो जायगी ? इसलिये जो निलम्बन हो तो एक दिन से ज्यादा नहीं हो। आज बैठक समाप्ति तक हो ताकि वह अपनी सदस्यता का लाभ भी उठा सकें और योग दे सकें अपना सदन की कार्यवाही में। यही मेरी विनती है।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (बलभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है उसमें लिखा है कि अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, श्री देवीसिंह जी भाटी को सप्तम विधान सभा की सदस्यता से शेष अवधि तक के लिये निष्कासित् किया जाय, इसको डिलीट करके इसकी जगह पर इसमें यह एड किया जाय कि "श्री देवी सिंह जी भाटी ने अपना खेद प्रकट कर दिया है; अब सदन उनको बिना शर्त क्षमा करता है।" माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कल घटना की है इस हाउस में, उसके लिये मैंने मेरे दल के सदस्य होने के नाते खेद प्रकट कर दिया था। मैंने उस समय भी यह निवेदन कर दिया था सदन को कि देवीसिंह जी भाटी खुद खेद प्रकट करने को तैयार हैं। उन्होंने सदन में क्षमा भी मांगी। क्षमा मांगने के बाद, माननीय महोदय, खेद का विषय तो यह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से एक और प्रस्ताव आज आया है। उनके क्षेत्र में बलात्कार की घटनाएं हुई। दो बलात्कार की घटनाएं हुई उनको उन घटनाओं के लिये सदन में आवाज उठानी थी, उन्होंने आवाज उठायी। उन्होंने रिजोल्यूशन दिया, सरकार, ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वेदना को प्रकट करने के लिये वे तख्ती लगाकर हाउस में आये। मैं जानता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तरीका रूल्स की चारदीवारी में नहीं आता हमने। सबने, मैंने भी खेद प्रकट किया था। विरोधी दल के सब सदस्यों ने खेद प्रकट किया और यह कहा कि यह जो व्यवहार था गलत था। किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा खेद तो यह है कि शासन पार्टी के सदस्यों ने यह जानते हुए कि जो रेफरेंस उसमें दिया था मंजू का, उसका कोई लेना देना नही था, चीफ मिनिस्टर के परिवार से, जो रेफरेंस दिया था वह इस हिसाब से दिया था कि शासन के मुखिया चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके नाम से यह लिख दिया था कि चीफ मिनिस्टर की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इस स्थिति को जानते हुए भी, जो स्पष्ट रूप से हाउस में आ गई थी, शासन पार्टी

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

यह रिजोल्यूशन लायी है, यह बहुत खेदजनक हैं। इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर उन्होंने एक राजनैतिक रंग दे दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी निश्चित मान्यता है कि इसको बढ़ा चढ़ाकर इस वकुए को जो बनाया है उससे सदन की न तो गरिमा बढ़ी है, न सदन की गरिमा में और चमक आयेगी। अपने बहुमत के जरिये से शासन पार्टी किसी भी तरह का कदम उठाये, उसकी हमें चिन्ता नहीं है। किसी भी तरह की सजा दे उसकी भी हमें चिन्ता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिन्ता एक चीज की है, हर माननीय सदस्य ने यह कहा कि इंदिरा गांधी के साथ में यह व्यवहार हुआ, इसलिये हम यह कर रहे है। इंदिरा गांधी के साथ यह व्यवहार हुआ इसलिये हम कर रहे है।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रतिशोध की भावना से जो निर्णय लिया जा रहा है

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : कोई प्रतिशोध की भावना नहीं है। काम के बारे में ही है, यह तो कहां प्रतिशोध, कहां इंदिरा गांधी, कहां श्रीमान्, आप जोड़ रहे हो, हुजूर।

श्री कमलेन्द्र सिंह : इस प्रतिशोध की भावना से, इस प्रतिशोध की हवा में जो यह निर्णय लिया जा रहा है, यह बिलकुल अन्यायपूर्ण निर्णय है। सदन को पूरी क्षमा दे देनी चाहिये, जब खेद प्रकट कर दिया देवीसिंह जी भाटी ने तो सदन की तरफ से उदारता बरत कर क्षमा दे देनी चाहिये

श्री अध्यक्ष : श्री छोगालाल कंवरिया ! आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री छोगालाल कंवरिया (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के नेता और अन्य सदस्यों द्वारा मेन चार्ज में अमेंडमेंट करने के प्रस्ताव किये गये हैं। जहां तक मैं समझता हूं जो मेन चार्ज था उसके ऊपर थर्ड डे से डिस्कशन हो चुका है। मेन चार्ज तो अमेंड कर ही नहीं सकते है। अभी जो अमेंडमेन्ट आया है वह क्वाण्टम आफ पनिशमेंट के बारे में है उसमें कमी की जाय, तो इस बारे में डिस्कशन होना चाहिये। क्वान्टम ऑफ पनिशमेंट के बारे में कोई माननीय सदस्य कहना चाहें तो कह दें लेकिन अमेंडमेंट किया जाकर इस प्रश्न को दुबारा रिओपन किये जाने की है। दुबारा अगर चार्ज में अमेंडमेंट किया जाता है तो उसके मायने चार्ज पर दुबारा डिस्कशन किया जाय। यह स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। केवल क्वान्टम ऑफ पनिशमेंट के बारे में माननीय सदस्य कहना चाहें तो कह दें।

श्री अध्यक्ष : श्री आत्माराम।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह कृषि की डिमाण्ड पर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय मैंने आधे घण्टे का समय दिया, उसके बाद पौन घंटे का समय दिया।

(व्यवधान)

अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)
बैठ जायं, माननीय सदस्य। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, विपक्षी पार्टी को तो समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कोई समय नहीं दिया जायगा। मैंने समय निश्चित कर दिया, 4-5 मिनट का समय बचा है। उसमें मुख्य सचेतक, जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, की बात सुनूंगा।

वित्तीय विषय विचारणीय है। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

अवहेलना न करें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। अंकित न हो।

श्री मेघराज तवाड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। समय समाप्त हो गया। वित्तीय विषय विचारणीय है। अंकित न हों।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय आप भी हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो · · ·

श्री अध्यक्ष : रक्षा मैंने खूब की है।

श्री मेघराज तावड़ : हमें भी बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : बोलने का अधिकार समय सीमा में है। वह भी जब आसन अनुमति दे तब है। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं क्षमा चाहता हूं माननीय सदस्यों से। मैंने काफी समय दिया है। अब इसको समाप्त करना है। मैंने पूर्व में जो समय निर्धारित किया वह भी समाप्त हो गया। मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इसमें दल का कोई सवाल नहीं है। कृपया बैठ जायं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कल जो मैंने प्रस्ताव रखा था उसमें मैंने पनिशमेंट के लिहाज से लिखा था कि इनको निष्कासित कर दिया जाय। अगर इनका निष्कासन होता तो निश्चित तौर पर वह एक बहुत ही गंभीर विषय बन जाता। इस मायने में हालांकि इनका कण्डक्ट तो इस प्रकार का था लेकिन सीट वेकेट हो जाती, और भी कई उलझनें पैदा हो जातीं। विपक्ष के नेता और विपक्ष के साथियों से जब बातचीत की उस वक्त वे इस बात के लिये तैयार हो गये थे कि इस सत्र के लिये इनको निलंबित कर दिया जाय लेकिन आज उन्होंने हां नहीं भरी। आज जब यह बात आई तो यह कह रहे हैं। · · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई तैयार नहीं हुआ था।

श्री यदुनाथ सिंह : हम को गलत कोट किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने कोई भी इस तरह का मंजूर नहीं किया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर यह सुनना नहीं चाहते, तीन मिनट का

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

समय था, मैं कोई संशोधन मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मुख्य सचेतक जी ने मूल प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें विपक्ष के नेता महोदय ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

ना पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : मैं दुबारा पूछ लेता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य सचेतक के संशोधन प्रस्ताव में जो संशोधन विपक्ष के नेता महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

ना पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष: विभाजन करवाना चाहते हैं? ऑर्डर। विभाजन कराना चाहते हैं, विभाजन की घण्टी बजाई जाय।

(मत-विभाजन-सूचक-घण्टी)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दरवाजा बन्द करने के बाद आये हैं। ज्योंही घंटी बजती है automatically lobbies are clofed. घंटी बजना बंद होने के बाद हाउस में प्रवेश किया है इसलिये उनका वोट काउन्ट नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष : वह ठीक समय पर आ गये थे

श्री भैरोंसिह शेखावत : घंटी बजना बन्द होने के बाद आये। यह घंटी इस बात का संकेत है कि ज्यों ही घंटी बंद होगी, lobbies are closed.

श्री अध्यक्ष : ऐसा है एक मैम्बर अगर,

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक से फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैम्बर कितने विजिलेंट हैं, हाउस के लोग, और अध्यक्ष महोदय स्टाफ कितना विजिलेंट है, इस पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसलिये अर्ज कर दिया ज्योंही समय समाप्त हुआ उन्होंने हाउस में प्रवेश किया।

श्री भैरोंसिह शेखावत: आपके मुंह से यह निकला है ज्योंही समय समाप्त हुआ, हाउस में प्रवेश किया। ठीक है, he has no right to vote आपके शब्दों में अध्यक्ष महोदय, ज्योही समय समाप्त हुआ माननीय सदस्य प्रवेश कर गये, इसलिये he has no right to vote

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव में मुख्य सचेतक महोदय ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया उस संशोधन प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता महोदय ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : उसे पढ़ कर तो सुना दें।

श्री अध्यक्ष : Every body is aleart

(ध्वनि मतदान)

(श्री अध्यक्ष)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां पक्ष जीता । We claim the division.

श्री अध्यक्ष : जो संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में हो वे हां पक्ष की लाबी में जाने का कष्ट करें और जो संशोधन प्रस्ताव के · ·

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो संशोधन प्रस्ताव विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने रखा है उसके विपक्ष में · ·

श्री अध्यक्ष : उसके विपक्ष में हों वे ना पक्ष की लॉबी में पधारने का कष्ट करें ।

(मत विभाजन)

(मतदान पश्चात्)

मतदान का परिणाम ।

हां पक्ष — 40 मत ।

ना पक्ष — 98 मत ।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया ।

(व्यवधान)

कृपया, शांत रहें ।

मत विभाजन

हां पक्ष

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	
1	2	3
1.	श्री अनंगकुमार जैन	
2.	डॉ. उजला अरोड़ा	
3	श्री उम्मेद सिंह	
4.	श्री कमलेन्द्र सिंह	
5.	श्री कुन्जीलाल	
6.	श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल	
7.	श्री गुलाबचन्द कटारिया	
8.	श्री गोपाल पचेरवाल	
9.	श्री घनश्याम तिवाड़ी	
10.	श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी	
11.	श्री चाव खां	
12	श्री चुन्नीलाल	
13.	श्री छीतरलाल आर्य	
14.	श्री जीतमल जैन	
15.	श्री दाऊदयाल जोशी	
16.	श्री देवीसिंह भाटी	
17.	श्री नन्दलाल मीणा	
18.	श्री नाथूसिंह	
19.	सुश्री पुष्पा जैन	
20	श्री फतेसिंह	
21	श्री बंसीलाल पटवा	
22.	श्री बहादुर सिंह	
23.	श्री बालचन्द्र आर्य	
24.	श्री भगवानदास शास्त्री	
25.	श्री भरोसी	
26.	श्री भूपाल सिंह	
27.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	
28.	श्री महाराम चौधरी	
29.	श्री महावीर प्रसाद	
30.	श्री मालाराम	
31.	श्री मेघराज तावड़	
32.	श्री यदुनाथ सिंह	
33.	श्री रघुवीरसिंह कौशल	
34.	श्री राजबहादुर	
35.	श्री रामकिशोर मीणा	
36.	श्रीमती विद्या पाठक	

Page No 87

1	2
37.	श्री समर्थलाल
38.	श्री सम्पतराम
39.	श्री हंसराज शर्मा
40.	श्री हीरालाल आर्य

ना पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
1	2
1.	श्री अमरचन्द
2.	श्री अमराराम
3.	श्री असलम खां
4.	श्री आत्माराम
5.	श्री उदयराम धाकड़
6.	श्री कनकराज मेहता
7.	श्रीमती कमला मील
8.	श्रीमती कमला
9.	श्री कमला भाई मीणा
10.	श्री खेतसिंह
11.	श्री गोकुलचन्द शर्मा
12.	श्री गोविन्द आमलिया
13.	श्री गोविन्द सिंह गुर्जर
14.	श्री घासीराम यादव
15.	श्री चतुर्भुज
16.	श्री चन्दनमल बैद
17.	श्री चेतराम
18.	श्री सी. एल. कंवरिया
19.	श्री जगदीश प्रसाद तिवारी
20.	श्री जनार्दनसिंह गहलोत
21.	श्री जयकृष्ण शर्मा
22.	श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया
23.	श्री जीवराजसिंह राठौड़
24.	श्री ज्ञानसिंह चौधरी

1	2
25.	श्री तकीउद्दीन अहमद
26.	श्री तुलसीराम
27.	श्री तेजपाल यादव
28.	श्री थानसिंह मीणा
29.	श्री दिनेश डांगी
30.	श्री दीन मोहम्मद
31.	श्री दीपचन्द
32.	श्री दुलाराम
33.	श्री देवदत्त तिवाड़ी
34.	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
35.	श्री देवेन्द्र सिंह
36.	श्री द्वारका प्रसाद बैरवा
37.	श्री नरेन्द्रसिंह भाटी
38.	श्री नाथूराम (डूंगरपुर)
39.	श्री नानालाल
40.	श्री परसराम मदेरणा
41.	श्री पीरूराम
42.	श्री पूंजीलाल मीणा
43.	श्री पृथ्वीसिंह
44.	श्री प्रद्युम्न सिंह
45.	श्री प्रभुलाल
46.	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
47.	श्री बुलाकीदास कल्ला
48.	श्री बृजसुन्दर शर्मा
49.	श्री भंवरलाल मेघवाल
50.	श्री भरतलाल
51.	श्री भालू खां
52.	श्री भैरूलाल (मनोहरथाना)
53.	वैद्य भैरूलाल भारद्वाज
54.	श्री भैरूसिंह गुर्जर
55.	श्री मनफूलराम
56.	श्री महादेवसिंह
57.	श्री महेन्द्रसिंह
58.	श्री माणकमल मेहता

1	2
59.	श्री माधवसिंह दीवान
60.	श्री मानसिंह देवड़ा
61.	श्री मालूराम लेघा
62.	श्री मोहनलाल मोदी
63.	श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज
64.	श्री रतनलाल ताम्बी
65.	श्री रामकिशन
66.	श्री रामनारायण डूंडी
67.	श्री रामपाल उपाध्याय
68.	श्री रामप्रसाद लड्ढा
69.	श्री रामरघुनाथ चौधरी
70.	श्री रामलाल (उनियारा)
71.	श्री रामसहाय सोनड़
72.	श्री रूपलाल परमार
73.	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
74.	श्री विष्णु प्रकाश बजारी
75.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
76.	श्री शिवचरण माथुर
77.	श्री शिवदानसिंह राठोड़
78.	श्री शिवराम शर्मा
79.	श्री शीशराम ओला
80.	श्री शोदानसिंह
81.	श्री शोभराज मल
82.	श्री श्रीराम रावत
83.	श्री श्रीराम गोटेवाला
84.	श्री सुखलाल सैणचा
85.	श्री सुजानसिंह यादव
86.	श्री सुनीलकुमार विश्नोई
87.	श्री सुन्दरलाल
88.	श्री सुरेन्द्र व्यास
89.	श्रीमती सूरज देवी
90.	श्री सूरजपाल सिंह
91.	श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर
92.	श्री हरसहाय मीणा
93.	श्री हरिदेव जोशी
94.	श्री हरिसिंह (कुम्हेर)
95.	श्री हरिसिंह (फुलेरा)
96.	श्री हरिसिंह (महुआ)
97.	श्री हरेन्द्र मिर्धा
98.	श्री हीरालाल देवपुरा

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावकर्ता ने प्रस्तुत किया है, उसमें जो संशोधन प्रस्ताव माननीय श्री राजबहादुर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(ध्वनि मतदान)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

श्री राजबहादुर : हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस से अच्छी तरह से परिचित हैं, जब विभाजन एक बार हो गया उसके पश्चात् इस तरह के तरीके अपनाना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। उसमें समय ज्यादा लगता है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मीन प्रेक्टिस काम में नहीं आयेगी। माननीय सदस्य, आप नियमों से परिचित हैं। आर्डर प्लीज।

मूल प्रस्ताव में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावकर्ता ने प्रस्तुत किया है, उसमें जो संशोधन प्रस्ताव माननीय श्री राजबहादुर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)
संशोधन प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव में प्रस्तावकर्ता ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें जो संशोधन माननीय कमलेन्द्र सिंह ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया ।

मूल प्रस्ताव कर्ता, मुख्य सचेतक श्री खेतसिंह ने जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर उन्होंने आज संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, प्रश्न यह है कि उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर । आप संशोधित प्रस्ताव रखिये ।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं होगा । मैं प्रक्रिया जानता हूं । मैं पहले जो संशोधन है उसको स्वीकार कराऊंगा उसके पश्चात् मूल रूप से संशोधित रूप में ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां तो अनुभव मुश्किल से ही मिलता है मन से नहीं मिलता, यह तो आप भी जानते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा था उस प्रस्ताव में मैंने एक लाइन को डिलीट करने के लिए संशोधन-प्रस्ताव रखा था । आपको स्मरण होगा, उस समय आपने कहा था कि मूल प्रस्ताव में संशोधन नहीं कर सकते, केवल जो नीचे का पोर्सन है उसमें ही संशोधन कर सकते हैं । मैं तो यह जानना चाहता था, मैंने तो कौन सा ऐड कर दिया कि उसमें आपने संशोधन करने की अनुमति नहीं दी और उन्होंने कौनसा ऐसा बढ़िया काम कर लिया कि उनको संशोधन मूव करने की आपने अनुमति दे दी ?

श्री अध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव तो सदन स्वीकार करेगा । बोलने की इजाजत मैंने दोनों को ही दी थी । आपको अधिक दी, उनको कम दी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे अनुमति आपने नहीं दी ।

श्री अध्यक्ष : बोलने की अनुमति ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलने की नहीं, मैं जिस लाइन को डिलीट कराना चाहता था, उस डिलीशन मोशन को मूव करने की आपने की अनुमति नहीं दी ।

श्री अध्यक्ष : उसको मूव किया हुआ माना गया । आपने उसको पढ़ दिया था तत्पश्चात् मैंने उस पर मतदान करवा दिया । उस पर विभाजन हो गया । अब मतदान के पश्चात यह टेक्निकल प्रश्न है । विपक्ष के नेता महोदय, आप स्वयं जानते हैं ।

प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य सचेतक जी ने कल जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर आज जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मुख्य सचेतकजी ने प्रस्तुत किया था, उसको संशोधन-सहित स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : कृपया समय जायेगा, इससे कोई लाभ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : इस पर डिवीजन होना चाहिये, रिकार्ड पर आना चाहिये, साहब।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से इतनी जल्दी माननीय सदस्यों का मत बदलता नहीं है, यह आपका और हमारा बहुत लम्बा अनुभव है। थोड़ी देर में तो बदल जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने देखा होगा कि कई माननीय सदस्य उस समय वोट देने के लिए इधर जाने वाले नहीं थे ।

श्री अध्यक्ष : शायद मेरे से गलती हो गई हो, मैं दुबारा पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार हनन के प्रश्न को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष। निश्चित तौर पर कह सकता हूं, बिलकुल साफ सुना मैंने। हां पक्ष जीता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ना पक्ष की ध्वनि ज्यादा तेज थी।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे मामलों में जहां डाइलेट्री टेक्टिक्स अडॉप्ट की जा रही हों तो आप यहां माननीय सदस्यों को खड़ा करके हाउस की कन्सेंट ले सकते हैं। यह प्रोसिजर कई दफा अडॉप्ट हुआ है और आज भी यह प्रोसिजर अडाप्ट होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कितने आदमी कोआपरेट करके चलते हैं।

श्री अध्यक्ष : कोआपरेट मैं करके चलूं जब तक आप चलते हैं। आपकी एक बात नहीं चले तो फिर वह कोआपरेशन ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम विरोधी दल में हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके विषय में डिवीजन मांग रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां जी।

(मत-विभाजन सूचक घन्टी)

ऑन ए पाइन्ट ऑफ प्रिविलेज।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय पर आ गये थे, मैं देख रहा था।

Page No 91

91

श्री भैरोंसिह शेखावत : आन ए पाइन्ट आफ प्रिविलेज। अध्यक्ष महोदय, सदन के प्रहरी ने उनको रोका। अगर टाइम पर आते तो वह रोकता नहीं।

(व्यवधान)

सवाल यह नहीं है। इस सदन में

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा कि सदन में······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : घन्टी बजते ही अन्दर प्रवेश कर गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : घन्टी का ध्यान, यह तो आपके निर्देश से होता है,

(व्यवधान)

आपके निर्देश से कि घन्टी बजना समाप्त होने के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह वोट का सवाल नहीं है। आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि वहां जो आदमी प्रहरी के रूप में खड़े हैं उन्होंने उनको अन्दर आने से रोका। आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि दोनों में से किसी एक की गलती है। या तो वहां पर जो खड़े हैं उन्होंने रोकने में गलती की या जो आ रहे है उन्होंने गलती की हैं··

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : नेता उधर बैठे हैं। सदन के नेता वोट देना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसको आप डिसाइड तो करें कि चपरासी ने उनको रोका है? माननीय सदस्य को सदन में आने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता।

(व्यवधान)

अब अध्यक्ष महोदय ये कह दें, नहीं रोका। आपने देखा है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : सदन के नेता भी अनुपस्थित हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सदन के नेता पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बेगम साहिबा आयी-हुई हैं उनको रिसीव करने गये हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह अच्छी बात है!

एक माननीय सदस्य : परन्तु उनके नाम से ही तो यह प्रिविलेज है।

निलम्बन

श्री देवीसिह भाटी का सत्रावसान तक सदन की सेवाओं से निलम्बन।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विचाराधीन विशेषाधिकार प्रस्ताव को संशोधन सहित स्वीकार किया जाय?

(श्री अध्यक्ष)

(ध्वनि-मतदान)

हां पक्ष जीता

श्री भैरोंसिंह शेखावत : No, No ना पक्ष जीता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन विशेषाधिकार प्रस्ताव को संशोधन सहित स्वीकार करने के जो पक्ष में हों वे हां पक्ष की लॉबी में और जो विपक्ष में हों वे ना पक्ष की लॉबी में पधार जायें।

(मत-विभाजन)

(मत-विभाजन पश्चात्)

मतदान का परिणाम।

माननीय मुख्य सचेतक के संशोधित विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर मतदान का परिणाम।

प्रस्ताव के पक्ष में 101 मत।

विपक्ष में 42 मत।

(स्वीकृत)

विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को संशोधन सहित स्वीकार किया गया और माननीय श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा, कोलायत क्षेत्र, को वर्तमान सत्र के अवसान तक के लिए सदन की सेवाओं से निलम्बित किया गया।

मत-विभाजन

हां पक्ष

क्र.सं.	सदस्य का नाम
1	2
1.	श्री अमरचन्द
2.	श्री अमराराम
3.	श्री असलम खां
4.	श्री आत्माराम
5.	श्री उदयराम धाकड़
6.	श्री कनकराज मेहता
7.	श्रीमती कमला भील
8.	श्रीमती कमला
9.	श्री कमला भाई मीणा
10.	श्री खेतसिंह
11.	श्री गोकुलचन्द शर्मा
12.	श्री गोविन्द आमलिया
13.	श्री गोविन्दसिंह गुर्जर
14.	श्री घासीराम यादव
15.	श्री चतुर्भुज
16.	श्री चन्दनमल बैद
17.	श्री चेतराम
18.	श्री सी. एल. कंवरिया
19.	श्री जगदीश प्रसाद तिवारी
20.	श्री जनार्दनसिंह गहलोत
21.	श्री जयकृष्ण शर्मा
22.	श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया
23.	श्री जीवराजसिंह राठौड़
24.	श्री तकीउद्दीन अहमद
25.	श्री तुलसीराम
26.	श्री तेजपाल यादव
27.	श्री थानसिंह मीणा
28.	श्री दिनेश डांगी
29.	श्री दीन मोहम्मद

Page No 93

(अध्यक्ष)

1	2
30.	श्री दीपचन्द
31.	श्री दुलाराम
32.	श्री देवदत्त तिवाड़ी
33.	श्री देवीलाल
34.	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
35.	श्री देवेन्द्रसिंह
36.	श्री द्वारका प्रसाद बैरवा
37.	श्री नरेन्द्रसिंह भाटी
38.	श्री नाथूराम (डूंगरपुर)
39.	श्री नानालाल
40.	श्री नारायणसिंह
41.	श्री परसराम मोरदिया
42.	श्री परसराम मदेरणा
43.	श्री पूंजीलाल मीणा
44.	श्री पृथ्वीसिंह
45.	श्री प्रद्युम्नसिंह
46.	श्री प्रभुलाल
47.	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
48.	श्री बुलाकीदास कल्ला
49.	श्री बृजसुन्दर शर्मा
50.	श्री भंवरलाल मेघवाल
51.	श्री भरतलाल
52.	श्री भालू खां
53.	श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)
54.	वैद्य भैरूंलाल भारद्वाज
55.	श्री भैरूंसिंह गुर्जर
56.	श्री मनफूलराम
57.	श्री महादेवसिंह
58.	श्री महेन्द्रसिंह
59.	श्री मांगीलाल आर्य
60.	श्री माकण मल मेहता
61.	श्री माधवसिंह दीवान
62.	श्री मानसिंह देवड़ा
63.	श्री मालूराम लेघा

1	2
64.	श्री मोहनलाल मोदी (नीम, का थाना)
65.	श्री सैय्यद मोहम्मद अयाज महाराज
66.	श्री रतनलाल ताम्बी
67.	श्री रामकिशन
68.	श्री रामनारायण डूडी
69.	श्री रामपाल उपाध्याय
70.	श्री रामप्रसाद
71.	श्री रामरघुनाथ चौधरी
72.	श्री रामलाल (उनियारा)
73.	श्री रामसहाय बोनड़
74.	श्री रूपलाल परमार
75.	श्री रेवतराम चौधरी
76.	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत
77.	श्री विष्णुप्रकाश बजारी
78.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
79.	श्री शिवदानसिंह राठौड़
80.	श्री शिवराम शर्मा
81.	श्री शीशराम ओला
82.	श्री शोदानसिंह
83.	श्री शोभाराम
84.	श्री श्रीराम रावत
85.	श्री श्रीराम गोटेवाला
86.	श्री सुखलाल सेणचा
87.	श्री सुजानसिंह यादव
88.	श्री सुनील कुमार विश्नोई
89.	श्री सुन्दरलाल
90.	श्री सुरेन्द्र व्यास
91.	श्रीमती सूरज देवी
92.	श्री सूरजपालसिंह
93.	श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर
94.	श्री हरसहाय मीणा

(श्री अध्यक्ष)

1	2
95.	श्री हरिदेव जोशी
96	श्री हरिसिंह (कुम्हेर)
97	श्री डॉ. हरिसिंह (फुलेरा)
98.	श्री हरिसिंह (महुआ)
99.	श्री हरेन्द्र मिर्धा
100.	श्री हीरालाल देवपुरा
101.	श्री हेमाराम चौधरी

ना पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अनंग कुमार
2.	श्रीमती उजला अरोड़ा
3.	श्री उम्मेदसिंह
4.	श्री कमलेन्द्रसिंह
5.	श्री कुन्जीलाल
6.	श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल
7.	श्री गुलाबचन्द कटारिया
8.	श्री गोपाल पचेरवाल
9.	श्री घनश्याम तिवाड़ी
10.	श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी
11.	श्री चाव खां
12.	श्री चुन्नीलाल
13.	श्री छीतरलाल आर्य
14.	श्री जीतमल जैन
15.	श्री दाऊदयाल जोशी
16.	श्री देवीसिंह भाटी
17.	श्री नन्दलाल मीणा
18.	श्री नाथूसिंह
19.	सुश्री पुष्पा जैन
20.	श्री फतेसिंह
21.	श्री बंसीलाल पटवा
22.	श्री बहादुरसिंह
23.	श्री बालचन्द्र आर्य
24.	श्री भगवानदास शास्त्री
25.	श्री भरोसी
26.	श्री भूपालसिंह
27.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
28.	श्री महाराम चौधरी
29.	श्री महावीर प्रसाद
30.	श्री मालाराम
31.	श्री मेघराज तावड़
32.	श्री यदुनाथसिंह
33.	श्री रघुवीरसिंह कौशल
34.	श्री राजबहादुर
35.	श्री रामकंवार बैरवा
36.	श्री रामकिशोर मीना
37.	श्रीमती विद्या पाठक
38.	श्री शोभराज मल
39.	श्री समर्थलाल
40.	श्री सम्पतराम
41.	श्री हंसराज शर्मा
42.	श्री हीरालाल आर्य

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के इतिहास में आज का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है । अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं बोलूंगा । सत्तापक्ष ने अपने × × × बहुमत के आधार पर..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य बैठ जायं । इसको मैं हिदायत दे रहा हूं ।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष ने अपने × × × बहुमत के आधार पर सदन की गरिमा पर जबर्दस्त आघात किया है। यह एक ऐतिहासिक आघात है, इसके प्रतिरोध स्वरूप हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कमलेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब सदन का बहुमत न्याय-अन्याय पर विचार करने को तैयार नहीं है, जब सत्ता पक्ष अपने × × × बहुमत से सजा देने की साजिश करके आया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ऐसे अन्यायपूर्ण व्यवहार को कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं, इसके विरोध स्वरूप हम इस सदन का त्याग करते हैं।

(बहिर्गमन)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जिस × × × बहुमत के आधार पर आज आपने काला कानून पास किया है..

(व्यवधान)

उसी × × × बहुमत के आधार पर एक कानून बना दीजिए कि राजस्थान की किसी लड़की को इस मुख्य मंत्री को पिता कहने का अधिकार नहीं है। अगर उसने पिता कह दिया तो उसे फांसी की सजा दी जायेगी, उसे भून दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : बहुमत के आधार पर आज सत्ताधारी पक्ष ने फैसला किया है, इससे न केवल इन्होंने सदन की गरिमा को गिराया है बल्कि प्रजातंत्र की हत्या की है। इन्होंने × × × और राजनीतिक द्वेषता के कारण ऐसा प्रस्ताव पास करके सदन के चुने हुए सदस्य को निलंबित किया...

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मंत्री जी द्वारा वक्तव्य।

श्री मेघराज तावड़ : .... ऐसी कठोरता और तानाशाही रवैये, तानाशाही नीतियों के ख़िलाफ़ में अपनी पार्टी के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जनतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत बहुमत ने इस तरह का निर्णय लिया है, उसे मैं × × × हूं। महिलाओं की रक्षा करें नहीं, ऐसी सरकार को धिक्कार है, महिलाओं पर अत्याचार होने के उपरांत इस तरह का पक्ष लेते हैं, उनको निकालें..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × × मैं बहिष्कार करती हूं।

(बहिर्गमन)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी फर्माया था कि Justice should not only be done it should also appear it have been done. यह जो फैसला हुआ है, आज इस सदन का हर सदस्य एक न्यायाधीश की हैसियत से सदन में बैठा हुआ था न कि एक राजनैतिक दल के सदस्य के रूप में। क्रूअल मैजोरिटी के तौर पर, क्रूअल मैजोरिटी को हथियार बनाकर गलत परम्पराओं की आज आप शुरूआत कर रहे हैं, यह प्रजातंत्र के लिये अच्छी शुरुआत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये प्रोटेस्ट के तौर पर मैं विरोध करता हुआ सदन का परित्याग करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता और आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने हमारे दल के लिये ××× शब्द का इस्तेमाल किया है। हम जो यहां बहुमत में हैं, राजस्थान की जनता को विल पर रिप्रजेन्टेशन करते हैं। इस हाउस के अन्दर इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करना अन-पार्लियामेन्ट्री है इसलिये इसको एक्सपन्ज किया जाना चाहिये, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार कर लूंगा।

मंत्री जी द्वारा वक्तव्य। सहकारिता मंत्री जी।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय से परमिशन ले रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कल जब इस विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर चर्चा हो रही थी, सदन में ...

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये।

उस समय, अध्यक्ष महोदय, सदन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, ऐसे अपमानजनक शब्द कहे गये थे कि ××× अध्यक्ष महोदय, इसके विरोध में मैंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह विचाराधीन है। माननीय सदस्य; वर्तमान में उसको उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। उस पर विचार करके निर्णय लिया जायगा। आर्डर, आर्डर, भाषण नहीं हो।

श्री यदुनाथसिंह : इसको तुरन्त लिया जाय, अध्यक्ष महोदय।

××× शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री नाथूसिंह : अभी सदन में तुरन्त विचार के लिये रखना चाहिये।

श्री यदुनाथसिंह : खाली टोकन के आधार पर लिया गया था। अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मुद्दा पेश हुआ है उस पर भी तुरन्त विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं। मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : कितने अपमानजनक शब्द कहे गये थे…

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मुझे प्रस्ताव अभी मिला है।

श्री यदुनाथसिंह : कल ही मिल गया था। मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष : मिल गया होगा कल ही, मैं इस पर विचार कर रहा हूं। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी प्रस्ताव दिया था उस पर आज ही विचार करना चाहिये…

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार आज नहीं करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस पर आज ही विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आज टाइम नहीं है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं…

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप जानते हैं कि आसन की अनुमति…

श्री नाथूसिंह : इसीलिये मैं निवेदन कर रहा हूं…

श्री अध्यक्ष : आसन की अनुमति नहीं है। आॅर्डर, आॅर्डर। विराज जायं। कृपया बैठ जायं। जब समय आयगा, जरूर चर्चा होगी। कोई ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : इस सदन के अन्दर कितने गन्दे शब्द कहे गये…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री हनुमान प्रभाकर।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। इस तरह के गन्दे शब्दों का प्रयोग किया है मैं समझती हूं कि…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, नियमों का हनन कर रही हैं। बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ××× इस प्रकार के शब्द····

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। आर्डर, आर्डर, आर्डर। प्लीज। बैठ जायं।

श्री हनुमान प्रभाकर।

शासकीय वक्तव्य

अरबन को-आपरेटिव बैंक, सीकर के संचालक मण्डल के अधिकांश सदस्यों द्वारा बैंक के धन का दुरुपयोग व घोटाले

श्री हनुमान प्रभाकर (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सीकर इण्डस्ट्रियल अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., सीकर के चुनाव दिनांक 31-7-1979 को हुये थे, जिसमें निम्न सदस्य चुने गये :–

1. श्री अब्दुल करीम गौड़, अध्यक्ष
2. श्री निसार अहमद
3. श्री मोहम्मद हनीफ
4. श्री अब्दुल गनी
5. श्री अजीज अहमद
6. श्री मदनलाल अजमेरा

यद्यपि उपनियमों के अनुसार संचालक मण्डल की अवधि 31-5-1982 को समाप्त हो गई थी और चुनाव प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी गई थी परन्तु चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता जानकारी में आने के कारण दिनांक 9-8-1982 को राज्य सरकार द्वारा पूर्ण जानकारी चाहने हेतु चुनाव स्थगित कर दिये गये थे।

वर्तमान संचालक मण्डल के विरुद्ध अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं और विभिन्न स्तरों पर जांच भी की गई है। आखिरी जांच तत्कालीन सहकारिता मंत्री महोदय के निर्देशानुसार अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग द्वारा की गई जिन्होंने जांच रिपोर्ट दिनांक 23-11-1982 को प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त रजिस्ट्रार, जयपुर एवं सहायक रजिस्ट्रार, सीकर को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत संचालक मण्डल के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु दिनांक 6-12-1982 को निर्देश दे दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

1. संचालक मण्डल द्वारा बैंक के सदस्य बनाने में मनमानी की गई है। जिसे चाहा सदस्य बनाया। दिनांक 27-5-1982 को संचालक मण्डल ने एक साथ लगभग 200 सदस्य बनाये हैं जब कि 31-5-1982 को संचालक मण्डल की अवधि समाप्त हो रही थी। उस समय बैंक में लगभग 800-900 सदस्य बनने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे जिन पर अपूर्ण

(3.05 म.प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

होने का आक्षेप लगाते हुये उनको सदस्य बनाने की कार्यवाही नहीं की गई। फार्म की जांच ऋण पर्यवेक्षक द्वारा की जाती है और विशेष परिस्थितियों में शाखा व्यवस्थापक या लेखाकार भी कर सकते हैं। इस तिथि को स्वीकृत लगभग सभी फार्म की जांच शाखा व्यवस्थापक द्वारा की गई है

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अप्रलोपित की गई।

(श्री हनुमान प्रभाकर)

और दिनांक 27-5-1982 को व्यवस्थापक द्वारा सिफारिश की जाकर उसी दिन मीटिंग में सदस्यता स्वीकृत कर दी गई। यदि सारे आवेदन-पत्रों की सही रूप से जांच की गई होती तो शायद नियमानुसार और भी सदस्य बन सकते थे।

2. जिन शिकायतों की अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा जांच की गई उनमें लाखों रुपये के घोटेले होने का कोई हवाला नहीं था। अतएव इस सम्बन्ध में उपरोक्त जांच रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है। संस्था का आडिट कराया ज रहा है और यदि आडिट में कोई गबन, घोटाला या कोई अनियमितता का मामला सामने आया तो तुरन्त ही कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक बैंक के प्रबन्धक को स्थानान्तरित एवं सस्पेंड करने का सम्बन्ध है, उनको निलम्बित करने के कोई आदेश जारी नहीं किये गये। उनका स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से अवश्य किया गया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय मंत्री महोदय ने कुछ तथ्यों को स्वीकार किया।

एक माननीय सदस्य : आपकी इच्छा के अनुसार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मेरी इच्छा के अनुसार तो मंत्री महोदय नहीं करने वाले हैं, जो जांच रिपोर्ट है जो ऑडिट रिपोर्ट है उनके जो तथ्य हैं उनको उन्होंने स्वीकार किया। बहुत से तथ्यों को मंत्री महोदय चबा गये इसलिये मैं आपके माध्यम से उन तथ्यों को मंत्री महोदय और आपके ध्यान में ला रहा हूं। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पहली बात तो यह कही कि प्रबन्धकों को निलम्बित करने का आदेश नहीं दिया गया। सभापति महोदय, एक तार जो माननीय रजिस्ट्रार महोदय ने श्री कुरेशी, जो मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं, के बारे में दिया वह यहां पढ़कर सुनाता हूं।

"राजकीय साधारण तार इकरामुद्दीन कुरेशी, व्यवस्थापक, इन्डस्ट्रियल अरबन को-ऑपरेटिव बैंक, सीकर। तत्काल बैंक से कार्यमुक्त होकर प्रधान कार्यालय में उपस्थित हों, आदेशों की अवहेलना पर स्वयं को निलम्बित समझें।"

तत्काल यह तार उनको प्राप्त हो गया, तार प्राप्त होने के 20 दिन पश्चात् उनके आदेश निरस्त हुये। 20 दिन तक वह उसी बैंक में काम करते रहे। 18-12-1982 का यह तार था, जिसमें लिखा था "आदेशों की अवहेलना पर वह तत्काल स्वयं को निलम्बित समझें"। लेकिन उन्होंनें अपने आपको निलम्बित नहीं समझा, न उनको निलम्बित किया गया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, उस बैंक में जो संचालक मण्डल है उसके अधिकांश सदस्य मेरे मित्र हैं, इसलिये व्यक्तिगत रूप से और विपक्ष में होने नाते जो मेरी ड्यूटी है उसका पालन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से, सभापति महोदय, निवेदन कर रहा हूं मैंने खुद 4 चार्ज लगाये। पहला चार्ज यह था कि 31-5-1982 को अवधि समाप्त हो गई। जहां-जहां अवधि समाप्त हुई है वहां पर आपने संचालक मण्डल भंग कर के प्रशासक नियुक्त किया है। तो पहली मेरी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मांग है कि बैंक के संचालक मण्डल को भंग करके वहां पर प्रशासक नियुक्त किया जाय। नियुक्त क्यों किया जाय ? अगर संचालक मंडल के सदस्यों पर आक्षेप नहीं होते तो मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं होता कि उनको निलम्बित किया जाय। लेकिन सभापित महोदय, मैं संक्षेप में आपसे निवेदन करूंगा।

संचालक मण्डल के बारे में जिस प्रकार के आक्षप लगाये गये हैं वह मैं आपको बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, 6 लोग संचालक मण्डल के सदस्य हैं। अतिरिक्त रजिस्ट्रार, भार्गव साहब ने जांच की उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि श्री गौड़ को दिनांक 10-11-76 को बैंक का सदस्य बनाया गया। तत्कालीन प्रचलित उपनियमानुसार कोई भी व्यक्ति फर्म, संस्था, जिसने किसी प्रकार का लघु, कुटीर अथवा ग्रामोद्योग चला रखा है अथवा इकाई स्थापित कर रखी है एवं सामान्य जनोपयोगी कार्य करता हो, को ही सदस्य बनाया जा सकता है। श्री गौड़ को एक लघु उद्योगकर्ता बताकर सदस्य बनाया गया जबकि इनकी मैसर्स गौड़ बम्बई क्लाथ स्टोर नाम की दुकान है जो उक्त परिभाषा में नहीं आती।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप भाषण मत दीजिये, कोई प्रश्न पूछने हों वक्तव्य के बारे में तो वह पूछ लीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सभापति महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, संचालक मण्डल के छः सदस्य हैं।

श्री सभापति : आपको जो प्रश्न पूछना हो········

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, प्रश्न ही कर रहा हूं। संचालक मण्डल के 6 सदस्य हैं। श्री गौड़, श्री निसार अहमद, श्री मोहम्मद हनीफ, श्री अब्दुल गनी, श्री अजीज अहमद एवं श्री मदनलाल अजमेरा इन छहों के बारे में यह कहा गया है कि इनमें से चार आदमी संचालक मण्डल के सदस्य रहने लायक नहीं हैं। इन्होंने स्वयं अवधि पार ऋण लिये हैं जो लिमिट है ऋण लेने की उससे दुगुना ऋण लिया है। इन्होंने अपने भाइयों और भतीजों को गैर कानूनी ढंग से बैंक का ऋण दिया है और वह ऋण देकर बैंक को आर्थिक हानि पहुंचाई है, यह बात श्री पी. एन. भार्गव, अतिरिक्त रजिस्ट्रार की जांच से प्रमाणित हुई। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट 24-4-81 को दी गई, उस ऑडिट रिपोर्ट में भी इन सभी लोगों के खिलाफ बैंक के धन का दुरुपयोग करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। रजिस्ट्रार महोदय ने जो कुछ जांच की उस जांच में उन्होंने कहा है कि इनको संचालक मण्डल के सदस्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोआपरेटिव एक्ट के सैक्शन 34 के अन्तर्गत इनके बारे में उन्होंने कहा है कि जानकारी नहीं है। सैक्शन 34 (4) में ये दोषी पाये गये और धारा 36 में इनके विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश उन्होंने की। इसके अलावा यह भी सिफारिश की कि संचालक मण्डल को डिजोल्व कर दिया जाय।

सभापति महोदय, इसके अलावा इस बैंक के अन्दर एक बहुत बड़ा काण्ड हुआ। सीकर में भी पानी और बिजली के बिल आते हैं। पानी के बिल उस बैंक में जमा कराये जाते हैं। बहुत से लोगों ने पानी के बिल बैंक में जमा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करा दिये उनको रसीदें दी गई । आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उन बिलों को बैंक ने वाटर वर्क्स में जमा नहीं कराया । जब वाटर वर्क्स में जमा नहीं कराया तो अधिशासी अभियन्ता, वाटर वर्क्स ने एक पत्र रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को लिखा । वह रिजर्व बैंक का पत्र और अधिशासी अभियन्ता का पत्र में आपको पढ़ कर सुनाता हूं ।

महोदय !

पानी का बिल जमा न कराने बाबत ।

भारतीय रिजर्व बैंक ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रजिस्ट्रार और बैंक को लिखा कि कृपया अधिशासी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभि. विभाग, सीकर के अर्द्ध शासकीय-पत्र क्रमांक 284-86, दिनांक 1 जून, 1982 व साधारण पत्र क्रमांक·····

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): यह पानी के बिलों का रुपया किसने जमा नहीं कराया, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं । सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य के मामा होते हैं जिन्होंने यह पैसा जमा नहीं कराया और गबन कर लिया । उनको बैंक से हटा दिया गया इसलिए माननीय सदस्य को इस बैंक के संचालक मण्डल से सारी की सारी शिकायतें हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मोदीजी बहुत ही बुजुर्ग आदमी हैं । मैं इस सदन में···

श्री सभापति : अभी बुजुर्ग कहां हुए ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहुत बुजुर्ग हैं । मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं । मैं दावे से कहता हूं मेरे किसी भी मामाजी की उम्र 50 साल से कम नहीं है । नम्बर एक । मेरे कोई भी मामाजी किसी बैंक, सरकारी दफ्तर या सरकारी कार्यालय में काम नहीं करते । नम्बर दो, मैं इनको दावे से कहता हूं कि यदि यह बात प्रमाणित कर दें, मेरे मामाजी ही नहीं, मेरे चाचाजी, मेरे ताऊ, मेरे परिवार का कोई भी मैम्बर बैंक के अन्दर, अगर मेरे नाना तक से कोई हो···

श्री मोहनलाल मोदी : यह मुरारीलाल शर्मा कौन हैं, यह बता दीजिये ? आपकी क्या रिश्तेदारी है । आपके रिश्तेदार हैं या नहीं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता दूं यह मुरारीलाल कौन हैं जब यह बात आ ही गई है । मुरारीलाल शर्मा, सभापति महोदय, जो गोवर्धनजी वैद्य सीकर में है उनका लड़का है । वह हैं दाधीच ब्राह्मण और मैं गौड़ ब्राह्मण, मेरा उनका कोई संबंध नहीं हो सकता। इस प्रकार के गलत तथ्य पेश करके माननीय सदस्य अपना मुंह छिपाना चाहते हैं। सभापति महोदय, यह कैसे कह रहे हैं, यह भी मैं बता दूं यह कैसे इनके दिमाग में बात उपजी है। मैं अभी माननीय सदस्य के पास बैठा था। मैंने बैठे बैठे कह दिया, मेरे मामाजी के लड़के को आपने हटा दिया, काम अच्छा नहीं किया और वह बात मैंने कही मजाक में । उस बात पर ये बोले हाउस में, इनको शर्म नहीं आती । कैसे इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया ? मुझे दुःख है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इस बात का। मैं कहता हूं, सभापति महोदय, लिखित में त्याग-पत्र आपको पेश कर रहा हूं। मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करता। एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है और न सरकारी नौकरी करना चाहता है। तो, सभापति महोदय, यह बात समाप्त हो गई।

(व्यवधान)

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी ...

श्री **सभापति** : आप कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : जल्दी कर रहा हूं, साहब।

अगर मुरारीलाल शर्मा ने गबन किया है तो उसका चालान कर दीजिये, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जन स्वास्थ्य 'अभियान्त्रिकी विभाग ने दो पत्र रिजर्व बैंक को लिखे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा सीकर के नागरिकों के लाखों रुपये एक लाख से ऊपर जो नागरिकों ने वाटर वर्क्स के पानी के बिल्स के जमा कराये थे, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में नहीं पहुंचे। और बैंक के संचालक मंडल के सदस्य और कुरेशी मिलकर खा गये। उन्होंने खुली लूट की है सरकारी धन की। इस प्रकार का पत्र मैंने नहीं लिखा, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने दो पत्र लिखे हैं। रिजर्व बैंक ने रजिस्ट्रार को लिखा। रजिस्ट्रार ने पत्र लिखा, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यही नहीं, बैंक में साम्प्रदायिक भावना से कार्य किया गया। साम्प्रदायिक भावना की बात मैं नहीं करता यह तो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा है। सभापति महोदय, 900 व्यक्ति थे जिनको मेम्बर बनाया जाना था, यह इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है। यदि किसी का संयुक्त परिवार है तो सूचना देना आवश्यक होता है। केवल मात्र इस कमी के कारण मेम्बर बनाने के काम को पेण्डिग रखा गया जिसमें अधिकतर आवेदन-पत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, गरीब वर्ग, अन्य वर्ग और गैर मुसलमानों के थे। जो सदस्य बनाये गये उनमें 169 व्यक्ति एक ही वर्ग के हैं। सभापति महोदय, रजिस्ट्रार ने साफ-साफ लिखा है 900 व्यक्ति मेम्बर बनने लायक थे लेकिन राजनैतिक कारण से, मुसलमान नहीं होने के कारण से, हरिजन होने के कारण से अनुसूचित जाति, माली होने के कारण से जो उनके वेलिड फार्म थे, उन फार्म्स को त्रुटिपूर्ण कह कर रख दिया। इस प्रकार का धोखा किया।

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : मैं आपको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

आप कृपया इसको लम्बा नहीं करें।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : लम्बा नहीं कर रहा हूं आरोप सही है। दिनांक 24-4-81 को जो आडिट रिपोर्ट बैंक की प्रकाशित हुई, उसमें साफ-साफ लिखा है, 76914.07 रुपये की राशि जानबूझकर या गलती से छोड़ी जाकर बैंक के धन का गबन या दुरुपयोग बैंक के व्यवस्थापक ने किया। बैंक के कारोबार को समझने का प्रयास नहीं किया। वर्ष 1981 के ऑडिट के समय सम्पूर्ण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बकाया का मिलान किया जाय। आज बैंक का 76914 रुपया बाकी है। पता नहीं बैंक अकाउन्ट में है या किसको लोन दे दिया। वह लोन मांडा नहीं गया। उन्होंने सारा लिखा है, सम्पूर्ण कार्यों के लिये व्यवस्थापक दोषी है उसने जानबूझकर सारी कार्यवाही की है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं इन सब बातों के बाद उस व्यवस्थापक को आप क्यों रखना चाहते हैं? यही नहीं, उस व्यवस्थापक के खिलाफ इस बैंक के जो अध्यक्ष हैं, अब्दुल करीम गौड़, उन्होंने पत्र लिखा, आप चाहें तो मैं वह पत्र पढ़ दूं, आप चाहें तो सदन की मेज पर रख दूं। उन्होंने लिखा है कि इनसे कोई भी काम बैंक का नहीं हो सकता। इनको हटा दिया जाय। उस व्यस्थापक ने स्वयं पत्र लिखा है कि मैं हाई ब्लड प्रेशर का पेशेन्ट हूं। मुझे इस बैंक से हटा दिया जाय। लेकिन, सभापति महोदय, संचालक मण्डल उनको हटाना नहीं चाहता। राजनैतिक कारणों से उनको हटाने के लिये बाधा डाल रहा है। अगर वे हट गये तो संचालक मण्डल के सदस्य, जिन्होंने बैंक के धन का दुरुपयोग किया, कटघरे में खड़े हो जायेंगे। इस रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा है कि क्रिमिनल वेस्टेज किया है, इन्होंने धन का दुरुपयोग किया है। सारा का सारा मामला, सभापति महोदय, इस प्रकार का है. सभापति महोदय, अब क्या जांच करायेंगे? इसकी जांच कितनी बार हुई और कितनी बार ये दोषी पाये गये, यह आपको बता दूं। पी.एन. भार्गव, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने 6 माह पूर्व जांच की थी। उन्होंने दोषी संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की। नम्बर 1। जगदीश जैन, निरीक्षक, कार्यकारी सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने 1979 में जांच की और दफा 36 के अन्तर्गत नोटिस दिया। चार पेशियां डाली गई; उसके बाद कार्यवाही रोक दी गई। दिलीपसिंह मेहरा, तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर ने रजिस्ट्रार महोदय के आदेश से जांच की, उस जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की गई जबकि रिपोर्ट दिए दो वर्ष से भी ऊपर हो गये। सभापति महोदय, फूलचंद डूडी, तत्कालीन रीजनल ऑडिटर, सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा जांच की गई। उसमें भी ये दोषी पाये गये। उस पर कार्यवाही नहीं की गई। कैलाशचन्द शर्मा, निरीक्षक, कार्यकारी सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर द्वारा दो माह पूर्व जांच की गई, गबन-घोटालों में सारा का सारा संचालक मण्डल लिप्त पाया गया किन्तु उस पर भी कार्यवाही नहीं की गई।

सभापति महोदय, मैं संक्षेप में चार प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। नम्बर-1, रजिस्ट्रार, भार्गव साहब ने जो यह लिखा है 900 फार्म त्रुटिपूर्ण नहीं थे, उनको जानबूझकर एक वर्ग विशेष के नहीं होने के कारण त्रुटिपूर्ण बताया गया, आप उनको शामिल कराने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे?

नम्बर-2, संचालक मण्डल के सदस्यों पर निर्धारित मात्रा से ज्यादा पैसा लेने और अपने संबंधियों को अनुचित लाभ देने, बैंक की मीटिंग सही टाइम पर नहीं रखने के जो आरोप लगाये गये हैं, संचालक मण्डल को भंग करने की बात जांच रिपोर्ट में कही गई है, उसके बारे में कार्यवाही करेंगे?

नम्बर-3, मैं पूछना चाहता हूं कि जो ऑडिट रिपोर्ट 1981 में प्रकाशित

(श्री घनश्याम तिवाड़ी) :
हुई है उस ऑडिट रिपोर्ट में जो कार्यवाही की सिफारिश की गई है उसके अनुसार कुरेशी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

नम्बर-4, मैं मांग करता हूं कि संचालक मण्डल को भंग किया जाये, कुरेशी को निलम्बित किया जाये और बैंक के दुबारा चुनाव कराये जायें। 900 व्यक्तियों को सदस्यता में शामिल किया जाये। जो बैंक के धन का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के पैसे खाये हैं, जो सीकर की जनता के लाखों रुपये लूटकर ले गये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? इन बातों का आप जवाब देने की कृपा करें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप सभी का जवाब एक साथ दे दीजिये।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री हनुमान प्रभाकर : माननीय सभापति महोदय, तीन चार बिन्दु माननीय सदस्य ने उठाये हैं। यह बात सही है कि संचालक मंडल के चुनाव का प्रोग्राम आरम्भ हो चुका था। तत्कालीन सहकारिता मंत्री महोदय के पास शिकायतें प्रस्तुत हुई कि 800, 900 व्यक्तियों के फार्म्स स्वीकार नहीं किये गये हैं। इसीलिये चुनाव स्थगित किये गये। चुनाव स्थगित करने के बाद अतिरिक्त रजिस्ट्रार को सारी कार्यवाही की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया। जो नाम माननीय सदस्य ने बताये हैं कि पहले निरीक्षक ने जांच की, उसने की, उसने की, मेरे ख्याल से अतिरिक्त रजिस्ट्रार जैसा व्यक्ति पहले उस बैंक की जांच के लिये नहीं गया था। यह पहला अवसर है कि जब इस बात की गहराई को समझकर, गम्भीरता को समझकर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार को जांच हेतु भेजा गया। अतिरिक्त रजिस्ट्रार की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है। सभापति महोदय, आप कल्पना कीजिये, हमें 23-11-82 को यह रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके बाद हमने तत्काल 6-11-82 को विदिन फिफ्टीन डेज, जोइन्ट रजिस्ट्रार, जयपुर को जो रिपोर्ट अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने दी है उसमें वहां जो तथ्य पेश किये हैं, उन तथ्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी करने के लिये नियुक्त कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रजिस्ट्रार के बाद।

श्री सभापति : पहले सुन लीजिये।

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं आपके बीच में नहीं बोला था शायद। हमें भी ऐसा लगा कि कुछ मैम्बर्स नहीं बन पाये हैं उनको बनाया जाना चाहिये। एक बात जो इन्होंने कही एक वर्ग विशेष की, इस पर मुझे एतराज है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भार्गव साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा।

श्री हनुमान प्रभाकर : कोई भार्गव साहब की बात नहीं है, मैं आपकी बात बता रहा हूं। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी धर्म का

(श्री हनुमान प्रभाकर)

हो, किसी सम्प्रदाय का हो, को सहकारिता क्षेत्र में सदस्य बनने का अधिकार है। कोई यदि यह कहे, एक सोसाईटी मेरे यहां है जिसमें 90 प्रतिशत आदिवासी हैं और उन आदिवासियों ने सारा कब्जा कर रखा है, दूसरे वर्गों का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, क्षमा करें, मैं इसे उपयुक्त समझ कर नहीं चलता। मैं इतना मानकर चलता हूं कि सभी जाति के लोगों, सभी धर्मों के लोगों को सहकारी क्षेत्र में सदस्य बनने का अधिकार है। हमारे नियमों में जो योग्यतायें दी गई हैं उन योग्यताओं के मापदण्ड पर वह अगर खरा उतरता है तो उसे सदस्य बनाया जायेगा, इतना मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं।

जहां तक संचालक मण्डल को भंग करने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्यों को यही विश्वास दिलाता हूं कि मेरा ऐसा ख्याल है, जो सदस्यता के संबंध में विवाद है उस सारे विवाद का हम 15 दिन के भीतर निपटारा कर देंगे। इसमें हम कोई विलम्ब नहीं करेंगे, यह बात मैं आपको कह सकता हूं। आप मुझे यह कहें कि आप संचालक मण्डल को भंग कर दें या न कर दें, संचालक मण्डल की शिकायत प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, इन सब के संबंध में जब तक विस्तृत जानकारी मुझे नहीं मिलेगी तब तक निर्णय लेने में मेरी असमर्थता रहेगी। एक बात बड़ी जोरदार आपने कह दी कि मैंने निलम्बन नहीं किया। यह गलत बात मैंने सदन के अन्दर कह दी। माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल में हम कोशिश यही करते हैं कि गलत बात हम सदन में नहीं कहें। आज उन्होंने स्वयं जो टेलीग्राम पढ़ा है उसमें यह उल्लेख है कि अगर आप यहां पर नहीं आयेंगे तो स्वयं को निलम्बित समझें। निलम्बित किया नहीं गया। टेलीग्राम 18 को दिया गया उसकी अनुपालना में उन्होंने 21-12-82 को अपनी उपस्थिति दे दी। 18 को टेलीग्राम मिला, 21-12 को तो उन्होंने उपस्थिति दे दी। तो उन्होंने जब 21-12 को उपस्थिति दे दी तो उसमें निलम्बन की बात कहां थी, वह स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिये यह आरोप माननीय सदस्य मुझ पर लगाये कि सदन में मैंने गलत सूचना दी, क्षमा करें, मैं इसको युक्तिसंगत मान करके नहीं चलता हूं। सभापति महोदय, जहां तक कुछ सदस्यों पर अवधिपार ऋण का सवाल है, कुछ लोगों के संबंध में शिकायतें हैं। मैं उससे मना नहीं करना चाहता। शिकायतें हैं। मैं माननीय सदस्य को आपके द्वारा इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि जो शिकायतें हैं उन पर निश्चित रूप से जो कार्यवाही की जा सकती है वह करेंगे। मैं माननीय सदस्य से आपके द्वारा इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि उनके पास भी कोई और साहित्य हो, जिससे जानकारी पा सकें, तो मुझे दे दें, मैं उसका पूरा उपयोग करूंगा।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से इतनी ही जानकारी चाहता हूं, क्या संचालक मंडल के गठन के बाद बैंक की मेम्बरशिप बढ़ी है ? दूसरी बात, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गठन के बाद

(श्री नारायणसिंह)
बैंक की जो हिस्सा राशि है वह और डिपाजिट्स बढ़े है ? तीसरी बात, मुरारीलाल शर्मा नाम के व्यक्ति, जिनका नाम बहुत बड़े दावे के साथ कहा है, पानी के बिलों के पैसे खा गये, जो पहले मैम्बर थे उनके टाइम में घोटाला हुआ उनके खिलाफ क्या आप जांच करायेंगे ? उनको सर्विस से डिसमिस किया है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : माननीय सभापति महोदय, एक तो माननीय सदस्य जो सीकर से आये हैं, ने पानी के बिलों का प्रश्न उठाया था, उसका जवाब देना रह गया। जहां तक उनका मूल स्थगन प्रस्ताव है। उसमें पानी के बिलों का कोई उल्लेख नहीं है इसलिये इस संबंध में मैंने कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। उसका जवाब देने की स्थिति में मैं नहीं हूं। दूसरा, जो आपने सदस्यों की संख्या के बारे में पूछा, मूल स्थगन प्रस्ताव से संबंध नहीं रखता। एक बात जो माननीय सदस्य ने कही है उसके लिये मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक बिन्दु है। मुरारीलाल शर्मा का जिक्र दोनों तरफ से किया गया, जैसा इन्होंने कहा, सभापति महोदय, एक कर्मचारी वहां पर था उसको वहां से हटाया गया। हटाने के बाद श्रम न्यायालय ने फैसला किया वह फैसला मुरारीलाल शर्मा के पक्ष में हो गया। इसके बाद बैंक वाले हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में गये वहां पर भी फैसला कर्मचारी के हक में हो गया....

श्री नारायणसिंह : एक मिनट। हाई कोर्ट में कोई फैसला नहीं हुआ। वह मामला अदम पैरवी में खारिज हो गया।

श्री हनुमान प्रभाकर : आप मुझे बोलने दें। इसके बाद बैंक ने डिवीजन बैंच में अपील की। इस प्रश्न मुरारीलाल का कन्डक्ट क्या था, पर जब कि डिवीजन बैंच में यह प्रश्न विचाराधीन है, मैं अपनी राय नहीं देना चाहता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक निवेदन है.....

श्री सभापति : आपने बहुत पूछ लिया। आपको जो भी कागज देने हों, जो भी सवाल पूछने हों, मंत्री महोदय को पहुंचा दें। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको बहुत मौका दे दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न। प्लीज।

मैं मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहूंगा, आप चुनाव करायेंगे ठीक है, जब रजिस्ट्रार महोदय की जांच रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि श्री कुरेशी इन सब अनियमितताओं के लिये दोषी हैं, सारे लोग उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं तो क्या आप यह उचित मानते हैं कि उनके रहते हुए वहां वे लोग एनलिस्ट हो जायेंगे ? और ठीक प्रकार से चुनाव हो जायेंगे ?

श्री नारायणसिंह : आप यह उल्टा कह रहे हैं। बैंक की स्थिति कोई बिगड़ गई हो, बैंक के संचालक मंडल को जब कोई एतराज नहीं है..

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या चुनाव हो जायेंगे ? उनके रहते हुए सारी समस्यायें दूर हो जायेंगी ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, संचालक मण्डल के सदस्यों को हटाकर, प्रशासक नियुक्त करके आप चुनाव करायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री नारायणसिंह : आप अपने आदमियों को मैम्बर बनाना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं इस तरह स्थगन प्रस्ताव के जरिये कोई विषय यहां आ जाय उस पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित करें या उनको किसी प्रकार दण्डित करें यह परम्परा गलत होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं आपने बैंक का कार्य देखा है, रिजर्व बैंक ने भी देखा है । पहले से मुनाफा अधिक हुआ है और कार्य सन्तोषजनक पाया है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें ।

चर्चा समाप्त हुई ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, सारा पैसा लूटकर खा गये ।

(व्यवधान)

मैं कहता हूं मंत्री महोदय मानते हैं, पूरा संचालक मण्डल मानता है, मैनेजिंग डाइरेक्टर मानता है....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने आपको मौका दे दिया....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, किस तरह गैंग बना कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, यह बुरी बात होगी।

श्री मोहनलाल मोदी : भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो आपने दिया है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित न हो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री सभापति : इस पर अब बहस नहीं होगी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आरोप लगा रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है ।

श्री मोहनलाल मोदी : इसकी दुबारा जांच करवा ली जाय ।

×××माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 37–कृषि व मांग संख्या 39–पशुपालन एवं चिकित्सा

श्री सभापति : आय-व्ययक 1983-84। अनुदानों की मांग पर विचार एवं मतदान निम्नांकित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा। मांग संख्या 37, प्रस्तुतकर्ता श्री देवेन्द्रसिंह ।

श्री देवेन्द्रसिंह (राज्य मंत्री, कृषि) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं मांग संख्या 37–कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 38, 75, 71,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री सभापति : मांग संख्या 39–पशुपालन एवं चिकित्सा प्रस्तुतकर्ता मंत्री, श्री श्रीराम गोटेवाला ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39-पशु पालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14, 61,13,000/- रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37–मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

1. कृषि विभाग द्वारा कृषकों को आंग्ल भाषा में पेम्पलेट्स जारी करने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

2. कृषकों को समय पर खाद बीज व इसके संबंध में उचित जानकारी नहीं दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर),
श्री मालाराम (खेतड़ी) :

3. कृषि विकास कार्यों को व्यवस्थित करने एवं कृषि को उद्योग घोषित करने हेतु चर्चा के लिये ।

4. सीकर में कृषि महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत),

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर),

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) :

5. कृषकों को राजस्थानी भाषा में आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) :

6. फसल बीमा योजना लागू करने में कृषि विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

7. राज्य सरकार फसल बीमा योजना लागू कराने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये ।

श्री वंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

8. भीलवाड़ा जिले में समय पर बीज, खाद न देने से किसानों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

9. फसल बीमा योजना लागू कराने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव) :

10. बाड़मेर जिले की तहसील शिव के ग्राम कानासर, आरंग, रतकूडिया, ओलेचा, शेखेका गांव में खेती के लिये खाद, बीज उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

11. जिला बीकानेर तहसील कोलायत की कृषि उपज मण्डी की सड़क राजस्थान मुख्य नहर आर. डी. 910 से पंवारवाला मानकासर सड़क को मलूरी, ज्वारकी का माड़ा, गोकुल ग्राम तक जोड़ने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

12. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के काश्तकारों को उन्नत बीज दिलाने की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़),
श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) :

13. उप-निदेशक, कृषि विस्तार, जयपुर के पौध संरक्षण यंत्रों का स्टाक रजिस्टर मैन्टेन (Maintain) नहीं किया गया, इस पर चर्चा के लिये ।

14. उप-निदेशक, कृषि विस्तार, जयपुर के यहां हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

15. कृषि विभाग में उप-निदेशक पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति देने में रोस्टर प्रणाली नहीं अपनायी गयी, इस पर चर्चा के लिये ।

16. दिनांक 12-2-82 को कृषि विभाग के उपनिदेशक पदों पर पदोन्नति में नियमों की अवहेलना पर चर्चा के लिये।

17. वर्ष 1980 में कृषि यंत्रों से संबंधित बहुचर्चित लोहा काण्ड की विभाग द्वारा जांच न कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

18. राजस्थान, उत्तर प्रदेश सीमा पर विहार ले जाते कृषि विभाग के अप्रमाणित बीज के 7 ट्रक पकड़े गये, जिस पर कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़),
श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) :

19. एफ रिसर्च स्कीम व पापुलराइजेशन स्कीम, जयपुर समाप्त होने पर चार्ज लेने वाले अधिकारी के अधिहस्ताक्षर (Counter-signature) नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

20. शस्य विज्ञानी ग्राह्य अनुसंधान केन्द्र, कृषि विभाग, चित्तौड़ में हुए भ्रष्टाचार की जांच उच्च अधिकारी से कराने पर चर्चा के लिये ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल),
श्री गोकल चंद शर्मा (सुमेरपुर),
श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची),
श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा),
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा),
श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण),
श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

21. बीज निगम द्वारा खराब बीज उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

22. किसानों को भूमि विकास के लिये कर्जा दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर):

23. किसानों को कृषि मण्डियों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से, होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),
श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

24. इंजीनियरों (कृषि) का उपयोग राज्य सरकार नहीं कर पा रही है जिससे उनमें बेकारी बढ़ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

25. कृषि विभाग अच्छे बीज की व्यवस्था करने में असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

26. कृषि उपज मण्डी टैक्स एक ही स्थान पर लिया जाय, जिससे व्यापारी व सरकार दोनों को ही सुविधा रहे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

27. कृषि उपज मण्डी, उदयपुर का विकास न होने पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

28. राजस्थान में कृषि योजनाओं की बिगड़ती हालत पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम):

29. कृषि अनुसंधान में पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल):

30. माण्डल वि. स. नि. क्षेत्र में गत फसल के समय सरकार द्वारा दिये गये ग्वार के बीज का उत्पादन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

31. राज्य सरकार राज्य में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर को जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर नहीं ला पाई है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

32. किसानों को समय पर खाद, बीज व किटाणुनाशक दवायें न मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा),
श्री चतुर्भुज चौधरी (टोडारायसिंह):

33. खाद, बीज व दवाइयां समय पर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

34. कोटा जिले में संकर ज्वार का बीज नकली दिए जाने से हजारों बीघा क्षेत्र में ज्वार पैदा न होने से किसानों को हुए नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना) :

35. प्रदेश में फसल बीमा योजना चालू की जाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री भैरूंलाल)

36. शोधित बीज के समय पर न मिलने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर, चर्चा के लिये ।

श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) :

37. फसल बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री **रामघन** (लाडनूं) :

38. लाडनूं में मंडी यार्ड बनवाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री **रामकंवार बैरवा** (फागी) :

39. कृषकों को भूमि विकास के लिये कर्ज देने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री **जगदीशप्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) :

40. जयपुर जिले के बस्सी एवं चाकसू में बाढ़ से प्रभावित चरागाह भूमि का उपयोग वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास हेतु किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

41. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति में कृषि भूमि को खारडा होने से रोकने के लिये कृषकों को विशेष अनुदान दिये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

42. भू-संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर जिले की बस्सी एवं चाकसू पंचायत समिति में परियोजनायें तथा कृषि पुनर्वित्त विकास निगम की योजनाएं बनाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

43. किसानों की फसलों की कृषि लागत एवं उत्पादन लागत सम्बन्धी सर्वेक्षण कराकर, भाव निर्धारित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

44. बस्सी में उप-मण्डी बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी गयी भूमि का कब्जा लेकर गौण मण्डी निर्माण कार्य किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

45. कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) जयपुर के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण में वर्ष 1982-83 में बस्सी की उपेक्षा किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

46. राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण की व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

47. किसानों को उच्च कोटी का बीज, जलवायु व भूमि के अनुकूल समय पर उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

48. किसानों को प्रामाणिक बीज देने के उपरान्त अंकुर न निकलने के कारण किसानों को होने वाली क्षति पर चर्चा के लिये ।

49. न लाभ न हानि के आधार पर दुर्गापुरा (जयपुर) नर्सरी से फलदार पौधे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाने व बेर के पौधों पर कलम चढ़ाने का कार्य शुरू किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री **बहादुरसिंह** (दानपुर) :

50. सरकार सिंचाई योग्य भूमि में अपेक्षित कृषि साधन जुटाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

51. उन्नत बीज एवं खाद किसानों तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

(श्री बहादुरसिंह)

52. राज्य सरकार बंजर भूमि को सुधारने का कार्यक्रम बनाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

53. कृषि कार्यों हेतु सुगमता से किसानों को कर्जे उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़):

54. कृषि विभाग के बजट में मितव्ययता कर जो राशि बचे उसमें से कृषकों को उन्नत खाद व बीज के लिये अनुदान देने हेतु चर्चा के लिये ।

55. ग्राम सेवकों को पंचायतों एवं पंचायत समितियां में स्थानान्तरित करने हेतु चर्चा के लिये ।

56. कृषि उद्योग निगम द्वारा निर्मित एवं अधिक विक्रय मूल्य की वस्तुओं के विपणन को सहकारी विभागों द्वारा खरीदने हेतु अनिवार्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

57. कृषि उद्योग निगम की निरन्तर गिरती हुई आर्थिक स्थिति को सुधार हेतु पर्याप्त अनुदान दिलाने जाने हेतु चर्चा के लिये ।

58. कृषि से सम्बन्धित नवीन उद्योगों को लगाने के लिये कृषि उद्योग निगम का शीघ्र स्वीकार करने और उनके लिये पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये ।

59. फसल बीमा योजना को शीघ्र लागू कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर), श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा), श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह) :

60. खाद व बीज व कीटनाशक दवाइयां उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

61. कृषिफार्म सवाई माधोपुर व मलारना डूंगर की भूमि में लाभ कम होने पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):

62. कृषि के लिये उन्नत बीज किसानों को देने बावत चर्चा के लिये ।

63. कृषि के लिये हाईब्रीड के नाम से बेचे जाने वाले बीज पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम):

64. किसानों को कृषि का उचित मूल्य दिलाने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

65. किसानों को उन्नत किस्म के बीज, खाद उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

66. केशवराय पाटन व कापरेन में स्वीकृत राशि से हाट स्थल निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

67. कृषकों को कृषि उपकरण एवं खाद बीज सरलता से उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

68. कृषि उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा के लिये ।

69. कोटा डिवीजन में कृषि भूमि सुधार योजना समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : 70. कोटा जिले में बीज निगम द्वारा किसानों को बेकार बीज देने पर निगम को दिये जाने वाले कर्जों के संबंध में चर्चा के लिये ।

71. रामगंज मंडी तहसील के ग्राम खणी मोतीपुरा खुर्द में पिछले कई वर्षों से काश्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : 72. कृषि विपणन बोर्ड के घाटे को समाप्त करने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

73. प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के बाबत चर्चा के लिये ।

74. श्री माधोपुर (सीकर) : में कृषि महाविद्यालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागोर) : 75. किसानों को वैज्ञानिक कृषि का व्यावहारिक ज्ञान देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) व श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): 76. एस. पी. वी. ज्वार के उन्नत बीज प्रचार हेतु लगाये गये प्रदर्शन असफल होने पर चर्चा के लिये ।

77. अमानक सिद्ध हुये नमूनों का चालान न करने पर चर्चा के लिये ।

78. बीज निगम द्वारा समय पर बीज उत्पादकों के बीज का भाव निश्चित न करने से उत्पन्न स्थिति पर कर्जा देने के संबंध में चर्चा के लिये ।

79. विभाग द्वारा रासायनिक खादों के पर्याप्त नमूने जांच हेतु न लिये जाने पर चर्चा के लिये ।

80. बीज निगम द्वारा अमानक संकर ज्वार का बीज वितरित किये जाने पर दी गई सहायता राशि पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) व श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): 81. प्रदेश में सोयाबीन की एक भी नोटीफाइड वैरायटी न होने पर चर्चा के लिये ।

82. अमानक संकर ज्वार के बीज के वितरण से हुई क्षति का किसानों को मुआवजा देने हेतु चर्चा के लिये ।

83. कीट नाशक एवं पौधे व्याधि नाशक औषधियों हेतु किसानों को अनुदान न मिलने पर चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : 84. कृषि योजनाओं एवं कृषि विभाग से किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व श्री बालचन्द्र आर्य (डग) : 85. भवानी मंडी-डग-मांगरोल के किसानों को वितरित किया गेहूं का बीज घटिया होने के संबंध में चर्चा के लिये ।

(श्री हीरालाल आर्य)

86. राजस्थान में कृषि विश्व-विद्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

87. भवानी मंडी मांगरोल में किसानों को वितरित की जा रही कीटाणुनाशक दवाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

88. कृषि विभाग द्वारा कृषकों की समस्याएं सुलझाने में असफल होने पर चर्चा के लिये।

89. मांगरोल के किसानों को अनुदान स्वरूप दिया जा रही खाद की अधिक रकम वसूल की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरु) : 90. शंकर ज्वार के बीज के वितरण एवं अंकुरित नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. कृषि विभाग द्वारा कृषकों की समस्याएं सुलझाने में असफल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

92. राजस्थान में कृषि विश्व-विद्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. अटरु, बारां, व सांगोद में किसानों को वितरित की जा रही कीटाणु नाशक दवाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

94. अटरू तहसील के किसानों को अनुदान स्वरूप दिया जा रही खाद की अधिक रकम वसूल की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये।

95. अटरू तहसील के किसानों को वितरित किया गेहूं का बीज घटिया होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : 96. बाढ़ से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के खेतों में आई मिट्टी से किस्म जमीन बदल जाने पर भी विभाग द्वारा समय पर कृषकों को सुविधा न देने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : 97. शंकर ज्वार के बीज के वितरण एवं अंकुरित नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : 98. जिला जैसलमेर में उन्नत बीज की अव्यवस्थित वितरण प्रणाली पर चर्चा के लिये।

99. जिला जैसलमेर में कृषि के लिये अनुदान देने में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री मेधराज तावड़ (गोगुन्दा) : 100. कृषि प्रयोजन के लिये आदिवासियों, हरिजनों व सीमान्त काश्तकारों को दिये जाने वाले ऋणों में हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) :

101. कृषि उपज मंडी समिति, श्री माधोपुर के माध्यम से सड़क निर्माण श्री माधोपुर से पृथ्वीपुरा तक कराने हेतु चर्चा के लिये ।

102. कृषि उपज मंडी, श्री माधोपुर के माध्यम से सड़क निर्माण मूण्डरू से खेतरोली तक कराने हेतु चर्चा के लिये ।

103. कृषि उपज मंडी श्री माधोपुर के माध्यम से अप्रोच रोड रूपपुरा उदलदास (सीकर) निर्माण के विषय में चर्चा के लिये ।

104. कृषि उपज मंडी के माध्यम से सड़क निर्माण अप्रोच रोड सुराणी (सीकर) तक कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

105. कृषि विभाग, भीलवाड़ा में अनुदान की खाद वितरण कराने हेतु सीमान्त व लघु कृषकों की सूचियां उपलब्ध न होने के विषय में चर्चा के लिये ।

106. भीलवाड़ा तहसील में खाद बीज समय पर न देने के बारे में चर्चा के लिये ।

107. भीलवाड़ा जिले के विभिन्न गांवों में संकर ज्वार नर-मादा बीज देने में भेदभाव वरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) :

108. कृषि उपज मण्डी समिति की अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये ।

109. कृषि विभाग में फैली अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

110. खाद, बीज समय पर उपलब्ध न कराने से किसानों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

111. किसानों को उर्वरकों पर अनुदान दिया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

112. कृषि की पैदावार का उचित मूल्य तथा विपणन की सुविधा बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

113. प्रतापगढ़ तहसील के ग्राम मानपुरा के कृषकों को बिक्री किये केले के पौधों से कृषकों को हुई क्षति के संबंध में चर्चा के लिये ।

114. चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 1982-83 में खराब बीज वितरण से हुई कृषकों को क्षति के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

115. टौंक जिले में कृषि शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

116. टौंक जिले में नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहन के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

117. टौंक जिले में सघन तिलहन विकास कार्यक्रम को ठीक प्रकार नहीं चलाये जाने पर चर्चा के लिये ।

(श्री **महावीर प्रसाद जैन**)

118. टौंक जिले में खाद, बीज समय पर उपलब्ध नहीं कराने एवं वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

119. टौंक जिले में अधिक उपज देने वाली किस्मों की योजना योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलाये जाने पर चर्चा के लिये ।

120. गोबर गैस प्लांट के बारे में टौंक जिले में पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

121. उर्बरक के लिये भूमि परीक्षण प्रयोगशाला की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

122. टौंक जिले में बीज संवर्धन और वितरण में अनियमितता की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

123. टौंक जिले में भूमि सीलिंग में प्राप्त आवंटित भूमि में कृषि उत्पादन एवं विकास हेतु सहायता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

124. कृषि के लिए कर्जे के लिए वर्ष 1981-82 के मुकाबले वर्तमान में कम प्रावधान रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़):

125. तहसील प्रतापगढ़ के कृषकों की कृषि में निपुणता लाने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने बावत चर्चा के लिये ।

श्री **बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) :

126. भीलवाड़ा जिला कृषि विभाग में अधिकारियों द्वारा फर्जी दौरे अंकित कर नाजायज लाभ प्राप्त करने पर चर्चा के लिये

127. कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा द्वारा धन का अपव्यय होने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री **ज्ञानसिंह चौधरी** (भादरा) :

123. राजस्थान में नया कृषि विश्वविद्यालय गंगानगर में स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली) :

129. श्री कृषकों को समय पर खाद बीज न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर):

130. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्राम बगरू कला, जिला जयपुर में निर्मित कार्य की जांच कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री **सुनीलकुमार बिश्नोई** (सूरतगढ़) :

131. गंगानगर जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री **राधेश्याम** (गंगानगर):

132. श्री गंगानगर जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री **आतमाराम चौधरी** (हनुमानगढ़):

133. गंगानगर जिले में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री **जोवराजसिंह राठौड़** (पीलीबंगा):

134. गंगानगर जिले में कृषि विश्व-

(श्री जोवराज सिंह राठौड़)
विद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):

135. उदयपुर विश्वविद्यालय के डेयरी साइन्स कॉलेज में डीन के पद की स्वीकृति हेतु दी जाने वाले अनुदान की राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

136. नाथद्वारा में कृषि विभाग के कार्यालय के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. उदयपुर विश्वविद्यालय के सी. टी. आई. के छात्रों द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में चर्चा के लिये

138. उदयपुर विश्वविद्यालय में छठी पंचवर्षीय योजना में आर. सी. ए. आर. द्वारा स्वीकृत पदों की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं देने पर चर्चा के लिये।

139. रूरल ग्रोथ सैन्टर में चयनित गांव देलवाड़ा में इस योजना की क्रियान्विति हेतु धन उपलब्ध नहीं करने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

140. उपनिदेशक, कृषि विस्तार, जयपुर के कार्यालय की अनुपयोगिता पर चर्चा के लिये।

141. उपनिदेशक, कृषि विस्तार विभाग, जयपुर के स्तर में वर्ष 1980-81 में हुई अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक):

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुचिकित्सालय खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

2. टोंक जिले में मत्स्य उद्योग हेतु अच्छी नस्ल की मछलियां उपलब्ध कराई जाने के लिये चर्चा के लिये।

3. टोंक जिले में सुअर पालन केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

4. ग्रामीण क्षेत्रों में पशु रोग निवारण हेतु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) व

श्री मालाराम (खेतड़ी):

5. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोलीडा में पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत),

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) व

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची):

6. बीकानेर, जैसलमेर व पाली के ग्रामीण अंचल में पशुओं की संख्या के अनुपात में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर

(श्री देवीसिंह भाटी)
चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन):

7. पशुपालन विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

8. पशुपालन विकास पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

9. पशुपालन विभाग में हुई अनियमितताओं के विषय में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

10. बाड़मेर जैसलमेर जिलों के पशुओं के लिए पशु विकास योजना पर चर्चा के लिये।

11. रेगिस्तानी पशुपालक जिला बाड़मेर, जैसलमेर में अधिक पशुचिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):

12. बीकानेर व सीमावर्ती क्षेत्र बरसलपुर, बीकमपुर में ऊंट, गाय, भेड़ों की नस्लों की महत्ता को देखते हुए, राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन करने पर चर्चा के लिये।

13. मगरा एवं चौखला क्षेत्र में भेड़ों की नस्ल सुधार करने हेतु जिला बीकानेर तहसील कोलायत के दूरस्थ गांवों में ग्राम आधार योजना केन्द्र स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

14. जिला बीकानेर की कोलायत तहसील के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय के अभाव पर चर्चा के लिये।

15. जिला बीकानेर में गत वर्ष शीत लहर से भारी संख्या में गायों के मरने पर चर्चा के लिये।

16. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों बरसलपुर, बिजंरी, राववाला, करनीसर भलूएी में 50 हजार गौ इकाई के आधार पर पशु चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

17. जिला बीकानेर की कोलायत तहसील में चल पशुचिकित्सा इकाई स्थापित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

18. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ऊंट बाहुल्य सीमावर्ती क्षेत्र ग्राम बरसलपुर, चारनवाला, ग्रान्धी, बीकमपुर, व गौडू में सुर्रा नियंत्रण इकाई स्थापित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

19. जिला बीकानेर की कोलायत तहसील में गोट फार्म स्थापित किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी),
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा),
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा),
श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल),
श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर), व
श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण),

श्री रामसिंह विश्नोई :

20. पश्चिमी राजस्थान में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने तथा कृत्रिम गर्भाधान का प्रचार व प्रसार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची):

21. ग्राम धनला, जिला पाली में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर):

22. आमेर तहसील के ग्रामों में पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के विषय में चर्चा के लिये ।

23. रामपुरा (आमेर तहसील) में पशु चिकित्सालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

24. हाथौड़ा, माचवा, दुर्जियावास, कालवाड़, पचार, सरनाडूगर, निवास के बीच पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

25. बेगस, धानकिया, मुन्डियारामसर, बिन्दायका, सिवाट, सिरसी पंचायतों के बीच पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव) :

26. बाड़मेर जिले के ग्राम सवाई पदम सिंह में पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

27. उदयपुर जिले में हर चार पंचायतों के बीच एक पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर):

28. ग्राम चीतलवाना में एक पशु चिकित्सालय शीघ्र खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री असलम खां (बाली) :

29. भ्रमणशील पशु चिकित्सालय, बाली, जिला-पाली में वाहन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

30. पाली जिले में राज्य स्तरीय पशु मेला निम्बोंकानाथ को जारी रखने के लिये चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

31. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय नहीं होने से होने वाली कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिये ।

32. उदयपुर जिले में पशुपालन को बढ़ावा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

33. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन सुविधाओं का अभाव है इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

34. पशुपालन के क्षेत्र में योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

35. अजमेरी, रायपुर जागीर, टटेसर ग्राम पंचायतों में पशुचिकित्सा का प्रबन्ध

(श्री मोहनलाल पोवी)

नहीं होने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम):

36. जयपुर शहर में डेयरी की दूध सप्लाई स्कीम को पशुपालन विभाग के अन्तर्गत लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) :

37. माण्डल वि स. नि. क्षेत्र के बागोर ग्राम में पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री पोरूराम (टीबी) :

38. टीबी क्षेत्र, जिला श्री गंगानगर में पशु चिकित्सालय खुलवाने पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराज) :

39. सराडा, उदयपुर जिले में अधिक पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

40. जहाजपुर क्षेत्र में पारोली, खजूरी, आमरवासी में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

41. राज्य सरकार पशुपालन की अवहेलना के कारण, श्वेत क्रांति लाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

42. पशुओं की महामारी का इलाज न होने पर चर्चा के लिये ।

43. राजगढ़ (अलवर) में पिछले 10 वर्षों से कोई पशु चिकित्सालय न खोले जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम जैन (बैगूं) :

44. तहसील बेगूं में नये पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) व

श्री चतुर्भुज : 45. ग्रामों में पशु-चिकित्सालय के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

46. कोटा जिले के ग्राम आंवा व सुल्तानपुर में पशु चिकित्सालय प्रारम्भ करने बाबत चर्चा के लिये ।

47. कोटा स्थित पशु चिकित्सालय में लगी एक्स रे मशीन का व्यर्थ ही पड़े रहने व उपयोग में न लाने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री थानसिंह (सलूम्बर) :

48. सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में पशु पालन विभाग में अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) :

49. झालावाड़ जिले की पंचायत समितियों में पशुधन सहायकों के पद तोड़ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री भैरूंलाल)

50. जिला झालावाड़ में पंचायत समिति, बकानी और मनोहरथाना पशु बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी पशु चिकित्सालयों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

51. पशु चिकित्सालयों में दवाइयों की समुचित व्यवस्था की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) :

52. ग्राम मीठड़ी एवं सिलनवाद में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

53. सरकार पशुओं की बढ़ती बीमारी को रोककर इलाज नहीं करा पा रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

54. राज्य में अच्छी किस्म के पशुओं की बढ़ोतरी के लिये कोई उपाय नहीं किये जा रहे है, इस पर चर्चा के लिये ।

55. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की चिकित्सा हेतु व्यवस्थित उपाय करने हेतु चर्चा के लिये ।

56. राज्य में ग्रामीण इलाकों में पशुपालन से होने वाले फायदों को बताने के लिये कोई प्रदर्शनी व अन्य कल्चरल प्रोग्राम नहीं चलाये जाते, इस पर चर्चा के लिये ।

57. राज्य में दुधारू पशुओं से प्राप्त दूध को व्यवस्थित तरीके से बिकने का इंतजाम करने में राज्य सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) :

58. वोबाड़ी, रायसर, आंधी, डांगरवाड़ा, चावण्डिया, बूज, चन्दवाजी, खोरालाडखानी, ताला और नौरंगपुरा में पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

59. पशु बीमा योजना प्रारम्भ करने एवं संकर नस्ल के पशुओं की अभिवृद्धि हेतु ग्रामों में समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा),

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर),

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

60. पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

61. जिला सवाईमाधोपुर में जानवरों की अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

62. जालोर जिले में पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

63. पशुपालन एवं पशुओं के लिये चारा पानी की व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

Page No 122

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) :

64. ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय पर्याप्त मात्रा में खोलने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

65. प्रदेश में पशुपालकों को पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

66. केशवरायपाटन क्षेत्र की जैथल पंचायत में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी):

67. कोटा, झालावाड़ एवं चित्तौड़ जिले में मछली उद्योग में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर):

68. बाड़मेर जिले में थरपारकर नस्ल को उन्नत करने के विषय में चर्चा के लिये ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

69. पशुओं में हो रही गलघोटू बीमारी की चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर):

70. हाथीदेह, अजीतगढ़, जोरावर-नगर, मऊ, थोई जिला सीकर में पशु चिकित्सालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री शिवराम शर्मा (वनीपार्क) :

71. पशु चिकित्सालय, चौमूं में हो रही अव्यवस्था से किसानों की असुविधा पर चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

72. पश्चिमी राजस्थान के गांवों में पशु चिकित्सा की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां),

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

73. कोटा एवं टोंक जिले में पशु नस्ल सुधार के लिये साधनों की कमी पर चर्चा के लिये ।

74. देशी सांडों के अपर्याप्त प्रजनन की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) :

75. चीथवाड़ी, हस्तेड़ा, गोविन्दगढ़ में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

76. गैंता, अयाना व पीपल्दा में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

77. इटावा में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किया जाये इस हेतु चर्चा के लिये ।

78. इटावा में पशु चिकित्सक का पद सृजित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), श्री बालचंद्र आर्यवीर (डग) :

79. ऊन की कीमतें कम मिलने से मेड़पालकों का शोषण हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

80. झालावाड़-कोटा जिले में मेड़-पालकों को अधिक सुविधाएं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) :

81. ऊन की कीमतें कम मिलने से मेड़पालकों का शोषण हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

82. चरडाता, वराना, जीरीद एवं कुंजेड़ में पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. कोटा जिले में मेड़, पशुपालकों को अधिक सुविधाएं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

84. जयपुर जिले की पशुगणना न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) :

86. अटरू में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर):

87. जिला जैसलमेर में "आर्टीफिशियल इनसेमिनेशन" की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

88. जिला जैसलमेर में पशु चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद भरने में विभाग की असफलता से पशु चिकित्सालयों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

89. जिला जैसलमेर में पशु चिकित्सालयों में समय पर दवाइयों उपलब्ध नहीं होने से पशुपालकों को भारी कठिनाई का सामना करने पर चर्चा के लिये।

90. जिला जैसलमेर में नये पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

91. पशुओं को खरीदने के लिये गरीबों को दिये जाने वाले अनुदान में अनियमितता पर चर्चा के लिये।

92. राज्य में पशुओं की नस्ल में गिरावट पर पशुधन की समाप्ति पर चर्चा के लिये।

93. मत्स्य पालन में बरती जाने वाली निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

94. जयसमन्द में नाजायज मछलियां मारने से सरकार को आर्थिक हानि होने पर चर्चा के लिये।

95. जयसमन्द में मत्स्य व्यापार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

96. पशु चिकित्सा में ट्रेनिंग शुदा

(श्री मेघराज तावड़):
लोगों को नियुक्तियां नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

97. पशु चिकित्सालय, उदयपुर में औषधियों के अभाव व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

98. गोगुन्दा तहसील की कड़दा पंचायत में पशु चिकित्सालय न होने पर पशुधन की क्षति के संबंध में चर्चा के लिये।

99. उदयपुर में पशु चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

100. भीलवाड़ा - सांगानेर में पशु चिकित्सालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

101. भीलवाड़ा तहसील के बड़ा महुआ, खेरावाद, बरड़ोद दांथल में पशु चिकित्सा प्रबन्ध न होने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा):

102. पशु चिकित्सा सुविधा गांवों में देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर):

103. जिला जैसलमेर में पंचायत समितियों में उन्नत नस्ल के सांडों हेतु अनुदान की चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह (कुम्हेर):

104. भरतपुर जिले की सभी पंचायत समितियों में पशुधन सहायकों के सब पद समाप्त कर अन्य जिलों में विलय करने पर चर्चा के लिये।

105. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों की कमी है, नवीन चिकित्सालय खोले जावें, इस पर चर्चा के लिये।

106. प्रान्त में पशु चिकित्सा सुविधायें बढ़ाई जावें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर),
श्री यदुनाथसिंह (नदबई),
श्री राजा मानसिंह (डीग),
श्री चाव खां (कामां):

107. भरतपुर जिले की सभी पंचायत समितियों के पशुधन सहायकों के सब पद समाप्त कर अन्य जिलों की पंचायत समितियों में विलय करने बावत चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

108. ग्राम वमोतर तहसील प्रतापगढ़ में पशु चिकित्सालय भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक):

109. टौंक जिले में कुक्कुट रोग परीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. टौंक जिले में पोलीक्लिनिकों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. टौंक जिले में पशु चिकित्सालयों की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

112. टौंक जिले में पशु माता सुरक्षा एवं संक्रामक टीका रोग कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. टौंक जिले में पशु रोग

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
अनुसंधान योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

114. टौंक जिले में भेड़ व बकरी रोग परीक्षण योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

115. टौंक जिले में पशु चिकित्सा संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर्गत खोले जाने वाले संस्थान व स्कूलों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

116. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की विफलता पर चर्चा के लिये ।

117. पशुओं में खुर एवं मुंहपका रोग की रोकथाम कार्यक्रम की टौंक जिले में विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

118. पशुपालन विभाग में आरक्षण की पालना नहीं करना एवं प्रमोशन में रोस्टर को लागू न करने बाबत स्थिति पर विचार हेतु चर्चा के लिये ।

119. तहसील प्रतापगढ़ में भेड़-पालकों के लिये खोले गये प्रसार केन्द्रों को वर्ष 1982-83 में बन्द कर दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

120. तहसील प्रतापगढ़ के ग्राम दलोट, आम्बीरामा, धामणिया, देवगढ़, ग्यासपुरा, सिद्धपुरा डावड़ा में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने के बाबत चर्चा के लिये।

121. तहसील प्रतापगढ़ के बमोतर ग्राम में स्थित पशु चिकित्सालय का अन्यत्र स्थानांतरण करने की कार्यवाही के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

122. भीलवाड़ा जिले के अनेक गांवों में पशुओं की चिकित्सा समय पर न होने के विषय में चर्चा के लिये ।

123. पशु चिकित्सकों द्वारा भीलवाड़ा जिले में बरती जा रही अनियमितताओं के विषय में चर्चा के लिये ।

124. भीलवाड़ा जिले में पशु चिकित्सकों द्वारा भेड़, बकरियां, बैल आदि खरीदे जाने के लिये ऋण हेतु प्रमाण-पत्र देने में धांधली बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

125. अलवर कुक्कुटशाला में घोटाले की चर्चा के लिये ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

126. प्रदेश में पशुओं के नस्ल सुधारने एवं उनकी चिकित्सा सुविधाओं के लिए डिस्पेन्सरियों की सुविधा प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

127. पशु चिकित्सा की अभाव में करौली के पशुपालकों को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) :

128. जिले में पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

129. नाथद्वारा विधानसभा

(श्री सी. पी. जोशी)
क्षेत्र के गांव सालोर, गांव सांवों का खेड़ा में पशु चिकित्सालय खुलवाने पर चर्चा के लिये ।

130. खरल ग्राम सैंटर में चयनित गांव देलवाड़ा में पशु चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये ।

131. उदयपुर जिले में असमान पशु चिकित्सालय सुविधायें उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

132. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने की चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

133. पंचायत समिति गिरवा में पशु चिकित्सालय के अभाव में हजारों पशु बिना इलाज के मर जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी):

134. बाड़मेर जिले के सिणधरी एवं धोरीमन्ना में पशु चिकित्सालय भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

135. बाड़मेर जिले के ग्राम मेडाणा एवं होडू तथा रामजी का गोल पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

136. बाड़मेर जिले में पशुओं की संख्या के अनुपात में पशु चिकित्सालय न खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री सभापति : माननीय श्री आत्माराम चौधरी ।

श्री आत्माराम चौधरी (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 37 के बारे में अपने विचार इस सदन के सामने रखूंगा सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बात चली । यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसा कि कृषि विभाग का लक्ष्य है, से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ऐसी जगह पर हो जहां से काश्तकार ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, उसके अनुरूप वातावरण हो । ये सब बाते देख करके कृषि यूनिवर्सिटी के स्थान का चयन करना चाहिये । राजनैतिक प्रभाव के कारण जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वे दूसरी जगह, जहां जरूरी नहीं है, शैक्षणिक संस्थाओं को ले जाते हैं । इससे कृषि का, देश का और किसानों का हित नहीं होता है। इस लिहाज से मैं यह मांग करूंगा कि कृषि यूनिवर्सिटी गंगानगर या बीकानेर डिवीजन जहां 3-3, 4-4 पानी के साधन है. तीन चार तरह की सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं, में स्थापित करनी चाहिये । स्थान के चयन के लिये मैं समझता हूं, हनुमानगढ़ के अन्दर जो हजारों एकड़ का फार्म है, वह खाली है वह जगह मेरे ख्याल से चयनित कर ली जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

इसके साथ-साथ मैं कृषि विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । 80 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है । कृषि विभाग भी इस लिहाज से खोला गया है, उस विभाग की स्थापना भी इस लिहाज से हुई है कि कृषकों की प्रगति के लिये प्रयास करें, ताकि कृषकों की प्रगतिशीलता कायम रहे, कृषकों की बहबूदी के लिये अच्छा काम करे। मैं समझता हूं, इस तरह

(श्री आत्माराम चौधरी)

की कोई बात नजर नहीं आती है। कृषि विभाग किसानों से डाइरेक्ट किस तरह से सम्पर्क करता है, किस तरह से उनकी प्रगति करता है ? यह कहा जाता है कि किसानों को नये वैज्ञानिक मैथड़ अडॉप्ट करवायेंगे लेकिन विभाग के पास इसके लिये डायरेक्ट एजेन्सी नहीं है, न कोई साधन हैं। मैं समझता हूं, इतनी बड़ी जन संख्या के लिये जो विभाग है वह सिर्फ सलाहकार का काम करता है। सलाह भी ऐसी कि वह अकाल का रोना रोता है। ये आंकड़े पेश करते हैं कि हमने ज्यादा उपज करने वाले बीज दे दिये जब कि इनके पास इस तरह के आंकड़े इकट्ठे करने के कोई साधन नहीं है, इनके पास इस तरह की कोई व्यवस्था करने का कोई साधन नहीं है। किस बेस पर कह देते हैं, यह समझ में आने वाली बात नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगून्दा): सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। कोरम नहीं है।

(गणपूरक घण्टी)

(गणपूर्ति पश्चात्)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मालूम होता है किसानों के बारे में कोई रुचि लेने वाला ही नहीं है। इससे मालूम होता है कितनी रुचि है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चालू रखिये।

श्री आत्माराम चौधरी: जैसा माननीय सदस्यों ने यहां किया यह भी मैं समझता हूं कृषि की उपेक्षा का द्योतक है कि किस तरह से कृषि विभाग की मांगों के बारे में चर्चा की जा रही है।

सभापति महोदय, मैं बता रहा था विभाग के पास जब साधन नहीं है तो फिर यह आंकड़े किस तरह से इकट्ठे करता है, यह समझ में आने वाली बात नहीं हैं। वे समझा दें तो अच्छी बात है। मैं बताऊं इस प्रगति रिपोर्ट में 13वें पेज पर यह बताया गया है कि 1982-1983 में रबी के अन्दर 90 हजार क्विण्टल कणक का बीज दिया गया उसके मुकाबले में 10.58 लाख रकबे में बिजाई हुई। मैं समझता हूं इतने बीज के लिये एक लाख रकबा ही काफी है, ये 9 लाख रकबे इन्होंने कहां से पैदा कर दिये ? तो मेरा कहने का मतलब है विभाग पास आंकड़े इकट्ठे करने के लिये न प्रॉपर स्टाफ है। नही कृषि विभाग का कहीं दखल है। मैं समझता हूं, दो तरह की कार्य प्रणाली है एक तो जहां सलाह देते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं इतना तिलहन तैयार करवा दिया, इतना दलहन के लिये किया, इतना प्रोमेसिंग बीज दिया, इतना मक्का के लिये दे दिया, इतना खाद ज्यादा यूज करवा दिया, इस तरह के जो आंकड़े देते हैं इनके अपने आंकड़े नहीं हैं। इनका अपना नियंत्रण नहीं है। यह सारा साख पर निर्भर करता है, इसका कोई विभाग से सम्बन्ध नहीं हुआ करता। डाइरेक्ट सम्बन्ध जो इनके पास कुछ फार्म हैं उनसे से हैं उनके लिये कह सकते है, इनकी नई इजाद है उनके बारे में यह बता सकते है। मैं समझता हूं कि इन्होंने इस दफा गेहूं का अच्छी किस्म का बीज वितरित किया,

(श्री आत्माराम चौधरी)

परन्तु कहीं भी कामयाब नहीं होगा। उसका तीन चार महीने बाद रिजल्ट निकलेगा वह दूसरी बात है लेकिन हमारी फसल की पोजिशन दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में कमजोर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो आंकड़े दिये जायं वह कम्पेरेटिव होने चाहिएं दूसरी स्टेट्स या प्रोग्रेसिव फार्म से। हमारा काम्पीटिशन चलता है। खाद, बीज, सिंचाई या दूसरे प्रशिक्षण की बात है, प्रचार की बात है इसका कम्पेरीजन दूसरी स्टेट से करके और कुछ प्रोग्रेस करके दिखायें तो समझ में आने वाली बात है। होता यह है कि यह अपने हिसाब से आंकड़े पेश कर देते हैं इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। कृषकों को जो सीधा फायदा होना चाहिए वह कुछ होता नहीं है। ये सलाह देते रहते हैं और आंकड़े इकट्ठे करते रहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जहां 80 पर्सेन्ट लोगों के लिये इतनी बड़ी रकम खर्च करने की बात है, उसका सीधा, डायेरक्ट असर नहीं हो और सलाहकार बने रहें तो इस तरह की बातें आज के युग में चलने वाली नहीं हैं। कृषि के लिये मैं खासतौर से आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से…

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री आत्माराम चौधरी : फसल बीमा योजना है या इस तरह की जो चीजें हैं, उनको चालू करना चाहिए। फसल बीमा नहीं होने की वजह से आज जो नुकसान हो जाता है और बट्टे खाते पैसा जाता है उसके लिये वह कहते हैं कि हम क्या करें। हम कुछ कर नहीं सकते। इस तरह के क्रान्तिकारी और प्रगतिशील कदम इस विभाग को उठाने चाहिएं। प्राकृतिक प्रकोप से जो नुकसान होता है, हमारे दूसरे जो पड़ोसी स्टेट हैं उनमें उसका मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा केवल इस लिये नहीं दिया जाता कि किसानों का नुकसान हो गया, इसके बारे में दो पाइण्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुआवजा देने का औचित्य क्या है। जो खेती करता है उसको आज के वैज्ञानिक युग में खेत को खाद देनी पड़ती है वह कीमती है, ट्रेक्टर और दूसरे इम्पलीमेन्ट्स लगाने पड़ते हैं, जिनकी कीमत लगती है, सिंचाई के साधन यूज करता है उसकी कीमत देनी पड़ती है। जब किसान को प्राकृतिक प्रकोप से नुकसान हो जाय तो कम से कम उसकी लागत तो देनी चाहिये। उसको जो प्राफिट होने वाला था, उसमें उसकी भागीदारी नहीं रहे वह तो समझ में आने वाली बात है लेकिन जो उसका नुकसान हो गया, जो उसने इन्वेस्टमेन्ट किया, उसके लिये कुछ नहीं मिले, यह आज के युग में चलने वाली बात नहीं है। ज्यादा दिन नहीं चलेगी। गवर्नमेन्ट को सचेत होकर…

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री आत्माराम चौधरी : मैं जल्दी समाप्त करने वाला हूं। इसी तरह

(श्री आत्मा राम चौधरी)
से जेनरेटर के लिये सब्सिडी भी देनी चाहिए । इस तरह की एक स्कीम होनी चाहिए, 50–60 हजार रुपये में जो जेनेरेटर आता है, वह 10 कुओं पर फिट हो जाय, उसकी साज संभाल विभाग करे और जरूरी समझे तो सिंचाई का थोड़ा पैसा ले लिया जाय तो कोई बात नहीं । इस तरह की आल्टरनेट व्यवस्था भी विभाग को करनी चाहिये । इसके साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि यह विभाग ज्यादा दिन तक सलाहकार नहीं रह सकता । अगर विभाग सलाहकार रहेगा तो किसानों का कोई फायदा होने वाला नहीं है । जिस तरह की डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कलेक्टर की ड्यूटी होती है वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की होती है, तो किसानों से सम्बन्धित सभी विभागों से कृषि विभाग का दखल होना चाहिये । इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये । बगैर सिंचाई के कृषि की बात समझ में आने वाली नहीं है । जहां तक सिंचाई के मैनेजमेन्ट की बात है, वह तो गवर्नमेन्ट के सिंचाई विभाग के पास रह सकती है लेकिन जिनका किसानों से सम्बन्ध हो वह पूरा कृषि विभाग के नीचे आना चाहिये अथवा उसका दखल रहना चाहिये । इस हिसाब से होना चाहिये कि जो किसानों की सिंचाई सुविधाओं में गड़बड़ी आती हैं उनको किस तरह से फायदा दे सकते हैं ।

इसी तरह से विद्युत विभाग.....

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य ।

श्री **आत्मा राम चौधरी** : और कोआपरेटिव विभाग की बात है । रेवेन्यू विभाग में जहां तक कलेक्शन की बात है वह रेवेन्यू विभाग करे । रिकाड्र्स रखने की बात है, भूमि के फ्रेगमेन्टेशन की बात है और दूसरी बातें हैं उनमें कृषि का विभाग का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दखल होना चाहिये । अगर प्राथमिक रूप से नहीं तो सैकण्डली जरूर कृषि विभाग का पूरा दखल हो । वह इन सब बातों को देखे कि किसानों को क्या तकलीफ हो रही है । वह झूठे आंकड़े देने से कुछ होने वाला नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ-साथ मैं आपके सामने एक बात रखूंगा । मुझे इसके बारे में बड़ी गिला है कि यह जो मार्केटिंग सोसायटीज हैं, इनका उद्देश्य ही पता नहीं क्या है । किस तरह से ढर्रा चल रहा है । उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वह कुछ कहते हैं और सेक्रेटरीज दूसरी तरह आकर सारा ही मामला बदल देते हैं । कृषि उपज मण्डी का मूल उद्देश्य यह है कि किसान, जो कि सीधा और भोला है, जो अन्य लोगों के मुकाबले में साधन सम्पन्न नहीं है, को अपनी फसल बेचने के लिए अच्छा वातावरण दिया जाय, प्रोटेक्शन दिया जाय । उसकी फसल का पूरा मूल्य उसको मिल सके । होता क्या है.....

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, अन्य कई सदस्य बोलने वाले हैं ।

श्री **आत्माराम चौधरी** : सिर्फ

(श्री आत्माराम चौधरी)
एक पाइण्ट कह कर मैं बन्द करने वाला हूं ।

श्री महाराम चौधरी : असली काश्तकार हैं, साहब ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपको कुछ पता नहीं है, बताओ जयपुर में गधों की संख्या कितनी है ?

श्री आत्माराम चौधरी : इन्होंने जो मूल उद्देश्य रखे हैं उसमें ग्रेडिंग का पता नहीं क्या अड़ंगा अड़ा दिया है ।

एक माननीय सदस्य : आपकी तरह अनभिज्ञ नहीं हैं ।

श्री आत्माराम चौधरी : मैं समझता हूं कि ग्रेडिंग की बात बिलकुल चलने वाली नहीं है । कोई मुझे समझा दे । इससे कौन सा फायदा होने वाला है ग्रेडिंग की बात खास तौर से उद्देश्यों में कही गई है । मन्त्री महोदय से मैं कहूंगा, विभाग का सारा स्टाफ भी बैठा है, ग्रेडिंग से क्या होगा; इसका उद्देश्य क्या है, यह इन्होंने नहीं लिखा। मण्डी स्तर पर ग्रेडिंग से किसानों को कौन सा फायदा होने वाला है ? किसान की फसल बेचते हैं उसकी ग्रेडिंग करने से उसको क्या मिलने वाला है, यह मुझे समझ में नहीं आता । ग्रेडिंग करके रख दिया, अगर ग्रेडिंग करने के बाद उसको उसके हिसाब से पैसा मिले तो ग्रेडिंग की बात समझ में आने वाली है । जो मूल उद्देश्य है वही चेंज कर दिया है ।

दूसरा, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के बारे में पहले भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं । इस दफा 10 करोड़ की आमदनी हुई है । 10 करोड़ की आमदनी से मैं समझता हूं कि सड़कों के निर्माण का कुछ काम हुआ है, बाकी कोई काम की बात नहीं है । 31 जनवरी तक इस साल में 10 करोड़ रुपये की आमदमी कृषि उपज मण्डी समिति को हुई है उसमें से 4.57 करोड़ रुपया सड़कों पर लगा है बाकी 5–6 करोड़ के करीब रुपया घपलेबाजी में गया है। कृषि उपज मण्डी समिति को कायम इसलिये किया गया था कि किसानों को अपना माल बेचने की सुविधा मिलेगी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप एक मिनट और बोलें, बस ।

श्री आत्माराम चौधरी : किसान को सुविधा नहीं मिल कर हो यह रहा है कि उस पर टैक्स लगाये जा रहे हैं । इन्होंने लिखा है कि हम चाहते है कि किसानों की कम लागत लगे। लागत क्या है ? जितनी लागत सारी मण्डी की होती है, उतनी आमदनी एक कृषि उपज मण्डी की होती है । वह किसानों पर डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं । मेरा कहने का मतलब यह है कि बड़े-छोटे किसानों का फर्क नही है । बड़े और छोटे काश्तकार दोनों ही जिंस लेकर आते हैं, उनकी बात नहीं है । यह प्रिंसिपल ही गलत है कि एक बात की सुविधा के लिए पैसा आये उससे आमदनी पैदा करें मूल उद्देश्य को खतम करके ग्रेडिंग को फांस दिया । समस्त प्रदेश की मण्डी समिति में यह हाट बाजार का क्या

(श्री आत्माराम चौधरी)

मामला है ? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । इस तरह से पैसा क्यों लग रहा है, यह हाट बाजार क्या मामला है ? मैं समझता हूं कि यह सब बेकार है । मैंने पहले भी रिक्वेस्ट थी और आज भी दावे के साथ कहता हूं कि किसानों को व्यापारी तंग करते हैं । वसूली के मुकदमें सैकड़ों ही नहीं मेरे ख्याल से हजारों चलते हैं । किसानों को फायदा या किसानों को प्रोटेक्शन मिला हो, यह बात नहीं है । आज भी उनको बनियों को ब्याज देना पड़ता है । होता यह है कि कृषि उपज मण्डी में बोली लगने के बाद में, माल बनिये का हो जाता है, जिसने बोली दी उसका हो जाता है । बोली देने के बाद वर्षा आ जाती है तो···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें ।

श्री आत्माराम चौधरी : मैं एक मिनट में समाप्त कर देता हूं ।

श्री सभापति : आप एक मिनट कितनी बार कह चुके हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : आपकी लीनियेंसी का फायदा उठा रहे हैं ।

श्री सभापति : बुजुर्ग सदस्य से क्या कहूं, इसलिये···

श्री आत्माराम चौधरी : इस तरह जिनको फायदा देने की बात है, जिनके फायदे की बात है उनको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, यह मैं दावे के साथ कहता हूं । कोई इस तरह की नजीर बता दें कि जिसमें किसानों के फायदे के लिए कहीं किसी तरह की कार्यवाही की हो, कहीं कोर्ट में गये हों । हजारों तरह के उनके खेडे अटकाने वाली और दूसरी बातें यहां नजर में आ रही हैं । इन बातों को देखते हुए मैं कहता हूं कि कृषि उपज मण्डी समिति की बिलकुल उपयोगिता नहीं है । एक नया रोड़ा और लगा दिया गया है । जितनी किसान की आमद होनी चाहिए वह नहीं हो रही है । फिर यह बीज निगम क्या है ? उसके अन्दर पांच हजार की आमदनी बता रहे हैं । उसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि बिना लाभ-हानि के निगम को चलाया जावे । मतलब कि जमींदारों से कुछ नहीं ले करके व्यापारिक फसलों का किस तरह से क्या हो, इसकी बात हो लेकिन उसका उलटा हो रहा है । इस तरह से मैं दुबारा ····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त कर दें ।

श्री आत्माराम चौधरी : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : नहीं, अब मैं आपको समय नहीं दे सकूंगा । श्री यदुनाथसिंह ।

श्री आत्माराम चौधरी : कृषि विभाग किसानों के फायदे के लिए·····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इस तरह से बोलते ही रहेंगे । आपने भूमिका बनाने में ही दस मिनट लगा दिये । काफी पाइन्ट बता दिये हैं आपने ।

श्री **आत्माराम चौधरी** : अच्छी बात है, सभापति महोदय।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि समय कम है। मैं एक सदस्य को ज्यादा से ज्यादा दस मिनट का समय देने की कोशिश करूंगा। दस मिनट में आप भूमिका नहीं बांधें और जो मुख्य बातें कहनी हैं, वही कहें।

श्री **यदुनाथ सिंह** (नदवई) : भूमिका बांधना तो जरूरी होगा, सभापति महोदय।

श्री **सभापति** : भूमिका बंध चुकी है काफी।

श्री **यदुनाथ सिंह** : क्या ?

श्री **अमरचन्द** (गंगरार) : सभापति महोदय, मुझे समय दिया जावे। मैंने चार पांच बार समय मांग लिया है फिर भी मुझे समय नहीं मिल पा रहा हैं।

श्री **सभापति** : आपको समय जरूर मिलेगा। बारी-बारी से नम्बर आएगा तभी समय मिलेगा। सभी को समय एक साथ तो मिल नहीं सकता।

श्री **अमरचन्द** : मेरी बारी क्यों नहीं आई ?

श्री **यदुनाथ सिंह** : सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की इकानामी का अधिकांश हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। देश में 47 प्रतिशत और हमारे राज्य में 56 प्रतिशत से भी अधिक पूंजी निर्माण खेती से हो रहा है। खेती की अवहेलना के कारण वर्ष दर वर्ष खेती के प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट गिरने के कारण इस देश और राज्य की आर्थिक स्थिति आज हमें चरमराती नजर आ रही हैं। इसके बारे में मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो रिजर्व बैंक की 1981-82 की रिपोर्ट हैं उसमें जो चिन्तन किया गया हैं उसकी कुछ लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रिजर्व बैंक ने 1981-82 की रिपोर्ट में, सभापति महोदय, कहा है :

"A major reason for the failure of planning to reduce poverty is that the rate of growth of national income in relation to the growth of population has been low. Between 1950-51 and 1978-79, agriculture production increased at an annul rate of 2.7 per cent, industrial production at 6.1 per cent and national income at 3.5 per cent. During the same period, population increased at the rate of 2.5 per cent, bringing down the rate of growth of per capital income to 1.3 percent per annum. This implies a modest rise of only 1.1 per cent per annum in per capital consumption after allowing for the rising share of investment in national income."

मेरे कहने का तात्पर्य, सभापति महोदय, यह है कि हमारे देश में पूंजी निर्माण का काम जिस सैक्टर से सर्वाधिक हो रहा है, मुझे दुःख है इस बात को कहते हुए कि जो हमारी खेती का पूंजी निर्माण के रूप में हिस्सा है, वह साल दर साल हमारे राज्य में घट रहा हैं और देश में भी घट रहा है। इसके लिये वैज्ञानिकों, यहां बैठने वालों और जो विभाग को सम्भालने वाले लोग उनको गम्भीर चिंतन करने की आवश्यकता

(श्री यदुनाथ सिंह)

है । सभापति महोदय, हम बड़ी-बड़ी घोषणायें करते है, बड़े-बड़े अल्फाज में भाषण देते हैं, बड़ी-बड़ी योजनायें बना कर सामने आते हैं लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है । आज गांव की हालत, खेती करने वालों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है । इसका कारण क्या है? इसके कुछ कारण हैं । वह आपके सामने निवेदन करने की कोशिश करूंगा । आप देखिये, सभापति महोदय, जो एन. सी. ए. आर. की 1976 की रिपोर्ट है, उसमें जो अध्ययन किया गया है उसके अनुसार जो रेश्यो 1 : 2 शहरी और ग्रामीण व्यक्ति की आमदनी का 1950 में था वह आज 1 : 5 हो चुका है। यानी डिस्पैरिटी बढ़ रही है । इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात, सभापति महोदय, यह है कि गांवों में रहने वालों की पर कैपिटा की आमदनी जो .50 में थी वह आमदनी घट रही है । एक ग्रामीण की आमदनी सन् 1950 में 197 रुपये थी और शहर के व्यक्ति की 399, रुपये थी वह सन् 1977 में 196 रुपये ग्रामीण की हो गई और 430 रुपये शहरी की हो गई । यानी ग्रामीण की पर केपिटा इन्कम एक रुपया और कम हुई है । मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी रूप में, जाने अनजाने में, किसान को उसका जो प्रोडक्शन है उसका या तो मूल्य नहीं मिल रहा है या फिर उसकी पैदावर नहीं बढ़ रही हैं । वह सरप्लस वैल्यू पैदा नहीं कर पा रहा है । सभापति महोदय, खेती का उत्पादन बढ़ाने के तीन एलीमेंट होते हैं, तीन कारण होते हैं भूमि, लेबर और पूंजी । हमारे देश में, राज्य में भूमि को बढ़ाए जाने की कोई सम्भावना अब नहीं है । कल्चरेबल वेस्ट और कल्चरेबल फैलोज को भी अगर हम देश में और कृषि योग्य भूमि बनाना चाहें तो 80.28 मिलियन हैक्टेयर से और ज्यादा बना पायेंगे, तो देश में भूमि के और उपलब्ध होने की सम्भावनायें तो बिल्कुल खतम हैं। जहां तक सवाल और ज्यादा लेबर बढ़ाने का है हमारे यहां समस्या यह नहीं है कि खेती में और लेबर कैसे लगायी जावे । हमारे यहां समस्या उलटी है, सभापति महोदय, किस प्रकार से खेती में लगे हुए आदमियों में से कम आदमी करके उनको और धन्धों में लगाया जावे । हमारी समस्या उलटी है । इसलिए जो दूसरा एलीमेंट है पैदावार बढ़ाने के लिये लेबर का, उसकी समस्या का हमारे यहां प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि समस्या उलटी है । तीसरा एलीमेंट कैपिटल, पूंजी का है । मैं कहना चाहूंगा कि आज तक खेती को अवहेलना और खेती के गिरते इस प्रोडक्शन का जो कुछ कारण है उसमें पूंजी की कमी का होना सबसे बड़ा कारण है । Starvation of Capital in Agriculture. सबसे कम पूंजी खेती में लगाई जा रही है। सभापति महोदय, दुनियां में छः जखीरे हैं । इण्डो-गेंगेज प्लेन का जो हमारा जखीरा है, उसके आसपास जो जमीन है वह संसार की सर्वोत्तम जमीनों में से है । सबसे उपजाऊ जमीनों में से हमारी जमीन है । भगवान की दया से जो परिस्थितियां हमारे देश में हैं, हमारे यहां पर समतल भूमि है, हमारे यहां पर पहाड़ी भूमि भी है और हमारे यहां तीन प्रकार के मौसम रहते हैं । भरपूर मात्रा में बारिश भी हमारे यहां पर होती है । अगर हम नदियों के पूरे पानी को किसी भी

(श्री यदुनाथ सिंह)

प्रकार से उस प्यासी जमीन को देने का प्रयास करें तो आज एक भी ट्यूबवैल और एक भी यूनिट बिजली की इस देश में आवश्यकता नहीं रहे। मेरे कहने का मतलब, सभापति महोदय, यह था कि इस देश में जो तीसरा एलीमेंट खेती की पैदावार बढ़ाने का है, जो जमीन से पैदावार बढ़ाने का है वह पूंजी है। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, जब कि 56 प्रतिशत पूंजी खेती से पैदा होती है लेकिन बजट में खेती के लिये 16 पर्सेन्ट हिस्सा मिलता है, यह उलटी बात है। खेती में 72, 75 और 80 पर्सेन्ट आदमी लगे हुए हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रपोर्शन में हैं। हमारे यहां खेती में 72, 75, 80 पर्सेन्ट आदमी लगे हुए है लेकिन खेती के लिये 16 प्रतिशत पैसा मिल रहा है। केन्द्र से मिल रहा है 19 प्रतिशत। जो उद्योग हैं, उनमें पूंजी निर्माण के लिये हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देश में 31 हजार करोड़ रुपये की पूंजी प्रति वर्ष खेती से पैदा होती है और उद्योगों से 12 हजार करोड़ की पूंजी पैदा होती है। उद्योग के लिए 24 पर्सेन्ट बजट है और खेती के लिए 19 पर्सेन्ट बजट है। यह नजरिया हमारे देश में पूंजी निर्माण का है। हम उद्योगों में प्रोडक्शन बढ़ा कर पूंजी निर्माण करना चाहते हैं जो पाश्चात्य थ्योरी है। सभापति महोदय, कितना दुर्भाग्य है देश का। सभापति महोदय, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिये कहा जाता था कि हमारे पास भरपूर अन्न था। अन्न भौतिक मनुष्य की आवश्यकता है। मनुष्य और किसी जीव की भौतिक आवश्यकता अन्न है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अन्न का आपने 1977 से 80 तक सर्वनाश कर दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे ख्याल से आप अध्ययन नहीं करते हैं। माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप बहुत बुजुर्ग हैं। आपको किसी न किसी तरह सोच समझ कर बात कहनी चाहिये। इससे बड़ा दर्शन तो मेरे खयाल से डवलपिंग कंट्रीज के लिये किसी के पास नहीं होगा। इस बात पर अन्य किसी दिन बहस रख कर उस पर बहस होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सर्वनाश कर दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : सर्वनाश तो, इंदिरा गांधी और उसके परिवार वालों ने किया है, सर्वनाश नेहरू और इंदिरा गांधी के रहते हुआ है जिन्होंने देश की नीतियों को पाश्चात्य नतियों के रूप में बनाना चाहा। भारत के यूरोप होने की आजाद होने के एकदम बाद कल्पना कर दी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने यह कहा था, खेती और गांवों को प्राथमिकता दो, लेकिन आपने उद्योग को प्राथमिकता दी। उद्योग तो बेरोजगारी को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। उद्योग से कोई बेरोजगारी। मिट नहीं रही है। उससे उल्टी बेरोजगारी बढ़ रही है। उद्योग से रोजगार नहीं मिल रहें हैं। 9 प्रतिशत आदमी देश का उस में लग रहा है, श्रीमन्, कुल और बड़े उद्योगों में 3 प्रतिशत ही लग रहा है। आपकी जो नीतियां हैं जो यूरोप बनाने की कल्पना है, उसी के रहते आज हम बरबादी के कगार पर नजर आ रहे हैं। अगर हम खेती की पैदावार बढ़ा रहे होते तो न सिर्फ अपना पेट भर रहे होते

(श्री यदुनाथ सिंह)

बल्कि संसार का पेट भी भर रहे होते। न हमको तेल मंगाने की आवश्यकता होती, न किसी और चीज को इम्पोर्ट करने की आवश्यकता होती। हम संसार के समृद्धशाली देशों में एक होते। सभापति महोदय, आज जो पूंजी के एलीमेंट्स हैं उसके कई रूप हैं। उसका सिंचाई एक रूप है, उसका विद्युतीकरण एक रूप, उसका भूमि सुधार एक रूप है। सिंचाई की जहां तक बात है, श्रीमन्, दो डाक्यूमेंट इस साल के अन्दर हमारी क्या दशा रहने वाली है और पिछले साल का क्या मूल्यांकन है, हमारे सामने पेश किये गये। एक माननीय गवर्नर साहब का भाषण था और एक वित्त मंत्री का भाषण था। दो भाषण, दो आथेन्टिक डाक्यूमेंट सरकार की तरफ से इस साल आये। उनको पढ़ने से, सभापति महोदय, ऐसा लगता है आप स्वयं देखें, खेती का एरिया बराबर घट रहा है। अब यह बहाना लेते हैं कि अकाल की वजह से यह हो रहा है। अकाल क्यों है, भाई? हमारे देश में क्या पानी नहीं है? गंगा जमुना का पानी क्या हम इस राज्य में नहीं ला सकते हैं? ये कहते हैं, वह तो हमारे राज्य की बात नहीं है, तो क्या राजस्थान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में है? पानी पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिये। जब तक यह सोच पैदा नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। भूमि को और चीजों के अलावा पानी की जरूरत है। और चीजें आप खास मत दीजिये, खास खास कंजम्पशन के हिसाब से यदि आप देखेंगे प्रोडक्शन भी पर कैपिटा हमारा सब से कम है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे एग्रीकल्चर कॉलेजेज और रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके वैज्ञानिकों में कोई कमी नहीं है। वह हर तरह के प्रोडक्शन के लिये नये-नये सीड भी तैयार कर रहे हैं, नयी-नयी वैरायटी पैदा कर रहे हैं लेकिन आम आदमी तक वह चीज नहीं पहुंच पा रही है। उसमें कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। आम को उन चीजों की जानकारी नहीं है। आप अपने प्रदर्शन के लिये बहुत अच्छा प्रोडक्शन दिखा सकते हैं और होना भी चाहिये। कुछ प्रगति हुई, उसको मैं मानता हूं, कबूल करता हूं। लेकिन प्रति वर्ष जो हमारे उत्पादन को ग्रोस रेट है, वह पापुलेशन ग्रास रेट के मुकाबले पर नहीं आ रही है। नतीजन एक दिन वह आने वाली है, जिस तरह आप, सभापति महोदय, देख रहे हैं, बहुत से अरब कंट्रीज, जो आयल रिच कंट्रीज हैं, तेल को वीपन के रूप में यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो हमारा उत्पादन इतना घटता चला जाये कि...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : हमको किसी देश से अन्न लेने की नौबत आ जाये। अन्न के लिये हमारे पास पैसे की कमी अपने आप होगी, स्वतः ही होगी। जब खेती की पैदावार घटेगी। शक्तिशाली हम इतने हैं नहीं कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे देशों से जबर्दस्ती अन्न ले आये। सभापति महोदय, मेरा कहना यह है खेती में आप पूंजी का अधिक से अधिक

(श्री यदुनाथ सिंह)

विनियोजन कीजिये। खेती में जबतक अधिक से अधिक पूंजी का विनियोजन नहीं करेंगे खेत की सिंचाई के लिये काम नहीं करेंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। आपने इतना बड़ा बजट रखा है, आप बड़े आंकड़े देते हैं, इस साल इतने हैक्टेयर में पैदावार हो गई, इस साल इतने में हो गई, इस साल इतना प्रोडक्शन बढ़ गया। इस प्रगति का पूरा श्रेय आप अपने ऊपर लेते हैं। जब फसल खराब होती है तो सरकार कहती है मानसून खराब हो गया इसलिये फसल खराब हो गयी। जब अच्छी हो जाती है तो वह सरकार का अचीवमेंट हो जाता है। इन दोनों बातें में एक दूसरे के प्रति विरोधाभास है। अकाल आता है, इसका मतलब अभी भी हम प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं। जो कुछ हमने रिसर्च की, जो कुछ रिसोर्सेज डवलप किये हैं, वह इतने एड्यूक्वेट नहीं हैं कि उससे हमको लाभ मिल सकें।

इतना ही कहते हुए, सभापति महोदय, दो शब्द मैं पशुपालन के बारे में कहना चाहूंगा। खेती और पशुपालन, यह दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दुर्भाग्य से खेती में भी मैकेनिज्म जबर्दस्ती बहुत बढ़ता जा रहा है। इस देश में अच्छे-अच्छे ट्रेक्टर और अच्छी-अच्छी चीजों के आविष्कार हुए, बहुत सी चीजों के आविष्कार हुए। लेकिन मुझे दुःख है, यहां पर यह कहते हुए कि माल ढुलाई का ही मामला आप लीजिये, खेती की जोत का मामला लीजिये, अधिकांश जुताई आज हल से होती है या बैल से होती है। देश का 64 प्रतिशत माल आज बैलगाड़ी से ढोया जाता है। बैल की नस्ल कैसे सुधारी जाय, जानवर की नस्ल कैसे सुधारी जाय, इस पर हमारे यहां रिसर्च नहीं की गई, ढंग से इस पर कार्य नहीं किया गया। अच्छी-अच्छी सरकारी डेयरी और गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई है लेकिन उसमें भी कम्युनिकेशन गैप रहा। हल पर यहां कोई प्रयोग आज तक नहीं हुआ। आज पूरे देश भर में, खास कर नार्थन ग्रिड में बिजली के बेहद संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं। आने वाले समय में यह संकट और बढ़ जायगा। यह कोई बुरी बात नहीं है, प्रगति का प्रतीक होता है अगर बिजली की कमी है। तो सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में तो लोगों का जीवनयापन पशुपालन पर निर्भर है, वहां खेती नहीं होती है, इसलिये वह पशुपालन से जीवनयापन कर रहे हैं। इसलिये हमें जानवरों की नस्ल सुधारनी चाहिये, अच्छी नस्ल लाकर देनी चाहिये। कौन से जानवर कम लागत से कम खुराक में ज्यादा दूध दे सकते हैं इसकी जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

एक निवेदन और करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी उसमें अपने गुड आफिसेज का प्रयोग करें। मैं पिछले दो साल से यहां कह रहा हूं, अलीगढ़ के कुछ इलाकों में मैंने देखा है, वहां बैल से ट्यूब वैल चलाये जा रहे हैं। बैल चलता है उससे पानी निकलता है तो हमारा कितना फ्यूल बचेगा, कितनी हमारी स्टडी की प्राब्लम बटेंगी। मैं चाहूंगा राजस्थान सरकार इसके लिये कोई अध्ययन दल भेजे

(श्री यदुनाथ सिंह)

हरियाणा में इस प्रकार के कुछ संयन्त्र लगे हैं, यहां भी कुछ लोगों ने लगाने की कोशिश की लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाये। उनमें सुधार की आवश्यकता है। सिंचाई के जो भी साधन हैं, 26 मिलियन हैक्टेयर जमीन में से हम राजस्थान कैनाल के पानी, अण्डर ग्राउंड वाटर और सरप्लस वाटर का प्रयोग करते हैं तो भी सिर्फ 6 मिलियन हैक्टेयर जमीन की सिंचाई कर पाते हैं, बाकी 20 मिलियन हैक्टेयर का क्या होगा ? उसके बारे में हमें कोई चिंतन तो करना पड़ेगा, सिर्फ राजस्थान कैनाल से, पांच जिलों से राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। एक-एक इंच जमीन हमारे राज्य की किस तरह से सिंचित हो, हम पशुधन को किस प्रकार से हमारी इकानामी में कन्ट्रीब्यूट करने के लिये तैयार कर पायें इसके लिये प्रयास करें, इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री समापति : श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : समापति महोदय, एक दो लाइन है।

"मरने के बाद भी आंखे खुली रह गई कि आदत पड़ी हुई थी इनको इंतजार की"

कृषि विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। वह एक मायाजाल सा समझिये कृषि विभाग ऊपर से शुरू होइये नीचे पहुंचिये, नीचे से शुरू होइये ऊपर पहुंचिये। बुरा नहीं माने मंत्रीजी, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि आप भी यही सब कहते थे जब तक कृषि मंत्री नहीं थे।

श्री समापति : आप भूमिका कम बांधिये। बात जो कहनी है कह दें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरा निवेदन यह था बहुत समय नहीं बोलूंगा, स्पेसिफिक दो चार पाइन्ट ही कहना चाहूंगा।

श्री समापति : आपकी बहुत कृपा होगी।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप ऐसे टोकेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा।

नम्बर एक, राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा कृषि के विकास के लिये जो वैज्ञानिक जानकारियां दी जाती हैं या कोई किसानों को राय दी जाती है, अधूमन किसान जिनका पर्सेन्टेज ज्यादा हैं वह आपके क्षेत्र में भी है और मेरे क्षेत्र भी हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि पढ़े लिखे हैं नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड : यह मामला है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : उनको जाकर कोई अंग्रेजी या शुद्ध हिन्दी में समझाये तो जो यह कहते हैं न, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, वह वाली बात है। मेरा निवेदन यह था आपके माध्यम से कृषि राज्य मंत्री से कि अपने विभाग को निर्देश जारी करें कि किसानों को उनके कर्मचारी कोई बात समझायें या कोई वैज्ञानिक जानकारी दें तो क्षेत्रीय भाषा, राजस्थानी भाषा, उसकी उप भाषाओं में दें। ऐसे लोगों का ग्राम सेवक और कृषि पर्यवेक्षक के पद पर नौकरी में चयन करें ताकि वह सही जानकरी किसानों तक पहुंचा सकें और किसान उसका लाभ उठा सकें। दूसरा, मैं निवेदन कर रहा था, आपके विभाग में ग्राम सेवक और कृषि पर्यवेक्षक के पद है। पिछले तीन साल से मैं भी क्षेत्र में जाता हूं, माननीय समापति महोदय, आपको याद होगा, अपन दोनों एक बार साथ गये थे, एक कृषि मेला लगा था।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)
तब आपने इस बात को उठाया था ग्राम सेवक रहते कहां हैं।

श्री **सभापति** : मैंने आपको इसलिये बुलाया कि मेरी बात भी आप कह दो।

श्री **भैरूं सिंह गुर्जर** : इसलिये आप मुझे समय देते रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृषि मंत्री से आपके माध्यम से कि ग्राम सेवकों का कोई अता पता गांवों में नहीं रहता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं पिछले तीन वर्षों में जितनी बार मैंने क्षेत्र का दौरा किया है वहां जाकर जब पता करता हूं, किसानों से कहता हूं, तो किसान कहता है, हमें जानकारी दे कौन ? मैं कहता हूं, भाई ग्राम सेवक और कृषि पर्यवक्षेक देगा। पंचायत समिति में जो कृषि विभाग के आदमी लग रहे हैं वह देंगे। लेकिन, सभापति महोदय, उनका कोई अता पता नहीं रहता है। ग्राम सेवक महीने में एक बार केवल मात्र वेतन उठाने के लिये जिला कार्यालय, समिति के कार्यालय में पहुंच जायगा। इसके अलावा उसको क्या करना है। आप कभी अचानक किसी गांव में जाकर देखें। आपने डेप्यूट कर रखा है जिस किसी ग्राम सेवक को, आप वहां पहुंच जाइये, आप देखेंगे कि वह नदारद है। वह खुद अपनी कृषि की योग्यता बढ़ा रहा है। खुद अपनी जमीन में खेती कर रहा है जितनी आप उसको परीक्षण और प्रचार के लिये सामग्री दे रहे हैं, उसका उपयोग उसके खेत में हो रहा है। किसानों तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसके लिये आप कठोरता से कार्यवाही करें। अदम मौके पर जांच करें और कृषि मंत्रीजी को भी साथ ले जाये तो अच्छा होगा।

किसानों के भले के लिये कृषि विपणन बोर्ड बनाया गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पिछले कितने समय से बोर्ड का गठन नहीं हुआ है? जब आप किसानों को प्रतिनिधित्व ही नहीं देंगे तो बोर्ड क्या फायदा करेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह खामी दूर की जाय। जो पिछले तीन वर्षों में बोर्ड में शिथिलता आ गई है उसको दूर कर जल्दी से जल्दी जन प्रतिनिधियों का चयन करें।

सभापति महोदय, बीज निगम भी कृषि विभाग के अधीन ही आता है। आज बीज निगम के प्रति, मेरे ख्याल से, इस विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को शिकायत है। आपने भी कटौती प्रस्ताव दिया है और मेरा भी साथ में है इसलिये दोनों पर बोल लेता हूं। मेरा निवेदन यह है कृषि राज्य मंत्री जी से कि बीज निगम का मानीटरिंग सही नहीं होता है। प्रमाणित बीज नहीं आता। है जिन अधिकारियों को इस निगम में बैठा रखा है वे घपले करके प्रमाणित बीज इधर उधर कर देते हैं और बाजार से खरीद कर खराब बीज किसानों को देते हैं जिससे अकाल में थोड़ी बहुत फसल होती है वह भी खराब हो जाती है। इसलिये इस बीज निगम के बारे में पूरी गहराई से विचार करें और यह निष्कर्ष निकालें कि इसके बारे में क्या करना है ? इसका सीधा कन्ट्रोल अपने हाथ में ले लें ताकि निगम में सुधार हो सके। मेरा निवेदन तो यह है कि आपको एक्ट में ही परिवर्तन करना

(श्री भैरूं सिंह गुर्जर)
चाहिये कि सिर्फ लाइसेंसधारी ही बीज दें। आज आपकी व्यवस्था में यह होता है कि मर्जी आये वही गांवों में जाकर बीज बेचने लग जाता है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आज शाम को ही अपने जवाब में एक्ट में परिवर्तन करने की कोई न कोई घोषणा करेंगे।

इसके बाद में गोटेवालाजी के विभाग की तरफ आता हूं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे को भी तलाश थी।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : लेकिन मैं आपके डिपार्टमेंट का जीव नहीं हूं।

मेरा निवेदन यह था कि पश्चिमी राजस्थान में राजस्थान के सर्वाधिक पशु हैं। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र ही अकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां के पशुओं को आप जाकर देखें, पांच साल के अकाल की वजह से उनकी एक एक हड्डी गिनी जा सकती है। उनके लिये आप कम से कम चिकित्सा की व्यवस्था तो कीजिये। पहली बात तो यह है कि वहां पशु चिकित्सालय ही कम हैं और जो हैं उनमें जो चिकित्सक हैं वे भी प्राइवेट प्रेक्टिस ज्यादा करते हैं। निरीह पशुओं के इलाज के लिये 5-5 रुपये इंजेक्शन लगाने के लेते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गरीब लोगों, जिसके पास पशु हैं, से मनमानी फीस लेते हैं, यह उचित नहीं है। इस साल पशु चिकित्सालय आप खोलने जा रहे हैं, मेरे क्षेत्र में भी आप चिकित्सालय खोलने की घोषणा कर दें। वहां भवन बना हुआ तैयार है, सुविधाएं जो चाहते हैं वह उपलब्ध हैं इसलिये एक पशु चिकित्सालय ग्राम धनला, तहसील खारची, जिला पाली में खोलने की कृपा करें। इसकी आज ही घोषणा कर दें।

मत्स्य पालन विभाग के मंत्रीजी, आपका नम्बर आ रहा है, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आप पाली जिले के हैं, आपको जानकारी होगी और सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य को भी जानकारी होगी, जवाई बांध पाली जिले का सबसे बड़ा बांध है। वहां मछली पकड़ने का ठेका होता है, ठेकेदारों को मछली बाहर ले जाने की सुविधा दी जाती है। सरकार की तरफ से वहां सन 82 से ठेका नहीं दिया गया है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, यहां आने से पहले मैं रेलवे में भी नौकरी कर चुका हूं, जवाई बांध रेलवे स्टेशन से मैंने पता किया तो मालूम हुआ जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 के बीच सैंकड़ों क्विंटल मछलियां विभिन्न स्थानों दिल्ली, जोधपुर को गई हैं। जब ठेका हुआ नहीं तो यह आई कहां से? मुझे संशय हुआ तो मैं स्वयं जवाई बांध गया। वहां कच्चे बांध की तरफ, मैंने प्रत्यक्ष देखा, लोग-बाग मछली पकड़ रहे थे। वह रेलवे स्टेशन से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है वहां से मछलियों के पैकेज बनाकर दिल्ली, जोधपुर जगह-जगह भेजे जा रहे हैं। आस पास 40-50 कि. मी. की दूरी में जवाई बांध के सिवाय कहीं मछलियां नहीं हैं और जहां तक मुझे ध्यान है ठेका भी नहीं दिया है। मुझे आरोप तो लगाना नहीं चाहिये, अधिकारियों से काम पड़ता रहता है। लेकिन मेरा निवेदन

(श्री भैंरूंसिंह गुर्जर)

है, जो मत्स्य पालन अधिकारी हैं, जो मत्स्य विकास अधिकारी पाली या सिरोही के हैं उनको और जो जवाई बांध के कर्मचारी हैं उनको मैंने बताया लेकिन उन्होंने आज तक कार्यवाही नहीं की। दोष मेरा यह रहा कि मैंने उनको यह नहीं बताया कि मैं भी एक विधायक हूं। सभापति महोदय, इस बारे में मत्स्य पालन मंत्रीजी क्या कार्यवाही करेंगे, क्या जांच करायेंगे, इसकी स्पष्ट रूप से घोषणा करें।

धन्यवाद।

श्री **सभापति** : श्री देवदत्त तिवाड़ी।

श्री **देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं पहले कृषि के बारे में फिर पशुपालन के बारे में कुछ विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मुझे बीच में टोकना तो नहीं चाहिये लेकिन मेरा निवेदन है, जिनसे आप ज्यादा परिचित हैं उनको तो समय दे देते हैं। मैंने कई बार निवेदन किया है फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री **सभापति** : आसन के लिये सब बराबर है। आपको भी मौका मिलेगा।

श्री **देवदत्त तिवाड़ी** : वैसे तो हमारा प्रान्त अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों से भारी रूप से प्रभावित होता है इसलिये मैंने वर्षा और अकाल का विषय अलग रखा है और कृषि का विषय अलग रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कृषि उत्पादन के बढ़ने की कोई संभावना हो सकती है तो, जैसा यदुनाथ सिंहजी कह रहे थे भूमि तो बढ़ाई नहीं जा सकती लेकिन उस पर सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जा सके तो निश्चित रूप से लाभ होगा। उसके लिये बार-बार कहना तो पिष्टपेषण होगा। मैं मेरे इलाके की दृष्टि से एक बार पुनः विभागीय आफिसर्स के ध्यान में लाना चाहता हूं, उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया है, मैं उनसे गंभीरतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो नहर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं वह एक गलत प्रयत्न है। यह हमारे लिये पहले तो एक सपना है और उन्होंने यदि उसे पूरा भी कर दिया तो जो स्थिति पीछे की तरफ है, जो लोग अपनी भूमि को पहले सेचुरेट करना चाहते हैं उनको यदि रास्ते सेचुरेट होने दिया गया तो हमारे यहां चाहे कितने ही बड़े यह आपके ठाम या ठीकार बने हुए पड़े रहें उनमें पानी कभी नहीं पहुंचेगा और लोग-बाग अपने भाग्य को कोसते रहेंगे। उस आशय को तो आप छोड़िये, अगर आपको वास्तव में कृषि की पैदावार बढ़ानी है तो, जैसाकि अभी कहा जा रहा था, आपके जो ग्राम सेवक हैं उनकी संख्या बढ़ावें। उनको छोटे-छोटे एरिया आप सौंपें तभी कुछ काम बन सकता है। यदि एक आदमी तीस चालीस स्क्वायर माइल को संभाले, दो-तीन गांव संभाले तब तक वह कारगर तरीके से काम कर सके, यह सम्भव नहीं है। जहां तक मेरे इलाके का प्रश्न है, वहां के लिये आप रिसर्च का काम इतना अच्छा करिये, वहां के लिये बीज को ऐसा उन्नत करिये कि वह केवल एक वर्षा से पनप सके। पश्चिमी राजस्थान के इलाके में कभी-कभी तो एक वर्षा भी नहीं होती। यदि वर्षा होती है तो

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

एक वर्षा होती है। एक वर्षा के बाद अगर दूसरी वर्षा हो जाती है तो हम यह समझते हैं कि अब सुकाल आयेगा, अच्छा समय आयेगा। यदि तीसरी वर्षा हो जाये तो अकेला हमारा यह क्षेत्र सारे राजस्थान को बाजरी दे सकता है, यह मेरी गारन्टी है। आप केवल यह करायें, अपनी लेबोरेट्रीज, या जहां आप रिसर्च कर रहे हैं वहां ऐसा बीज तैयार करायें कि एक ही वर्षा में वह बीज तैयार हो जाये। एक ही वर्षा में बीज अंकुरित होकर तैयार हो जाये। आप यह न समझें कि इस चीज का कोई अभाव है। मुरठ नाम की एक वस्तु है, घास है, एक तरह का कांटा है, उसके अन्दर एक दाना होता है। हमारे यहां अकाल पड़ता है तब सैकड़ों आदमी इस मुरठ के दाने से अपना पेट पालन करते हैं, आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा लेकिन यह एक आश्चर्य की बात नहीं है यह एक यथार्थ है। आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि एक वर्षा से हमारे उस इलाके, जहां कि धोरे हैं, जहां कि रेतीली जमीन है, में इतना तुश होता है, जिसको इड्राइन बोलते हैं, कि हजारों टन लोग बेच देते है। उसका तेल निकाला जाता है। उसको किसान अच्छा शुद्ध करके मीठा करके काम में लेते हैं। उसके बीज को अनाज के साथ मिला कर भी खाते हैं। जब ऐसी वस्तुएं आपके पास मौजूद हैं तो आप उनको उन्नत कर सकते हैं। मैं एक बात आपके जो रिसर्च करने वाले आफिसर हैं, उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे यहां जब वर्षा होती है तो उस वर्षा के बाद पश्चिमी समुद्र, अरेबियन सागर से काफी कच्चे बादल हमारे ऊपर से पार होते रहते हैं, किसान उनके ऊपर बराबर आस लगाये रहता है। जब तक ये कच्चे बादल गुजरते रहते हैं तब तक उसको आस रहती है। किसान कहता है :

ऊमों जितरे आसरो,
मोडो जितरे मेह।

यानी यह निश्चित है कि जब तक इस तरह के कच्चे बादल गुजरेंगे वर्षा हो सकती है। आपके जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनमें अगर आप ऐसा आदमी नहीं पैदा कर सके जो इन बादलों से वर्षा करा सके तो कम से कम आप इस तरह की एक योजना ....

श्री महाराम चौधरी : एक लम्बे बांस से बादल में छेद कर दो ....

श्री देवदत्त तिवाड़ी : ऐसा हमारे यहां किसी एक चौधरी ने किया था लेकिन वह बांस कुछ छोटा पड़ गया था। जिस आदमी ने किया था उसने अपनी टाट पर बांस रखा था ....।

(व्यवधान)

तो आपको यह बात इसलिये कहनी पड़ रही है कि आप इस बात को आश्चर्य की बात समझते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है। आर्टिफिशियल वर्षा लोगों ने करायी है और करायी जा सकती है। इसलिये आप इसको आश्चर्य की बात न समझें। मैं आपको निवेदन करूं कि जिस वक्त पोकरण में एटामिक एनर्जी के बम्ब का विस्फोट किया गया था, जो कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिये एक परीक्षण था, उसके बाद लगातार चार पांच साल तक जमाना होता चला गया। तो क्या हम यह सोचने के लिये बाध्य नहीं हो सकते कि संभवतः

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

ऐसे ही एटॉमिक बम्ब या और कोई दूसरा बम्ब का विस्फोट किया जाये तो यह वर्षा-काल हमारे यहां पर बढ़ जाये....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : जैसा कि कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है ....

श्री देवदत्त तिवाड़ी : कृत्रिम गर्भाधान तो अच्छा नहीं चल रहा है। कृत्रिम गर्भाधान के लिये यदि अच्छी भूमिका तैयार की जाये तो इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर इसके लिये हम माइन्डेड नहीं हैं। आप कोई भी प्रोग्राम हाथ में लेते हैं तो उसके लिये पहले किसान का माइन्ड बनावें। चाहे आप कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लें, चाहे आप उन्नत बीज के कार्यक्रम लें यदि आपने उस किसान का उन्नत बीज को यूज करने का माइन्ड नहीं बनाया तो वह उसको प्रयोग में नहीं ला सकता है। मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि आप हमारे यहां पर कृत्रिम तरीके से कोई वर्षा नहीं करवा सकते हैं तो आप इसके लिये इनाम निकालें, लाख, दो लाख, चार लाख, पांच लाख का इनाम निकालें कि जो कोई कृत्रिम वर्षा करा देगा उसको यह इनाम दिया जायेगा। ऐसी घोषणा सरकार कर सकती है। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत संभावना है कई लोग उसके लिये आगे आयें।

मैं आपके सामने दो शब्द पशुपालन के बारेमें निवेदन करना चाहूंगा फिर मेरी बात समाप्त करूंगा। पशुपालन के संबन्ध में वैसी ही बात कह रहा हूं जैसी मैं वन विभाग के लिये कहता हूं। आप वन विभाग में बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। मेरी दृष्टि से आप अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन फिर वह वन विभाग नहीं रहता वह तो उपवन विभाग हो जाता है। जहां कहीं वृक्षों को लगाते हैं उसका नाम उपवन होता है। वह वन नहीं होता। वन तो; सभापति महोदय, वह होता है जिसमें कि अपने आप वृक्ष उगते हैं। उसका संरक्षण हम अच्छी तरह करें। हमारे यहां वनों की जो वनस्पति उगती हैं उसका यदि आप ठीक प्रकार से संरक्षण करें तो वह हमारे लिये बहुत उपयोगी होगी। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहां पशु की बात आप करते हैं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पश्चिमी राजस्थान में पशुओं की ऐसी दुर्दशा है कि उन पशुओं की आप हड्डियां गिन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है ऐसी दशा है। लेकिन इससे भी बुरी दशा यह है कि हमारे यहां का जानवर जो हमारे यहां पर दो सौ रुपये में नहीं बिकता है दूसरी जगह, पाकिस्तान में दो हजार रुपय उसकी हड्डी और चमड़ी के मिल जाते हैं। तो क्यों नहीं वह वहां चला जायेगा? वह तो वहां एक्सपोर्ट हो जायेगा। हमारे जानवर इस तरह से बाहर चले जाते हैं। जब सरकार एक तुल्ली की पेटी में चालीस तुल्लियां गिनवा कर डलवा सकती है; क्या वह सरकार इस बात में सक्षम नहीं है कि ऐसे जाने वाले जानवरों को रोक सके? वह निश्चित रूप से रोक सकती है। लेकिन कारण कोई इकानोमिक, आर्थिक ही होना चाहिये वह आर्थिक कारण यह हो सकता है कि आपका जानवर यहां करीब-करीब मुफ्त

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

में रह सके तभी यह चीज पैदा हो सकती है। किसान के लिये निवेदन करूंगा किसान जानवर को रख सकता है, उसे वह जंगल के अन्दर चरा सकता है वह दस पचास, सौ, एक हजार जानवर रख सकता है लेकिन, सभापति महोदय, वह कभी भी मोल लेकर चारा उन हजार जानवरों को नहीं खिला सकता है। उसे वह जानवर छोड़ने ही पड़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अन्दर पशुओं को पालने के लिये पानी घास और दाना अत्यन्त, नितांत आवश्यक है, इसलिये आप इन चीजों की अधिक से अधिक व्यवस्था कीजियेगा।

अकाल की बात मैं फिर निवेदन करूंगा; जब अकाल का विषय आयेगा। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं ....

श्री सभापति : सत्तापक्ष से भी बोलेंगे विरोधी पक्ष से भी बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : जो हमेशा बोलते हैं उन्हीं को बुलाया जाये और जो नहीं बोलते हैं वह कभी कभी चांस लेते हैं उनको चांस नहीं दिया जाता है, मतलब यह होता है ....

श्री सभापति : मुख्य सचेतक महोदय ने जिस क्रम में आपका नाम दिया है उसी क्रम में आपका नाम आयेगा।

श्री महाराम चौधरी : हमको बीकानेर तक जाना है।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, अभी नदबई से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि खेती में पूंजी का विनियोजन अधिक से अधिक होना चाहिए। हमारे यहां कृषि विभाग, किसानों के लिये क्या करता है, मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। राजस्थान का बीज निगम सारे देश में इस बात के लिए कुख्यात है कि गत तीन वर्षों से यह अमानक बीज किसानों को दे रहा है।

(4.00 म.प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

चाहे संकर ज्वार का बीज हो, चाहे संकर बाजरे का बीज हो लेकिन ऐसा बीज दे रहा है जिसमें 80 प्रतिशत बीज की अंकुरण क्षमता निर्धारित दर से कम है। सभापति महोदय, मैंने पिछले सत्र में एक प्रश्न रखा था, उस पर मंत्री महोदय ने यहां यह आश्वासन दिया था कि जिसका बीज अमानक सिद्ध हो जायेगा ....

(व्यवधान)

मेरा यह दुर्भाग्य है कि जिस मंत्री को मैं सुनना चाहता हूं वे बातों में मशगूल हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप यहां आये हैं तभी से बीज का जितना घोटाला हुआ है, आपने उसको दबाया है इसलिए मैं आपको ही सुनाना चाहता हूं। राजस्थान स्टेट के लिए यह शर्म की बात है कि 80 पर्सेन्ट

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

बीज अमानक सिद्ध हो जाय और आप किसानों को मुआवजा नहीं दें। पिछली विधान सभा में तत्कालीन कृषि मंत्री महोदय ने हमको यह आश्वासन दिया था कि जिस किसी का बीज अमानक सिद्ध हो जायेगा, उसको मुआवजा दिया जायेगा। मुआवजा देने के लिए बीज निगम ने 17 पत्र कृषि विभाग को लिखे हैं कि मुआवजा कैसे तय किया जाय लेकिन कृषि विभाग ने उत्तर नहीं दिया। आपने मुझे विधान सभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि बीज बदल दिया गया है। उनको बीज के बदले बीज दे दिया गया है। क्या आपकी परिभाषा में मुआवजा बीज के बदले बीज ही देना होता है। जिस किसान का खेत खाली रह गया, जिसका फर्टिलाइजर बेकार चला गया, जिसकी पैदावार मारी गई उसके लिये उस व्यक्ति को क्यों नहीं दंडित करते जो यह अमानक बीज यहां लाया। आपने मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि आपने कितनी ज्वार खरीदी है और उसमें कितना बीज अमानक सिद्ध हुआ है। आपके पास 4,878 क्विन्टल, 45 किलोग्राम संकर ज्वार थी उसमें से 3,412 क्विन्टल के आपने नमूने लिये। 3,412 क्विन्टल के जो नमूने लेबोरेट्री में भेजे, सभापति महोदय, आपको सुनकर दुःख होगा कि 2,216 क्विन्टल ज्वार के नमूने अमानक सिद्ध हुए। अमानक, कैसे अमानक? ज्वार का बीज 75 प्रतिशत अंकुरण पर मानक बीज माना जाता है। गत वर्ष उसको कम करके 60 प्रतिशत कर दिया। यह नमूने तो 60 प्रतिशत मानने पर अमानक सिद्ध हुए हैं। यदि 75 प्रतिशत से हिसाब लगाया जाय तो सीड कार्पोरेशन का एक भी सैम्पल मानक नहीं है। पूरी ज्वार जितनी सीड कार्पोरेशन ने खरीदी, सब-स्टैण्डर्ड है। यह कहते हैं कि इस साल तो सब जगह ऐसा ही हुआ। तो नेशनल सीड कार्पोरेशन के कितने नमूने फेल हुए? कृषि मंत्री महोदय, माईको कम्पनी के कितने नमूने फेल हुए? यह आपके बीज निगम को ही क्या हो रहा था कि उसके सारे नमूने फेल हो गये और किसानों के सारे खेत खाली रह गये? आपके डिप्टी-डायरेक्टर ने रिपोर्ट की, आपके रीजनल मैनेजर ने रिपोर्ट की, उस क्षेत्र के पंचायत समिति के प्रधानों ने रिपोर्ट की लेकिन कृषि विभाग कान में तेल डालकर बैठा रहा। क्या करता है यह बीज निगम? क्या इसी प्रकार का बीज किसानों को बांटने के लिये बना है? मैं आग्रह करूंगा, सरकार ने जो आश्वासक दिया है कि जिनका बीज अमानक सिद्ध हो गया, जिन किसानों को अमानक बीज दिया गया है, उन किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिये। यह बीज निगम की जिम्मेदारी है कि उन किसानों की क्षतिपूर्ति करे। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का एक जवाब और पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इन्होंने उन्नत बीज प्रचार के लिए एस.बी. बी. 245 ज्वार बांटी जिसके 36,516 प्रदर्शन किये गये। इनमें सफल कितने हुए? तीन सौ उन्यासी और बाकी सब फेल हो गये। 36,516 में से 379 सफल प्रदर्शन हुए। जिन किसानों ने यह प्रदर्शन लगाये, सभापति महोदय, उन किसानों की क्या हालत होगी और उन्नत बीज के बारे में उनकी क्या राय बनेगी? यह बीज कहां से गया? यह बीज कहां टैस्ट हुआ था? यह बीज उगा क्यों नहीं? आपके ए. ई. ओ.

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

की क्या रिपोर्ट आयी है, यह आपकी जानकारी में होगा। आप इन घपलों की जानकारी तो कीजिये। मेरा आपसे यह निवेदन है कि संकर ज्वार के मामले में जो घोटाला हुआ है इस घोटाले की आप ठीक से इन्क्वायरी कराइये। आपके तत्कालीन एग्रीकल्चर सैक्रेटरी की जांच कोई आई. ए. एस. ऑफिसर नहीं कर सकता। वह एक बार सस्पेन्ड हो चुका है। निर्लज्जता से उसने कृषि विभाग को लूटा है। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि उसके सामने बोल जायं और आप उसकी किसी आई. ए. एस. आफिसर से जांच करायेंगे। आप अपने स्तर पर जांच कीजिये, आपको पता लगेगा कि कितना पैसा उसने प्राइवेट फर्म से खाया है और किसानों का सत्यानाश किया है। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप दण्ड देंगे।

इसी प्रकार आप इन्सेक्टीसाइड, पेस्टीसाइड्स को ले लीजिये कितने नमूने, सेम्पल लिये जा रहे हैं? कितने अमानक सिद्ध हो रहे हैं? कितनों का चालान हो रहा है? नहीं हो रहा है? आपका डिप्टी डायरेक्टर, प्लान्ट प्रोटेक्शन, मैन्यूफेक्चर से मिल कर पैसा खा रहा है और चालान नहीं होने दे रहा है। सेम्पल नहीं लिये जा रहे। आपके डिप्टी डायरेक्टर ने यह धंधा करना शुरू कर दिया। सभापति महोदय, फर्टिलाइजर के सेम्पल नहीं लिये जा रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन किया है तो असिस्टेन्ट डायरेक्टर क्वालिटी कन्ट्रोल भागे-भागे फिर रहे हैं। एक-एक दिन में 100-100 नमूने ले रहे हैं। 100-100 नमूने एक-एक दिन में चाहे वह नमूना गलत ढंग से ले लिया गया हो, लेकिन मेरे क्वेशचन का जवाब आ जायेगा, इतने नमूने ले लिये गये। कौनसी तारीख को नमूने लिये गये, आप पता लगाइये। यह पांच असिस्टेन्ट डायरेक्टर, क्वालिटी कन्ट्रोल बैठे-बैठे क्या कर रहे हैं; आप इसका पता तो लगाइये। उदयपुर का एक फर्टिलाइजर है उसका मैं उदाहरण देकर बताता हूं। लिबर्टी पेस्टीसाइड उदयपुर का मामला है। यह एक फर्टिलाइजर एन.पी.के. निकालते हैं 8,16, 38 यानी नाइट्रोजन 8 फास्फेट 16 व पोटाश 32। इसकी जांच लेबोरेट्री में अभी-अभी हुई है। उसका रिजल्ट क्या आया है? फास्फेट जहां 16 होना चाहिये था वहां 1.6 आया है। 16 मिला दिया उन्होंने, बीच में पाइन्ट लगा दिया। 16 प्रतिशत की जगह 1.6 कर दिया। यह उस फर्टिलाइजर का रिजल्ट है। आज किसानों को कैसा फर्टिलाइजर मिल रहा है उसका एक नमूना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। कोटा के श्रीराम केमिकल्स का यूरिया हरियाणा में टैस्ट हुआ। वह अमानक सिद्ध हुआ। उनके वहां से वारन्ट आया। यहां आपने किसी मैन्यूफैक्चर के वारन्ट निकलवाये? किसानों के चालान किये। यह फर्टिलाइजर वहां कैसे अमानक सिद्ध हुआ राजस्थान में क्यों नहीं अमानक सिद्ध होता है इस लिये कि आपके सारे अधिकारी मिले हुए हैं। किसी मैन्यूफैक्चर का चालान। डिप्टी डायरेक्टर, प्लान्ट प्रोटेक्शन नहीं होने देता, मेरा डायरेक्ट चार्ज है। आपके इतने ऑफिसर हैं उन्होंने कितने नमूने लिये? क्या आपके ऑफिसरों को नमूना लेना आता है? क्या लैबोरेट्री में समय पर जांच हो जाती है? सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, सरकार ने यह स्वीकार किया है कि चालान क्यों नहीं हो पाते हैं, यह कहते है कि

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

नमूनों का नियमित रूप से प्रयोगशाला में न जाने का कारण प्रयोगशाला विश्लेषण पर अत्यन्त दबाव है। यानी नमूने टाइम पर जाते ही नहीं हैं। दूसरा कहते हैं कि प्रयोगशाला पर दबाव बहुत है। मतलब है काम ज्यादा हैं। काम ज्यादा है तो आप एक लेबोरेट्री और स्थापित कीजिये। यह किसकी ड्यूटी है कि लेबोरेट्री पर दबाव ज्यादा है। बिजली व पानी नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण नमूने की जांच नहीं होती। फिर लिखते हैं कि प्रयोगशाला में पूर्ण सुविधाएं कम होने के कारण जांच नहीं हो पाती। सभापति महोदय, किसके स्तर पर यह काम होता है? यदि लेबोरेट्री में दबाव ज्यादा है तो आप एक दूसरी लेबोरेट्री क्यों नहीं स्थापित करते? आपने कितनी लेबोरेट्रीज यहां बना रखी हैं? यदि खाद, इन्सेक्टीसाइड और पेस्टीसाइड के नमूने प्रयोगशाला में टेस्ट नहीं हुए, तो किसानों का क्या होगा? आपने सुना होगा, दिल्ली और हरियाणा में कितनी फर्जी कम्पनियां चल रही हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि इन्सेक्टीसाइड, पेस्टीसाइड में इतना घोटाला है कि फसल पर छिड़कने के बाद उसका कोई लाभ नहीं होता है। किसान का पैसा मारा जाता है। सरकार के पास जो सब्सिडी सेन्ट्रल गवनमेंट की आती है उसका पैसा डायरेक्टर, एग्रीकल्चर के दफ्तर में पड़ा रहता है किसानों तक नहीं पहुंचता है। सभापति महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य खेती में अधिक से अधिक पूंजी विनियोजन की बात कर रहे थे। मैं कहता हूं डिपार्टमेंट के पास जो फैसेलिटीज हैं क्या उनका उपयोग हो रहा है? सभापति महोदय, एक आश्चर्य आपको और होगा। मैं आपको एक और उदहारण दूं। डिप्टी डाइरेक्टर, प्लान्ट प्रोटेक्शन ने केन्द्रीय सरकार से जो सब्सिडी आती है उससे जिंक-फास्फाइड खरीदा है। सभापति महोदय, यह जिंक फास्फाइड लाखों रुपये का खरीदा गया है। वह अपने यहां लेबोरेट्री में टेस्ट हुआ, उसमें अंकुरण क्षमता 80 प्रतिशत होनी चाहिए, वह 20 प्रतिशत पायी गयी। इस जिंक फास्फाइड का अगर एक कण भी पेट में चला जाय, तो आदमी मर जाता है। डिपार्टमेंट के लोग हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे तो मंजन करना चाहिए। वह लेबोरेट्री में अमानक सिद्ध हो गया। उसके दूसरे दिन से सारे आदमी उसको बेचने में लग रहे हैं। सारे ग्राम सेवक इसको बेचने के लिये लगा दिये, सारे बी. डी. ओ. को लगा दिया और कहा कि यह सारा बिक जाना चाहिए वरना इसका जवाब तलब होगा। मंत्री महोदय, क्या आप इसकी जांच करायेंगे? जिंक फास्फाइड कहां से खरीदा गया, किसने खरीदा? यह अमानक कैसे सिद्ध हो गया? यह आपकी लेबोरेट्री की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। यह घोटाला किसने किया?

श्री **सभापति** : संक्षेप में।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

श्री **सभापति** : बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन कृपया संक्षेप में कहें।

श्री **रघुवीरसिंह कौशल** : आप कहें तो बैठ जाऊं, माननीय सभापति महोदय।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

मैं उन मुद्दों पर कह रहा हूं, जिन विभाग को कार्यवाही करनी है। इसलिये मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं, आप नये आये हैं। आप गांवों से संबंधित हैं, आप हमारी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। यह लेबोरेट्री में जो कुछ हो रहा है, लेबोरेट्री की हालत भी आपको बताता हूं। मैं एक दिन लेबोरेट्री में गया, वहां क्या है, एक कमरा है, सफोकेशन है, उसमें आपकी लेबोरेट्री चल रही है। मेरे जाते ही, मुझसे कोई बात नहीं करता है, कहते हैं कि यह वहां प्रश्न उठायेंगे। लेकिन लेबोरेट्री में क्या हो रहा है? जो आपके इन्सपैक्टर्स नमूना लेते हैं, क्या आपने उनको इतना बजट दे रखा है कि सेम्पल लेने के बाद में माल के मालिक को पैसा दे दें? नहीं दे रखा। पूरी कोशिश, ठेठ से ठेठ तक यही है कि जितने कम सेम्पल लिये जाएं, उतना ही अच्छा है।

आपने भी बड़ी कृपा की अबकी बार हमारे ऊपर कि पौध संरक्षण पर बजट ही कम कर दिया। आपने जो बजट था उसको भी लैप्स कर दिया कृषि मंत्री महोदय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में मत आइये। आप किसान खानदान से हैं, आप किसान के दर्द को समझिये। यह देखिये कि लेबोरेट्री के अन्दर क्या-क्या कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैंने कई योजनायें विधान सभा के पिछले सत्र में रखी थीं कि राजस्थान के लिये क्या-क्या किया जा सकता है। जो काम आपके स्तर का है जो थोड़ी सी मेहनत से हो जायेगा किन्तु उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया"। मैंने कहा, देखिये सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसमें कम लागत, पैदावार ज्यादा है। इसकी नेशन की जरूरत है, यह अन्य राज्यों में चल रही है आप इसके लिये क्या कर रहे हैं? सभापति महोदय, उस समय यह जवाब दिया गया था कि हम इसके लिये बहुत कुछ कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी योजनाएं बतायी गई। मैंने प्रश्न किया, तो इन्होंने बताया कि 1982-83 में लगभग 50 हजार हैक्टेयर में सोयाबीन का उत्पादन किये जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये 1000 क्विंटल बीज वितरण, 625 प्रदर्शन, 5000 हैक्टेयर में पौध संरक्षण कार्य सम्पन्न कराने का कार्यक्रम बनाया गया है। प्रमाणित बीज के वितरण पर 150 रुपये प्रति क्विंटल, सत्यापित बीज पर 100 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देय है? क्या किया आपने? किसी को प्रमाणित बीज दिया क्या? क्या आपने प्रमाणित बीज पर किसी को अनुदान दिया? कितने प्रदर्शन सोयाबीन के आपने लगाये हैं? कितने हैक्टेयर में सोयाबीन की खेती हुई है? कहीं बीज के लिये किसी ने कोई, कष्ट किया है? मैं कहता हूं, राजस्थान के किसी अधिकारी ने सोयाबीन को दूसरे राज्यों में जाकर देखा? उनसे जान लिया है, बीज लाने की कोशिश की है? कहीं नहीं की है।

श्री देवेन्द्र सिंह: सोयाबीन की कौन सी सबसे बढ़िया किस्म राजस्थान में आप मानते हैं जिसको हम यहां काम में ले सकते हैं?

श्री रघुवीरसिंह कौशल: बहुत-बहुत धन्यवाद। वह भी बताऊंगा। पहले मैं यह सुना दूं कि आपने मुझे क्या जवाब दिया है। आपने मुझे कहा है कि नोटिफाइड वेरायटी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

तो नोटिफाइड वैरायटी क्या होती है ? नोटिफाइड वैरायटी वह होती है जो राजस्थान की प्रयोगशालाओं ने यहां के इलाकों के लिये सफल सिद्ध की हो, कौनसी वैरायटी आपकी प्रयोगशाला ने सफल सिद्ध की है, इस इलाके के लिये ?

श्री देवेन्द्रसिंह : मैं तो सलाह ले रहा हूं उल्टी ।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपकी यह नियत रही तो मैं आपको सुझाव जरूरी दूंगा। सभापति महोदय, अलंकार, ब्रेग, पंजाब वन टी–49, शिलाजीत सी. ओ. के. एम., के. एस., के. एम. एफ. अंगूर, ली, कलार्क टी. के. 327, दुर्गा, जे. एस.।

श्री देवेन्द्र सिंह : इसको पूरा पढ़ो। राजस्थान की नहीं है ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह राजस्थान की नहीं है, मैंने जो सूची मांगी थी नोटिफाइड वैरायटीज की····

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : यह भारत सरकार द्वारा सीड्स की नोटिफाइड वेरायटी है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपने इसमें न तो यह लिखा कि यह भारत सरकार के द्वारा नोटिफाइड है और न आपने यह लिखा कि राजस्थान सरकार द्वारा नोटिफाइड है । मेरे पास तो यह एक कागज आया है इसमें कुछ नहीं आया है ।

श्री देवेन्द्र सिंह : उत्तर पढ़िये उत्तर ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उत्तर नहीं दिया अभी मुझे आपने ।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : टेक्नीकल बातों को तो रहने दो ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के लिये कौनसी वैरायटी उपयुक्त है इसे देखने के लिये आपको रिसर्च स्टेशन पर प्रयास करना पड़ेगा । उनको बजट देना पड़ेगा आपके यहां नानसर और बोरखेड़ा दो फार्म पर रिसर्च हो रही है । उन्होंने टी-49 को पसन्द किया है। टी-49 की पैदावार अच्छी है लेकिन इसका पीरियड ज्यादा है । इसका पीरियड कम करने का वह प्रयत्न कर रहे हैं । जिस दिन आपने टी-49 का पीरियड कम कर दिया उस दिन यह टी- 49 बहुत सफल होगी ।

श्री देवेन्द्र सिंह : यह काली है या पीली है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सफेद है। मध्यप्रदेश में गौरव और दुर्गा, ये दो वैरायटी चल रही हैं, मंत्री महोदय, बहुत पापुलर हैं । मध्यप्रदेश राजस्थान से लगता हुआ इलाका है । आप उन वैरायटीज को यहां मंगायेंगे तो वह भी काम देंगी । सफेद वैरायटी कई ऐसी हैं जिनके लिये मैंने रिसर्च स्टेशन पर जाकर कहा है, आप उसको टैस्ट करके बता दीजिये कि कौनसी वैरायटी ठीक है ताकि हम उसका उपयोग करें । मेरा निवेदन यह है, आपने पिछली बार सोयाबीन का एक प्लान

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

बनाया, लेकिन उसको इम्पलीमेंट नहीं किया। यह सरकार की ओर से मुझे जवाब दिया है, इतने प्रदर्शन लगाये जायेंगे इतना यह किया जायेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि बीज की व्यवस्था अभी से करें। कहीं यह सीड कॉर्पोरेशन फिर प्राइवेट पार्टी से बीज खरीदेगी तो संकर ज्वार जैसी ही हालत कर देगा।

श्री **सभापति** : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री **रघुवीरसिंह कौशल** : आप कहें तो बैठ जाऊं, साहब, मैं।

श्री **सभापति** : आप पूरा कर लें, संक्षेप में कहें।

श्री **दाऊ दयाल जोशी** : इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं।

श्री **रघुवीरसिंह कौशल** : विशेषज्ञ तो नहीं हूं, मैं किसान हूं इसलिये बोल रहा हूं।

श्री **सभापति** : यह बात सही है लेकिन....

श्री **रघुवीरसिंह कौशल**: मेरा निवेदन है। इस विषय में यह एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा। वह यह है, डायरेक्टर आइल सीड ने सोयाबीन का एक प्रोजेक्ट बनाया है, देश का, उसमें राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है। यदि आप देखें तो सोयाबीन के लिये मध्य प्रदेश से भी अच्छी जलवायु कोटा, बून्दी, झालावाड़ और चितौड़गढ की है परन्तु उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। सुविधायें हमको मिल सकती थीं, जो आज मध्य प्रदेश में मिल रही हैं। वहां 1150 रुपया क्विंटल सब्सिडी बीज पर है, मध्य प्रदेश में वी. डी. साइड पर खरपतवार नाशक दवाओं पर पचास प्रतिशत सब्सिडी है। मैंने पिछली बार विधान सभा में कहा था और आपके यहां से एक प्लान भी बना है परन्तु उसमें वी. डी. साइड की सब्सिडी का प्रपोजल भेजना ही भूल गये। सीड पर सब्सीडी मिले, केवल यही प्रपोजल आपने दिया हैं। वी. डी. साइड में 200 रुपया एकड़ का खर्चा आता है। उसमें यदि 50 प्रतिशत सब्सिडी मिल जाय तो किसानों का कल्याण हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सोयाबीन के लिये आप किसी एक अधिकारी को नियुक्त कर दें। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती बहुत बड़े इलाके में होती है वहां पर सोयाबीन डायरेक्टर है। आप यहां एक डिप्टी डायरेक्टर सोयाबीन का बना दीजिये। सोयाबीन का बीज अभी से खरीदा जाय। उच्च अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिलवाइये। राजस्थान में किसानों को इसकी खेती का प्रशिक्षण दिया जाय, इसकी व्यवस्था करें ताकि जिस क्षेत्र में सोयाबीन हो उस में सोयाबीन की खेती अच्छी प्रकार से हो सके।

मंत्री महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, चने की सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने जो तय की है उस सपोर्ट प्राइस पर चना नहीं बिक रहा है। आप कहेंगे यह मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है। आपके डिपाटमेंट का काम नहीं है लेकिन कृषि विभाग है। सुझाव देना आपका भी कर्त्तव्य है। आप सुझाव दे कि आज चना सपोर्ट प्राइस से

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

नीचे बिक रहा है । मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में;विशेष रूप से चम्बल कमांड एरिया और राजस्थान केनाल एरिया, जहां पर सिंचित जमीन है, में जो सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें यदि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खोलने का प्रयत्न करें तो किसान का बेटा एन.पी. के. समझ जायेगा कि एन. क्या होता है, पी. क्या होता है, के. क्या होता है । इस खेती की ओर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो भला होगा । यह जो डिपार्टमेंट में गड़बड़ हो रही है, यह घोटाला डिपार्टमेंट है । लोहा-काण्ड पिछले विधान सभा सत्र में मैंने रखा था, कितना लोहा आपके यहां से चला गया । कितना बीज में घोटाला आपके यहां से हो गया ? सारे प्रूव्ड फैक्ट्स हैं, लेकिन उसको लिगर ओन करेंगे तो यह मामला बढ़ता जायेगा । एग्रीकल्चर सैकेटरी स्वयं डिसआनेस्ट हैं उन्होंने पैसा खाया तो विभाग में होड़ लग गयी है कि कौन कितना पैसा खा सकता है । हम आपसे आशा करते हैं, जो गलती करता है उसको दंडित करेंगे । यह नहीं हो कि एक ऑफिसर आई. ए. एस. की आई. ए. एस. आफिसर जांच कर रहा है । आप अपने स्तर पर जांच कराइये । मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आप ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में न आकर अपना पी. ए. कोई रिटायर्ड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को बना लें । वह आपको ज्यादा अच्छा सुझाव दे सकता है और उससे किसान का भला हो सकता है । वरना डिपार्टमेंट की तो कोई कमी नहीं है । हमारे यहां पर एक डी. ई. ओ. ने जो बैग्स आते है सीड कार्पोरेशन के उस बैग में अपना गेहूं भरकर किसानों को दे दिया । सी. ए. डी. कमिश्नर को हमने उसकी शिकायत की । ए. ई. ओ. और ग्राम सेवक तो सस्पेण्ड हो गये लेकिन डी. ई. ओ. साहब बच गये । सारी प्लानिंग उन्होंने की, अपना बीज बेचा है, यह सिद्ध हो गया लेकिन उनको दंडित नहीं किया जा रहा है ।

सभापति महोदय, इन्सेक्टीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सीड आदि जो विभाग से संबंधित मामला है उन पर थोड़ा-सा आप गौर कर लेंगे तो किसान यह महसूस करेगा कि हमारी कोई सुनने वाला है । बीज के बारे में हमने शिकायत की थी उस पर तुरन्त कार्यवाही कर लेते तो दोषी लोग पकड़े जाते । आज आपके पास ज्वार का बीज यह बच गया, इसका क्या करेंगे आप ? यह अमानक बीज है। इसलियें आप इसको बाजार में बेच नहीं सकते । बीज के लिए दे नहीं सकते । फिर कोई फर्जी आदमी आ जायेगा तो इसको बेच देगा । इसलिये मेरा निवदन है कि कहीं कोई बेकार कुएं पड़े हों उनमें इस बीज को डलवाकर उन कुओं को बंद करवा दीजिए। वरना बीज थैलियां बदल जायेंगी । इस साल लाखों रुपए की थैलियां सीड कार्पोरेशन में आई हैं । पुराना बीज नयी थैलियों में भरकर बेचेंगे । इसलिये आप इस बीज को नष्ट करवा दें । सीड कार्पोरेशन की बैलेंस शीट प्रकाशित करें । सीड कार्पोरेशन में क्या हो रहा है, हम भी शेयर होल्डर

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)
हैं हमारे शेयर सुरक्षित हैं या नहीं, यह भी देखें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 45 मिनट हमारी पार्टी का समय है। बोलने दें आप।

श्री सभापति : 15 मिनट ले लिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं इतना ही निवेदन करता हुआ कि आप इस ओर विशेष ध्यान देंगे, जो कुछ मैंने थोड़े बहुत सुझाव दिये हैं उन पर गौर करेंगे। लेबोरेट्रीज आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुलवा दीजिए। मिट्टी के परीक्षण की व्यवस्था अन्य प्रदेशों में देखें, चाहे हरियाणा में देखें, चाहे पंजाब में देखें, चाहें यू. पी. में देखें हर डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए एक-एक लेबोरेट्री है। हमारे यहां कितनी लेबोरेट्रीज हैं? मिट्टी का परीक्षण नहीं हो पा रहा। अभी हमने चम्बल कमाण्ड एरिया की मिट्टी का परीक्षण करवाया, उसकी पी. एच. वेल्यू 10 से ऊपर पहुंच गयी। हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। किसान को यदि इसका ज्ञान होगा तो किसान अपनी मिट्टी के सुधार के लिये कुछ न कुछ करेगा। लेबोरेट्रीज में आप स्टाफ बढ़ाइये। सीड्स, पेस्टीसाइड्स टेस्ट करने की जो लेबोरेट्रीज हैं, जो फर्टिलाइजर्स टेस्ट करने की लेबोरेट्रीज हैं, उनकी आप क्षमता नहीं बढ़ायेंगे तो जवाब यहीं देंगे कि लेबोरेट्रीज पर दबाव ज्यादा आ गया। मेरे इन सुझावों के साथ-साथ मैं पशुपालन मंत्रीजी से दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं। आपने समय कट कर दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे लिए 5 मिनट दे दीजिये, साहब, मैं कुछ सुनना चाहता हूं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पशुपालन मंत्री महोदय, मैं यदि आपके डेयरी डवलपमेंट विभाग का पोस्ट मार्टम करूं तो आप दंग रह जायेंगे। एक थीसिस है मेरे पास जिसने डेयरी डवलपमेंट पर यह थीसिस लिखी है उसने इस थीसिस के आधार पर यह सिद्ध किया है कि डेयरी डवलपमेन्ट पतन के गर्त में जा रहा है। यह रिकार्डेड है। आप कहेंगे तो मैं इसकी एक कॉपी आपको दे दूंगा। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सुझाव दो आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सुझाव मैं एक तो यह देना चाहता हूं, आपने जितने व्यर्थ के कार्यक्रम लिये हैं या कृत्रिम गर्भाधान के जितने कार्यक्रम लिये हैं, चाहे वह जर्सी गायों के हों, चाहे होल्स्टी नस्ल के हों, क्या आप यहां के वातावरण को उस नस्ल के लिये उपयुक्त पाते हैं? क्या एफ-3 यहां सफल हो जाता है? आज केरल में एफ-3 के बाद की जितनी जेनरेशन हो रही है वह सब मर रही है। देशी सांडों के जितने भी प्रजनन केन्द्र थे वह आप उखाड़ते चले जा रहे हैं।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

4 केन्द्र रह गये थे उनमें से भी 3 केन्द्र रह गये । मैं आपको एक प्रेक्टिकल उदाहरण देना चाहता हूं । मंत्री महोदय, मैं एक जर्सी सांड ले गया मेरे गांव में, सैकड़ों बछड़े-बछड़ी उसके पैदा हुए । बाहर के लोग आकर अच्छी कीमत पर उनको खरीद कर ले जाने लगे । एक बार गाय बीमार पड़ गयी । मैंने बारां से डॉक्टर बुलाया । उन्होंने कहा, डि-हाइड्रेशन हो गया । वह ड्रिप्स चढ़ा गये । उसके बाद मैंने कोटा के डी. एच. श्रो. को बुलाया, उन्होंने भी कहा डि-हाइड्रेशन है । लेकिन मेरे यहां भी एक डॉक्टर जीवनलाल है, जो मरने के बाद पशुओं को उधेड़ता है। उसने कहा, मैंने जब इसकी खाल उधेड़ी तब देखा कि इसके सीने पर बूंदे बूंदे थीं । इसको माता है । मैंने डी. एच. श्रो. साहब को कहा, श्रीमन्, हमारा डॉक्टर जीवन-लाल इसके माता बता रहा है आप इसका टेस्ट तो करवाइये । उस गाय का गोबर जयपुर भेजा गया । उसको माता थी । जब तक रिपोर्ट गयी तब तक मेरे गांव के 90 प्रतिशत जर्सी नस्ल के जानवर, बछड़े-बछड़ी, गायें समाप्त हो चुके थे । जब तक पशु चिकित्सालय की प्रॉपर व्यवस्था ठेठ गांव तक नहीं हो, मेरा आपसे सानुरोध निवेदन है कि देशी सांड के प्रजनन को बंद मत करवाइये । देशी सांड आपने इस साल में कितने बांटे हैं ?

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची) : सेम कह रहा हूं, शेम नहीं कह रहा ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आज पशुपालन मंत्रीजी इतने अच्छे मूड में हैं जितने कभी नहीं रहे । हाउस में वे कभी सीरियस नहीं रहते पर आज सीरियस हैं । इसलिये मैं उनको कुछ सुझाव दे रहा हूं । आप देशी नस्ल के सांड के प्रजनन बंद मत करवाइये । गीज नस्ल के खराब नहीं हैं । आपने प्रजनन केन्द्र बंद कर दिये हैं । जहां सुदूर गांवों में चिकित्सा व्यवस्था नहीं हैं वहां आप अच्छी नस्ल के सांड़ों, जिनमें रेजिस्टेन्स पावर है, को भिज-वाइये । अन्यथा यह जो जर्सी नस्ल के सांड हो रहे हैं, गांव में मेन्टीनेंस ठीक नहीं हो सकती, हमारे यहां बारां में जर्सी नस्ल की गायें.....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक निर्धारित समय में वृद्धि

श्री देवेन्द्र सिंह : सभापति महो-दय, सदन का समय डिमाण्ड समाप्त नहीं हो, तब तक बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय जब तक डिमाण्ड पर बहस चलती है । तब तक के लिये बढ़ाया जाता है ।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : क्या यह प्रस्ताव मुख्य सचेतक के अलावा कोई भी ला सकता है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जी हां, ला सकता हैं ।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : आप से नहीं पूछ रहा हूं जनाब, आप ज्यादा

(श्री मेहरसिंह गुर्जर)
होशियार हैं तो यहां आकर बिराजिये।

श्री **सभापति** : जी हां, ला सकते हैं।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री **रघुवीर सिंह कौशल** : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि देशी सांड इस साल आपने कितने बांटे ? कितने गांव हैं ? देशी सांड आपने नहीं बांटे। वैम्प्स कार्यक्रम के बारे में निवेदन करूंगा। आपका एक कृत्रिम गर्भाधान पर कितना खर्च आ रहा है, डेयरी डवलपमेंट में ? 450 रुपया एक कृत्रिम गर्भाधान पर खर्चा आ रहा है। जहां से जर्सी नस्ल आयी है वहां वे लोग हमारे गीज सांड ले जा रहे हैं ताकि रेजिटेन्स पावर वाली नस्ल पैदा कर सके। आज जब हमारे पास चिकित्सा सुविधा पर्याप्त उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर गांवों में जाना पसंद नहीं करते, आप जर्सी नस्ल और होस्टी नस्ल की गायें गांवों में पैदा करवायेंगे तो वह एक माता में ही मर जायेंगी। माता के टीके आपके यहां कैसे लगते हैं। मेरे बारां में लगे, वहां कोई रैफ्रिजरेटर नहीं है। कोटा से टीके जाते हैं। कोटा से जाने के बाद 7-7 दिन तक टीके लगते रहते हैं, सभापति महोदय, जब कि 24 घण्टे में वह बेकार हो जाते हैं। आपका कोटा पूरा हो जाता है कि इतने जानवरों को टीके लगाये गये लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं आपसे पशुपालकों, विशेष रूप से ठेठ गांवों के किसानों की ओर से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, देशी नस्ल के सांड भी आप बराबर रखिये। शहरों में जो लोग चतुर हैं, अच्छे पशु पालक हैं, वह जर्सी नस्ल के यदि बछड़ा-बछड़ी पैदा करवाने में इन्ट्रेस्टेड हैं, उनको यहां जरूर पैदा करवाइये। यह जो वैम्प्स कार्यक्रम चल रहे हैं। उस पर कितना खर्चा आ रहा है। क्या यह वैम्प्स कार्यक्रम विभाग के स्तर पर नहीं चला सकते ? एक पशु पर, मैंने एवरेज बताया है, सभापति महोदय, 450 रुपया खर्चा आ रहा है।

श्री **सभापति** : समाप्त करें।

श्री **रघुवीर सिंह कौशल** : मेरा आपसे सानुरोध निवेदन है। दूसरा डेयरी की तरफ थोड़ा ध्यान दे लें। पहले जितनी सोसाइटी थीं, अब कितनी सोसाइटी हैं? प्रति व्यक्ति, प्रति सदस्य दूध का संकलन कितना हो रहा है ? संकलन की मात्रा निरन्तर गिरती जा रही है। उस आधार पर संयंत्रों पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, दुग्ध उत्पादन पर उतना पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इस कारण डेयरी डवलपमेण्ट का भविष्य अच्छा नजर नहीं आता है। आप यदि ध्यान दे लेंगे तो इसका भविष्य सुधर सकता है। दूसरा, जो गड़बड़ियां हैं, उनको भी पकड़ना पड़ेगा। आपको एक उदयपुर का पत्र पढ़कर सुनाऊं...

श्री **सभापति** : समाप्त करें।

श्री **रघुवीर सिंह कौशल** : एक मिनट।

यह निवेदन है कि...

श्री **सभापति** : इतना समय दिया गया लेकिन अब तो समाप्त करना पड़ेगा ।

श्री **रघुवीरसिंह कौशल** : मैं एक मिनट में खतम कर देता हूं । अब मैं थोड़ा सा ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करता हुआ ...

श्री **सभापति** : आपने जितना समय मांगा उतना समय दिया गया फिर भी...

श्री **रघुवीरसिंह कौशल** : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आपकी उदारता के लिये बहुत आभारी हूं। ज्यादा आभारी उन दोनों मंत्रियों का हूं जिन्होने रूचि से मेरी बात सुनने कर मुझे अवसर दिया ।

एक श्यामलाल वर्मा हैं दुग्ध अवशीतन केन्द्र के । यह लिख रहे हैं कि डेयरी का उदयपुर में क्या हो रहा है । "अवशीतन केन्द्र, उदयपुर पर मैंने कार्यभार सम्भाला तो मैंने देखा कि वहां किसी प्रकार का कोई हिसाब नहीं रखा गया। सारे कार्य को परियोजना अधिकारी स्वयं एवं एक सहायक परियोजना अधिकारी देख रहे थे । दूध की बिक्री भी अवशीतन केन्द्र पर समय समय पर नकद से की जा रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं है ।"

आगे लिखते हैं, पोईन्ट तो बहुत है लेकिन मैं आपको दो ही सुनाऊंगा ।

"अवशीतन केन्द्र का श्रमिक ठेका भी परियोजना अधिकारी के लिए संदेहास्पद हैं । जिसके दूसरे वर्ष में डेयरी में ही कार्यरत सहायक लेखाधिकारी के पुत्र के नाम दिया गया एवं पूरे कार्यकाल में मेरे द्वारा भेजे गये पत्रों की अवहेलना करते हुए ठेकेदार को अवांछित लाभ पहुंचाया ।"

यह पत्र मैं आपको दे दूंगा, इसमें 20 पॉइण्ट हैं । 20 पाइंट की जांच करा लाजिये । उसने ऊपर लिखा है कि उसका ट्रान्सफर कर दिया जाय । यदि डेयरी ऐसे ही चलानी है तो मुझे कुछ नहीं कहना । आप इसकी जांच स्वयं करना चाहें, या किसी से कराना चाहें तो यह पत्र मैं आपकी सेवा में पेश कर दूंगा । जगह जगह डेयरी में यही हो रहा हैं । सभी जगह यही हो रहा है । मक्खन निकाल लेते हैं, दूध वहीं से बेच देते हैं । जो बहुत आवश्यक डेयरी हमारे लिये राजस्थान में है, सभापति महोदय, उसकी ओर उपेक्षा वृत्ति न रखें । इतना ही निवेदन करता हुआ आपने जो समय दिया उसके लिए आभार प्रकट करता हुआ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

श्री **सभापति** : माननीय अमराराम जी चौधरी ।

श्री **अमराराम चौधरी (पचपदरा)** : माननीय सभापति महोदय, कृषि आर्थिक विकास के ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। यदि हमारे देश का आर्थिक स्तर अच्छा हो, हमारी इकानोमी बढ़े तो इसके लिये हमारी कृषि की उपज भी बढ़ानी जरूरी है । कृषि के लिये आज के युग में डीजल, मशीनरी और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है । आज डीजल का भाव बढ़ रहा

(श्री अमराराम चौधरी)

है, मशीनों के पार्टस, ट्रेक्टर्स के पार्ट्स की कीमतें बढ़ हैं, रही आसमान तक पहुंच गई हैं। ऐसी हालत में किसान को जितना वह खर्च करता है, उस अनुपात में पैदावार की कीमत नहीं मिलती है। इसलिये इस प्रकार की योजनायें बनाई जायं जिससे किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके, उचित लाभ मिल सके और वह अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सके।

जहां तक अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का सवाल है, यह तो प्रकृति का प्रकोप था जिसके कारण वर्षा नहीं हुई। जो रेगिस्तानी इलाके है, पहाड़ी इलाके हैं उन क्षेत्रों में कृषि का विकास हो, उन इलाकों के लोग आत्मनिर्भर बनें इसके लिये छोटी-छोटी लघु सिंचाई योजनायें बनाई जायं, तो उन क्षेत्रों में कृषि की पैदावार हम बढ़ा सकते हैं। बाड़मेर के इलाके में सिवाना तहसील में 56 पहाड़ है। उन पहाड़ों का सारा पानी बेकार जाता है, उससे भूमि का कटाव होता है। हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति खतम होती है। ऐसे पहाड़ों में नदी नालों पर छोटे-छोटे बान्ध बनाये जायं और उन बांधों से सिंचाई की जाय तो काफी हद तक हम उस डेजर्ट इलाके को हरा-भरा कर सकते हैं। सभापति महोदय, राजस्थान नहर से पानी बाड़मेर लाने की बात तो एक सपना ही है लेकिन भू-संरक्षण विभाग से यदि खडीन का कार्य कराया जाय तो मेरी ऐसी मान्यता है कि एक वर्षा होने पर भी कुछ न कुछ तो पैदा अवश्य होगा। आज खडीन बनाने का काम जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं उस पर जो खर्चा आता है उसके अनुपात में कम लागत में हमारे खडीन तैयार होते हैं। माननीय मंत्री जी को ध्यान नहीं होगा कि जो भू-संरक्षण के स्नातक हैं उनकी जगह इंजीनियर्स को लगा रहे हैं। इस प्रकार से जिनको 20-22 साल से अनुभव है उनकी जगह अनुभवहीन लोगों को लगा रहे हैं। जो सहायक डाइरेक्टर भू-संरक्षण विभाग का होता है, उसको अनुभव होता है। वह हमारे क्षेत्र में खडीन तैयार करवाता है। हमारे वित्तीय साधन सीमित हैं, राजस्थान पर ओवर ड्राफ्ट है, ऐसी स्थिति के अन्दर सहायक इंजीनियर्स और अधिशासी अभियन्ता की पोस्ट क्रियेट करके उन अनुभवी लोगों, जो भू-संरक्षण के स्नातक हैं, की जगह पर इनको लगाने से, वित्तीय साधन न होने से बहुत बड़ा हमारे ऊपर भार पड़ेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात को देखें कि आपके आदेश के बिना और बिना सोचे समझे यह ब्यूरोक्रेट्स जो कुछ कर रहे हैं उसके प्रेक्टिकल आस्पेक्ट्स क्या होंगे, इसका प्रभाव क्या होगा। इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

जहां तक बीज का सवाल है, किसान को बीज मई के महीने में मार्केटिंग सोसायटीज, बीज निगम से उपलब्ध करवायेंगे तभी किसान जून के महीने में बीज समय पर बो सकेंगे। जब वर्षा होती है तब किसान जयपुर की ओर दौड़ते है। रेगिस्तानी प्रदेश में 12 अंगुली या 2 इंच बारिश अगर हो गई तो 3 दिन के बाद हल जोतने की स्थिति भी नहीं रहेगी। ऐसे स्थानों के अन्दर जहां रेगिस्तानी क्षेत्र है, बीज का पहले से ही प्रबन्ध करवाया जाय ताकि समय पर बुवाई हो सके।

(श्री अमराराम चौधरी)

कृषि उपज मण्डी तक कोई भी सरकार की तरफ से सड़क बनाने के लिये कोई अनुदान वगैरह नहीं दिया जा रहा है। सरकार कहती है, कृषि उपज मण्डी वाले स्वयं के पैसे से, बेचते हों तो, सड़क बनवायें। मेरी ऐसी मान्यता है कि जहां सड़क बनती है वहां एक किलोमीटर पर 1 व 2 लाख रुपये लगता है। ऐसी कृषि उपज मण्डियां बहुत ही कम हैं जिनकी इतनी इन्कम हो। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप सड़क के लिये सरकारी अनुदान दें। काश्तकारों के लिये सड़क का साधन नहीं है। बहुत ही मुश्किल से अगर वह अपनी साइकिल पर भी एक क्विंटल अनाज रख कर मन्डी तक पहुंचना चाहता है तो वह रास्ता न होने के कारण कृषि उपज मंडी तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि सड़क नहीं है। इस अभाव के कारण कृषि उपज मण्डी को जो आय होनी चाहिये वह भी नहीं होती है। किसान का अनाज बिचौलिये से लेते हैं और ट्रकों के द्वारा दूसरी जगह माल को भेज दिया जाता है। जो फायदा काश्तकारों को मिलना चाहिये वह उनको नहीं मिलता है। बाड़मेर जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कृषि अधिकारी हैं उनके कार्यालय में स्टाफ की बहुत कमी है। स्टाफ की कमी के साथ साथ उनके पास न मोटर और न टेलीफोन नहीं हैं। आज बाड़मेर जिला इतना फैला हुआ है वहां यदि कृषि अधिकारी गांव में जाकर सम्पर्क करना चाहें, डबल क्राप के एरिये के अन्दर जाना चाहें, जहां जीरे में बीमारी लग गई है या गेहूं में बीमारी लग गई है, तो उनके पास साधन नहीं होने से वे नहीं जा पाते। उनसे काश्तकार कोई फायदा उठाना चाहें तो फायदा नहीं उठा सकते हैं।

ग्राम सेवकों के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब पंचायती राज स्थापित हुआ था उस समय ग्राम सेवक जो काम करता था उस अनुपात में ग्राम सेवक आज गांवों में काम नहीं करता है। वह कभी भी किसान के पास जाकर यह नहीं पूछता है कि तुम्हारी क्या तकलीफ है।

सभापति महोदय, मैं माननीय पशुपालन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने बजट में पशु चिकित्सालय के बारे में जो प्रावधान रखा है, विशेषतौर से पश्चिमी राजस्थान के अन्दर 100 पशु चिकित्सालय खोलने का, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किसान बीमार होता है तो वह गाड़ी में भी बैठ कर जा सकता है लेकिन किसान का अगर कोई बैल बीमारी हो जाता है और यदि डाक्टर 10–15 मील दूर है तो वहां से पहले डाक्टर को लेने जाना पड़ता है। मान लो, डाक्टर मिला नहीं तो क्या स्थिति होती होगी। यदि डाक्टर मिल गया, उसने आकर बैल को देख लिया और देखने के बाद कहे कि यह दवाई तो मैं लाना ही भूल गया, तो इतनी देर में तो बैल ही मर जायेगा। इसलिये कम से कम दूरी पर पशु चिकित्सालय हों। आपने बजट में जो प्रावधान किया है उसके लिये धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों, जहां पशुओं की संख्या ज्यादा है, में ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सालय खोलने का कष्ट करेंगे।

डेयरी के बारे में मैंने पहले भी···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री अमराराम चौधरी : डेयरी के अधिकारियों के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था। डेयरी के अधिकारी, मैनेजर, वगैरह मैं सबको खराब नहीं कहता लेकिन इन लोगों में राष्ट्रीय भावना भी होनी चाहिये कि हमारा देश प्रगति करे। यह अधिकारी सहकारिता को महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी जगह जगह डेयरी सहकारी समितियां खुली हुई हैं लेकिन किसानों को केश पेमेन्ट नहीं करके, चैक देकर दूध लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था, टापरा पंचायत के अन्दर ऐसा हुआ है। वहां एक-दो सैन्टर आप और खोल दीजिये। वहां सोसायटी दूध लेने के लिये, सैन्टर खोलने के लिये एग्री है। आप उन अधिकारियों को इसके लिये निर्देश दे। मैनेजर और कुछ प्राइवेट व्यक्तियों की मिलीभगत के कारण वहां गड़बड़ी हुई है। बालोतरा में ऐसा नहीं है। ऐसे मैनेजर की जांच करिये उसने गलत काम किया है, अगर उसको दोषी पायें तो आप अविलम्ब सस्पेण्ड कीजिये। वहा कुछ दिनों पहले गड़बड़ी हुई है। गर्मियों के मौसम में ये क्या करते हैं कि बर्फ लाते हैं, दूध घर में काम में ले रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री अमराराम चौधरी : यह अधिकारी लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूं। मान लो, वहां पर चपरासी चाय बनाने के लिये किसी ड्राइवर को दूध देता है या माफ कीजिये उस ड्राइवर ने जबरदस्ती दूध लिया तो उससे तो लिखवा करले लेते हैं कि उसने गलती कर दी। हमारा लीकेज कहां हो रहा है? अधिकारी हमेशा गर्मी के मौसम में 5–5, 10–10 किलो बर्फ दूध में मिलवा देते हैं। पिछले साल ऐसा हुआ है। दस किलो बर्फ ले ली फैक्ट्री से, दूध में बर्फ डलवा दी और दूध दस किलो निकलवा लिया। हमेशा उनके यहां जैसे भैंसे बंधी है, वे फैक्ट्री से दूध ले लेते हैं। उनकी जांच करायें। मैं आपको ऐसे आदमियों के उदाहरण बताऊंगा। इस कारण जो बेचारे डेली वेजेज पर रहने वाले मजदूर लोग हैं उनको जोधपुर भेजा जाता है उसका कारण यह है कि जो असलियत है वह सामने न आ जाय। माननीय मंत्री महोदय, आप जांच कराके उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

अन्त में मेरा यही कहना है कि हमारा जीवन स्तर अच्छा हो, कृषि अच्छी हो, इसके लिये जब तक हमारे जो अधिकारी हैं, जो वैज्ञानिक हैं जो हमारे इन्जीनियर्स हैं उनमें कोई राष्ट्रीय भावना नहीं होगी और वह कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री अमराराम : मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उनके ऊपर गौर करने की आप पूरी कोशिश करेंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत ।

श्री महाराम चौधरी : मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं, मेरी रेल जा रही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका अभी नम्बर आयेगा ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, मेरा नम्बर है क्या ?

श्री सभापति : आपका है।

श्री महाराम चौधरी : ये जो मन्त्री महोदय को यों ही कह कर.......

(व्यवधान)

सभापति महोदय, इसके बाद में मेरा नम्बर ।

श्री सभापति : नम्बर अभी डिस्क्लोज नहीं करायें, माननीय सदस्य । श्रीमती लक्ष्मी कुमारी ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : (भीम) : सभापति महोदय, बजट पर बहस के समय, मैंने कृषि यूनिवर्सिटी के महत्व पर प्रकाश डाला था, उसे स्वीकार करते हुए वित्त मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया कि कृषि विश्वविद्यालय जल्दी ही राजस्थान में शुरू कर दिया जायेगा । उसके लिए मैं कृषि मन्त्रीजी, वित्त मन्त्रीजी को बधाई देना चाहती हूं और उनको धन्यवाद भी देना चाहती हूं । सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग के बारे में कुछ कहूं उससे पहले माननीय मन्त्रीजी से कहना चाहूंगी कि आपका यह विभाग दो साल से टॉपलेस चल रहा है । यानि विभाग में डाइरेक्टर नहीं है । जो सीनियोरिटी निश्चित करने की बात होती है उसमें दिक्कत आ रही है और स्टाफ की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़े कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ है । इसलिये आप अपने घर को सबसे पहले सुधारें । डाइरेक्टर की नियुक्ति जल्दी से जल्दी करें ताकि काम सुव्यवस्थित रूप से चल सके ।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में सात लाख हेक्टेयर सेलाइन जमीन है ऊसर भूमि है, उसको रिक्लेम किया जा सकती है । उसमें क्रोप लगायी जा सकता है, फसल पैदा की जा सकती है । इस बार में एक स्पेशल स्कीम हमारे वैज्ञानिक ने दो साल पहले बनाकर पेश की थी, उस स्कीम पर चीफ सेक्रेटरी से भी पास हो गया था और सैन्टर से भी हमें ऐड मिलने की बातचीत हो गई थी । लेकिन किन्हीं कारणों से वह स्पेशल स्कीम, जो करीब 2 करोड़ 35 लाख रुपये की है, क्रियान्वित नहीं की गई । मेरा निवेदन है, उसकी ओर ज्यादा ध्यान देकर, उस स्पेशल स्कीम को लाकर हमारी जो सेलाइन जमीन है उसे रिक्लेम किया जाय । अगर हम उस भूमि को रिक्लेम कर लेते हैं, इस पर रिसर्च भी हुई है, तो अनेक प्रकार की चीजें हम उस भूमि में काश्त कर सकते हैं । रबर का प्लान्टेशन उस भूमि में हो सकता है । एक जोजूबा प्लान्ट है जिसकी गिरी से तेल निकलता है

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

वह सौन्दर्य प्रसाधन की कई चीजों में काम आता है वह बड़े कीमती भाव पर बिकता है···

(व्यवधान)

कृपया, आप कहें तो मैं बोलूं।

जो जोजूबा का प्लान्ट है उसकी गिरी 40 रुपये किलो बाहर बिकती है। तो वहां पर जोजूबा पैदा किया जा सकता है, रबर प्लान्ट लगाया जा सकता है और कुछ नई किस्म की घास है वह घास भी उस भूमि में पैदा की जा सकती है। उस घास से हम कागज का उत्पादन कर सकते हैं। सभापति महोदय, वह जो स्पेशल स्कीम है उसको विचारार्थ लिया जाय और उसके ऊपर रिसर्च का काम किया जाय। मुझे तो आश्चर्य यह होता है, जब हमारे पास अच्छे काम करने वाले वैज्ञानिक मौजूद हैं, जो इण्टरनेशनल ख्याति के हैं, नेशनल ख्याति के है, वे बाहर से काम सीखकर आये हैं, यहां से बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनका उपयोग यहां क्यों नहीं किया जाता? दूसरा, जमीन सुधारने के लिये दो मुख्य चीजें होती हैं, जिप्सम और पाइराइट। यह दोनों चीजें हमारे राज्य में काफी मात्रा में हैं। इनके भण्डार भरे पड़े है। जिप्सम और पाइराइट हम बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं किन्तु हमारी अपनी जमीन को सुधारने में काम नहीं ले रहे हैं। मेरा निवेदन है और एक बार ध्यान दिया जाय।

सभापति महोदय, मैं कृषि के बारे में मेरे पिछले भाषण में बहुत कुछ बोल चुकी हूं इसलिये ज्यादा समय न लेकर थोड़ा बहुत एनीमल हस्बेण्ड्री के बारे में कहना चाहूंगी। जब से नये मन्त्री ने इस विभाग का दायित्व संभाला है तब से इस विभाग की ठीक प्रगति चल रही है। इधर उधर, इस बारे में अच्छी चर्चा हो रही है। मन्त्रीजी, आप इनर्जेटिक हैं, आप दौड़ भाग भी करते हैं लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं कि डेयरी के लिये जो दस करोड़ रुपये अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक से मिलने वाले हैं, जिनसे प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा सकती है, बीमारी के डायग्नोसिस के लिये और दूसरी कई प्रकार की मशीनें, यन्त्र मंगाये जा सकते हैं। उन दस करोड़ रुपयों की आप उपलब्धि सैन्टर से क्यों नहीं करते? क्या आपने वक्त पर कागजात पेश किये? यदि नहीं किये तो किन कारणों से नहीं किये? जब कि आपका दिल्ली का दौरा रात दिन होता रहता है। आपने इस सम्बंध में क्या किया, मैं यह जानना चाहूंगी।

दूसरा, मैं आपका ध्यान पशुधन की ओर दिलाना चाहती हूं। आज राजस्थान का कोई असली धन है तो वह पशु धन है। देश के कुल पशुओं का दसवां हिस्सा पशु केवल राजस्थान में है। कितने प्रकार से लाभ पशुओं से हैं इसकी भूमिका में मैं नहीं जाना चाहूंगी। इसके बारे में विस्तार से भी नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि पशुओं के महत्व और लाभ को हम सभी लोग जानते हैं। हर वर्ष हमारे यहां अकाल पड़ता है, हर वर्ष पशुओं के लिये घास की समस्या आती है। मैं आपसे यह पूछना

(श्री लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

चाहती हूं, पशुपालन विभाग ने पशुओं के लिये घास का क्या प्रबन्ध किया है? कभी गुजरात से घास मंगाते हैं, कभी-एम. पी. से मंगाते हैं। वहां से वक्त पर घास नहीं आती और घास के अभाव में हमारे पशु मर जाते हैं। आज भी पशु मर रहें हैं। कई बार बाहर से घास मंगानी पड़ती है। हमारे यहां हर साल एक रुपये की डेढ़ किलो घास बिकती है उसके लिये क्या प्रबन्ध किया है? मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, आप तो इस भू-भाग के हैं इसलिये आपको शायद पूरी जानकारी न हो लेकिन पश्चिमी राजस्थान में घास को बागर में इकट्ठी करने की सदियों से परम्परा रही है। आज से चालीस वर्ष पूर्व लाखों टन घास किसान और पशुपालक अपने यहां बागर में इकट्ठी करके रखते थे। बागर ऐसी बनती थी कि दस-दस साल तक उसका घास खराब नहीं होता था। बागर बनाने वालों की अपनी कला थी। मैंने राजस्थान के इस कोने के उस कोने का चक्कर लगाकर देखा लेकिन मुझे कहीं कोई बड़ी बागर नजर नहीं आयी जिसमें कि घास रखने का प्रबन्ध किया गया है। मेरा निवेदन है कि आप फोडर बैंक का प्रबन्ध कीजिये। चारे के लिये आप बागर बनायें। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जो राजस्थान की धामण और पीवण घास है उसको सारी दुनियां जानती है। वह बहुत ऊंची किस्म की घास है। उसके खाने से पशुओं की नस्ल दुधारू होती है। इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगी। क्या आपने उस घास के लिये कोई रिसर्च की है या उस घास के विकास के लिये कोई प्रोग्राम बनाया है? आप सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान की इस अनुपम देन के विकास के लिये कोई योजना बनाइये। क्या उसके लिये आपने कोई अनुसन्धान किया है? अगर नहीं किया है, तो आप अनुसन्धान करके, उसका जल्दी से जल्दी प्रचार और प्रसार करें जिससे कि हमारे पशु-धन का विकास हो सके और हम अपने पशुधन की रक्षा कर सकें। इस पारम्परिक घास के अलावा आज के इस वैज्ञानिक युग में और भी कई प्रकार की नई घास पैदा हो सकती हैं। जैसे बीरया घास, उसके विकास के लिये आप कुछ करेंगे? इसके अलावा दूसरे क्षेत्र में भी घास पैदा हो सकती है। इसके लिये आप घास की जड़े बेचें। घास की जड़ों को वितरित करें। आज आप यह जरूर कह देंगे अपने भाषण में कि हमने जड़ें वितरित की हैं और हमने बीज भी वितरित किया है। यह सही है आपने जड़ें वितरित की जरूर है पर, सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगी कि इन्होंने सिर्फ एक लाख 30 हजार जड़ें बांटी है। यह एक लाख 30 हजार घास की जड़ें कितनी होती हैं, सुनकर हंसी आती है। सभापति महोदय, इसी तरह इन्होंने घास के बीज का वितरण भी किया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी, घास का बीज इन्होंने जो वितरित किया हैं वह 14 हजार किलोग्राम

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

ग्राम है। यह आंकड़े जो दिये हैं, आपके पशुपालन विभाग ने दिये हैं। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगी कि यह कितनी बड़ी मजाक है। इतना बड़ा आपका विभाग है, उसमें करोड़ों रुपया खर्चा होता है और यह आपकी उपलब्धि है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप चारा निगम बनाइये। आप चारे के लिये कार्पोरेशन बनाये जितना आवश्यक फूड कार्पोरेशन है उतना ही आवश्यक यह चारा कार्पोरेशन है। इसमें आपका पशुधन बनाया जा सकता है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर पशुओं की बहुत अच्छी किस्म है।

मैं संक्षेप में कहना चाहती हूं इसलिये इसको काटकर दूसरे पाइन्ट पर आती हूं। दूसरी बात, जो मैं निवेदन करना चाहती हूं। सभापति महोदय, वह पोलट्री के बारे में है। पोलट्री के बारे में आपकी प्रगति बड़ी अच्छी है। बहुत ही अच्छा विवरण आपने दिया है। सभापति महोदय, आपका यह जो प्रगति विवरण है उसमें सूचना आती है, उसमें लिखा है नस्ल सुधार के लिये आपने कुछ मुर्गी पालकों को चूजे दिये हैं वह कितने चूजे दिये हैं? सभापति महोदय, ढोल बजा कर यह पीटा जाता कि है हम कितना काम करते हैं। आपकी 6 कुक्कुट शालाएं हैं, सभापति महोदय, उनमें 49 हजार चूजे उत्पादित किये हैं। सभापति महोदय, प्रजनन हेतु बेच गये पक्षियों की संख्या तीस हजार है, कुल मिला कर 49 हजार चूजों का उत्पादन है। सभापति महोदय, इतना तो दिल्ली शहर का एक दिन का भक्ष्य है। इसी तरह, सभापति महोदय, पोलट्री फार्म के बारे में भी निवेदन करना चाहती हूं। पोलट्री फार्म में मुर्गी और अन्डे बेचे जाते हैं। एक तो इनका पोलट्री फार्म जयपुर में खातीपुरा में है वह बड़ा लम्बा चौड़ा फार्म है। उसमें छोटा भवन बना हुआ है। वहां पर दिन में मुर्गियां और अन्डे कितने बिकते होंगे? दिन में पांच सात मुर्गियां और करीब सौ पचास अन्डे बिकते होंगे। सभापति महोदय मैं, आपसे निवेदन करना चाहती हूं क्या मुर्गियां, अन्डे बेचने का काम ही सरकार करना चाहती है? इस काम के लिये तो छोटे छोटे कसाई लोग ही बहुत हैं, अन्डे और चूजे बेचने वाले छोटे मोटे लोग बहुत हैं। यह काम वह ही कर लेंगे। आपका तो मुख्य काम है कि चूजे की नस्ल सुधारें मुर्गियां ब्रीड को सुधारें और मुर्गीपालकों को अच्छे किस्म के चूजे दें। आप नस्ल सधार, ब्रीड सुधारने में पीछे है। पीछे ही नहीं बल्कि बहुत पीछे हैं। आपने चूजों का जिक्र किया है, कोटा, जोधपुर में भी....

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, संक्षेप में।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: सभापति महोदय, हमारे यहां पर अच्छी किस्म के चूजे मिलते ही नहीं है आपने जिस किस्म का जिक्र किया है, जिसके बारे में बहुतसी बातें सुनी हैं, तो मैंने भी सोचा, मैं भी जाकर देखूं कि आपका पोलट्री कैसी चल रही है। सभापति महो सड़क के किनारे पर दो-दो हजार गज के

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)
प्लाट आपने लोगों को दिये हैं वह प्लोट लोगों को मुर्गियां के और उत्पादन के लिये दिये हैं। करीब 150 प्लाट रिजर्व गरीब लोगों के लिये किये हैं। मैं सभापति महोदय, यह जो आवन्टन किया गया है उसमें स्थिति यह है, वहां पर 20–25 फार्म में से सिर्फ एक दो फार्म बन पाये हैं बाकी नहीं बने हैं। कहने को तो, मन्त्री महोदय, आपने......

श्री **सभापति** : माननीय सदस्या।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय, 40 मिनट हैं, मैं चार मिनट में समाप्त कर देती हूं।

श्री **सभापति** : संक्षेप में, माननीय सदस्या।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय, जो भूखण्ड दिये गये है वे केवल एक रुपये 20 पैसे मीटर के हिसाब से दिये गये हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि मुर्गी पालने के लिये भूखण्ड नहीं खरीद कर, बाजार भाव में बेचने के लिये लोगों ने सरकार से भूखण्ड आवंटित करा लिये। सभापति महोदय, सड़क के किनारे पर भूखण्ड दिये गये है, यह जमीन कम से कम सौ रुपया मीटर की होनी चाहिये। खरीदने वालों की मन्शा यह है कि जब उसकी सम्पत्ति बन जाय तो मौका आने पर ज्यादा कीमत पर इस जमीन को बेच दें। सभापति महोदय, मैं, आपको नम्र निवेदन करना चाहूंगी, अभी तक जिन लोगों ने वहां पर कुक्कुट शालायें नहीं बनायी हैं उनके आवन्टन आप केन्सिल कर दीजिये। यह भी देखा जाय कि जो आपने प्लाट गरीब लोगों को देने के लिये, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये आवंटित किया था उसमें कहीं बड़े लोग या पैसे वाले धनवान लोग तो नहीं घुस गये है। मैं अपनी रिपोर्ट के अनुसार बता सकती हूं कि गरीब लोगों को नहीं बल्कि पैसे वाले लोगों को वे प्लाट अलाट कर दिये गये हैं। पैसा कमाने की नीयत से धनवान लोगों ने प्लाट लिये हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच करके ऐसे लोगों को वहां से हटायें।

श्री **सभापति** : संक्षेप में कहें, माननीय सदस्या।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : दूसरी बात, जो मैं निवेदन करना चाहूंगी, वह प्रजनन केन्द्रों के बारे में है। आपने अलवर और भरतपुर में सूअर के प्रजनन के लिये केन्द्र खोले है सभापति महोदय, वहां पर न तो सुअर है और न हीं सूवरनियां हैं, तो आप प्रजनन किसका करेंगे वहां पर कुछ नहीं है। वहां केन्द्र बन्द पड़े हैं उन पर पांच लाख रुपये सालाना खर्चा होता है। वहां पर सूअर काटने की मशीन है पर अगर कोई सूअर का मीट खरीदने के लिये जाय तो वहां खरीदने के लिये मीट ही नहीं है।

श्री **सभापति** : इनकी भी कमी आ गयी क्या ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि इन केन्द्र पर खर्चा तो होता है, पर

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

उसका उपयोग नहीं होता है, पांच लाख रुपया खर्चा किया जा रहा है. वहां पर क्रास ब्रीडिंग नहीं किया जा रहा है। इस लिये मेरा निवेदन है कि या तो आप क्रोस-ब्रीडिंग करें, नहीं तो आप उन केन्द्रों को बन्द कर दें। इसके लिये आप ऐसा भी कर सकते है कि अलीगढ़ या दूसरी जगह से सुअर के बच्चे मंगायें। अगर वहां सुअर मगा कर बांट दे तो वह आपको सस्ता पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा। आपने अपने प्रगति विवरण में यह बताया है, शुरूशुरू लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि सूअर पालन का कार्य प्रारम्भ कर सकें।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप समाप्त करें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : अभी समाप्त करती हूं आपने जो सुअर क्रास ब्रीडिंग के लिये दिये हैं उनकी स्थिति यह हो गई सभापति महोदय, वह सुअर हायजनिक पाइन्ट आफ व्यू से बिलकुल खराब हो गये हैं, वह उसी तरह से गलियों में घमते हैं जिस तरह से गली के सुअर घूमते हैं, उसी तरह से गलियों में भिष्टा व कचरा खाते हैं जिस तरह गली के सुअर खाते हैं। भिष्टा खाते हैं उन सूअरों पर खराब प्रभाव पड़ा रहा है जो व्यक्ति उनके मास को खाता है उस मास में गन्दगी के कुछ ऐसे कीड़े होते है जिनके खाने से खाने वाले के दिमाग पर असर हो जाता है, वह व्यक्ति पागल हो जाता है। मेरा निवेदन है कि आप जो कि क्रास ब्रीडिंग की बात करते हैं ऐसे सुअरों का प्रजनन करें जिससे कि मांस खाने वाला पागल तो नहीं हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूं। आप बार बार घन्टी बजा रहे हैं।

श्री सभापति : श्री महाराम।

श्री महराम चौधरी : सभापति महोदय, आज सदन में जिन डिमान्ड्स पर चर्चा चल रही है वह पशु पालन विभाग और कृषि विभाग की डिमाण्ड्स ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आप एसी व्यवस्था करें कि दो माननीय सदय उधर से बोले तो एक माननीय सदस्य इधर से भी बोलें।

श्री सभापति : आप धीरज रखें, माननीय सदस्य।

श्री महाराम, चौधरी : सभापति महोदय, पशु पालन विभाग के प्रगति-विवरण, में जो लेखा जोखा दिया है वह सभापति महोदय, सारा का सारा, किताबों तक ही सीमित है। इसकी असलियत को आप अगर जानना चाहते हैं तो मौके पर जाकर देखें। आपको 25 प्रतिशत भी सत्यता नजर नहीं आयेगी। श्री राम जी और कृषि मंत्री महोदय, दोनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप

(श्री महाराम चौधरी)

किसी भी गांव में पधार कर जांच कर लें व्यवहारिक रूप से, किसी भी किसानों तक फायदा नहीं पहुंच रहा है, आप दोनों को, कृषि मंत्री जी, आप भी थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनलें, मेरा एक सुझाव है कि कृषि विभाग और पशु विभाग का किसी तरह से मूल्यांकन करायें। मूल्यांकन आपके अधिकारियों द्वारा नहीं करायें, व्यवहारिक आदमी जो इन विभागों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते है, रुचि रखते हैं से मूल्याकन करावें तब तो इन विभागों को किसी तरह से ठीक ठीक प्रकार से चला सकते है। और किसानों को कुछ फायदा पहुंच सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं, जो कृषि फार्म आपकी सरकार ने शुरू में चलाये थे, उन कृषि फार्मों की क्या उपयोगिता रही है।कृषि फार्मों को जब कृषि विभागा ठीक ढंग से नहीं चला सका तो उसने कृषि उद्योग निगम को ट्रांसफर कर दिये। कृषि उद्योग निगम भी कृषि फार्म ठीक से नहीं चला पाया तो वापस कृषि विभाग को ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं। माडन कृषि फार्म बनाकर किसानों को यह बताना चाहते थे कि हम इन फार्मों से किस तरह उत्पादन बढ़ा सकते हैं इन फार्मों को विकसित कर किसानों को डाइरेक्ट करना चाहते थे ताकि किसानों को फायदा मिल सके। आज इन कृषि फार्मों को फुटबाल बना दिया हैं। मेरा एक सुझाव है कि इन कृषि फार्मों को,...

(व्यवधान)

कृषि मंत्री महोदय, मैं आपको बहुत उपयोगी सुझाव दे रहा हूं, व्यावहारिक सुझाव दे रहा हूं। इन कृषि फार्मों के बारे में, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, कृषि विभाग के अधिकारियों, जो ठीक ढंग, से कृषि विभाग में काम कर सकते हैं को लगाकर किसानों को यह क्यों नहीं बताया कि इनके जरिये उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जब तक आप व्यावहारिक रूप से कृषि और ग्रामी क्षेत्रों से संबंधित आदमियों को कालेजों में एडमिशन नही देंगे तब तक कृषि विभाग का फायदा किसी तरह का कोई नहीं होने वाला है। शहरी क्षेत्र के जो आपके इन्स्टीट्यूशन हैं उनमें पढ़कर जो ज्यादा नम्बर लेकर आते हैं उनको व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता। आप यह पाबन्दी लगा दीजिये कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं वही कृषि और पशुपालन कालेजों में एडमिशन ले सकते है वही पढ़-लिखकर आगे चलकर किसानों के साथ में भावना और रूचि से काम करेंगे।

सभापति महोदय, पशुपालन विभाग, कृत्रिम गर्भाधान का जो कार्यक्रम सरकार ने चला रखा है उसकी उपयोगिता कहां कहां सिद्ध हुई है, मैं तो इस संबंध में यही कह सकता हूं कि कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम, पशु की नस्ल सुधारने का नहीं हैं बल्कि पशु की नस्ल बिगाड़ने का कार्यक्रम हैं। अगर आप एक भी बछड़ा कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हुआ कहीं पर भी मौजूद बता सकते हो तो जो आप कहें वह मैं कर सकता हूं। सभापति महोदय, जब राजस्थान की तरफ से पशु मेला प्रदर्शनी इलाहाबाद में लगी, तब नागौर के पशु पालकों ने राजस्थान का रिप्र-

(श्री महाराम चौधरी)

जेन्टेशन किया। क्या मैं यह पूछ सकता हूं पशुपालन मंत्री महोदय से कि जो पशु मेला प्रदर्शनी इलाहाबाद में लगी उसमें आपका क्या योगदान रहा? उसमें योगदान रहा हो तो पशुपालकों का रहा। उनको बुलाकर इलाहाबाद मेले के अन्दर ले गये। न तो उनकी गाड़ियों का इन्श्योरेंस कराया, न उनके बैलों का इन्श्योरेन्स कराया। उन पशुपालकों की हालत इतनी बुरी कर दी कि वे चार दिन से यहां जयपुर पड़े हैं और बुरी तरह से रो रहे हैं। एक बैल की पूंछ कट गई सभापति महोदय, यहां तक सीमा नहीं रही। नागौर के उन बैलों की ग्राहकों ने 18 हजार रुपये कीमत लगाई लेकिन उस वक्त विभाग ने उनको नहीं बेचा। उन बैलों ने राजस्थान का इलाहाबाद के अन्दर नाम किया। यह उन पशुपालकों का योगदान था, विभाग की तरफ से कोई योगदान नहीं था। यह पशुपालन के संबंध में कुछ नहीं जानते हैं।

सभापति महोदय, मैं कृषि के मामले में निवेदन करना चाहता हूं। बीज, खाद और कीट नाशक दवाइयों के संबंध में थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे करना चाहता हूं। खाद बीज के अन्दर मिलावट की जाती है। बीज समय पर नहीं दिया जाता है। कीटनाशक दवाइयों में मिलावट की जाती है। सभापति महोदय, यदि विभाग इन चीजों का वितरण काम सुचारु रूप से नहीं चला सकते हैं तो उसको ऐसे काम हाथ में नहीं लेने चाहिये। आजकल तो किसान को खेती करने और पशु के मामले में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसको तो वैसे ही एक बात सूझती है कि मेरे खेत के अन्दर किस तरह की फसल मैं लगा सकता हूं। हां, अनुसंधान करके, आप उन चीजों की तस्वीर उसके सामने रख दीजिये कि ये उपयोगी सिद्ध होंगी तो वह अपने आप उन चीजों को काम में लेना शुरू कर देगा।

सभापति महोदय, कृषि विभाग की तरफ से प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाये जाते हैं, प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। छोटे छोटे टुकड़ों के अन्दर यह काश्तकार को फसल दिखाकर यह महसूस करायें कि वास्तव में उत्पादन बढ़ता है। कृषि विभाग कहता है कि हमने प्रदर्शनियां लगाई हैं और यह दिखाया है कि फसल इस तरह से बढ़ेगी। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से अगर 5 जगह भी प्रदर्शनी लगाकर किसानों को कहीं कुछ बताया हो तो आप कहें वैसा करने के लिये तैयार हूं। आपके पूरे बीज, खाद बाजार के अन्दर बिकती हैं। इन चीजों को किसी तरह की आज तक कोई उपयोगिता हम लोगों ने कहीं नहीं देखी। कृषि मंत्री जी से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं आपको कृषि के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान भी है। आज कृषि के मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों की मार्फत जो डाइरेक्शन दिये जा रहे हैं या मार्ग दर्शन दिया जा रहा है, किसानों में से 90 प्रतिशत को यह कतई पता नहीं है कि कृषि विभाग हमारे लिये बना हुआ है, या हमारे काम में सुझाव देने के लिये बना है। केवल 10 पर्सेन्ट मेरे जैसे आदमी हैं, जो यह सब पता रखते हैं कि प्रदर्शनी के लिये कितना बीज आया, कितनी दवाइयां आई, और सब्सिडी कितनी दी है। यह सब कागजी

(श्री महाराम चौधरी)

कार्यवाही चलती है। मैं कृषि मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन साल के अन्दर यह जो जमीन के अन्दर खार उपड़ता है उस खार को उपाड़ने के लिये, रोक करने के लिये आपने जिप्सम का कितना प्रयोग किया ? कितना जिप्सम किसानों तक पहुंचाया ? सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ कृषि मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ वैज्ञानिक दवाईयों का पता करने में न लगें, थोड़ीसी स्थानीय, दवाइयां हैं उनकी गांव वालों से जानकारी करें।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री महाराम चौधरी : बहुतसी दवाइयां है जो फसल में कामयाब सिद्ध होती हैं, जैसे गाय मूत है, पीढियों से इसको किसान यूटिलाइज करते आये हैं। जिस तरह अभी नये एग्रेशन मिला कर चने की फसल बोई, गेहूं की फसल बोई, ज्वार की फसल बोई, इसी तरह चने की फसल बोने के समय गाय का मूत्र इकट्ठा करके खाद में मिक्स करके फसल बोई जाये तो नर्मी भी आयेगी और नेदाही हरगिज नहीं लगेगी। मेरे कहने का मतलब है, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो इस प्रकार की चीजें हैं उनकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री महाराम चौधरी : कृषि उद्योग निगम की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, दो मिनट। कृषि उद्योग निगम ने किसानों तक एक भी फावड़ा या हल भेजा हो तो बता दें कि हमने फलां काश्तकारों के पास इतने हल बना कर भेजे हैं।

आज कृषि उद्योग निगम की यह हालत है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बातें नहीं करें जौर से।

श्री महाराम चौधरी : आज कृषि उद्योग निगम में इतना पुराना अटाला हो गया है कि रद्दी के भाव भी डिस्पोज आफ करें तो वह मैं समझता हूं काफी है। कृषि उद्योग निगम ने थ्रेसर बनाया वह किसी तरह कामयाब नहीं हुआ, कल्टीवेटर बनाया वह किसी तरह कामयाब नहीं हुआ। आज एक भी काश्तकार के पास कृषि उद्योग निगम की बनाई हुई कोई चीज या इम्पलीमेंट नहीं हैं।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा सा पशुपालन के सम्बन्ध में पशुपालन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। आपके विभाग के जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को ठीक प्रकार चलाने के लिये एक दफा जनरल मीटिंग बुला लें। उस कार्यक्रम में व्यावहारिक आदमियों को साथ लेकर पशुपालकों तक सही दवाई किस तरह पहुंच सकती है इसकी व्यवस्था करवायें। अलग अलग एजेन्सी या कम्पाउन्डर या डाक्टर लगा करके यह काम करवायें। ग्रामीण क्षेत्र में औषधालय अलग काम कर रहा है। काश्तकार को मालूम ही नहीं पड़ता है कि उपचार

(श्री महाराम चौधरी)

कराने के लिये किस जगह डाक्टर उपलब्ध हो सकेगा । आपकी भ्रमणशील इकाई भी बिलकुल काम नहीं कर रही है। वह काश्तकार के पास नहीं पहुंचती है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है ....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक सफेद क्रान्ति कार्यक्रम, जिसकी बहुत बड़ाई की जा रही है के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सफेद क्रांती का कार्यक्रम सरकार ने अपने अधीन लिया है, उसमें पशपालकों को जो अनुदान देने, उपचार वगैरह करने का कार्यक्रम है वह भी सुचारू रुप से नही चल रहा है । किसानों को सफेद क्रान्ति कार्यक्रम से कोई फायदा नहीं हो रहा है । हां, एक नुकसान जरूर हो रहा है । यह कार्यक्रम बनाया किसके लिये है सफेद क्रांति कार्यक्रम में दूध शहरी जनता में डिस्ट्रिब्यूट होता है और ग्रामीण जनता के बच्चे बिलखते रह जाते है । इसलिये इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये आपको ठीक तरह से सोचना पड़ेगा । धान लाने के लिये या अपनी आवश्यकता की चीज खरीदने के लिये पशुपालकों को दूध बेचना पड़ता है । सभापति महोदय.....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : यह कार्यक्रम भी शहरी जनता की उपयोगिता का है, ग्रामीणों को फायदा पहुंचाने वाला नहीं है । डेयरी डवलपमेंट कार्यक्रम शुरू होने के बाद दूध की मात्रा घटी है, बढ़ी नहीं है ।

सभापति महोदय, अन्त में कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अपने विभागों में कुछ व्यावहारिक काम करायें कार्यक्रमों की सही क्रियान्विति की व्यवस्था करायें ।

श्री सभापति : श्री भैरूलाल भारद्वाज ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, भारत के राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शुरू में जब केबिनेट बनाई तो एक बात कही थी, मैं इस बात से बड़ा दुखी हूं कि कृषि विभाग अपने स्वयं के पास नहीं रख सका हूं लेकिन मैं मुख्य मंत्रियों को यह सलाह देना चाहता हूं कि जहां तक हो सके वे कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग को अपने पास ही रखें ।

यह बात इसलिए उद्धृत करना चाहता हूं कि कृषि विभाग इस देश की जान है । जो कृषि प्रधान देश है उस देश को कृषि विभाग को बहुत बड़ा महत्व देना पड़ेगा । मैं यह तो परेशानी समझ सकता हूं कि मुख्य मंत्रीजी स्वयं इस विभाग को न लें परन्तु सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे कृषि मंत्री को कम से कम वे केबिनेट स्तर का पद दें ताकि कृषि का महत्व बढ़ सके ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मौजूदा जो कृषि विभाग का ढांचा हैं मैं उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । कृषि विभाग का ढांचा ऐसा है जो अन्य विभागों से बिलकुल अलग अपनी एक विशेषता रखता है । यह एक ऐसी गौशाला है जिसमें गायें नाम

(श्री मेहंगाल भारद्वाज)

मात की हैं और साण्ड मरे पड़े हैं। यह एक ऐसा विभाग है जिसमें कर्मचारी कम हैं और अधिकारियों और अफसरों की फौज भरी पड़ी है, माननीय सभापति महोदय, कृषि विभाग का जो इस साल का बजट है वह 79.82 करोड़ रुपये का है। मैं चेलेन्ज करता हूं कि इसका 10 प्रतिशत हिस्सा भी सीधा किसान या खेती के नाम के लिए खर्च नहीं होगा। कृषि के बजट का अधीकांश हिस्सा बड़े-बड़े अफसरों के वेतनमानों और उनके सुख-सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। और वह कृषि विकास के नाम लिखा जाता हैं। मुझे इस बात की शिकायत है कि वह जो कृषि विभाग है उसके द्वारा किसानों को लाभ नहीं पहुंचाया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को नयी टेक्नीक के

(5.45 म.व.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति पदासीन)

साथ नये उपादान भी देने होंगे। नये उपादान के लिये राजस्थान सरकार ने जो किसानों की तरफ से आंख मीच रखी है, बड़े खेद की बात है। पंजाब, हरियाणा यहां तक कि मध्य प्रदेश और यू.पी. सरकारों को देखिये, किसानों को पांच प्रतिशत उपादान देकर ट्रेक्टर की बिक्री करती है, पंजाब दो प्रतिशत उपादान देता है। हमारे किसानों को ट्रेक्टर महंगा मिलता है, वह हमारे द्वारा ही महंगा किया गया है। पंजाब के लोगों ने हनुमानगढ़ में अपनी एजेंसीज खोल ली हैं, वे वहां से सस्ता ट्रेक्टर खरीद कर वापस हमारें यहां सप्लाई करते हैं। इसी तरह से खेती के इम्पलीमेंटस् भी कर मुक्त नहीं किये गये है। इन पर और भी ड्यूटी लगती है इस कारण से वे महंगे हो गये मैं निवेदन करना चाहता हूं, एग्रीकल्चर के विशेष प्रकार के औजार, इम्पलीसेन्ट्स बनाने के लिए कृषि उद्योग निगम स्थापित किया गया था। मैं उसके बारे में इतना ही निवेदन करूंगा कि उस निगम ने बहुत अच्छे औजार बनाये हैं जो हमारी पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भेजे गये थे। वे औजार बनना बन्द हो गये। कृषि उद्योग निगम का अच्छा माल होता है और वह महंगा पड़ता है। इसका नतीजा यह हुआ कि वे चीजें आज देखने को नही मिलती हैं जो पहले पंचायतों के दारा किसानों तक पहुंचाई गई थी। मेरा सुझाव हैं, कृषि उद्योग निगम के जरिये वें चीजें पुनः उपलब्ध कराई जानी चाहिये ताकि अच्छा खाद, अच्छा बीज किसानों को मिल सके। फर्टीलाइजर का जो कारखाना राजस्थान में लग रहा है उसमें कृषि उद्योग निगम को महत्पूर्ण पार्ट मिलना चाहिये।

साथ ही साथ मेरा आपसे यह भी निवेदन हैं, जो बीज का कार्यक्रम आपने अलग से लिया है उसके बाद बीज निगम के बीज की क्वालीटी गिरी है। गत साल रजिस्टर्ड सीड दिया था। रजिस्टर्ड सीड, समापति महोदय, एक भम पैदा करता है। जो फाउन्डेशन सीड है उसकी जगह फर्जी बीज बाजरे का दिया गया। मुझे भी वह बीज मिला था। वह मैंने आपके सचिवालय को दिया था और कहा कि पूरी खेती का नुकसान हो रहा है, उसको आप चल कर देखिये। मुझे अफसोस हैं, बीज निगम के द्वारा फजी बीज दिया गया। इतना महगा दिया गया, यह अलग बात हैं लेकिन बीज शुद्ध मिलना चाहिये। शुदता ले बिना खेती का ह्रास होता है।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)
इसलिये मेरा सुझाव है कि कृषि उद्योग निगम जो पहले बीज का काम करता था, इस बीज निगम को समाप्त करके कृषि उद्योग निगम को ही यह काम देना चाहिये। कृषि उद्योग निगम और बीज निगम को एक कर देना चाहिये। साथ ही, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं, किसानो को बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के लिये राजस्थान सरकार को सब्सिडी देनी चाहिये। सब्सिडी के बिना हर चीज किसान के लिये बहुत महंगी पड़ती है। उन चीजों को साधारण किसान खरीदने की स्थिति में नहीं है।

श्री सभापति : आप तो एग्रो इण्डस्ट्रीज के बारे में ही बोलें क्योंकि आपको ज्यादा तजुर्बा है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं आपकी आज्ञा से, सभापति महोदय, एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कृषि विभाग ने कृषि उद्योग निगम की स्थापना इसलिये की थी कि कृषि से सम्बन्धित सभी उद्योगों को उसमें स्थापित किया जाय। लेकिन मुझे दुख है, सरकार ने उस उद्देश्य के अनुरूप काम नहीं किया। जैसा मैंने निवेदन किया, लोगों का यह मानना है कि कृषि उद्योग निगम खराब चीज बनाता है। मैं चैलेन्ज करता हूं, कृषि उद्योग निगम की चीजें अत्यन्त उच्च कोटि की होती हैं परन्तु वह महंगी हैं इस वजह से लोग खरीद नहीं पा रहे हैं।

श्री सभापति : विभाग को इस बार कितना फायदा हुआ है इस निगम से?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, इस निगम में बहुत घाटा हो रहा है। इस घाटे का कारण यह है कि कृषि उद्योग निगम जो चीजें बनाता हैं उनको सरकारी विभाग भी नहीं खरीदते है। कृषि उद्योग निगम अधिकृत वस्तुएं बेचता है, सरकारी विभाग उनको नहीं खरीदते। जब सरकार ही अपने द्वारा स्थापित निगम की चीजों को नहीं खरीदती तो घाटा रहेगा ही। अधिकारी और कर्मचारी केवल कमीशन की वजह से प्राइवेट लोगों से चीजें खरीदते हैं। वे कृषि उद्योग निगम को ही सीधा घाटा नहीं पहुंचाते बल्कि सरकार को भी घाटा पहुंचाते हैं। उनके द्वारा घटिया किस्म की चीजें खरीदी जाती हैं.....

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कृषि उद्योग निगम से काम नहीं लिया जाता। सभापति महोदय...

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका समय हो गया है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं आपको बताऊं, कृषि विभाग के पास 85 ट्रेक्टर हैं उनसे वह लेवलिंग का काम करता है। मुझे अफसोस है कि कृषि विभाग उनको काम में लेने के लिए नहीं देता। जहां तक हमारे काम की अच्छाई-बुराई का सवाल है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका जो ट्रेक्टर था, वह सोजत कृषि

(श्री सभापति)
मण्डी का काम करने गया था । 30 दिन में से 25 दिन तो वह पड़ा ही रहा होगा । कभी डीजल नहीं मिलता, कभी क्या नहीं मिलता । अब आप क्या तारीफ कर रहे हैं ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हो सकता है, हमारे कुछ अधिकारी और इंजीनियर्स के कारण ट्रेक्टर ज्यादा दिन नहीं चला हो, पर मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उद्योग निगम के काम को अच्छा मान करके आन्ध्र प्रदेश, पंजाब और यू. पी. ने ट्रेक्टर मंगाये हैं । हमारे कम से कम 30-40 ट्रैक्टर्स वहां काम कर रहे हैं । यहां से सवायी रेट पर निगम के ट्रेक्टर्स को दूसरी सरकारें मंगाती हैं लेकिन यहां की सरकार इसके लिये तरजीह नहीं देती । खैर, मैं तो कृषि मन्त्रीजी से इतना ही निवेदन करूंगा कि आपने कुछ सुनना शुरू किया है, आपने कृषि उद्योग निगम की उन कमियों को सुधारने..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बीड़ा उठाया है जिसकी वजह से यह घाटे में चल रहा है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये । माननीय श्री माला-राम ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी मूल बात पर आना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं किसान हूं । यह तो मैंने आपके कहने से कहा, कृषि उद्योग निगम की बात मैं नहीं कहना चाहता था । मैं किसान कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी खेती की बात कहना चाहूंगा, आप समय दें मुझे ।

श्री सभापति : सभी लोग कहना चाहते हैं । माननीय सदस्य, आपकी कोई अकेले की ही समस्या नहीं है ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपने मुझे कृषि उद्योग निगम की बात कहने के लिए बाधित किया पर मैं किसान की भाषा, किसान की बात कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : आपको समय नहीं दे सकता । आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, मुझे किसान की बात कहनी थी । मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके कृषि उद्योग निगम की बात कही है इसलिये आप मुझको अपनी बात कहने दीजिएगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, जब तक आप किसान की समस्या को नहीं समझेंगे तब तक किसान का भला नहीं कर सकेंगे । मैं तो यह कहता हूं कि यह जो कृषि विभाग है, बड़ा कमजोर विभाग हैं । मैं इसको ज्यादा शक्तिशाली देखना चाहता हूं । बगैर सिंचाई, पानी के कृषि कैसे होगी ?

श्री सभापति : आप, कृपया, कृषि मन्त्री से मिल कर अपने सुझाव उनके घर पर दे दीजिए । जो विपक्ष वाले हैं वे भी यहां बोलना चाहते हैं ।

श्री मेरूंलाल भारद्वाज : जिस तरह केन्द्रीय सरकार के पास है, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : सिंचाई का विभाग कृषि मन्त्री के पास नहीं हैं, माननीय सदस्य । केन्द्र में अलग से सिंचाई का विभाग है । आपको...

श्री मेरूंलाल भारद्वाज केन्द्र में सिंचाई विभाग के अलग से स्टेट मिनिस्टर है । केबिनेट स्तर पर कृषि मन्त्री सिंचाई विभाग को देखते हैं । केवल स्टेट मिनिस्टर अलग है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां भी कृषि विभाग को पावरफुल बनाने के लिये कोशिश की जानी चाहिये ।

श्री सभापति : अब आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य ।

श्री मेरूंलाल भारद्वाज : मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा । ग्राम सेवकों से पंचायत और पंचायत समितियों के द्वारा पहले कार्य लिया जाता था वह काम बहुत अच्छा चलता था । सरकार ने सीधे ही अफसरों के अधीन ग्राम सेवक देकर, उसके काम का ह्रास किया है । मेरा सुझाव है, पंचायत और पंचायत समितियों के अधीन ग्राम सेवक रखे जाने चाहिये ।

श्री सभापति : धन्यवाद ।

श्री मेरूंलाल भारद्वाज : अब मैं पशुपालन मन्त्रीजी से एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । पशुपालन मन्त्रीजी से निवेदन है कि मेहरबानी करके पशुओं की नस्ल सुधारने का जो कार्यक्रम है, उसको ज़रा तेजी से आगे बढ़ायें । वैसे वह बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं फिर भी, मैं कहता हूं कि किसानों को अच्छी नस्ल के जानवर देने चाहिये ।

श्री सभापति : माननीय श्री मालाराम । आर्डर प्लीज । नहीं, अब आप, माननीय सदस्य...

एक माननीय सदस्य : पशुपालन के बारे में कहा है कि नस्ल सुधारिये ।

श्री सभापति : अंकित न हो ।

श्री मेरूंलाल भारद्वाज : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जायें । इस तरह से आप बोलेंगे ? आप वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, सूची में नाम तो मेरा है । अच्छा, इसके बाद में मेरे को बोलने देना ।

श्री सभापति : श्री मालाराम ।

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री **मालाराम** (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सौ में से 80 आदमी गांवों में रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, सचेतक महोदय से इतना तो होना चाहिये..

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : मंत्रीजी सुन रहे हैं, आप चालू रखिए।

श्री **मालाराम** : नहीं तो रोड़ा क्यों अटका रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आज....

श्री **सभापति** : आपकी बात इन्ट्रेस्टिंग होगी तो सब सुनना शुरू कर देंगे।

श्री **मालाराम** : आज आम आदमी गांव में रहने वाला, कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। बारिश नहीं होने के कारण कृषि और पशुपालन, दोनों में ही दिन-प्रतिदिन कमी आ रही है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत कृषि मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं, काश्तकारों ने 5–10–20 हजार रुपये लगाकर बिजली लगायी है, उनके कुओं का पानी कम हो गया, बिजली भी कम आ रही है।

दूसरी बात, कुओं का पानी कम हो गया इसलिये काश्तकारों को कुओं को गहरा कराने के लिये सब्सिडी जरूर मिलनी चाहिए। आज मुर्गी पालन के लिये सब्सिडी देते हैं, हर चीज के लिए शहर वालों को सब्सिडी देते हैं पर गांव में रहने वाले किसान के लिए सब्सिडी नाम की कोई चीज सरकार के पास नहीं हैं गांवों में सौ में से 80 आदमी रहते हैं, किसान के लिये बारिश बरस जाय तो यह तो रामजी की माया है। जितना असिंचित एरिया है, वहां रुपए का एक किलो या डेढ़ किलो चारा मिल रहा है, जिस काश्तकार के पास 50 पशु हैं वह उनको क्या खिलायेगा ? चारे के लिये कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। सरकार का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है।

दूसरी चीज, मेरा सुझाव है, राजस्थान में बहुत ही बढ़िया भूमि है, उसको लेवल कराने का काम करना चाहिये। भू-संरक्षण विभाग का हर जिले में हैडक्वार्टर है। आज तक भू-संरक्षण विभाग वालों ने गांवों में जाकर सुधार का कोई काम शुरू नहीं किया। जिन अधिकारियों को पूछते हैं तो वे कहते हैं कि बजट ही नहीं हैं। अब यदि काश्तकारों के लिये ही कोई बजट नहीं है तो यह तो ढोल की पोल है। यह तो नाम लेते हैं कि हम काश्तकारों पर निर्भर हैं। वोट लेने के समय काश्तकार का नाम लेते है। 80 प्रतिशत आदमी गांवों में रहते हैं, सरकार का एक भी जन प्रतिनिधि उनकी किसी चाज का ध्यान नहीं रखता कि काश्तकारों को यह मिलना चाहिये। आज प्रत्येक आदमी शहरों में रहना चाहता है क्योंकि शहरों में सब चीजों का सुविधा है। मेरा यह भी सुझाव है कि हर गांव में दसवीं तक स्कूल में कृषि का सब्जेक्ट चालू करना चाहिये ताकि काश्तकार का लड़का कृषि को समझ सके। दूसरी चीज यह है कि 2–2 पंचायतों में एक-एक ग्राम सेवक है परन्तु, सभापति महोदय, मैं आपको यह चैलेन्ज देता हूं कोई भी ग्राम सेवक काश्तकार को यह नहीं बता सकता कि आज यूरिया खाद पंचायत में आया हुआ है या दवा आया हुई है। काश्तकारों की भैंस, बैल, गाय, भेड़, बकरी अंधाधुंध मर रही हैं। गांवों में पशु डाक्टरों की कमी है। पशु डाक्टर की पोस्ट हैं वह

(श्री मालाराम)

खाली पड़ी हैं, कागजों में तो मर दी हैं। वह बड़े शहरों में रहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वह तो जयपुर में रहेंगे या बड़े शहर में रहेंगे।

सभापति महोदय, भेड़ व ऊन विभाग के बारे में मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। आज जो रंगी हुई ऊन है उसका भाव 30-40-50 रुपये पौण्ड है, काश्तकारो के पास जो भेड़ की ऊन है उसका भाव 10 और 12 रुपए किलो देते हैं। आप देखिए, यह उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है। एक आदमी भेड़ को बारह महीने तक चरावे, बारह महीने तक उसका पालन-पोषण करे उसके बाद उसको सिर्फ दस रुपये किलो का भाव मिले और एक फैक्ट्री वाला, जो ऊनका धागा बना कर बेचे उसको साठ-सत्तर रुपया किलो का भाव मिले, यह कितना बड़ा अन्याय किसानों के साथ है। मैं तो आपको यही कहता हूं कि भेड़ व ऊन विभाग जो भेड़ पालन का काम करने वाले हैं उनकी ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। जो पशु धन हैं उस पशु धन की ओर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये। पोलट्री फार्म के लिये आप सब्सिडी देते हैं लेकिन भेड़ व ऊन विभाग भेड़ पालन के लिये कोई सब्सिडी नहीं देता है। भैंस के लिये आप कोई सब्सिडी नहीं देते हैं।

सभापति महोदय, पिछड़े से पहले कार्यक्रम में कई आदमियों को भैंस दी है। मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सीकर और झुंझुनू जिले में पिछड़े से पहले कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़ व ऊन विभाग से जिन आदमियों को पैसा सैंक्शन हुआ है या जिन्होंने बैंक से भैंस के लिए, पाडा के लिए, भेड़ के लिए लोन लिया है उस पर सब्सिडी का पैसा अधिकारी ऊपर ही ऊपर खा गये। बेचारे काश्तकार बैंक में या सिटी में डोलते फिरते हैं उन्हें एक पैसा नहीं मिलता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मालाराम : मेरे तो यही सुझाव हैं आपके सामने। आपने मेरे को जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गोकुलचन्द शर्मा।

(व्यवधान)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, कृषि की डिमाण्ड पर चर्चा चल रही है उसके बारे में मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज इसमें कोई संदेह नहीं है कि नई टैक्नोलजी के हिसाब से हमारे कृषि विभाग ने इम्प्रूवमेंट किया है। हमारे प्रदेश की हिन्दुस्तान आजाद होने के पहले जो स्थिति थी उससे सभी वाकिफ हैं, सभी जानते हैं, समझते हैं। कृषि तीन बातों परनिर्भर करती है-जमीन, पानी और पैसा। तीनों ही बातों में हम बहुत पहले से पीछे चले आ रहे हैं। जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा, पूंजी लगाने से ही क्या कोई व्यापार या धन्धा आगे चल सकता है। मेरी मान्यता है। जहां तक मैं

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

समझ पाया हूं, यह बात सैद्धान्तिक रूप से सही नहीं हो सकती। केवल पैसे से ही सभी काम चल सकते हों, ऐसा नहीं है। आज पैसा हम कितना भी लगायें लेकिन उसका दुरूपयोग होता रहे तो वह पैसा लगाया हुआ किसी काम में नहीं आएगा। आज हमारा कृषि विभाग जयपुर से चल कर पंचायत हैड क्वार्टर तक पहुंच गया है। सभापति महोदय, हर पंचायत हैड क्वार्टर पर कृषि कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की हुई है लेकिन, सभापति महोदय, जो हमारे पै सेंटर बने हुए हैं उन पर कृषि अधिकारी कार्य-कर्ताओं को जब जब जीपों में भर कर 15 तारीख और एक तारीख को आते हैं तो हमको उनको देख कर तरस आता है कि हमारे पैसों को किस प्रकार से पानी की तरह बहाया जा रहा है, उस पैसे से जो काश्तकारों को फायदा मिलना चाहिये, वह कैसे मिल सकता है। वह किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। माननीय सभापति महोदय, कृषि विभाग का कभी मानीटरिंग नहीं होता है। विभाग के अधिकारी कोई काम देखने वाले नहीं हैं, वे तो शराब में धुत्त होकर आनन्द से नींद खींचते हैं। आप कहते है कि आज को टैक्नोलोजी को हम पंचायत के हैडक्वार्टर तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, यह गलत बात है। मेरे यहां बहुत बड़ी रिसर्च सेंटर है। सभापति महो-दय, उसके अन्दर करीब 12-13 राजपत्रित अधिकारी हैं, विद्वान हैं वे वहां पर बहुत अच्छे अनुसंधान कर रहे हैं लेकिन अफसोस की बात है कि उनके वे अनुसंधान कागजों तक ही सीमित हैं। कुमेरपुर के अन्दर रिसर्च हो रही है। पौधे में जिस तरह के कीटाणु पैदा होते हैं उन पर कैसी दवाई छिड़की जानी चाहिए उसके लिए वे अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारा सिद्धान्त यह था, हमारी योजना यह थी कि इन बातों को हम काश्तकारों तक कैसे पहुंचायें। वह केवल इस तरह से पहुंचा सकते हैं कि जो कृषि कार्यकर्ता पंचायत हैडक्वार्टर पर लगे हुए हैं उनके द्वारा काश्तकारों तक जानकारी पहुंचाय जाय। जो लिटरेचर उनको भेजना चाहिये, जो इन्फार्मेशन उनको भेजनी चाहिये वह उन काश्तकारों तक नहीं पहुंच पाती है और काश्तकारों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। नतीजा यह निकल रहा है कि जो पैसा, जो पूंजी लगाने की बात कर रहे हैं वह पूंजी हमारी व्यर्थ में जाया हो रही है, बरबाद हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था में सुधार कब तक ला सकेंगे? और अगर वह सुधार नहीं लाया गया तो हालात क्या होंगे? आप कितनी भी पूंजी लगाते रहिये, आप 70 करोड़ नहीं, एक सौ करोड़ लगाइये, दो सौ करोड़ लगाइये, किसी भी हालत में सुधार नहीं हो सकता। रहा सवाल हमारे यहां पर जमीन का, अभी थोड़ी देर पहले कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर मिट्टी की जांच के लिये लेबोरेटरी होनी चाहिये। मैं तो यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लेबोरेट्रीज आलरेडी काम कर रही हैं, कृषि कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उनसे मिट्टी का परीक्षण करा कर उसकी रिपोर्ट काश्त-कारों तक पहुंचायें। यही बहुत सफिशियेंट होगा। उन लेबोरेटरीज का फायदा मिल नहीं रहा है तो नई लेबोरेटरीज लगा कर बिग्रेड बनाने की आवश्यकता क्या है। फिर उनमें पूंजी विनियोजन की बात आएगी। उसके

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

लिये पैसे भी चाहिए। इसलिए यह पैसा बढ़ाने की बात को समाप्त करें। यह इस तरह से बिग्रेड बढ़ाने की बात को समाप्त करें। जो स्टाफ हमारा लेबोरेटरीज में लगा हुआ है उससे हम किस प्रकार से काम ले सकते हैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान चला जाय तो, मैं समझता हूं, हम कृषि की बहुत उन्नति कर सकते हैं। तो मिट्टी की बात यह हुई कि अगर हम मिट्टी का परीक्षण करके काश्तकारों तक उसकी रिपोर्ट पहुंचायेंगे तो उत्पादन अवश्य बढ़ा सकेंगे। इसके बाद समस्या पानी की आती है। कई माननीय सदस्यों ने अभी बताया, पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े बताये थे कि हमारे प्रान्त में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खेती के अन्दर इतना प्रतिशत, इतना पैसा लगाना चाहिये उसके बिना उत्पादन घट रहा है, उत्पादन का प्रतिशत गिर रहा है। मेरा निवेदन तो इसके बारे में एक है कि इससे उत्पादन पर फर्क पड़ा है। आज हमारे यहां पर पांच-सात साल से अकाल पड़ रहा है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि हमारा उत्पादन गिरे। निरन्तर अकाल पड़ने से हम राजस्थान के अन्दर किसी भी हालत के अन्दर कृषि की उन्नति कर ही नहीं सकते। कृषि मंत्रीजी, जो आंकड़े दिए गए हैं, वह अवश्य देखें। जब बरसात होती है तो उत्पादन बढ़ जाता है। कृषि विभाग यह कहे कि हमारे कृषि विभाग की वजह से उत्पादन बढ़ गया तो यह बात बिल्कुल गलत है, कतई गलत है। यह सही बात है कि हमारे यहां जब बरसात अच्छी हो जाती है तो फसल अच्छी हो जाती है और बरसात अच्छी नहीं होती है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ना बन्द हो जाता है। इसलिए हमारे यहां पानी की कमी उत्पादन कम और ज्यादा होने का कारण है। उत्पादन पानी पर डिपेंड करता है। पानी के लिए हमको साधन जुटाने चाहिए। राजस्थान कैनाल और जो दूसरे बांध हैं, उसी तरह हमारे यहां छोटे-छोटे बांध बनाने चाहिये। पैसा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, पानी लाने के लिये लगाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूंगा, बहुत जल्दी के अन्दर घंटी बजा दी आपने।

पशुपालन के लिये मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया। जंवाई बांध की बात थी, मैं इसके अन्दर एक छोटी सी बात और जोड़ देना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप तो खुद ही जंवाई बांध के सरपंच रहे हैं।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : हां, जंवाई बांध का सरपंच भी रहा हूं। मैं इसमें छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। पशुपालन विभाग वाले एक छोटी-सी बात बता दें मुझे, विभाग द्वारा जंवाई बांध पर क्या मच्छी का ठेका दिया जाता है? मच्छी के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो कि एक इन्च के भी नहीं होंगे, क्या उनको भी निकालने का ठेका दिया जाता है? क्या निविदाओं के अन्दर उसका भी उल्लेख होता है? मैं तो यह समझता हूं, आप वहां पर उन बच्चों को प्रजनन के लिये डालते हैं। कण्डीशन यह है कि

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)
जंवाई बांध से बोरे भर भर के छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं। चार चार दिन तक, जब तक वे डिस्पैच नहीं होते हैं, पूरा स्टेशन सड़ता रहता है। आपके विभाग के आदमियों को एक बार नहीं कई बार मैंने भी लिखा है। मैंने कहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपके विभाग में तो एक ही बात है कि कितने पैसे मिल जायं और कितने बोरे आज लदवा दिए जायं। बस एक ही बात है। इसलिये मेहरबानी करके यह भ्रष्टाचार जिस तरह से पनप रहा है, जिस प्रकार के कारनामे हो रहे हैं वह हमारे लिये, इस जनता के लिये लाभदायक नहीं हैं। वे अधिकारी हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना

(समय-समाप्त-सूचक घण्टी)

चाहता हूं, आप मेहरबानी करके उन कारनामों की जांच करवायें। आप अपने जवाब में बतायें कि उसकी जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है, यहां की 80 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है। गांवों में रहने वाले लोग केवल खेती करते हैं। किसान की जो माली हालत है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार ने किसानों के विकास के लिये कुछ नहीं किया। किसान सारा दिन मेहनत करता है, अकेला किसान ही नहीं करता है, उसका सारा परिवार खेत में लगा रहता है। सारी रात-दिन मेहनत करने के बाद आज किसान की जो स्थिति है, किसान की जो माली हालत है उस पर सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, आज खाद के भाव बड़े महंगे हैं, सिंचाई की दर बड़ी महंगी है। किसान को बिजली बड़ी मुश्किल से और महंगी मिलती है। इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। यदि आप किसान की माली हालत ठीक करना चाहते हैं तो जो खाद, बिजली इन सबकी महंगी कीमतें हैं उनको घटाना होगा। इसके साथ साथ किसान जो परिश्रम कर रहा है उसको देखते हुए किसान जो अपना उत्पादन करता है उसके बदले जो कीमत मिलती है वह बहुत कम है। आपके माध्यम से मैं सरकार, कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि कृषक को उसकी मेहनत के वाजिब पैसे मिलने चाहिये। आज खाद, बीज और दवाओं की महंगी कीमतों को देखते हुए किसान को उत्पादन के बदले बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। उसको उचित कीमत मिले इसकी व्यवस्था करें। हमारे यहां पर गेंहू अच्छी तादाद में होता है, इसलिये आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वह रिकमण्ड करें कि जो सपोर्ट प्राइस हो वह 200 रुपये क्विन्टल से किसी भी मूल्य पर कम नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा, कृषि को उन्नत करने के लिये कृषि विभाग को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। आज कृषि विभाग बड़ा कमजोर है, पंगु है। कृषि विभाग अपने आप में

(श्री हीरालाल आर्य)

कुछ नहीं है। किसान को बिजली के लिये कनेक्शन चाहिये, साल भर, 6-6 महीने तक एग्रीकल्चर पर्पज के कनेक्शन के लिये किसान के आवेदन-पत्र पड़े रहते हैं लेकिन उसको कनेक्शन मिलता नहीं है। मैं चाहूंगा इसमें आपका दखल हो। कृषि पर्पज के लिये उनको कनेक्शन जल्दी मिले। आज किसानों को किस वक्त सिंचाई की आवश्यकता है, किस वक्त नहर चलनी चाहिये, किस वक्त नहर बन्द रहनी चाहिये, किसान की फसल सूख रही है, आपके विभाग के लोग मीटिंग करके रह जाते हैं, आपका दखल सिंचाई विभाग में नहीं होने की वजह से किसानों की फसल सूखती रहती है। नहर जब किसानों को आवश्यकता होती है तो चलती नहीं है इसके फलस्वरूप किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। खाद, बीज और दवाएं बांटने का काम विभाग मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से करता है। आपके जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वह इस बात को रिकमण्ड करने में असमर्थ हैं कि अमुक बीज दो, अमुक खाद दो। समय पर उनको खाद बीज उपलब्ध नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि यह लाने वाली एजेन्सी है उसका आपके विभाग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा यदि कृषि को आप उन्नत करना चाहते हैं तो आपके विभाग को शक्तिशाली करना पड़ेगा ताकि आपकी बात विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग वाले मानें और उसके अनुरूप किसानों को फायदा दे सकें।

श्री **सभापति** : अब आप पशुपालन पर आ जायं।

श्री **हीरालाल आर्य** : माननीय सभापति महोदय, साथ में, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा ...

(व्यवधान)

थोड़ा एक मिनट बोलूंगा।

खाद और बीज किसानों को देने के लिये आपका कार्यक्रम है। बीज निगम उनको यह चीजें उपलब्ध कराता है लेकिन जो कृषि के अधिकारी हैं वह किस तरह का सलूक किसानों के साथ कर रहे हैं, मेरे मांगरोल के किसानों का एक उदाहरण दूं। उनको आर 1555 का गेहूं चाहिये था, उन्होंने ए. ई. ओ. से सम्पर्क किया कि हमें गेहूं चाहिये। ताराचन्द वर्मा, जो वहां का ए. ई. ओ. है गेहूं लाया। पहले गेहूं दूसरा दिखाया और लाया दूसरा। जब दूसरा गेहूं लाया तो किसानों ने लेने से मना किया और कहा, यह हल्का गेहूं है, आपने जो दिखाया था वह गेहूं नहीं है। वह गेहूं कहां से आया था? आपके जो जिला कृषि विस्तार अधिकारी हैं बारां के श्रीमान् घेवर चन्द गुप्ता, उनके निजी फार्म से गेहूं आया था। जब किसानों ने इसकी शिकायत कमिश्नर साहब से की कि, साहब, यह गेहूं आया था यह ठीक नहीं है, हम इसको नहीं लेते, तब उसकी जांच हुई। उस जांच में ए. ई. ओ. दोषी पाये गये लेकिन जिला कृषि विस्तार अधिकारी का ट्रांसफर हुआ। उन्होंने ट्रांसफर कैंसिल करा लिया और वे बूंदी तो गये नहीं, कोटा

(श्री हीरालाल आर्य)
में कृषि विस्तार अधिकारी के नाते अपना पोस्टिंग करा लिया। मैं चाहूंगा, किसानों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग खास तौर से यह कृषि विस्तार अधिकारी हैं इनको सस्पैंड करें, इनके खिलाफ कार्यवाही करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने एक ही प्रकरण में एक ग्राम सेवक को सस्पैंड किया उसका क्या दोष था? उस ग्राम सेवक को बख्शें उसने किसानों की मदद की थी, जो वास्तव में दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, संकर ज्वार का बीज हमारे कोटा जिले में पिछली बार आया वह बीज उगा नहीं। किसानों ने शिकायत की। कृषि मंत्री ने यहां पर घोषणा की थी कि जिस किसान का बीज नहीं उगा होगा उसको मुआवजा देंगे, लेकिन मेरे क्षेत्र में एक भी किसान को आज तक मुआवजा नहीं दिया है। बीज के मुआवजे के साथ साथ, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जो उनका साल बरबाद हुआ उसका भी मुआवज़ा दें।

श्री सभापति : बस, अब समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : साथ ही कीड़े मारने की दवा, माननीय सभापति महोदय, मार्केटिंग सोसायटी के माध्यम से बिक रही है। वह दुगुनी कीमत वसूल कर रही हैं। इसी तरह से जो जड़ों में कीड़े मारने की दवा है उसकी चौगुनी–तिगुनी कीमत वसूल कर रहे हैं। यह क्या कर रहे हैं? किसानों को लूट रहे हैं। सल्फर खाद प्राइवेट एजेन्सी सस्ती दे रही है, वह दे रहे हैं 162/- रुपये में जब कि आपकी मार्केटिंग सोसाइटी 190/- रुपये का एक कट्टा सल्फर का दे रही है। किसानों की लूट नहीं करें, इस तरह की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान भूमि विकास निगम .....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुन्दर लाल।

श्री हीरालाल आर्य : हमारे यहां ओ. एस. डी. का काम चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, हजारों सैकड़ों किसानों ने उसके माध्यम से ऋण लिया है।

श्री सभापति : आपकी सब बातें आ गई।

श्री हीरालाल आर्य : किसान कह रहे हैं कि उनको ऋण देने के बजाय उनकी जो अपनी फसल का मुआवजा मिला उसमें से दूसरे डिपार्टमेंट सिंचाई के पैसे काट रहे हैं और उसकी रसीद नहीं दे रहे हैं। किसान कहते हैं सहकारी समिति वाले हमसे पैसा मांगते हैं। आप लोगों का उसूल क्या है? उनको पूरा पैसा दिया जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये। माननीय सदस्य, बस, आप समाप्त करिये।

श्री **हीरालाल आर्य** : लेकिन मेरा कटमोशन पशुपालन पर भी है ।

श्री **सभापति** : सब बातें आ गईं ।

श्री **हीरालाल आर्य** : दो मिनट बोलूंगा ।

श्री **सभापति** : आप काफी बोल लिये । माननीय श्री सुन्दर लाल ।

श्री **हीरालाल आर्य** : दो मिनट बोलूंगा भेड़ और ऊन के बारे में ।

श्री **सभापति** : आप मंत्री महोदय से मिल लीजिये । आप दो मिनट की जगह घर पर जाकर पांच मिनट मिल लीजिये ।

श्री **हीरालाल आर्य** : हमारे कोटा जिले में गरीब लोग भेड़ पालते हैं । कोटा जिले में कोई भेड़ और ऊन प्रसार केन्द्र नहीं होने की वजह से जब भेड़ें मरती हैं, तब उनमें बीमारियां फैलती हैं। दवा लेने बूंदी आते हैं, दूर–दूर जाते हैं। मंत्री महोदय, कोटा जिले के लिये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अभी घोषणा करें कि कोटा में भेड़ और ऊन प्रसार केन्द्र की स्थापना की जायेगी ।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री **हीरालाल आर्य** : और जो भेड़ें हमारे इलाके में भेजी हैं उनकी भी व्यवस्था करें ।

धन्यवाद ।

श्री **सभापति** : श्री सुन्दर लाल ।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब काश्तकारों की कृषि के संबंध में बात आये तो दवाएं अगस्त या सितम्बर में दे दें । हरियाणा के बोर्डर पर कातरा बहुत होता है, जब कातरे के लिये एप्लीकेशन लेकर हैड्क्वार्टर पर जाते है तो कातरा मांड कर, दो महीने बाद दवाएं मिलती हैं तब तक तो फसल को कातरा खा जाता है तो दवाओं को क्या करें । टाबरों को दवाई दी जाय । इसलिये मेरा तो एक ही सुझाव है, जब फसल के कभी बीमारी लगे उसी वक्त दवाएं मिलनी चाहिये । जब बीमारी लगने की सम्भावना हो उसके दो महीने पहले दवाएं दे दो । काश्तकारों को चाहिये अगस्त में, ये देते हैं नवम्बर में । आप देख लीजिये, यहां सब काश्तकार हैं, जितने भी एम. एल. ए. हैं सबके क्षेत्र में थोड़े-घणे काश्तकार जरूर रहते हैं । फसल बोने के लिये बीज चाहिये। जब कहेंगे उसके दो महीने बाद आगे चिट्ठी लिखेंगे पंचायत समिति को, तो उसका फायदा क्या है । मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं, बीज की जरूरत फसल बोने के लिये अक्टूबर में पड़े तो अगस्त में बीज काश्तकार को देना चाहिये । काश्तकार बीज ले सकें इसके लिये दो महीने पहले से यह प्रचार करें कि हमारे बीज लेकर बोइये, इससे फसल अच्छी होगी । वह परेशान होकर के कहे, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के हैड्क्वार्टर पर काश्तकार चक्कर लगाता रहे और यह बीज नहीं दे सकें फिर जब बीज इनके पास होवे तब वह बीज

(श्री सुन्दरलाल)
बोवें ? मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, आइन्दा के लिये अधिकारियों को आदेश दिया जाय कि जब भी काश्तकार को बीज की जरूरत पड़े उसके एक महीने पहले काश्तकार को बीज उपलब्ध करा दिया जाय ताकि अच्छी फसल काश्तकार ले सके। जब कभी फसल पर बीमारी आये उस बीमारी का इलाज कुछ भी कर सकें, उनकी किसी भी प्रकार की दवाएं हों तो उसी वक्त दें। बीमारी लगने के दो महीने बाद दवाओं की सूचना दें, अब सरकार के पास दवा आयी है, अब उपलब्ध करा सकेंगे तो काश्तकारों को फायदा क्या होगा। ज्यादा सुझाव नहीं देकर, मैं यही सुझाव देना चाहता हूं।

दूसरा, मेरा सुझाव यह है कि पशुपालन-मंत्रीजी . ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं हाजिर हूं।

श्री सुन्दरलाल : पशुपालन मंत्री जी, मेरी पंचायत समिति, भुवाना में 120 गांव हैं, आज तक पशु हॉस्पिटल 120 गांवों की भुवाना पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर नहीं है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील में सबसे ज्यादा पशु गाय-भैंस हैं पर उनके इलाज के लिये कोई औषधालय, डिस्पेंसरी नहीं है। आप प्रचार करते हैं कि जर्सी गाय होनी चाहिये, लेकिन उसका बछड़ा चार रुपये में भी बिकता नहीं, जब कि हरियाणा नस्ल का बछड़ा 2-3 हजार में बिकता है। यह बिना थूई का बछड़ा जिससे न हल जोत सकते हैं, न दूसरे काम आता है फिर कहते हैं कि इस नस्ल से दूध ज्यादा होता है। उस दूध का भी फायदा नहीं। मैं कहता हूं, पशुओं की ब्रीड बदलने में भी फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। मेरा सुझाव है कि पंचायत समिति भुवाना, जिसमें 120 गांव हैं, में एक पशु चिकित्सालय होना चाहिये। मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा बोलने की मेरी आदत नहीं है।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, कृषि और पशुपालन राजस्थान और भारतवर्ष के किसानों का मुख्य धन्धा है। जहां 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हों, 80 प्रतिशत किसान हों उस प्रान्त में पशुपालन और कृषि विभाग के लिये राजस्थान मंत्री मण्डल में केवल राज्य मंत्री हों तो यह राजस्थान की जनता, किसान वर्ग और पशुपालन का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिये शर्म की बात है। इतना महत्वपूर्ण विभाग है उसको सरकार सुविधा देना नहीं चाहती। यहां पर करोड़ों रुपयों का बजट होने के बाद मंत्री तक न हो, मंत्री के दर्जे वाले व्यक्ति को काम न दें इससे ऐसा आभास होता है कि गांवों के शोषित और सदियों से पीड़ित किसान वर्ग की ओर सरकार तवज्जोह नहीं देना चाहती है। मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं, भविष्य में उनको मौका मिले तो यह जो इतना बड़ा महकमा है, महत्वपूर्ण महकमा है इसको सोच-समझ कर किसी मंत्री को देना चाहिये ताकि किसान वर्ग को संतोष हो सके।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

विशेषकर राजस्थान में आजादी के पहले और आजादी के बाद अनाज बाहर से मंगाते थे; मंगाते हैं। अगर यही ढर्रा रहा और यही इन अधिकारियों की चाल और पालिसी रही, गांवों के लोगों के प्रति यही रवैया रहा तो गांवों के किसान जो पैदावार करते हैं वह इतनी पैदावार कर नहीं सकेंगे। महरूम हैं सीमित साधनों के कारण, इसलिये बाध्य होकर उन लोगों को जिन्दा रखने के लिय हमें फारेन से अनाज मंगाना पड़ेगा। राजस्थान में हर वर्ष दीपावली के बाद फसल घर में आती है, उसके बाद से हम शुरू हो जाते हैं भारत सरकार से अनाज मांगने के लिये। हम कहते हैं, एन. आर. ई. पी. का काम चल रहा है इसमें अनाज दिया जाय। 4—5 साल पुराना सड़ा हुआ अनाज मिलता है जिसे खाकर 80 प्रतिशत किसान जिन्दा रहते हैं। प्रतिवर्ष 50—100 करोड़ रुपया कृषि व पशुपालन पर खर्च होता है, यह 50—100 करोड़ रुपया किसानों के लिये नहीं बल्कि जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनकी कारें, उनके रहने के लिये खर्चा करना पड़ता है। मैं आपको गारण्टी से कह सकता हूं कि आप 10 प्रतिशत खर्चा भी किसानों के लिये नहीं करते जिनके लिये बजट प्रावधान करते हैं। किसानों की मजबूरी है, उन किसानों का संगठन नहीं है, उनमें शक्ति नहीं है, सूझबूझ नहीं है इसलिये ऐसे आदमी को थोप देते हो। यह पूरा बजट फिजूल खर्च में चला जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं आप नाराज क्यों हो रहे हो। हम 80 प्रतिशत किसान हैं। हम मानते हैं कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जानते नहीं, गूंगे की तरह हैं, अपनी आवाज को आपके सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बजट को अधिकारियों को खिला दें, हमारे ऊपर ऐसे आदमी को बैठा दें जो खेती की क, ख, ग जानता न हो। कुछ तो रहम कीजिये विभाग पर, किसानों पर जो गांवों में बसते हैं। आप तो किसानों में आस्था रखने वाले आदमी हैं, क्यों नाराज हो रहे हो किसान वर्ग पर? आदरणीय सभापति महोदय, आपकी घंटी की कद्र करूंगा लेकिन 2—3 सुझाव दूंगा।

श्री सभापति : आप डेयरी पर बोलें अच्छा रहेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : डेयरी पर तो बोलूंगा नहीं। एक रुपया भी डेयरी डवेलपमेंट के लिये नहीं दिया, डेयरी पर क्या बोलूं? यह मंत्री महोदय को भी मालूम है। उनकी डेयरी के प्रति कैसी भावना है, वे जानते हैं, इसलिये मुझे उस पर बोलने की जरूरत नहीं। मैं आपको सुझाव दूंगा, आज मुख्य मंत्री यहां विराजमान हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का किसान पंजाब और हरियाणा के मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। आज पंजाब के किसान को नहरों से 24 घंटे पानी मिलता है। वहां न बिजली की जरूरत है, न खाद, मींगणी डालने की जरूरत है। हमारे किसान, जो गांवों में रहते हैं, के कुओं से 2—3 घंटे से ज्यादा पानी चलता नहीं।

(6.25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

4–5 घंटे उनको बिजली मिलती है और वह भी इस तरह से कि मोटरें जल जाती हैं। खाद है नहीं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में पंजाब, हरियाणा गुजरात और महाराष्ट्र के मुकाबले में हमारा किसान कैसे खड़ा होगा ? उनको तो गेहूं पर 100 रुपये का फायदा प्रति क्विंटल पर होता है और हमारे किसान, जो 200 रुपये प्रति क्विंटल से कम खर्चा नहीं करते, को एक रुपये का भी फायदा नहीं होता। न दूध और पशु-पालन से फायदा होता है, न खेती से फायदा होता है। कुल मिलाकर कृषि और पशुपालन घाटे का धन्धा है। यह धन्धा हमारे को इसलिये करना पड़ता है कि हमारी मजबूरी है. दूसरा कोई जरिया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शहरों में लोग अच्छी-अच्छी नौकरियों में हैं। आज गांव का किसान लाख कोशिश कर ले, उसको नौकरी में अच्छा स्थान नहीं मिल सकती, पढाई में वह शहरों के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, खेती में वह पंजाब और हरियाणा का मुकाबला कर नहीं सकता इसलिये हमारा राजस्थान सदैव पिछड़ा रहेगा। मेरा निवेदन है, आप केन्द्र सरकार से जो 100–100 करोड़ रुपये, 50–50, 100–100 करोड़ रुपये की मांग फ्रेमिन के लिये ख्वाहमख्वाह पास करा लेते हो, अधिकारियों, कर्मचारियों पर बिना मतलब टी. ए., डी. ए. का खर्चा करते हो, खाद, बीज का नाम लेकर जो करप्शन प्रदेश में हो रहा है उसको बन्द करके किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़िया से बढ़िया साण्ड, अच्छे पाडे, अच्छे से अच्छा बीज बहुत ही कम दर पर उपलब्ध करवादें, तो मैं दावा करता हूं कि हिन्दुस्तान और दुनियां में राजस्थान का मुकाबला नहीं होगा। आज राजस्थान का पशुधन निराला है। चाहे जर्सी गाय हो, चाहे और किस्म की गाय हो, हमारे बाड़मेर, जालौर, सीकर झुंझुनूं की गायों का मुकाबला नहीं हैं। वहां की भेड़, ऊंट एक एक चीज निराली है। राजस्थान के मुकाबले में कोई भी दूसरे क्षेत्र का पशु खड़ा नहीं हो सकता लेकिन कुछ ही ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, किसान अपने पैरों पर खड़ा होता हैं, फिर गिर जाता। अकाल से फिर गिर जाता है। इसलिये केन्द्र सरकार से स्पेशल ऐड लेकर जब तक दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में किसान को खड़ा नहीं करेंगे, स्पेशल ऐड नहीं देंगे तब तक समस्या का कोई हल नहीं होगा चाहे आप कितनी ही दवाइयां, खाद की बात कर लो, कितनी ही अच्छे-अच्छे ट्यूब वल लगा दें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज राजस्थान के किसान को मालूम है कि मैं गेहूं पैदा करूंगा तो 200 रुपया क्विन्टल मिलेगा और सरसों रायड़ा पैदा करूंगा तो 500 रुपया क्विंटल मिलेगा। किसी अधिकारी ने किसान को चाहे कहा न कहा हो, किसान को मालूम है कि मैं रायड़ा पैदा करूंगा तो मुझे तीन पानी पिलाने के बाद भी 500 रुपया क्विन्टल का भाव मिलेगा। चाहे बरसात कम होती हो, चाहे खेत में पानी कम हो, वह रायड़ा, जीरा बो देता है क्योंकि उसको मालूम है कि रायड़ा का भाव अच्छा है। आपको कुछ भाव अच्छे करने पड़ेंगे, ऊंचे लाने पड़ेंगे, किसान को ऐड देनी पड़ेगी ताकि वह अच्छी से अच्छी

(श्री रामसिंह विश्नोई)

फसल पैदा करें। उसको साधन मुहैया करना पड़ेंगे।

सभापति महोदय, यही हालत हमारी गाय और भैंस की है। आज जो पशुपालन करते हैं, उनकी भी हालत खराब है। हमारी गाय दो किलो दूध देती है, कहीं कहीं तो दो किलो दूध भी नहीं देती है। दूसरी तरफ जो जर्सी गाय अमेरिका में हैं, जर्मनी में है, डेनमार्क में है, एक-एक गाय वहां पचास-पचास किलो दूध प्रतिदिन देती हैं। हमारे यहां पर अच्छी नस्ल की गायें हैं। बाहर के लोगों ने हमारे यहां से गाय ले जाकर मेहनत करके अच्छी नस्ल पैदा की है और वह दुनिया के अन्दर अच्छी नस्ल कहलाती हैं। परन्तु हमारी गाय तो भूखों मर रही है। गाय को माता का नाम देते हैं उसके बावजूद हमारा किसान दर-दर भटकता है। दिल्ली जाकर 1 रुपये 80 पैसे किलो में हमारा दूध बिकता हैं जबकि हमारे को 4–5 रुपये लीटर से कम दूध पड़ता नहीं खाता हैं। यह हालत है। जो डेयरी पर करोड़ों रूपया खर्च किया जा रहा है वह किसान के लिये, पशुपालन के लिये खर्च किया जाय तब तो मेरी समझ में आ जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो उन लोगों के लिये है, दिल्ली में जिनके गाय नहीं है, भैंस नहीं है, जिनके बच्चों को दूध पिलाने के लिये हमको एक जरिया बना रखा हैं। हम सीढ़ी बने हुए हैं, आप चाहे जितना हमारा शोषण करो। आप यह समझते हो, हम भेड़ों की तरह हैं, जो किसी तरह अच्छी से अच्छी ऊन दे सके। यह तरीका निकाला हुआ है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो सौ साल पुरानी परम्परा है उसको छोड़ कर प्रजातन्त्र के अन्दर गांव में खुशहाली कैसे ला सकते हैं, हमारा किसान, हमारा पशु पालक, किस प्रकार खड़ा हो सकता है इसके लिये आप कोई तरीका निकालें तो वास्तव में प्रजातन्त्र सफल होगा, सशक्त होगा, वरना आप इन अधिकारियों को पालने के लिये, इनके ऐशो-आराम के लिये बजट पास करायें या हमारे को यहां पर बोलना चाहिये और यह हमारे बोलने के लिये करते हैं तो मुझे सुझाव देने की जरूरत नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप सही मायने में काश्तकारों और पशुपालकों का हित तभी कर सकेंगे जब आप उनको फसल का अच्छा भाव देंगे। अच्छा भाव होगा तभी हमारा राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्दर एक अच्छा राज्य बन सकेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ माननीय कृषि मंत्री, माननीय पशुपालन मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर जो विशेष कर यह स्थिति है, उस पर ध्यान देंगे।

भेड़ों की हालत माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी में है। हमारे भेड़पालक पश्चिमी राजस्थान के हैं उनके पास एक इंच जमीन नहीं है। चाहें ऊंट हो, चाहें भेड़ हो, चाहें बकरी हो, इनको रखने के लिए एक इंच जमीन उसको पास नहीं है। गांव के अन्दर जब बरसात होती है तब उनको जूते मार कर गांवों से निकाल देते हैं। आपके वहां आते हैं तो आप गोली मार कर मार देते हो। यहां हम नहीं रहने देते हैं और आप उनको वहां नहीं आने देते और कोई जरिया उनके पास है नहीं। उनको खतम करना है, भेड़ पालकों को

(श्री रामसिंह विश्नोई)
खतम करना हैं तो दूसरी बात है और आप चाहते हैं कि ऐसा कोई तरीका हो जिससे हमारा यह व्यवसाय ठीक ढंग से चले तो इसके लिये कोई रास्ता निकालें। मध्य प्रदेश या अन्य किसी स्टेट से बात करके कोई तरीका निकालना चाहिये। हमारे जो पशुपालक हैं, भेड़पालक हैं, जहां वे जायें वहां उनकी सुरक्षा हो; रास्ते में उनको तकलीफ न हो, चरने चराने में कोई तकलीफ न हो। यह कार्य सरकार को अपने स्तर पर करना चाहिये ताकि हमारे लोग दर दर नहीं भटकें। लड़ाई झगड़ा होता है तो उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं होता है। इन बातों के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भेड़पालकों की जो दयनीय स्थिति हुई हैं उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हमारी सरकार का है, हम लोगों का है। हम गांव के लोगों को खुश करने के लिये, उनकी वाहवाही लूटने के लिये इनके साथ अन्याय करते हैं। मुझे उम्मीद है, भविष्य में आप इसके पुनर्विचार कर पर उनकी अच्छी व्यवस्था के लिये कोई जरिया निकालेंगे।

जय हिन्द।

श्री **अध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

श्री **देवेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, कृषि) : माननीय सभापति महोदय ....

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : कितने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं? आप पशुपालन पर नहीं...

श्री **बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : अरे, हुकुम, हमारे वहां पर क्या हो रहा है..

श्री **अध्यक्ष** : यह विशेषज्ञों की बात हैं..

श्री **बंशीलाल पटवा** : विशेषज्ञ तो नहीं हूं मगर कोआर्डिनेशन नहीं है। कृषि के लिये जल की आवश्यकता होती है।

श्री **अध्यक्ष** : चार माननीय सदस्य बोलेंगे। श्री तेजपाल। माननीय सदस्य, आपको भी अवसर दूंगा ...

श्री **तेजपाल यादव** (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, आज कृषि और पशुपालन की डिमाण्ड पर डिबेट चल रही है। मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने....

श्री **अध्यक्ष** : समय 7-7 मिनट।

श्री **तेजपाल यादव** : कृषि, पशुपालन और डेयरी के मामलों पर विचार व्यक्त किये हैं। आज किसानों के नाम से, कृषि के नाम से, डेयरी के नाम से और पशुपालन के नाम से उसी तरह यह बेजुबान किसान धक्के खा रहा हैं जिस तरह पत्थर की मूर्ति के नाम से पंडित धक्का खा रहा है।

श्री **अध्यक्ष** : आपने यह बात देखी है कि 38 करोड़ 75 लाख रुपये जो कृषि के लिये रखे गये हैं उसमें तनख्वाह, मोटर, भवन हैं, इन पर कितना हैं और जो किसान है काश्तकारों को अनुदान के रूप में और रूप में दे रहे हैं वह कितना है? यह अध्ययन किया है या यूं ही तकरीर कर रहे हैं?

श्री **तेजपाल यादव** : अध्यक्ष महोदय, कृषि के लिये 70 करोड़ का बजट हैं उसमें से 70 पैसा भी किसान की जेब में नहीं जाता है। 70 पैसा भी नहीं पहुंच रहा है। विशेषकर, आपका जो कृषि विभाग है,

(श्री तेजपाल यादव)

उससे आज इस सरकार की मजाक बन रही है। सरकार ने किसान के नाम पर जो कृषि अधिकारी और ग्राम सेवक बैठा रखे हैं वे मौज कर रहे हैं, किसान को कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार की बदनामी मिटाने के लिये मैं निवेदन करूंगा, जिस प्रकार गांव में बेकार सांडों को लाकर गोशाला में भेज देते हैं उसी प्रकार से इस विभाग के आदमियों को सचिवालय में बाड़ा बना कर बाड़े में रख दिया जाये तो कम से कम सरकार की बदनामी तो मिटेगी। हमारे को तनख्वाह देनी है, पाबंद हैं 311 के अन्दर। कागजों के अंदर यह बताने से कि यह लोग नौकरी में आ गये किसान को फायदा होगा। कम से कम उनको सचिवालय में रख दिया जाय तो हमारे नेताओं और हमारी सरकार की बदनामी तो मिट जायेगी। आज कृषि बीज निगम, डेयरी कार्पोरेशन और जितने भी निगम हैं उनमें बीज निगम कब बना तब से किसान की दुर्दशा हो रही है। मैं यह मांग करना चाहता हूं, किसानों का अगर आप भला करना चाहते हो तो यह जो राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन जो फर्जी बीज गैर समय ले जाकर दे रहा है, किसानों को बर्बाद कर रहा है और किसानों का शोषण कर रहा है और जो कोआपरेटिव सैक्टर के जरिये सेवा हो रही है, उस सैक्टर को भी डूबो रहा है; इस बीज निगम से हमारा बचाव करो। सोसाइटी के माध्यम से सारा बीज ले जाकर भर देती है। अफसरों से मिल लेते हैं कि फलां मार्केटिंग सोसाइटी में बीज पहुंचा दो। नहीं तो हमारा पैसा फंसा हुआ है हम मिट जायेंगे। सोसाइटी के अन्दर जाकर सारा मामला डम्प हो जाता है। तो कम से कम आप हमारा बचाव करो बीज निगम और कृषि विभाग से हम हमारी रक्षा चाहते हैं। आप कृपया, इस बीज निगम को बन्द कर दीजिये। ईश्वर के नाम पर किसानों पर दया करके बीज निगम को समाप्त करें। जब से यह बना है, किसान बर्बाद हो रहे हैं।

दूसरा, डेयरी डवलपमेंट कार्पोरेशन की बात है। डेयरी डवलपमेंट कार्पोरेशन के मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी कि हमने 13 पैसे और बढ़ा दिये हैं। मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह कैसे बढ़ा दिये हैं? मैंने किसानों से पूछा है, उन्होंने बताया है कि कतई नहीं बढ़े हैं। अभी डेयरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन के एम. डी. के साथ किसानों की मीटिंग हुई उसमें वे बोल नहीं सके, जवाब नहीं दे सके, भ्रष्टाचार के संबंध में, करप्शन के संबंध में, दूध के घोटाले के संबंध में। मैं अब अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूं कि डेयरी वालों से कह दिया कि गाय, भैंस के दूध का फैट आप देख लें। हमने कहा, आप अपने सामने गाय, भैंस का दूध निकाल कर देख लें, फैट कितना होता है, उन्होंने अपने सामने दूध निकलवाकर देखा तो फैट 8 से लेकर 8.4 से ज्यादा नहीं हुआ। अब ये कहते हैं कि हम तो 9 फैट का दूध लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा तो मापदंड 9 का ही है। मैंने कहा, एम. डी. साहब, मैं तो गांव का आदमी हूं, किसान हूं हमारी डेयरी के अन्दर तो साढ़े छः फीट का आदमी होना चाहिए, आप तो साढ़े पांच फीट के हैं यह नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है, यह कैसे सम्भव है। मैंने कहा, साहब, जब फैट साढ़े आठ है तो वह 9 होना कैसे संभव है। जब आप साढ़े पांच फीट से साढ़े छः

(श्री तेजपाल यादव)

फीट नहीं हो सकते हैं तो यह कैसे बढ़ेगा। आपके सामने दूध निकाल कर फैट देख लिया है। वह बोले, साहब, मैं आपकी परवाह नहीं करता, दूध देना है तो दीजिये हम तो फैट इससे नीचे नहीं घटायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने जानवरों के लिये बांट खाने को दे दिया कि यह दो। तो जिस जानवर ने बांटा खाया उसकी चमड़ी फट गयी और जो प्रजनन लायक थे वे भी नहीं रहे। तो इस तरह से लूटा जा रहा है, हमारी मजबूरी के अन्दर हमको लूटा जा रहा है। हमारे इलाके के अन्दर लोग खाद के लिये जानवर पालते हैं। दूध हो जायेगा तो डेयरी को दे देंगे, दूर-दराज के इलाके में लोग यह सोचते है इसलिये ही वे जानवर पालते हैं। उस मजबूरी का फायदा ये डेयरी वाले उठाते हैं। यह कहते हैं, यह बांट ले लो। यह बांट इतना रद्दी है कि जानवरों में प्रजनन शक्ति ही नहीं रहेगी, यह मेरा चैलेंज है। मंत्री महोदय, आप खुद जानकारी कर लें कि उन जानवरों की क्या हालत हो जाती है। एक तो इस तरह से आपने यह बीज निगम किसानों के नाम से चला रखा है और एक यह आपने डेयरी चला रखी है इनको आप समाप्त करें। अगर आप हरियाणा और पंजाब की तरह किसानों को उन्नत बनाना चाहते है तो....

श्री अध्यक्ष : कृषि मंडी का काम तो ठीक है ना।

श्री तेजपाल यादव : हां, कृषि मंडी के लिये एक प्रश्न पूछा था, उसमें जवाब आया कि 40 गोदाम बनाये हैं। फिर मैंने पूछा कि उन गोदामों में कितना माल किसानों का रखा, तो कहा कि एक भी पैसे का नहीं रखा। मेरा निवेदन है, इससे भला किसानों का नहीं हुआ, इंजीनियर्स का हुआ, ठेकेदारों का हुआ। करोड़ों का खर्च हो गया और माल नहीं रखा गया। एक पैसे का फायदा किसानों को नहीं हुआ। ठेकेदारों को फायदा हो गया। जब मैंने पूछा कि माल क्यों नहीं रखा, तो उनका कहना था कि नासिक की सुरक्षा प्रेस है उससे रसीदें छपकर नहीं आयी। किसान को उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, न डायरेक्ट फायदा हुआ और न इनडायरेक्ट फायदा हुआ। आपके जो अफसर हैं उन फालतू अफसरों को लगाने के लिये यह है। आज कृषि मंडी में दो भाव चलते हैं एक तो बिना टैक्स का माल और एक बिना मंडी टैक्स का माल। उसका आखिर भार तो किसान पर ही पड़ता है। किसान को कम कीमत दिलाकर, उस पर टैक्स लगाकर उससे खर्चा चार्ज किया जाता है। तो यह भार तो किसानों पर ही पड़ता है। उस पैसे का उपयोग क्या किया जाता है? सड़कें बनायी जाती हैं और गोदाम बनाये जाते हैं। उन गोदामों में किसानों का माल नहीं रखा जाता है। आप किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, फिर आप चाहते हैं कि हम उन किसानों को पंजाब के बराबर में लायें। कम से कम आप उनको पंजाब की तरह सब्सिडी तो दीजिये। आज एक व्यक्ति से डाक्टर कहे कि आप यह 500 रु. की दवा ले आओ। उसकी हिम्मत नहीं है 100 रुपये खर्च करने की तो वह उस दवाई को लेकर कैसे ठीक होगा। खाद के लिये डिपो वाले से कहते हैं तो वह कहते हैं कि आप सत्ताधारी पार्टी में बैठे हो आप खुद ही इस के लिये जिम्मेदार हो। महंगा खाद करते हो। पंजाब के किसानों पर सेलस टैक्स नहीं है,

(श्री तेजपाल यादव)

उन पर चुंगी नहीं है परन्तु आप खाद पर सेल्स टैक्स लगाते हो, चुंगी लगाते हो। कम से कम 12-13 रुपये एक बैग पर सरकार वसूल करती है। उसको सब्सिडी देते नहीं हो....

श्री अध्यक्ष : आपको जानकारी है क्या कि राजस्थान के सिवाय सब प्रदेशों में यें टैक्स नहीं लगते हैं ?

श्री तेजपाल यादव : जी हां। जिप्सम नागौर के अन्दर होता है। हमारे यहां पर जिप्सम सस्ता नहीं है जबकि यह हमारे यहां पर ही निकलता है। हरियाणा और पंजाब के अन्दर जिप्सम सस्ता मिलता है, वहां पर इसके लिये सब्सिडी मिलती है। वहां पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। वहां पर किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है। पंजाब में सिंचाई सस्ती है, खाद सस्ती है, इम्पलीमेंट सस्ते हैं, हर तरह की सुविधा है। आज राजस्थान के किसान पर कर लगाया हुआ है। बीज निगम के नाम से जिस प्रकार का खराब बीज दिया जा रहा है, उसको जिस प्रकार से लूटा जा रहा है यह सब आप जानते है। हमारा पशु-पालन विभाग और कृषि विभाग आखिर किसानों के साथ क्या करना चाहता है ? यह हमारी आत्मा की आवाज है। आज किसान महसूस कर रहा है कि आखिर सरकार को हो क्या गया है। कम से कम सरकार किसानों का शोषण तो न करे। हम यह तो जनता को कह सकें कि ऐसी बात नहीं है। डेयरी में ढाई लाख लीटर दूध इकट्ठा करने की क्षमता है। खर्चा उतना का उतना ही है लेकिन दूध इकट्ठा होता है 10 प्रतिशत। दूध इसलिये इकट्ठा नहीं होता है, क्योंकि हम उसका पैसा नहीं देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि देंगे वही डेढ़ रुपया। यह हालत है।

श्री अध्यक्ष : ट्रैक्टर और ट्राली वालों की क्या तकलीफ है ?

श्री तेजपाल यादव : ट्रैक्टर व ट्राली, यह भी हैं। हमारी सरकार यह मानती है कि राजस्थान का किसान हिन्दुस्तान और दुनिया भर में सबसे समृद्धशाली किसान है, पैसे वाला किसान है। उसकी ट्रैक्टर व ट्राली पर टैक्स लगा रखा है। हमने मांग की थी कि उस टैक्स से केवल सात-आठ लाख रुपए मिलते हैं। इस टैक्स को माफ कर दिया जाय। इससे हमारी पार्टी की, सरकार की इज्जत बढ़ेगी। सात लाख का मामला है और आपके ब्यूरोक्रेट उनसे कितना रुपया वसूल कर लेते हैं ? आपके खजाने में तो सात-आठ लाख रुपया ही इकट्ठा होता है लेकिन पुलिस वालों और आर.टी.ओ वालों की यह हालत हैं कि वे करोड़-डेढ़ करोड़ रुपया किसान का खा जाते हैं। यह सही है कि सात-आठ लाख रुपया वसूल होता है, आप रिकार्ड से देख लें। आप केवल सात-आठ लाख रुपये के लिये ब्यूरोक्रेट के हाथों में किसान का डेढ़ करोड़ रुपया दे रहे हैं। किसान यदि दो आदमी भी बैठाकर ले आये तो आर.टी.ओ. वाले उसका चालान कर देते हैं और उससे हजार रुपये, पांच सौ रुपये वसूल कर लेते हैं। इस तरह की हालत है। इसलिये आप कम से कम यह टैक्स तो माफ करें। उसको शोषण से तो बचायें। हम उसको फायदा तो नहीं दे सकते हैं लेकिन शोषण से तो बचा ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य श्री पीरराम।

श्री **पीरूराम (टीबी)** : अध्यक्ष महोदय, यह कृषि का जो विषय चल रहा है उस पर कुछ गंगानगर जिले के बारे में बात बताना चाहता हूं। गंगानगर जिला कृषि में राजस्थान का प्रधान जिला है। काफी दिनों से यह मांग चल रही है कि कृषि विश्वविद्यालय गंगानगर में खोला जाय, यह वहां पर होना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि गंगानगर के लड़के पढ़ने के लिये, अध्ययन करने के लिये उदयपुर जा रहे हैं। वे यह चाहते हैं कि गंगानगर में जो सांगरिया जाट विश्वविद्यालय है उसकी काफी जमीन है, अभी तक अवेलेबल है, आप वहां पर ही थोड़ासा खर्चा कर दें तो कृषि विश्वविद्यालय सांगरिया में खुल जायेगा। मेरा यह कहना है कि मुख्य मंत्री जी ......

श्री **अध्यक्ष** : कृषि विज्ञान में पढ़े हुए लड़के खेतीबाड़ी करते नजर आये है क्या ?

श्री **पीरूराम** : करते तो नहीं है, लेकिन पब्लिक की मांग है, जनता की मांग है। मैं सरकार को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कई सालों से यह मांग चल रही है। वहां के लड़के उदयपुर जाकर के अध्ययन करते हैं। सांगरिया में अगर कृषि विश्वविद्यालय बना दिया जाय तो थोड़े खर्च में कृषि विश्वविद्यालय चालू हो जायेगा। वहां पर जमीन भी है।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा, हमारे यहां पर जिप्सम पाया जाता है। मेरे क्षेत्र में तो आम तौर पर जिप्सम होता है, अभी गंगानगर शुगर मिल की 1800 बीघा जमीन खाली हुइ है। वहां पर खाद का कारखाना, फर्टिलाइजर का कारखाना लगा दिया जाय तो बहुत ही अच्छा और उत्तम होगा।

श्री **अध्यक्ष** : पिछले साल आप वाले क्षेत्र को डी. पी. ए. पी. वाले क्षेत्रों में मिला दिया था, ऐसी शिकायत आयी थी।

श्री **पीरूराम** : हां, साहब, मेरा कहना यह है कि सुखाड़ियाजी के समय का प्लान चल रहा है। हनुमानगढ़ में जमीन अवेलेबल थी, उसी जगह पर 1800 बीघा जमीन है। वहां पर खाद का कारखाना लगा दिया जाय तो वहां के काश्तकारों के लिये बहुत ही लाभदायक होगा। जिप्सम मेरे यहां से आता है और मेरे यहां से ही खाद के कारखानों में जाता है। इसलिये वहां पर खाद कारखाने के लिये ज्यादा खर्चा नहीं होगा।

तीसरी बात यह बताने की है कि कृषि अधिकारी, ग्राम सेवक जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं किसानों के साथ, वह बातें कहने की नहीं हैं। ग्राम सेवक और कृषि अधिकारी वहां पर पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने गांव में दो-दो, तीन-तीन पार्टियां बना दी हैं। वे खुद काश्त करते हैं। मेरे क्षेत्र में, मैं 6 महीने में एक दफा अभी-अभी टूयूर करके आया हूं तो पाया कि कृषि अधिकारी और ग्राम सेवक काश्तकारों को कुछ नहीं समझते हैं। दूसरा, यह बताना चाहता हूं, बीज का जहां तक सवाल है, बीज हरियाणा से आता है। हमारे यहां पर बात करते हैं तो वे बताते हैं कि हमारे यहां से तो वहां पर बीज बढ़िया मिलता है और 10 रूपये क्विंटल मिलता है। आम तौर पर किसान यह कहते हैं कि

(श्री पीरूराम)

राजस्थान से तो हरियाणा ठीक है, अबो-हर की मंडी ठीक है, वहां पर बीज सस्ता मिलता है और बढ़िया मिलता है। यहां पर जो बीज मिलता है वह सारा खराब मिलता है और उसमें गड़बड़ होती है। मेरे क्षेत्र में अलारगढ डिवीजन, भाखड़ा एरिया और राजस्थान केनाल एरिया है। इसके एरिया में ट्यूबवेल की बहुत गंभीर समस्या है। 150 ट्यूबवेल को एक साल में कनेक्शन देने का कोटा, बिजली विभाग की तरफ से हैं। बिजली विभाग के पास हमारे 1050 फार्म पेंडिंग है। 70 प्रतिशत काश्तकार लोनी हैं। लोनी की हालत यह है कि बैंक तीन किश्तें उसे दे देता है, चौथी किस्त इस बात पर रोक लेता है कि पहले कनेक्शन दिखाओ, उसके बाद चौथी किश्त ले जाओ। बैंक वाले क्या करते हैं? वह नोटिस देते हैं किश्त तो देते नहीं, इधर चौथी किश्त बाकी रह जाती है। उधर नोटिस और देते हैं कि तुमने हमारा जो लोन लिया है उसकी किश्त जमा कराओ। वह दंड भी काश्त-कार पर पड़ता है। मैं मुख्य मंत्री महो-दय को आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि एक हजार दरख्वास्तें कनेक्शन के लिये बिजली विभाग के पास में पैंडिंग हैं। उनको पहले सुलटा कर आगे के लिये बैंकों को हिदायत दें कि लोन न दें।

अब सब्सिडी की बात आती है, तो सब्सिडी के लिये भी मैंने काश्तकारों को पूछा है। दवाइयों की और दूसरी चीजों की बात चलती है तो आम तौर पर कोई भी काश्तकार यह नहीं कहता कि हमारे को किसी तरह की सब्सिडी मिलती है। पता नहीं अधिकारी लोग क्या करते हैं। जैसे सूरतगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि कातरा लग जाता है। कातरा के बारे में ग्राम सेवक बताते हैं कि कातरा बड़ा नुकसानप्रद है। राज्य सरकार की ओर से दवा खरीदने की मंजूरी देने तक कातरा मर जाता है, काश्तकार की फसल भी मर जाती हैं। जब वहां दवाई जाती है तो वह बाजार में बेच दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री पीरूराम : इसके बाद अब मैं पशु-पालन के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में घण्डेली गांव है, वह क्षेत्र ऐसा है जिसके 25-25 किलोमीटर के आस-पास कोई भी पशु औषधालय नहीं है। दूसरे, संदेवाड़ा गांव के लोग हरियाणा में जाकर पशु का इलाज कराते हैं। तलवाड़ा, संदे-वाड़ा के लोग अहमदाबाद जाकर पशुओं का इलाज कराते हैं। हरियाणा में हमारे पशु का इलाज होता है, यह हमारे लिये शर्म की बात है। राजस्थान में पशु हास्पि-टल होने चाहिये। मैं यह बता देना चाहता हूं कि बीकानेर की तरफ से बहुत सी गायें मेरे यहां आयी हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। वन मंत्री भी बैठे हैं, मैं उनको यह कहना चाहता हूं, आप वन विभाग में उन गायों को चराने की काश्तकारों को सुविधा दें और हो सके तो उनको ज्यादा से ज्यादा रवी खिलायें।

मैं थोड़ासा आपका ध्यान डेयरी की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों डेयरी के डाक्टर मुझसे मिले थे, मैंने

(श्री पीरूराम)

मंत्री महोदय को भी लिख कर दिया था कि डेयरी का क्या हाल है । हनुमानगढ़ में एक टाइम दूध मिलता है। दूध इकट्ठा करने के लिए जो बीकानेर से टैंकर आता हैं वह दो-दो, तीन-तीन दिन तक आता नहीं है इस वजह से दूध खराब हो जाता है। मेरा मंत्री महोदय को सुझाव है कि वहां दूध स्टाक करने के लिए टैंकर होना चाहिए और रोजाना बीकानेर से टैंकर आना चाहिए। मेरे क्षेत्र में पशुपालन बहुत लोग करते हैं और दूध भी काफी इकट्ठा हो सकता है ।

अब मैं कृषि उपज मण्डी समिति की तरफ कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । कृषि उपज मण्डी समिति के सब-यार्ड के बारे में निवेदन करूंगा । सूरेवाड़ा, तलवाड़ा, धण्डेली, यह हरियाणा की बार्डर के साथ लगते हैं । हमारे यहां इनका जो माल आना चाहिए वह इसलिए नहीं आता कि वे हरियाणा में ले जाते हैं । अगर वहां सब-यार्ड हों, तो काश्तकार हमें अपना माल दें । वह माल हरियाणा न जाकर हमारे यहां हनुमानगढ़ क्षेत्र की मण्डी में आना चाहिये । मेरा सुझाव है, इन जगहों पर सब-यार्ड खोले जायें ।

मैं काश्तकारों की तरफ से पुनः मुख्य मंत्री, कृषि मंत्री महोदय, को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो कृषि विश्वविद्यालय की मैंने आवाज रखी है उस पर ध्यान दें, थोड़े खर्च में, कम खर्च में विश्वविद्यालय चालू हो जायेगा । बिल्डिंग वहां पर बनी हुई है और जमीन भी हमारे यहां अवेलेबल है । दूसरा, खाद कारखाने के लिए बताया, यह भी होना चाहिए । एक खास बात मैं बीच में छोड़ गया कि हमारे यहां जो जो डैम बने हैं उनकी वजह से काश्तकारों की जमीन क्षारीय हो रही है । जिप्सम हमारे यहां पैदा होता है । हरियाणा में तीन रुपए का एक कट्टा 50 किलो का मिलता है, हमारा काश्तकार मौके पर जाकर लेकर आये तो उसको 10 रुपए में एक कट्टा मिलता हैं । वहां 70-75 प्रतिशत सब्सिडी काश्तकार को मिलती है इसलिए 3 रुपए में एक कट्टा पड़ता है । लुधियाना, चण्डीगढ़ तक 3 रुपए में देते हैं । हमारा काश्तकार अगर मौके पर जाय तो 10 रुपए में एक कट्टा देते हैं, अगर खेत में मंगायें जैसे वहां देते हैं, तो कम से कम 15 रुपए में पड़ता है । मेरा सरकार से यह कहना है कि जिप्सम के लिये सब्सिडी काश्तकार को देनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अन्न का प्रोडक्शन हो सके ।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि कृषि के बारे में मैंने जो सुझाव रखे है, मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय उन सुझावों को जरूर मानेंगे ।

धन्यवाद ।

श्री **हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): अध्यक्ष महोदय, कृषि एवं पशुपालन के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव दे दिये हैं । कुछ मैं भी इसके बारे में अपने सुझाव देना चाहूंगा । खास तौर से पश्चिमी राजस्थान, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आते हैं, में पशु बहुत अधिक संख्या में हैं । उन पशुओं के पीने के पानी की तरफ

(श्री हेमाराम चौधरी)
हमारा ध्यान बहुत कम गया है..

श्री अध्यक्ष : इसका इन महकमों से कोई सम्बन्ध नहीं है..

श्री हेमाराम चौधरी : पशुपालन मंत्रीजी इसके लिए...

श्री अध्यक्ष : अपने बजट पर बहस कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है..

श्री हेमाराम चौधरी : योजना नहीं बनी है।

श्री अध्यक्ष : आप तो कृषि प्रसार अधिकारी ग्राम सेवक क्या काम करते हैं मरुस्थल के इलाके में।

श्री हेमाराम चौधरी : पशु पेय-जल योजना, पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है तो..

श्री अध्यक्ष : लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ..

श्री यदुनाथ सिंह : परिवर्तन कारखाना चाहते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : उसके बारे में सोचा तो जाये।

श्री अध्यक्ष : जनरल बजट में कहते तो क्या पता उसमें रख देते। अब प्रावधान नहीं है, मांग है।

श्री हेमाराम चौधरी : दो एक सुझाव और है। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : आप अपना माल राजस्थान की कृषि मण्डी में ले जाते हो या गुजरात में ले जाते हो ?

श्री हेमाराम चौधरी : कृषि मण्डी का माल गुजरात में भी जाता है।

श्री अध्यक्ष : वहां क्यों ले जाते हो, यहां क्यों नहीं उसको..

श्री हेमाराम चौधरी : जीरा वगैरह वहीं बिकता है। कीमत ठीक मिलती है इसलिए किसान वहां ले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : वहां मतलब किराया ज्यादा देकर भी कीमत ज्यादा मिल जाती है और यहां नहीं मिलती।

श्री हेमाराम चौधरी : कीमत भी मिल जाती है और मण्डी की जो सुविधायें राजस्थान में है, गुजरात में उससे ज्यादा अच्छी हैं।

श्री अध्यक्ष : इसका सुझाव दो कि यहां भी सुविधा...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आखिर आप लाइन पर ले आये।

श्री अध्यक्ष : 1500 रुपए ट्रक का किराया पड़ जाता है. ..

श्री हेमाराम चौधरी : उसके लिए तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऊंजा और सिधपुर, जो जीरे की मंडियां हैं, जहां पर जीरा, सरसों, रायड़ा ले जाते हैं, में जो सुविधायें जीरा, सरसों और रायड़ा के किसानों और व्यापारियों को दी जाती है, यदि वे

(श्री हेमाराम चौधरी)
सुविधाए कृषि मण्डी को डबलप करके कृषि मण्डियों में दी जाये, जैसे गुजरात सरकार दे रही है उस तरह दी जायें तो किसान को वहां तक जीरा बेचने नहीं जाना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह ।

श्री हेमाराम चौधरी : एक और है । उतना किराया किसानों को नहीं देना पडेगा और कम किराये में ही ज्यादा कीमत मिलेगी । और इसके साथ साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, पशुओं के बारे में । भयंकर अकाल है, जब अकाल के ऊपर अकाल पड़ता है । तो हालत खराब हो जाती है । पशुओं का भी अकाल से सम्बन्ध है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में बहुत ज्यादा संख्या में पशु हैं इसलिये वहां पर पशु-आहार संयंत्र लगाने के लिये आप व्यवस्था करें तो वहां पशु-आहार मिल सकता है, नहीं तो बहुत दूर जहां पशु-आहार संयंत्र हैं वहां से...

श्री अध्यक्ष : आपके यहां दूध-बूध भी बिकता है डेयरी में ?

श्री हेमाराम चौधरी : दूध तो डेयरी में बिकता है पर कम बिकता है...

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह।

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में जो दूध होता है उसका 75 पर्सेन्ट दूध धोरीमन्ना में होता है । धोरीमन्ना के काश्तकार अपना दूध डेयरी में देने के लिये बाड़मेर लाते हैं । जब 75 पर्सेन्ट दूध वहां होता है तो यह डेयरी धोरीमन्ना में ही क्यों नहीं स्थापित की जाय जिससे उनको दूध बेचने के लिये बाड़मेर न आना पड़े । उनकी जो तकलीफ है वह दूर हो सके । पहले रानीवाड़ा में डेयरी चलती थी लेकिन वह प्राइवेट डेयरी थी....

श्री अध्यक्ष : फैट पर्सेन्टेज वगैरह निकालने में कुछ गलती तो नहीं करते हैं या करते हैं ?

श्री हेमाराम चौधरी : इसके बारे में श्री तेजपाल जी ने जैसा बताया है, मैं उसको पुनः नहीं कहना चाहता ।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह ।

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं, जैसा रामसिंहजी ने बताया कि भेड़ और बकरी हैं उनको हम टिकने नहीं देते हैं और भीलवाड़ा में मुख्य मंत्रीजी के यहां चली जाती हैं तो मार देते हैं। मेरा सुझाव है कि इसकी व्यवस्था की जाय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हेमाराम चौधरी : मेरा सुझाव है कि गोचर जमीन जो कायम

(श्री हेमाराम चौधरी)

करते हैं उसमें जो पशु की परिभाषा है उसमें भेड़, बकरी और गधों को शामिल नहीं किया गया है जिससे गोचर भूमि बहुत कम कायम हुई है। बेचारे इन जानवरों का कोई मालिक नहीं है इसलिये कैटल परिभाषा में इनको भी इन्क्लूड कर लिया जाय ताकि भविष्य में ज्यादा गोचर भूमि कायम हो सके। आज बाड़मेर में काफी पड़त भूमि है जो पशुधन के काम में आ सकती है। जमीन अलॉट हो जाती है.....

श्री **अध्यक्ष** : टीबे अलॉट नहीं किये जायें, उन पर भी चराई हो सकती है।

श्री **हेमाराम चौधरी** : टीबों के ऊपर भी चराई होती है, उनको भी गोचर के लिये अलॉट किया जा सकता है। वे खेती के लायक नहीं हैं, पशुओं के लायक ही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कई बार विधान सभा में यह मसला उठा है कि भेड़-बकरी और गधों के लिये भी गोचर भूमि में प्रावधान करें लेकिन आज तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तब यह बतायें कि इस बारे में सरकार की क्या मन्शा है ?

श्री **अध्यक्ष** : श्री सूरजपाल सिंह।

श्री **सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, कृषि और पशुपालन की मांग पर काफी बहस हो चुकी हैं इसलिये दो एक बात ही के बारे में सुझाव देना चाहूंगा। जैसा आपने ध्यान आकर्षित किया था, कृषि मण्डियों का निर्माण तो हम कर रहे हैं बावजूद इसके बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और सिरोही का माल ऊंझा मण्डी में जाता है। यह मसला पिछली बार भी इस विधान सभा में लाया गया था। करीब 10 लाख रुपये का जीरा हर साल ऊंझा मण्डी में जाता हैं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हम कृषि मण्डियों में लाखों रुपये लगा कर निर्माण कर रहे हैं उसके बावजूद हमारा किसान ऊंझा मण्डी की तरफ आकर्षित क्यों हो रहा हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : बीज भी उधर से ही लाते हैं ज्यादातर ?

श्री **सूरजपाल सिंह** : नहीं, अध्यक्ष महोदय, उसका कारण यह हैं कि म्यूनिसिपैलिटी एक पर्सेन्ट टैक्स लेती है। 12 रुपये एक बोरी पर टैक्स लगाया जाता हैं, 8 पर्सेन्ट वह सैल्स टैक्स चार्ज करती हैं, बारह आठू छियानवें रुपये उनका सैल्स टैक्स लग जाता है यानि 108 रुपये का यहां से बेचने में फायदा होता है इसलिये किसान ऊंझा मण्डी में जाने के लिये आकर्षित होता है। मेरा सरकार से यहनिवेदन हैं कि हम जब हमारे यहां लाखों रुपये की लागत से कृषि मंडियों का निर्माण कर रहे हैं फिर भी किसान को बाहर जाना पड़ रहा हैं तो हम किसानों को यह सुविधा यहीं क्यों न उपलब्ध करवायें क्यों टैक्स ज्यादा लग रहा है। नगरपालिका एक पर्सेन्ट टैक्स लेती हैं,पहले यह टैक्स था एक बोरी पर 65 पैसे, 70 पैसे आज उसको बढ़ाकर एक पर्सेन्ट कर दिया गया है।

(श्री सूरजपाल सिंह)

इसी प्रकार से 8 पर्सेन्ट सैल्स टैक्स लगा दिया। भीनमाल कृषि मण्डी में भी यही समस्या है। 30 लाख की लागत से कृषि मण्डी तैयार हुई हैं मगर ट्रेड शिफ्ट नहीं हो रहा है। ट्रेड शिफ्ट नहीं होने के कारण जो कृषि मण्डी का प्रोजेक्ट था उसमें पहले तो डिले हो गई, साढ़े तीन सौ रुपये पर किसान को किराये पर देना चाहते थे जबकि 825 रुपया फिक्स कर दिया गया। ट्रेड शिफ्ट नहीं होता है तो 825 रुपये को भी बढ़ा रहे है। इस कारण हमारा 10 करोड़ का उत्पादन ऊंझा मण्डी में जा रहा है और वहां ले जाने में उनको लाभ है। इस तरफ सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिये। हमारा 10 करोड़ का प्रोडक्ट यहीं बिक सके तो निश्चित तौर पर हमारी जो इकानामी है वह सुधरेगी। यह छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी तरफ अगर हम ध्यान दें, सरकार ध्यान दे तो निश्चित तौर से हम अपनी इकानामी को सुधार सकेंगे।

इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा आइडियल डेयरी जालौर के अन्दर स्थापित है उसकी डेढ़ लाख लीटर की क्षमता है। प्राइवेट सैक्टर में होने की वजह से उसका एरिया सिरोही, जालौर और बाड़मेर हैं। जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था, धोरीमन्ना में डेयरी क्यों नहीं हो। एक्चुअली वह एरिया भी उस आइडियल डेयरी को ही दे रखा है। वह डेयरी उस तरफ का माल लेती नहीं है। मैं कई बार इस विधान सभा में इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। पहले वह डेयरी सिका चलाती थी, सिका ढंग से चला नहीं सकी। सरकार का जो फाइनेन्स है, सरकार की जितनी सुविधायें हैं वह राज्य सरकार से ले रही है और जो सुविधा किसान को उपलब्ध करानी चाहिये, जो पशुपालक हैं, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिये वह सुविधा उनको नहीं मिल रही है, प्राइवेट, सैक्टर के लोगों को मिल रही है। टाटाज के पास डेयरी है। इस बारे में भारत सरकार से भी आप चेष्टा करें। पशुपालन मंत्री जी, डेयरी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि किसी भी तरह से हो, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, डेढ़ लाख लीटर की क्षमता है और, अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि जालौर, सिरोही, बाड़मेर में दूध की अवेलेबिलिटी की कोई कमी नहीं है 50-60 हजार लीटर दूध आने भी लग गया था मगर किसान को पैसा नहीं मिलता तो निश्चित तौर से वह धीरे धीरे दूध देना बन्द कर देते हैं। आज स्थिति यह आ गई है कि ....

श्री अध्यक्ष : गर्मी के मौसम में राजस्थान में बाजरा सिरोही, जालौर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, यह जो उन्नत बीज है वह वहां क्यों न पैदा किया जायं ?

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे से पूर्व में कई माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वह चेष्टा नहीं करता है कि वह उन्नत बीज हमारे यहां उत्पन्न कर सकें। रानीवाड़ा वगैरह का अच्छा इलाका है। वह गुजरात से बीज लेते हैं। उस इलाके का एटमोसफियर, परिस्थिति अच्छी है, मगर डिफिकल्टी एक ही है कि जो सोठ हम तैयार करते हैं उसकी सोइंग जनवरी में करनी पड़ती है। अगर ऐसी व्यवस्था करें

(श्री सूरजपाल सिंह)

और किसानों को इन्सेन्टिव दें तो निश्चत तौर से अच्छा बीज हो सकता है। वहां का एटमोसफियर, वहां की जलवायु बिल्कुल अनुकूल हैं मगर कृषि विभाग की निष्क्रियता के कारण ही आज हमें बाजरा गुजरात से लेना पड़ता हैं।

श्री अध्यक्ष : उस क्षेत्र में, उस एरिया में फल भी अच्छे हो सकते है ?

श्री सूरजपाल सिंह : फल भी अच्छे हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जालौर जिले के अन्दर 50 हजार पम्पिंग सैट्स हैं, दुर्भाग्य है कि कुछ खुशहाली हैं तो अपनी स्वयं की मेहनत से, अपने स्वयं के साधन जुटा कर आज वह किसान आगे बढ़ सका है। यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमैन्ट का किसी भी तरह का योगदान रहा हो, यह बात नहीं है। किसान इधर-उधर से जो उनके रिस्तेदार है, उनसे सीख कर अपने पावों पर खड़े हुये हैं। जैसा कि पूर्व में माननीय सदस्य ने यह कहा, 50 करोड़ का हम बजट पास कर रहे है उसका 80 पर्सेन्ट तो एटेब्लिमैन्ट पर खर्च होता है जिस पर्पज के लिये खर्च होना चाहिये, वास्तव में उसके लिये खर्च नहीं होता है। जो इन्सेन्टिव, जो सुविधायें किसानों को दी जानी चाहियें वह नहीं मिल रही है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि कृषि विभाग का जो काम है उस काम की तरफ ज्यादा ध्यान दें। हम किसानों को इन्सेन्टिव दे तो निश्चित तौर से राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी इकानामी को पशुपालन और कृषि के द्वारा सुधारा जा सकता है। यदि हम ध्यान दें राजस्थान केनाल के बारे में तो लिफ्ट केनाल के जरिये और फुहारे के सिस्टम से जो सेवण घास है उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहें, अगर हमारी भावना हो, अगर हमारा इरादा हो तो ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है कि भीलवाड़ा वालों या स्टेट के अन्य पशु पालकों को मध्य प्रदेश की तरफ जाना पड़े। कुछ अच्छी योजना बना कर हम काम करें तो भेड़पालकों को जो बड़ी समस्यायें हैं....

श्री अध्यक्ष : आपके यहां इन्सेन्टिव कृषि क्षेत्र हैं, यह ग्राम सेवक और एग्रीकल्चर एक्सटैन्शन आफिसर और...

श्री सूरजपाल सिंह : दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कई बार इस सदन के अन्दर यह कह चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम के अन्दर जो जिले लिये गये हैं वे ज्यादा पोटेन्शियल हैं। एग्रीकल्चर के हिसाब से राजस्थान के अन्दर कूड का 60 पर्सेन्ट कन्जम्पशन है। राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा वैल्स अगर कहीं हैं तो जालौर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर हैं मगर वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम है जालौर को उसके अन्दर नहीं लिया गया बल्कि यह हुआ कि हमारे यहां से सोइल कन्जर्वेशन की स्कीम थी उसको भी समाप्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं यह पूछ रहा था एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर, ग्राम सेवक यह कोई मदद करते हैं काश्तकारों की ?

श्री सूरजपाल सिंह : वह तो, अध्यक्ष

(श्री सूरजपाल सिंह)
महोदय, मैं पूर्व में कह चुका हूं किसान तो अपने बलबूते पर खड़ा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की स्कीम होती है तो उसके अन्दर प्रत्येक पंचायत के अन्दर चार ग्राम सेवक होते हैं। यह तो वर्ल्ड बैंक की स्कीम में ही जालौर जिला नहीं हैं। हमारे यहां तो अपने पांवों पर खड़े हुए हैं, जैसे पहले गुजरात की तरफ से जो····

श्री श्रीराम गोठेवाला : बहुत मजबूत है।

श्री सूरजपाल सिंह : पटेल लोग आये उन्होंने हमको यह जीरा बोना सिखाया। हम उनको चौथा पांचवा हिस्सा देते थे, धीरे-धीरे दो साल में हम सीख गये। तो इस तरीके से बार्डर स्टेट जो हमारी गुजरात पड़ती हैं वहां आने जाने से, वहां के किसान कुछ पांवों पर खड़े हो सके हैं, बाकी इसमें कृषि विभाग यह समझे कि हमने कुछ योगदान दिया है किसानों को तो ऐसी स्थिति, अध्यक्ष महोदय, नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, 10 करोड़ का जो जीरा गुजरात में जाता है, आज ऊंझा मण्डी के अन्दर हमारा प्रोडक्ट जाता है उसको यहीं रोकने की व्यवस्था करें।

डेयरी के लिये अगर आप प्रयास करें, केन्द्र सरकार से वार्ता करके इसको राज्य सरकार अपने हाथ में ले तो यहां के पशुपालकों को काफी लाभ मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरमल आर्य इसके बाद जवाब होगा।

श्री छीतरमल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है इसके अन्दर जितनी भी किसानों की समस्या हैं। कृषि मन्त्री महोदय, अगर किसानों की उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि किसान के पूरे परिवार के लोग जुट कर अपने खेत में काम करते हैं उसके अनुसार उनको पूरा दाम नहीं मिलता हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी निवेदन हैं, मेरे क्षेत्र में गेहूं ज्यादा होता हैं इसलिये किसानों को सपोर्ट प्राइस कम से कम 200/- रुपया प्रति क्विन्टल मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपके यहां एक एकड़ में कितना गेहूं हो जाता है औसतन?

श्री छीतरमल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचित क्षेत्र के अन्दर, मेरे क्षेत्र के अन्दर हजारों बीघा में गेहूं पैदा होता है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, प्रति एकड़ कितना होता हैं।

श्री छीतरमल आर्य : प्रति एकड़ करीब दस क्विन्टल गेहूं पैदा होता हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, कृषि मन्त्री जी, किसानों की समस्या बिजली और सिंचाई से सम्बन्धित हैं। किसान करीब पांच--सात हजार रूपये खर्च करके एक मोटर लगाता है। उसका सारा पैसा जो लगा है उसका उपयोग नहीं होता है क्योंकि समय पर बिजली किसानों को नहीं मिलती।

श्री **अध्यक्ष** : वह अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य ।

श्री **छोतरमल आर्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अफीम ज्यादा होती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भारत सरकार के सामने हमारी राज्य सरकार इस प्रकार का सुझाव रखे कि वहां के किसानों को जो अफीम की प्रति किलो रेट मिलती है वह बहुत कम है उसको बढ़ाया जाय । मेरे अटरू, छबड़ा, छीपा बड़ौद के अन्दर बहुत ज्यादा अफीम पैदा होती हैं । सरकार अफीम की खेती के लिये किसानों को सहूलियत दे, उनकी समस्याओं को ध्यान में रख कर भारत सरकार को अपने सुझाव दे या मांग करे कि वहां के किसानों को कम से कम 500 रूपये प्रति किलो की दर मिलनी चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर किसान पूर्ण रूप से बहुत मेहनत करता है जब कि आज सरकार द्वारा दो सौ या तीन सौ रूपया प्रति किलो के हिसाब से रेट दी जाती है । यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कम हैं ।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि मेरे कोटा जिले में संकर ज्वार का बीज जो बांटा था, जिसका वितरण हुआ था वह उगा नहीं । उसके कारण किसानों को भारी परेशानी है । उसका मुआवजा उन लोगों को नहीं मिला है । माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से, कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन है कि बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयों के लिये किसानों को सब्सिडी दी जानी चाहिये ।

तीसरा, किसानों की फसल का बीमा होना चाहिये । जिस तरह से दूसरे लोगों के ट्रक्स, बसें या बड़े उद्योगपति हैं उनके उत्पादन का बीमा होता है उसी तरह से किसानों की फसल का बीमा होना चाहिये ।

श्री **अध्यक्ष** : लेकिन वह बीमा कर दिया गया तो निराई और पिलाई करेंगे ही नहीं और बीमा कम्पनी का पैसा जायगा ।

श्री **छोतरमल आर्य** : ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्रीजी उचित समझें, उसके हिसाब से...

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : और सब्जेक्ट बहुत बाकी है ।

श्री **छोतरमल आर्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, भेड़पालकों को मेरे क्षेत्र में ऊन की रेट मिलती है वह बहुत कम है । दस या 12 रूपये किलो के हिसाब से मिलती है जब कि फैक्ट्री में जाकर ऊन साफ होती हैं उसके बाद चालीस या पचास रुपये पौण्ड के हिसाब से मिलती है । इस तरह से भेड़पालकों को नुकसान होता है भेड़पालकों को सहायता दी जाय ।

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री **छोतरमल आर्य** : पशुओं के लिए चिकित्सालय बहुत कम हैं । वहां जो भेड़पालक हैं, कभी उनके पशु बीमार हो जाते हैं तो बारां या अटरु जाना पड़ता है । ज्यादा से ज्यादा

(श्री छोतरमल आर्य)
पशु चिकित्सालय होने चाहिये ।
मैं इतना ही कहकर जो आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : कृषि मन्त्रीजी ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो मिनट परसों की डिमाण्ड में से कम हो जायेंगे ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह कृषि विभाग बना था उस वक्त तो इस विभाग में उत्साह था और इसने कुछ सराहनीय काम किये थे लेकिन गत कुछ सालों से ऐसा महसूस हो रहा है कि यह डिपार्टमेन्ट बिलकुल एक एजेन्सी का काम कर रहा है । गांवों में कोई ग्राम सेवक, एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर जाकर फसलों को जो बीमारियां होती हैं तो न उनको देखते हैं, न किसानों को दवा के लिये बताते हैं । यह लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, यह खाद, बीज और दवाइयां वितरण का काम करते हैं । एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट गांवों में किसानों के लिये कोई स्कीम नहीं बना रहा है । दवाई मौके पर बीमार फसल को देता नहीं है । ग्राम सेवक मिलते नहीं हैं । दवाओं के बारे में वह जानते नहीं हैं । एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं देते, किसानों को जानकारी नहीं देते। उनका मेन कार्य है कि किसानों को बीमारियों के बारे में बतावें, उनको सलाह दें, जो नई दवाइयां मिलें उनकी जानकारी दें । यह कार्य कृषि विभाग इस समय बिलकुल नहीं कर रहा है, निरूत्साहित है । इसमें बिलकुल काम नहीं हो रहा है । केवल दवाओं का, खाद, बीज का वितरण करता है । अगर इनका वितरण ही कराना है तो मेरा यह सुझाव है कि आप कॉआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के माध्यम से इन चीज वितरण करावें ।

श्री अध्यक्ष : कृषि फार्मों की हालत क्या है ?

एक माननीय सदस्य : वह तो नीलाम कर दिये गये ।

श्री शिवदानसिह राठौड़: वह तो, अध्यक्ष महोदय, सारे के सारे लॉस में चल रहें है ।

व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाडी : सूरतगढ़ के फार्म की जमीन को बेच दिया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर, बैठ जायं ।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : कृषि फार्मों की यह हालत है, अध्यक्ष महोदय, कि वहां जो बीज बोया जा रहा है न तो वह कामयाब हुआ है और जो बीज पैदा किया जा रहे हू उनमें से एक भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। हमारे जो पुराने बीज है वहां हमारे काम आते हैं। वही चल रहें है।

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम में से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कृषि विभाग के माध्यम से इनका वितरण किया जाता है तो आप कोआपरेटिव डिपार्टमेंन्ट की जो सहकारी समितियां है उनके माध्यम से बीज और खाद का वितरण करें, यह आपका जो कृषि विभाग है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारी जो कृषि उपज मण्डियां है, अध्यक्ष महोदय, यह कृषि उपज मण्डियां इसलिये बनायी गयी थी कि किसानों का शोषण नहीं हो, पर, आज भी किसानों का पह ले की तरह शोषण हो रहा है आज भी कृषि उपज मण्डी समिति में जो सेक्रेटरी लगे हुए है वह पैसा खा जाते हैं और गाड़ियां निकाल देते है, किसान मण्डी में जाकर अपनी फसल को बेचता है तो उसका सात-सात दिन तक पेमेन्ट नहीं मिलता है। तो मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे किसान का शोषण नहीं हो और उनको पेमेन्ट उसी वक्त हो जाये। किसान को पहले व्यापारी पेमेन्ट नही देते थे, आज भी उनकी फसल का पेमेन्ट नहीं होता है। आज भी मण्डी समिति में वैसे ही सेक्रेटरी और व्यापारी मिलकर सात-आठ और दस दस दिन तक पेमेन्ट नहीं देते है अगर उनको एडवान्स दे देते हैं उनसे व्याज ले लेतेहै। उनके साथ अन्याय होता है मेरा सरकार से यह निवेदन है कि किसान को उसी वक्त पेमेन्ट हो जाय, ऐसी व्यवस्था की जाय। अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डियों में मुख्य आमतौर पर सरकार के प्रशासक नियुक्त किये हुए हैं। कहीं पर एस. डी. ओ प्रशासक है कहीं पर तहसीलदार प्रशासक । आमतौर पर सरकारी अधिकारी प्रशासक नियुक्त है, जहां आपके व्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं वहां पर किसानों का शोषण हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार को चाहिये कि इन कृषि उपज मण्डियों के चुनाव कराये और जन-प्रतिनिधियों के हाथ में इनका काम सौंपा जाय। पिछले आठ-दस साल से वहां व्यूरोक्रेट्स काम चला रहे हैं वहां किसानों का भयकर रूप से शोषण हो रहा है। आपको चाहिये कि आप किसानों और जन-प्रतिनिधियों को चुनाव करा कर इनका काम सौंपे ताकि किसानों को राहत मिले। वहां सड़कों की ऐसी व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय, कि सड़के पूरी बनी हुई नहीं है। पांच साल से वहां पर सड़कें पूरी नहीं हो रही है सड़कों को बनाने की ऐसी व्यवस्था रखते है कि इस सड़क से किसको फायदा होगा उसमें किसान का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर एक सड़क ग्राम रास, लाम्बिया की सड़क है, उसके लिये सरकार ने 33 लाख रुपये मन्जूर किये थे उसमें से उस सड़क पर 22 लाख रुपये तो खर्च हो चुके है उसमें तीन लेअर तो बिछ चुके हैं सिर्फ डामर होने का काम बाकी रहा है लेकिन अभी विभाग के द्वारा ऐसे आदेश आये हैं कि जहां कही भी सड़कों के काम चल रहे है उन्हें तुरन्त बन्द कर दिया जाय। उस सड़क का काम बन्द हो गया है। अध्यक्ष महोदय, उस पर जो पहले 22 लाख रुपये खर्च हो चुके है वहां सारा का सारा पैसा वेस्टजायेगा।

इसी तरह एक सड़क झूझान्डा से फूलमाल

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

वाया जैतारण मन्जूर हुई है वहां डेयरी की मेन सड़क है। राज्य सरकार के हाईएस्ट लेवल के ब्यूरोक्रेट्स टोप लेवल के अधिकारी के मित्र का कुआं है, उधर से वह सड़क निकालना चाहते थे। तो हमने इसके लिये जिला कमेटी में यह प्रस्ताव पास किया और सरकार से भी निवेदन किया कि उस सड़क को उस तरफ से निकाला जाय जिस तरफ से किसानों को लाभ हो, दूध वालों को लाभ हो। वह सड़क उन ब्यूरोक्रेट्स महोदय के मित्र के कुएं के पास से नहीं निकले जाने के प्रस्ताव के कारण केन्सिल कर दी गयी है। वह यह चाहते है कि किसानों को फायदा नहीं हो पर उनके एडवोकेट मित्र के कुएं के पास से सड़क निकाली जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस सड़क का पिछले तीन साल से साढ़े तीन लाख रुपया पी. डबल्यू. डी. के पास ट्रान्सफर हुआ पड़ा हैं पर कहीं दूध वालों को और किसानों को फायदा नहीं हो जाय इस कारण सड़क का काम बन्द पड़ा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोनसी सड़क?

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : झूझान्डा से फूलमाल वाया जैतारण। इस सड़क के लिये हमने तीन-तीन बार प्रस्ताव पास कराकर भेजा है। जिला कलेक्टर ने लिखा, जिला समिति ने लिखा, पर हाईक्लास ब्यूरोक्रेट के मित्र को फायदा नहीं होने की वजह से काम बन्द पड़ा है। मेरा निवेदन है कि उस सड़क को जल्दी बनाया जाय। इसके अलावा मेरा आपसे यह भी निवेदन हैं कि सड़क ऐसी बनाये जिससे किसानों और दूध वालों को लाभ पहुचें। इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन हैं कि सड़कों को जल्दी से जल्दी बनाया जाय। जिन सड़कों के काम बन्द करने के आदेश दिये है वह वापस लेने चाहिये और सड़कें पूरी करायी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा पशुपालन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां पर दो तरह की डिस्पेन्सरीज खुली हुई हैं, एक तो प्लान में दूसरी नॉन-प्लान में। नॉन प्लान में जो डिस्पेन्सरी चलती है उसके द्वारा पिछले दो ढ़ाई साल से जैतारण में पांच रुप्ये की भी दवा नहीं दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, नान प्लान की डिस्पेन्सरी की यह हालत है, वहां पर डाक्टर के पास दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। पिछले दो-ढाई साल से यही स्थिति है, पांच रुपये की भी दवा नहीं है। अगर कोई किसान अपनी भेड़-बकरी लेकर जाता हैं तो डॉक्टर उसको 50 रुपये की दवा लिख देता है। मेरा निवेदन यह है कि नॉन प्लान की डिस्पेन्सरी को या तो दवाइयां दी जायं, नहीं तो फिर उसको प्लान वाली डिस्पेन्सरी में कन्वर्ट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री।

श्री देवेन्द्र सिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने कृषि विभाग के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देकर मेरा मार्ग दर्शन किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रदेश में पिछले 3-4 साल से निरन्तर अकाल पड़ रहा है। इसकी

(श्री देवेन्द्रसिंह)

वजह से हमारे यहां पर खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ है, उसमें गिरावट आई है, हमारे यहां कृषि उपज कम हुई है लेकिन, जैसा कि यहां पर कहा गया है हमारे यहां पर कृषि विस्तार के कार्यक्रम शुरू किये गये हैं जिनके माध्यम से, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रदेश में हालांकि अकाल पड़ा हुआ है फिर भी हमने उत्पादन बढ़ाया है। पहले जब अकाल पड़ता था, अध्यक्ष महोदय, तो हमारे पास ऐसे बीज नहीं थे, ऐसी कोई फसल नहीं थी जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके। लेकिन आज हमारे साधनों से और कृषि टेक्नोलोजी से हमारे देश में, सारे प्रान्त में अनेक किस्म की फसलों का उत्पादन किया गया। हालांकि, अध्यक्ष महोदय, गेहूं की फसल हमारे यहां पर कम हुई, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि तिलहन, सरसों और कपास को इसी तरह से कृषि उत्पादन का विस्तार किया गया है। विस्तार कार्यक्रमों से विज्ञान, टैक्नोलोजी से हमारे यहां का उत्पादन बढ़ा है। जहां सन् 1981–82 में 905 हजार टन खाद्यान्न पैदा हुआ था वहां इस साल 115 हजार टन खाद्यान्न की कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ति की गयी है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिना पानी व खाद के।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कोई कपड़े की दुकान नहीं है, आप क्या जानों खेती के मामले में।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, बीज उत्पादन के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाना चाहिये, बाहर से बीज नहीं मंगाया जाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1978-76 में जहां पर 55 हजार 783 क्विटल बीज पैदा किया गया, वहां सन् 1981-82 में 1 लाख 7 हजार 426 क्विटल बीज पैदा किया गया। हम हमारे प्रदेश के बाहर से बाजरा खरीदते हैं। बाजरे का सीड भी, अध्यक्ष महोदय, हमारे काश्तकार भी उत्पादन करते हैं। इस संबंध में एक समस्या हो गयी है कि बाजरे के बीज का आइसोलेशन, प्रोडक्शन मारवाड़ में नहीं हो सकता है क्योंकि बाजरा आम तौर से हर काश्तकार बोता है इसलिये आइसोलेटेड प्रामाणिक बीज यहां पर नहीं बोया जा सकता है। अब हमने रास्ता निकाल कर कुछ गावों को सलेक्ट किया है। उन गांवों में केवल प्रमाणित बीज बोकर उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी हम हमारे अधिकारियों को बोरूंदा भेज कर 6 हजार क्विंटल बाजरे का बीज वहां उत्पादित हो सके, इसको योजना बना रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष यदि वह योजना सफल हुई तो आने वाले दो-तीन वर्षों में इसको आगे बढ़ा कर इस प्रदेश के बाहर से बीज न खरीदें, ऐसी योजना बना कर हम चलना चाहते हैं। किसी जमाने में हमारे मेवाड़ के इलाके में ज्वार हम नहीं बोते थे लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां मक्का को लोग भूल गये और

(श्री देवेन्द्र सिंह)

ज्वार इतनी अधिक मात्रा में बो रहे हैं कि आने वाले दो-तीन वर्षों में ज्वार भी बाहर से खरीदने की जरुरत नहीं होगी और सारा प्रमाणित बीज हम लोग यहां से ही खरीद कर राजस्थान के काश्तकारों को मुहैया करा सकेंगे। ऐसी व्यवस्था करके हम चलना चाहते हैं।

यहां पर गत वर्षों ज्वार का बीज खराब आया उसके संबंध में अनेक चर्चायें यहां पर की गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी भी स्थिति में काश्तकार को यह बीज नहीं देना चाहते। पिछले वर्ष कुछ ज्वार का बीज यहां पर खरीदा गया और खरीदने के बाद जब काश्तकारों को दिया गया तो उस बीज की शिकायत आई, उसके जार्मिनेशन की शिकायत आई। तत्काल हमने उस बीज को वितरित करने से रोक दिया। आज भी वह बीज हमारे यहां पर मौजूद है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह बीज हम कि भी स्थिति में आने वाले किसी भी वर्ष में काश्तकारों को नहीं देंगे। चाहें वह हमको डैस्ट्राय करना पड़े, चाहे कुछ और करना पड़े लेकिन वह बीज काश्तकारों को नहीं देंगे। प्रमाणित बीज काश्तकारों तक पहुंचाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। जहां तक खरीद का सवाल है, कुछ दिन पहले इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी आया था। मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि उसकी इन्क्वायरी हम करा रहे हैं यहां पर....

एक माननीय सदस्य : किस से करवा रहे है ?

श्री **देवेन्द्रसिंह** : उच्च स्तर की इन्क्वायरी करवाने की कोशिश कर रहें हैं, चाहे कितने बड़े अधिकारी को लगाकर हमें इन्क्वायरी करानी पड़े लेकिन सिद्धांततः हम इन्क्वायरी करवा रहे हैं, इस बात से आपको सन्तोष होना चाहिये, सरकार इस बात को महसूस करती है, कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है और उसकी जांच होनी चाहिये, इसलिये इन्क्वायरी इनीशियेट की है।

श्री पीरूराम : जो हमारे यहां बीज होता है, 30 प्रतिशत बढ़िया होता है 70 पर्सेंट बीज खराब होता है। मेरा सारा बीज गंगानगर जिले और हरियाणा से आता है और दस रुपये क्विंटल सस्ता आता है। सारा बीज अपना खराब है। जितना बीज खराब होता है उतना ही नुकसान अपने यहां ज्यादा होता है।

श्री **रघुवीरसिंह कौशल** : आप देखिये, जैसा वह आई. ए. एस. आफिसर था उसकी जांच कोई आई. ए. एस. ऑफिसर नहीं कर सकता। आई. ए. एस ऑफिसर्स की एक गैंग होती है यह किसी को भी बचा देते है। एक आई.ए. एस. ऑफिसर दूसरे आई. ए. एस. आफिसर को बचाता है, । इनकी एक एसोसियेशन है जिसको मैं गैंग कहता हूं।

श्री **देवेन्द्रसिंह** : आपके सुझाव पर विचार कर लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने यहां इंगित किया कि जालौर, सिरोही डूंगरपुर और बांसवाड़ा यह ऐसे जिले है जो गुजरात की सीमा से मिलते हुए हैं वहां पर इस गर्मी में भी बाजरे की खेती होती है। इस वर्ष हमने भी यह तय किया हैं कि इन चारों जिलों में ज्वार

(श्री देवेन्द्र सिंह)

की फसल बोयेंगे और बाजरे का वहां प्रमाणित बीज बोकर . . .

श्री सूरजपाल सिंह : जनवरी में सोइंग करना पड़ता है। जो सीड आपको तैयार करना है उसका वह समय होता है। अब क्या करेंगे ? जो सर्टिफाइड सीड आप तैयार करना चाहते हैं उसके लिये आपको काश्तकारों को तैयार करना पड़ेगा, इन्सेन्टिव देना पड़ेगा तभी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री देवेन्द्र सिंह : आपकी जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं उस सीड की हम बुआई कर चुके हैं। मैं यह निवेदन करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सीड को उत्पादित करके वितरित करना चाहते हैं काश्तकारों को।

एक माननीय सदस्य : सीकर, झुंझुनू में भी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वायदा किया था पिछली बार आपने, मुआवजे के लिये क्या कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये । बाधा उपस्थित नहीं करें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डिस्टर्ब क्यों करते हैं ? आप पूरा उत्तर सुन लीजिये, बाद में सवाल पूछ लीजिये ।

श्री देवेन्द्र सिंह : जहां तक यह सवाल है कि खराब बीज काश्तकारों को दिया गया, उसके संबंध में मुझे निवेदन करना है कि बहुत से काश्तकारों, जिनकी सूची हमारे पास आई, को उसी वक्त दूसरा बीज दे दिया गया। आज प्रश्न यह है कि केवल बीज देकर उनको कम्पेन्सेटेड नहीं मान सकते। सरकार इस पर विचार कर रही है कि किस सीमा तक उनको कम्पेन्सेट करना चाहिये। हमारे पास से जिन लोगों ने सीड खरीदा उसका 5 पर्सेंट सिक्योरिटी अमाउंट हमारे पास आज भी अवेलेबल है इसलिये ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मुआवजा देना नहीं चाहते। लेकिन सवाल यह है कि किस सीमा तक उन काश्तकारों को हम मुआवजा दें, इसके ऊपर विचार करके जल्दी कोई निर्णय लेकर हम उनको मुआवजा देंगे।

एक माननीय सदस्य : एक साल हो गया चर्चा करते हुए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कृषि मण्डियों के संबंध में अनेक माननीय सदस्यों ने विचार रखे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में करीब 132 कृषि मण्डियां और 221 गौण मण्डियां काम कर रही हैं। उनमें निरन्तर आय की वृद्धि हुई है उसके आधार पर हमने उनका वर्गीकरण करने का निश्चित किया है। हमने उनको तीन श्रेणियों में बांटने का निर्णय लिया है। जो मण्डियां 30 लाख से ऊपर उनको 'ए' श्रेणी में, जो मण्डियां 10 से 30 लाख में हैं उनको 'बी' श्रेणी में और जो मण्डियां 10 लाख से नीचे हैं उनको 'सी' श्रेणी में रखने की योजना बना रहे हैं।

(श्री देवेन्द्र सिंह)

उसके बाद हम लोग इनको सुचारु रूप से संचालित कर सकें, अच्छे अधिकारी लगा सकें और जितनी बड़ी मण्डियां हैं उनमें. . .

एक माननीय सदस्य : अधिकारी लगायेंगे, चुनाव नहीं करायेंगे ?

श्री देवेन्द्र सिंह : बोलने तो दो यार ।

एक माननीय सदस्य : यह यार क्या होता है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री देवेन्द्र सिंह : वह हमारे मित्र हैं, साहब ।

आपको यह जानकार प्रसन्नता होगी कि इन मण्डियों के माध्यम से 11 करोड़ रुपये की आय की है। करीब चार सौ किलो मीटर गत वर्ष और करीब 500 किलो मीटर इस वर्ष पक्की सड़कें इन मण्डियों की आय के माध्यम से हम पूरी करना चाहते हैं।

कुछ महानुभावों ने यहां पर यह कहा कि इन मण्डियों से कोई लाभ नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछले एक महीने से अनेक माननीय सदस्य यह कह रहे हैं, हमारे यहां पर सड़क बनाओ, हमारे यहां पर उसका एलाइनमेंट बदलो। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है । यह स्पष्ट प्रमाण है कि आप लोग इन मण्डियों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं । अपने अपने क्षेत्र का विकास तब ही हो सकता है जब इनमें आमदनी होगी, अब इनका काम सुचारु रूप से होगा।

यहां पर यह भी प्रश्न आया कि हमारी इन मण्डियों में प्रशासक बैठे हैं और वे प्रशासक ठीक ढंग से काम नहीं करते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जितना आपका प्रजातंत्र में विश्वास है उतना ही सरकार का और मेरा भी है । आपको विश्वास दिला कर चलना चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी इन मण्डियों के चुनाव करा कर जन प्रतिनिधियों को इन मण्डियों में बैठायेंगे ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : जल्दी कब तक ? यह तो कामन बात हो गई ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बाधा न डालें ।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां एग्रो इण्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में अनेक चर्चायें आई मैं इस बात को सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले एग्रो इण्डस्ट्रीज का एक प्रश्न आया था उस समय मैंने यह कहा था कि हम एग्रोइण्डस्ट्रीज के माध्यम से जो सामान बनाते है वह सारे डिपार्टमेंट नहीं ले पाते लेकिन एक पत्र ने इस बात को तोड़-मोड़ कर दिया था कि हमारे एग्रो इण्डस्ट्रीज में घटिया माल बनता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एग्रो-इण्स्ट्रीज में किसी प्रकार का कोई घटिया माल बनता है। न तो मैंने यह बात कही और न एग्रो इण्डस्ट्रीज में घटिया माल बनता है । हमने केवल इतना ही निवेदन किया था कि उसके घाटे की पूर्ति हम हमारा उत्पादन बढ़ा कर के कर सकते हैं। जो हमारे वर्कशॉप में काम करते हैं उनको वेरियस डिपार्टमेंट के काम दिला कर के, उनके उत्पादन को बढाकर, उनको हैण्ड पम्प के और आर्डर्स दिला कर, बुल डोजर्स को ठीक करके, कुछ बुल डोजर्स खराब है उनको नीलाम

Page No 205

(205)

(श्री देवेन्द्र सिंह)

करके घाटे की पूर्ति करके उसको सुव्यवस्थित करके चलाना चाहते है। इसलिये एग्रो इण्डस्ट्रीज को भी-हम सुधारने की कोशिश कर रहें है। हम आशा करते है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें घाटा कितना है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो प्रश्न पूछना चाहें, लिखते रहें।

श्री देवेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने एक या दो प्रश्न यहां उठाये थे। राजस्थानी भाषा का उपयोग अधिकारियों को ग्रामीण लोगों में करना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं कि सीधे काश्तकार से जो सम्पर्क रखते हैं, जो काश्तकार की समझ में आये उस ही भाषा का उपयोग उन्हें करना चाहिये। हम इस बात की कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रघुवीर सिंहजी कौशल ने दो-तीन प्रश्न उठाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने खास तौर से एक कम्पनी, जिसने घटिया किस्म के सीड और फर्टिलाइजर दिये, का प्रश्न उठाया उसके सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लिबर्टी पेस्टीसाइड एण्ड फर्टिलाइजर उदयपुर है। इसके सम्बन्ध में आपने जिक्र किया है...

श्री अध्यक्ष : वह आपके यहां कहां पेस्टीसाइड बेचती है ? आपके यहां बिकता है क्या ? उदयपुर की बात कर रहे हैं ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नहीं, मैं तो बारां का हूं।

श्री देवेन्द्र सिंह : लेकिन उसकी शिकायत की है कि घटिया किस्म का फर्टिलाइजर और सीड बेचती है फिर भी एक्शन नहीं लेते हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस पेस्टीसाइड कम्पनी के खिलाफ एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई है एक महीने पहले कि उसने सब स्टेण्डर्ड फर्टिलाइजर बेचा है। दूसरा केस चित्तौड़ में घटिया किस्म का पेस्टीसाइड बेचने का भी एक महीने पहले ही दर्ज कराया है। इसी तरह पाली में भी सब-स्टेण्डर्ड फर्टिलाइजर बेचा गया है, उन पर मुकदमें दायर किये हैं....

(व्यवधान)

नहीं, सैम्पल लिये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे प्रदेश का जीरा दूसरी जगह जाकर बिक रहा है। वह इसलिये बिक रहा है कि म्युनिसिपैलिटी एक प्रतिशत कर लेती है। यह विभाग मेरे पास नहीं है लेकिन सिद्धान्ततः राज्य सरकार से निवेदन करके ऐसी कुछ व्यवस्था जिससे भीनमाल के काश्तकारों को लाभ मिले सकें और 10 करोड़ की आमद भीनमाल में हो सके, करने की कोशिश करेंगे। यदि ऐसी व्यवस्था हो सकी तो यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात होगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जिन्क फास्फेट के लिये बता दीजिये ।

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले जो दो-तीन निर्णय लिये है, वह भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं । हमारा कृषि विभाग तीन-चार विभागों में विभाजित होकर अलग-अलग किराये के मकानों में है और एक महीने में 30-35 हजार किराया देते हैं, अलग-अलग लोगों को । सरकार ने निर्णय किया है कि राजस्थान में कृषि भवन का निर्माण किया जाय । उसके लिये हमने सैक्रेटेरिएट के पास जमीन उपलब्ध करा ली है । जल्दी ही कृषि भवन का निर्माण करके उसमें राजस्थान सीड कार्पोरेशन, राजस्थान मार्केटिंग बोर्ड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और उससे सम्बन्धित अन्य विभाग स्थापित कर सकें, यह हमारी स्पष्ट योजना है ।

दूसरा, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसन्धान केन्द्र, जो भारत सरकार का केन्द्र है, सारे देश में जयपुर को दिया है । उसकी स्थापना जयपुर में करना कृषि मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी कृपा करके उसके लिये जमीन उपलब्ध करा दी है । उसका निर्माण यहां होगा । देश भर के लोग कृषि के सम्बन्ध में ट्रेनिंग के लिये उसमें आयेंगे और उसका लाभ उठायेंगे ।

एक बात मैं यह महसूस करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कृषि मंडियों में जो दुकान है वह आम तौर से जो ट्रेडीशनल ट्रेडर हैं और जो लाइसेन्स होल्डर्स हैं उनको ही दी जाती है । इस कारण नये आदमी, जो इस ट्रेड में आना चाहते हैं, नहीं आ सकते हैं । जब मंडियों का निर्माण किया जाता है तो वहां जितने लाइसेन्स होल्डर्स होते हैं उतनी ही दुकानें बनाई जाती हैं । उतनी का ही सिद्धान्त: हमने निर्णय लिया था । अब कुछ पर्सेन्ट में दुकानें बनाई हैं ताकि इस ट्रेड के नये लोग आना चाहें वह आ सकें, विकलांग आ सकें, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग आ सकेंगे, टैक्नीशियन्स आ सकें, इंजीनियर्स आ सकें । कुछ पर्सेन्ट दुकानें उनके लिये मंडियों में अलग से बना कर उन लोगों को भी रोजगार देना चाहते हैं ।

एक बात यहां पर कृषि विश्वविद्यालय की कही गई । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब उदयपुर में कृषि कालेज स्थापित हुआ था तब से लेकर आज दिन तक कृषि विश्वविद्यालय का सारा कार्यक्रम वहां चलता रहा है केवल दो कालेज को साथ जोड़कर । इस यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीकल्चर शब्द नहीं जोड़ने की वजह से भारत सरकार से, आई. सी. ए. आर. से जितना पैसा इसमें आ सकता है वह नहीं आ पा रहा है । केवल उसमें दो कालेज है उनको हटाकर मोहनलाल सुखाडिया यूनिवर्सिटी नाम को मोहनलाल सुखाड़िया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम देकर भारत सरकार से जो कुछ सहायता मिल सकती है और जो कुछ काश्तकारों को लाभ दे सकते हैं वह अब तक नहीं

(श्री देवेन्द्र सिंह)

मिल रहा है । मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार जल्दी ही इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी और वहां मोहनलाल सुखाड़िया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगी ।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यहां पर आम तौर से हमारे अधिकारियों की काफी चर्चा की गई । मैं इस सम्बन्ध में कोई विशेष तो निवेदन नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे अधिकारी और जन-प्रतिनिधि मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम राजस्थान की सेवा नहीं कर सकेंगे । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विगत में चाहे कुछ भी स्थिति रही हो लेकिन आज हमारे एग्रीकल्चर के आफिसर्स जो काम कर रहे हैं चाहे कृषि विभाग में, चाहे कृषि विपणन बोर्ड में, चाहे सीड कार्पोरेशन में और चाहे अन्य विभागों में, ईमानदारी और निष्ठा से काम करके इस राजस्थान की सेवा करेंगे ।

जहां तक कृषकों की बात कहते हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद दिये बिना भी नहीं रह सकता जिन्होंने बहुत ही विषम परिस्थितियों में अकाल होते हुए, बिजली की दिक्कत होते हुए और सारी दिक्कतें होते हुए राष्ट्र की सेवा की । जिस तरह सीमाओं की हमारे नौजवानों ने रक्षा की है, ठीक उसी तरह हमारे किसानों ने प्रदेश में कृषि का उत्पादन बढ़ाकर देश की सेवा की है । इसलिये मैं उनको भी इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं ।

इन्हीं शब्दों के साथ में प्रार्थना करता हूं कि मांग संख्या 37 कृषि से सम्बन्धित 38 करोड़, 75 लाख 71 हजार को पारित करने की कृपा करें ।

श्री **अध्यक्ष** : पशुपालन मन्त्री जी ।

(व्यवधान)

श्री **पोरूराम** : अध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव मैंने रखे हैं, एक तो गंगानगर जिले में सांगरिया मण्डी में कृषि विश्वविद्यालय का और दूसरा फर्टिलाइजर का कारखाना हनुमानगढ़ लगाने बाबत, उनके बारे में मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण नहीं दिया । मैं आशा करता हूं कि शायद इसके लिये मुख्य मंत्रीजी से बात कर ली होगी या सोचा होगा । दोनों काम करा देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा और उसके लिये धन्यवाद दूंगा । नहीं, तो दुख के के साथ कहता हूं कि खाद का कारखाना अति जरूरी है काश्तकारों के लिये और जो शिक्षार्थी अध्ययन करते हैं, उन बच्चों के लिये विश्वविद्यालय सांगरिया में स्थापित करना अति जरूरी है । यह काम कम खर्च में ही हो जायगा ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री कौशल ।

(व्यवधान)

श्रीमती **उज्जला अरोडा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या मंत्री महोदय हमारे कटौती प्रस्तावों का भी उत्तर देंगे ? समयाभाव के कारण हम नहीं बोले,

(श्रीमती उजला अरोहा)
क्या माननीय मंत्री महोदय उन कटौती प्रस्तावों का उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था पहले ही कर दी है कि कटौती प्रस्तावों के उत्तर माननीय सदस्यों के पास भेज दिये जायेंगे ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक तो जिंक फास्फेट के लिये कहा था, भारत सरकार के अनुसंधान केन्द्र से जो जिंक फास्फेट आया है वह लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है, उसमें 80 पर्सेन्ट इनग्रेडिनियस की जगह 20 पर्सेन्ट इनग्रेडिनियस आया है । उससे चूहे नहीं मर रहे हैं । क्या आप इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री देवेन्द्र सिंह : अगर ऐसा ही है तो जांच करवा लेंगे ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपकी लेबोरेटरी में प्रमाण है कि 20 पर्सेन्ट इनग्रेडिनियस आया है ।

श्री देवेन्द्र सिंह : जांच करवा लेंगे ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक और सवाल ।

एक माननीय सदस्य : आप बाद में तो पूछ लोगे, आप मेरे बाद में पूछ लेना ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । श्री कौशल ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या आपकी लेबोरेटरीज की क्षमता नहीं है ? सैम्पल आये नहीं है, आज तक फर्टिलाइजर के सैम्पल नहीं लिये जा रहे हैं । जितने असिस्टेंट डायरेक्टर, क्वालिटी कन्ट्रोल के हैं, वह फर्टिलाइजर के सैम्पल नहीं ले रहे हैं ।

श्री देवेन्द्र सिंह : सैम्पल लिये हैं तभी तो केस बनाये हैं, नहीं तो नहीं बनाते ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जी ?

श्री देवेन्द्र सिंह : सैम्पल लिये हैं तभी तो केस रजिस्टर किये हैं ।

श्री रघवीरसिंह कौशल : तो आप संतुष्ट हैं जितने सैम्पल लिये गये हैं उनसे ?

श्री देवेन्द्र सिंह : संतुष्ट होते तो केस रजिस्टर क्यों करते ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं समझ नहीं पा रहा हूं । राजस्थान भर के असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिये एक क्राइटेरिया तय है कि आपको इतने सैम्पल लेने हैं । उन्होंने कितने प्रतिशत सैम्पल लिये हैं ? अध्यक्ष महोदय ये 5 प्रतिशत सैम्पल नहीं लिये गये । यदि पूरे सैम्पल ले लिये गये तो क्या आपकी लैबोरेटरी की क्षमता है कि उनको टैस्ट कर लिया जायेगा ? आपने मुझे लिखित उत्तर में दिया है कि लैबोरेटरी पर दबाव ज्यादा है इसलिये उनका परीक्षण नहीं हो सका ।

श्री देवेन्द्र सिंह : हमारी एक-दो लैबोरेटरी बढ़ाने की योजना है । इस साल हम लैबोरेटरीज बढ़ाकर सैम्पल लेगें ।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में कृषि का उत्पादन बढ़े, कृषि उन्नति करे इसके लिये हम एक्सटेंशन आफिसर्स के माध्यम से कृषि विस्तार कार्यक्रम चला रहे हैं । जब तक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कार्यक्रम में लगे कार्यकर्ता पंचायत समितियों में थे तब तक तो उनकी गतिविधियां जारी थीं क्योंकि वहां जन-प्रतिनिधि बैठते थे, उनको समस्याओं को कहते थे, उनको ले जाते थे पकड़ कर भी, लेकिन अब सीधे तौर पर विभाग के नीचे उन अधिकारियों को दे दिया गया है इससे उनका आम जनता से, जन-प्रतिनिधियों से सम्बन्ध नहीं रहा है । तो क्या सरकार विचार करेगी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कार्यक्रम को पुनः पंचायत समितियों के माध्यम से चलाया जाय ?

श्री तेजपाल यादव : एक प्रश्न मेरा है । आपके यहां बीज निगम है, गेहूं का बीज......

श्री अध्यक्ष : अब ज्यादा प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा । कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है परमात्मा की मेहरबानी हो जाय तो फसल अच्छी हो जाती है, नहीं तो कुछ नहीं होता । कोई सवाल नहीं होगा ।

श्री अमराराम चौधरी : खड़ी नीति के बारे में एक सवाल मैंने पूछा था कि क्या आपने...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री तेजपाल यादव : एक प्रश्न । आप गेहू का बीज किसान से, सीड ग्रोअर से 190 रुपये क्विटल लेते हैं जिसमें आपका कोई खर्चा नही है । इन्सपेक्शन फीस आप उनसे लेते हैं, फार्म फीस लेते हैं । वह आपके डिपो में माल ले कर आता है, तो छानकर, साफ करके लाता है। आप उसको 190 रुपये क्विंटल का देते हैं । उसी किसान से 330/– एक क्विटल का लेते हो। अव्वल तो आपने बीज में धोखा किया वह भी एक बिन्दु है। दूसरा मैं ही तो सीड पैदा करने वाला तो मुझे ही महंगा सीड क्यों दिया जाता है ।

दूसरा प्रश्न मेरा आपसे कृषि विभाग के प्रभारी मन्त्री होने के नाते यह है, आज पंजाब और हरियाणा में किसान को एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में खाद, बीज, दवाई, पानी, बिजली आदि लगाकर कितने रुपये बैठता है और राजस्थान के किसान का कितना बैठता है, इसके बारे में मन्त्री महोदय बतायेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न । ऑर्डर प्लीज । बैठ जायं । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । माननीय सदस्य, अलग प्रश्न । मन्त्री महोदय ।

श्री तेजपाल यादव : कृषि मन्त्री होने के नाते पैरवी करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अमराराम ।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछा था कि क्या आप खडीन विभाग में भू-संरक्षण स्नातकों की जगह इंजीनियर्स की नियुक्ति कर रहे हैं ?

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सब जगह इंजीनियर्स हम नियुक्त नहीं करेंगे। कुछ जगह इंजीनियर्स लगा रहे हैं, कुछ जगह कृषि विभाग के अधिकारी भी काम कर रहे हैं, सोइल कन्जर्वेशन में यह इसलिये तय किया गया कि सोइल संरक्षण में कुछ टैक्निकल काम भी है। जो कुछ हमारे पास टैक्निकल व्यक्ति इंजीनियर्स उपलब्ध थे, उस दृष्टि से हमने सोचा कि दोनों को लगाकर इस स्कीम को एग्जामिन किया जाय· · · ·

श्री अध्यक्ष : सोइल कन्जर्वेशन का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है । डिजाइन एनीकट्स, कितना स्ट्रक्चर्स उसमें है· · · · ·

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, समाप्त हुआ। कृपया, स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। बैठ जायं। आसन पैरों पर है। इसका कोई अंत नहीं है।

श्री अमरराम चौधरी : आर्डर, वह ले जायं· ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अंकित नहीं।

श्री अमरराम चौधरी : × × ×

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग की मांग पर करीब 125 कटौती प्रस्ताव आये हैं, 21 के करीब सम्माननीय सदस्य बोले उनमें से करीब 10 सम्माननीय सदस्यों ने बड़े उपयोगी, बड़े महत्वपूर्ण सुझाव पशुपालन विभाग के बारे में दिये हैं, उनका मैं बहुत आदर करता हूं। 20 की प्राब्लम कोई नहीं है, मुझे कह लेने दो।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बकरी चराई का कितना है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : बकरी चराने का काम आपके जिम्मे रहेगा, मेरे जिम्मे नहीं रहेगा। मेरे जिम्मे आप जैसों से चरवाने की व्यवस्था रहेगी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह मामला संगीन है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 125 कटौती प्रस्ताव आये हैं, उनमें लगभग 82 प्रतिशत कटौती प्रस्ताव पशुओं की चिकित्सा के विस्तार सम्बन्धी है और 18 पर्सेन्ट में कुछ डेयरी विकास के सम्बन्ध में, कुछ कुक्कुट पालन के सम्बन्ध में, मेरे पास कटौती प्रस्ताव आये हैं। सम्माननीय सदस्यों ने उस बारे में प्रकाश भी डाला है। मेरा यह सौभाग्य है कि राजस्थान में पशुपालन को समझने वाले आज अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान है। मैंने आपसे यह अनुरोध किया था कि इस विभाग में किस प्रकार कार्य करूं, इस सम्बन्ध में मेरे को आपका मार्गदर्शन मिले। मेरा सौभाग्य है, आपका भी मार्गदर्शन लगातार मुझको मिलता रहा। मैं यह मानकर चलता हूं हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इस बात की व्यवस्था करें कि राज्य के अन्दर जितना पशुधन है, उसकी

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

ठीक ढंग से चिकित्सा की व्यवस्था हो। उस सम्बन्ध में मैं पशुओं तक ही सीमित नहीं रहूंगा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति के अनुसार हम तो पड़े-पौधों तक में जीव मानते हैं। हमारे यहां के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, स्वर्गीय जगदीश चन्द्र बसु ने भी इस बात को माना था, इसको उन्होंने प्रमाणित भी किया था उन्होंने ही नहीं, मैं आपको घटना याद दिलाऊंगा लगभग 400 व्यक्तियों ने खेजड़ी की डाल के साथ में चिपक कर इसलिए अपने प्राण त्यागे थे कि वह उसको काटने नहीं देना चाहते थे। सिकन्दर लोदी ने इस सम्बन्ध में एक आदेश भी जारी किया था कि जहां जहां इस कम्युनिटी के लोग रहते है वहां पर कभी भी पशुओं के चारे के पेड़ या अन्य पेड़ों को नहीं काटा जाय। मैं राज्य सरकार की तरफ से निवेदन करता हूं, 1956-57 में जिस दिन कृषि विभाग से पशुपालन विभाग अलग हुआ, उस दिन इस विभाग का बजट केवल मात्र 46 लाख का था। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं 14 करोड़ 61 लाख 13 हजार रुपये की मांग लेकर। मैं इस सारी व्यवस्था के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी बता रहे थे कि एक जमाना था जब राजस्थान का टोटल बजट 13 करोड़ का हुआ करता था, आज मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि मैं यहां पर केवल एक विभाग की 14 करोड़ 61 लाख की मांगें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे मन में भी इस बात की तड़प है कि हमारे यहां का प्रत्येक पशु, पशु के साथ में हर इन्सान भी चिकित्सा की सुविधाओं से वंचित नहीं रहे और हम उनके लिए सारी व्यवस्था करें, तो मैं यह बात इसलिए अनुरोध कर रहा हूं आपसे कि अभी सम्माननीय सदस्य जब डेयरी के बारे में विचार प्रकट कर रहे थे तब एक माननीय सदस्य जो खारची से आने वाले है मुझे दिख नहीं रहे, किधर गये, मेरे पीछे आ गये है वह, मुझसे इस बात को कहा भी था कि मन्त्री महोदय ने रेगिस्तानी इलाकों को देखा या नहीं। मैं उनकी जानकारी के लिए अनुरोध कर दू, मेरे पास यह विभाग आते ही मैंने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर के कुछ हिस्सों का दौरा किया है और वहां पर जाकर मैंने व्यक्तिशः इस समस्या को समझने की कोशिश भी की है। मैंने समस्या को समझने की कोशिश ही नहीं की, मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आपसे मुझे मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृति दी है इस बात की कि हम . . .

श्री भैरूंसिंह गूजर : शहरों में गये थे या गांवों में गये या ऊपर हवाई जहाज से गये थे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला: सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा यह रहे कि माननीय सदस्य मेरी बात को सुनलें। जब वह बोल रहे थे तो मैं उत्सुकता के साथ बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर एकलव्य की तरह उनकी बातों को नोट कर रहा था, तो कृपा करके वह भी अगर मेरी बात नोट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं उनकी एक-एक बात का जवाब दूंगा, मैं यह भी आपसे अनुरोध कर दूं शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, मैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया हूं, शहरी क्षेत्रों में तो मेरी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जिंदगी बीती है, अब तो मेरे जिम्मे जो काम है, मैं यह मानकर चलता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुपालन का काम है और जिस पशुपालन के साथ हमारे गोपाल कृष्ण थे। भगवान गोपाल का कहीं भी चित्र देखा हो तो उसमें हमेशा यह देखते हैं कि भगवान गाय की बागडोर पकड़े हुए हैं और गाय के साथ एक पेड़ के नीचे झरना झरता हुआ है और तब भगवान कृष्ण की बंसी बजती है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी यही मान्यता है कि राजस्थान की बंशी भी तभी बजेगी जब कि हम भगवान की तरह से, जैसे उनके सहस्त्रबाहु थे, राजस्थान के अन्दर जितने भी साधन उपलब्ध हैं उन सब साधनों को एकत्रित करके सहस्त्रबाहु की तरह से काम में लें।

यहां पर पशु चिकित्सालयों की बहुत बात कही गई। वह भी सब होगा लेकिन उसमें समय लगेगा। जिस प्रकार सहस्त्रबाहु भगवान अपनी भुजाओं को संजो करके चलते थे, हम भी अपने साधनों को संजो कर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम लोगों को सुख-सुविधा के साधन उपलब्ध करवा सकें। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं इस बात को कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यहां के लोगों की उन्नति के लिए कार्यक्रम रखे गये हैं। उसमें भी पशुपालन विभाग पर जितनी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुक्कुट पालन के बारे में, गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि के लिए, उनकी व्यवस्थाया की गई है, मैं यह मान कर चलता हूं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम कोई भगवत गीता या रामायण की कथा नहीं है। यह हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास की कथा है। उस आर्थिक विकास की कथा के अन्दर मैं आह्वान करना चाहता हूं, सभी माननीय सदस्यों का, उन सदस्यों के अन्दर विरोधी दल के सदस्य भी हैं और हमारे इधर बैठने वाले सदस्य भी हैं क्योंकि इधर बैठने वाले सदस्यों का तो एक कमिटमेंट है, यहां के लोगों के आर्थिक विकास की उन पर जिम्मेदारी है इसलिये उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वह लगातार इस बात के लिए सचेत हैं कि हम किस प्रकार आर्थिक साधनों को बढ़ा करके हमारे यहां का आर्थिक विकास करें। उसी के अनुसरण में, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जैसे हमारा डेयरी डवलपमेंट का कार्यक्रम है, मुझे पता नहीं कि कैसे डेयरी फैडरेशन के अध्यक्ष महोदय निराशा के अन्दर आ गए, साढ़े 41 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। साढे 41 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिये बाकायदा सर्वे हुआ है। हो सकता है, कहीं व्यवस्था में कमी रह जाय, मैं उसके लिए मना नहीं करता। लेकिन आज मेरे और आपके जिम्मे उस काम को क्रियान्वित करने का लक्ष्य है उस काम को क्रियान्वित करके यहां पर दूध की नदियां बहाना चाहते हैं। दूध की नदियां बहा करके हम इस बात का प्रयास करना चाहते हैं कि हमारे पशुपालकों की आर्थिक हालत ठीक हो, उनको लाभ मिले। मेरा निवेदन है, जहां पर भी व्यवस्था में गड़बड़ होगी उसको ठीक किया जायेगा।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे यह अनुरोध

(श्री श्रीराम गोटवाला)

करना चाहता हूं जैसा मैं यहां आपसे अनुरोध कर रहा था कि हम प्रत्येक पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुझे आनन्द जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हिन्दुस्तान के अन्दर एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है आनन्द जिस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर शत प्रतिशत लोगों को चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, पशुओं की चिकित्सा सुविधा की गई हैं, वह सारी की सारी व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से की गई है। मैंने उसका अध्ययन किया है। मेरे साथ कई अधिकारीगण भी गए थे। हमने बैठकर सात दिन के भीतर एक प्रोजेक्ट उसके बारे में बनाया। जब आनन्द का प्रोजेक्ट वहां पर गया तो भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया कि एक स्टेट का प्रोजेक्ट इस प्रकार का बनाया जावे। जिस प्रकार ईरोड, तमिलनाडु के अन्दर इरोड जगह है, का है। वहां का भेजो ....

(व्यवधान)

श्री राम सिंह विश्नोई : आप कभी वहां गये हो ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अरे साहब सब जा आये हैं। आप तसल्ली तो करो। आप जरा विराजो तो सही। आप जब बोलते हो तो मैं बड़ी तसल्ली से सुनता हूं। आप पर बड़ी जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय, जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी की जगह पर बैठे है, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपापूर्वक अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तो मैं समझता हूं, वे अपने कर्तव्य की ज्यादा पालना कर सकेंगे।

मैं आपसे अनुरोध कर रहा था इस बात के बारे में कि ईरोड के बारे में मैंने भारत सरकार के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। मुझे पता चला कि ईरोड का प्रोजेक्ट नहीं आया है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से मिला। मैंने यहां के बारे में प्रोजेक्ट बनाया। हमारे अधिकारियों ने पांच दिन के भीतर भीतर प्रोजेक्ट बना कर दे दिया और आज वह प्रोजेक्ट नेशनल डेयरी डवलपमेंट कोपरेशन के सामने विचाराधीन है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आई. सी. ए. आर. की मीटिंग में जाने का, वहां पर भी मैने इस मुद्दे को उठाया था कि आज राजस्थान, गुजरात के बाद में दूसरा ऐसा प्रदेश है जहां पर दूध की इफरात है, जहां दूध काफी संख्या में मिलता हैं और जहां पर हमने आपके वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को एक्जीक्यूट किया है।

सम्माननीय सदस्या भीम से आने वाली रानी लक्ष्मीकुमारीजी ने फरमाया था कि दस करोड़ रुपया डेयरी प्रोजेक्ट का आपका लैप्स हो जायगा अगर दो साल में कार्यवाही नहीं होती है तो, इस प्रकार की बात उन्होंने कही थी। मैं आप से एक ही बात का अनुरोध करता हूं मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार या वर्ल्ड बैंक का जो कार्यक्रम था, राज्य सरकार को जितना रुपया देना था, साढ़े चार, करोड़ का योगदान राज्य सरकार उसमें कर चुकी है जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम था वह कार्यक्रम नहीं हुआ इसलिए वर्ल्ड बैंक ने रुपया नहीं दिया, लेकिन इसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप वी. पी. लैब और डिजीज डाइग्नोस्टिक सेंटर और चालू करने की अगर बात करते हैं तो हम आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। मैंने अधिकारी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

की मीटिंग बुला कर, क्योंकि पशुपालन भी मेरे पास है, डेयरी डवलपमेंट भी मेरे पास है, इस बात के बारे में निर्णय कर लिया कि हम डिजीज डायग्नोस्टिक लैब और बी. पी. लैब, यह दोनों लेबोरेटरी राज्य सरकार की ओर से चलायी जाय। इस पर करीब 70 लाख रुपया व्यय हुआ था। यह बात भी सही है कि पिछले तीन साल से वह बी. पी. लैब, जिस पर करीब 70 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ था, बन्द पड़ी थी। आपकी कृपा से वह बी. पी. लैब आज पूरी स्पीड से वहां पर चल रही है। उसमें पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में वैक्सीनेशन तैयार करने के लिए जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम आज अच्छे ढंग से बन रहे हैं। मैं यही मान कर चलता हूं कि हम उस सारे कार्यक्रम को निश्चित रूप से क्रियान्वित करवा लेंगे और उस रुपये को लैप्स नहीं होने देंगे।

श्री यदुनाथसिंह : यह तो लिखित में जवाब चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो प्रश्न उठाये हैं उनका जवाब दिलाइये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आपके एक-एक पॉइन्ट का जवाब दे दूंगा।

श्री यदुनाथसिंह : फिर क्या फायदा हुआ सदस्यों के बोलने का जो स्पष्टीकरण है.....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सम्माननीय सदस्य, मेरी बात को सुनें। मैं उनकी एक-एक बात का जवाब दूंगा। मैंने आपकी एक-एक बात को बड़े ध्यानपूर्वक लिखा है इसलिए आप की कोई बात बिना जवाब आए नहीं रहेगी।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : लेकिन यह रामलीला मत करो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, अभी एक रामलीला की बात कही। मैंने कृष्ण की बात का जरूर उदाहरण दिया था और मेरी कामना निश्चित रूप से इस बात की है कि आनन्द की वह बंसी देश के अन्दर उसी प्रकार से बजे जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने गाय के वंश की रक्षा करके, गायों को पाल करके बंशी बजाई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आनन्द के बारे में जिक्र कर रहा था। राज्य सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया जा रहा है उसके लिये मैंने जयपुर जिले के विधायकों को, यहां की पंचायत समितियों के प्रधानों को, जिला प्रमुख को आमंत्रित किया था। हमारी यह योजना थी कि जिस प्रकार आनन्द के अन्दर उन्होंने आनन्द डेयरी के मार्फत इस प्रोजेक्ट को एक्जीक्यूट किया है, ठीक उसी प्रकार से हम भी जयपुर जिले के अन्दर जयपुर जिले की सहकारी यूनियन के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को लागू करना चाहते हैं। मैं आनन्द के गांवों में भी गया था। वहां पर मुझे यह कहा गया कि यहां के किसान यह कहते थे कि आप हमारे पशुओं की तो इतनी चिन्ता करते हो लेकिन हमारे इन पशुओं को जो पालने वाले हैं उनकी आप चिन्ता नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने उसी के अनुरूप उसकी व्यवस्था की। अध्यक्ष महोदय, वह प्रोजेक्ट मैं आपको भी पेश करूंगा। उस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हमने इस बात की व्यवस्था की है कि हम गांव के प्रत्येक आदमी तक पहुंचें। प्रत्येक आदमी की चिकित्सा की व्यवस्था करें। जयपुर डिस्ट्रिक्ट को लें। हम एक जिले को हमारे हाथ में ले रहे हैं, अभी कार्यक्रम बना

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कर के। यहां पर करीब तीन सौ सहकारी समितियां बन चुकी हैं। नौ सौ के करीब गांव उस योजना के अन्तर्गत आज सम्मिलित हैं। यहां आज प्रत्येक गांव जो डेयरी से सम्बन्धित है, के अन्दर हम चिकित्सा की व्यवस्था और डेयरी की तरफ से कर रहे हैं। वहां पर ए. आई. प्रोग्राम हम डेयरी की तरफ से चला रहे हैं। बीकानेर की गौलियां वगैरह सारी हमारी तरफ से बांटी जा रही है। हम प्रत्येक ग्राम के अन्दर इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना चाहते हैं। हमारी योजना यह है कि हम करीब दस रेफरल होस्पीटल बनायें। इसके साथ-साथ जीपों के अन्दर वायरलैस लगा करके इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं जो मैं आन्नप में देखकर आया हूं। अभी आश्चर्य कर रहे हो, कोई हंस रहा है, जिस दिन यह योजना क्रियान्वित हो जाएगी यह मानकर चल लेना कि × × × क्योंकि आप लोगों की, आपकी जो···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठ जावें···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम चुप चाप सुन रहे थे··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बैठ जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का भाषण नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। कृपया, बैठ जायं। आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको ताड़ना दीजिए।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं। आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस तरह की × × × करते हैं

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा···

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिया हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा

(व्यवधान)

कृपया, बैठ जायं। मंत्री महोदय ऐसे उत्तेजना के और जिन विषयों का संबंध··

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × × सिखाइये इनको ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बुद्धि बाहर आ गई, आप में कितनी बुद्धि है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :···इस विभाग से सम्बन्धित नहीं हो, कृपया वह बीच में नहीं लायें। सदन का व्यर्थ में समय जाता है ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : चुपचाप सुन रहे थे, इनकी सब बातें चुपचाप सुन रहे थे लेकिन इस तरह की बात क्यों करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । बैठ जायं। आर्डर, आर्डर । बैठ जायं । बैठ जायं ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप बिराजिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप भी विराजिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा था···

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले भी जिस विभाग में थे उसमें भी कुछ नहीं किया। बरामदे खाली करा रहे थे, 55 हजार मकान दिला रहे थे, जल महल में नाव चलवा रहे थे···

(व्यवधान)

आप तो डूबे जो डूबे इस × × × तरह पर भी कर रहे हो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × × बुद्धि भी गई······

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर, बैठ जायं ।

(व्यवधान)

कोई अच्छा विषय हो, अध्ययन का हो, तो मुझे बडा दुःख होता है कि उसमें पूरे सुझाव नहीं आये । कोई लड़ाई की उत्तेजना की बात हो तो माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं, इससे क्या लाभ है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस तरह की बात करके उकसाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । बैठ जायं ।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि···

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको बोलना सिखाइये ।

श्री अध्यक्ष : जिस चीज का, जिस विषय का संबंध आपकी मांग से नहीं हो, कृपया, उत्तेजना नहीं फैलायें । इससे हमारी कठिनाई बढ़ जाती है । आर्डर, आर्डर । जिम्मेदारी से काम लें ।

श्री बंशीलाल पटवा : शिष्टता से बोलें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष

× × × अभिव्यक्ति/शब्द/माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

महोदय, मैं ······

(व्यवधान)

अब आप बिराजिये।

मैंने उस योजना के बारे में इसलिए उल्लेख किया है कि वह डेयरी डवलपमेंट की हमारे जयपुर जिले की योजना है···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह बजट में गये साल आ गयी, उस योजना पर भाषण छोड़े ······

(व्यवधान)

बोलिये आप। फर्जी भाषण है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जायं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिन बातों के बारे में उल्लेख कर रहा था, जो मैंने चिकित्सा संबंधी इन सारी बातों के बारे में आपसे अनुरोध किया ····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसे मन्त्री का भाषण नहीं सुनेंगे। सारा गलत है, गैर कानूनी है ××× बात करने की।

श्री अध्यक्ष : आपको तो वाक आउट करना ही है, क्या करें उसका।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : भूख लग रही है तो वैसे ही चले जाओ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भूख का सवाल नहीं है।

×××शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : हां, पधारो ग।

श्री यदुनाथसिंह : एक नया पैसा नहीं है। जो प्लान में नहीं है ·······

एक माननीय सदस्य : फोबिया हो रहा है जैसे।

श्री यदुनाथ सिंह : उसको बोलने से क्या फायदा है, बजट पर बोल रहे हैं, मांग पर बोल रहे हैं, कार्य पर बोल रहे हैं आप?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठे-बैठे बात नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जन-जीवन को निरानन्द करने वाले मन्त्री ···

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यगण।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर पशु डिस्पेन्सरी वगैरह खोलने के बारे में बातें कही गई, मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए, 100 नयी डिस्पेंसरी खोले जाने का इस साल में प्रावधान किया गया है। जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर जिस प्रकार की जो स्थितियां बताई हैं, मैं निश्चित रूप से इस बात का प्रयास करूंगा जहां ·····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो कम से कम यहां उपस्थित हैं उनका तो ध्यान रखें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनका तो जरूर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

ध्यान रखना ही पड़ेगा । वह तो बहुत जरूरी है । लेकिन मैं इसके साथ-साथ यह भी अनुरोध कर दूं, इन 100 डिस्पेंसरियों के साथ-साथ हमारे डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम में जो डिस्पेंसरियां, जो शल्य चिकित्सालय वगैरह जहां भी जो उपलब्ध होंगे, उनके बारे में निश्चित रूप से व्यवस्था करने के इसलिये प्रयास किये जायेंगे क्योंकि यह मान कर चलता हूं यह सुविधाएं देने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । राज्य सरकार बड़ी गंभीरता के साथ में इसे जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये सक्रिय है । पोल्ट्री के बारे में सुझाव आया था । मैं स्वयं इस बात को स्वीकारता हूं, स्टेट के अन्दर, जयपुर के अन्दर 150 के करीब प्लाट्स हैं। यह बात सही है जिस दिन मेरे पास विभाग आया था, लगभग 20 पोल्ट्री फार्म बड़ी मुश्किल से चालू हुए थे। अब हमने इसकी व्यवस्था की है । जिन्होंने काम नहीं चालू किया उनको हमने नोटिस दिये हैं, आवंटन कैंसिल करने के । मैं मार्च महीने में सब जगह चारों तरफ गया हूं, उसके आधार पर मैं यह समझ पाया हूं कि अगर हम मुर्गियों के फीड की और मार्केट की व्यवस्था नहीं करेंगे, हमारा यह प्रोग्राम फेल हो जायेगा। इन सारी बातों के बारे में तमिलनाडु और आन्ध्र में जिस प्रकार व्यवस्थाएं की हैं, मेरे अधिकारियों ने उनकी भी वहां से जानकारी प्राप्त की है । यहां पर पोल्ट्री का एक फैडरेशन बनाने का मैंने अभी आदरणीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया था। उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है । एक पोल्ट्री फैडरेशन बनाकर मुर्गियों के फीड की और मार्केटिंग की व्यवस्था भी उसी के साथ करवाने की मैं बात कर रहा हूं ताकि ये व्यवस्थाएं बैठ जायं। चौमू से आने वाले सम्माननीय सदस्य, श्री तेजपालजी ने यह कहा था कि मंत्रीजी ने दो महीने पहले यह कह दिया कि दूध की रेट्स बढा दीं किन्तु अभी तक, दूध की रेट्स नहीं बढ़ायी है । मैं बहुत विनम्रता पूर्वक एक ही बात अनुरोध करता हूं, जितनी बात कहता हूं उतनी बात को पूरा करवाने की कोशिश करता हूं, वह बातें निश्चित रूप से पूरी होती हैं । मैं पहला व्यक्ति था जो तेजपाल जी के साथ गांव की प्रत्येक जगह, जहां वह मुझे लेकर गये वहां मैं गया हूं । वहां मैंने किसान की प्राब्लम को समझा है । इन्होंने फीड के बारे में मेरे को बताया । मैंने इस बात की व्यवस्था की है कि फीड की क्वालिटी सुधारी जाय । इनकी बात में सत्यता थी, फीड जो दिया जा रहा था उस फीड में गड़बड़ थी, मैं यह स्वीकारता हूं, लेकिन उसके बाद में हमने आदेश जारी कर दिये हैं और निश्चित रूप से उन आदेशों का पालन होगा । फीड जो डेयरी की तरफ से पशुपालक को दिया जा रहा हैं, वह अच्छी क्वालिटी का दिया जा रहा है । जहां तक इन्होंने रेटस् के बारे में कहा है, मैं इनसे यह कह रहा हूं कि जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा 16-2-83 से 6.5 पर्सेन्ट फैट व 8.8 पर्सेंट एस. एन. एफ. वाले दूध का मूल्य दो रुपये 55 पैसे प्रति लीटर दिया जा रहा है । पूर्व में यह दर दो रुपये 42 पैसे थी । जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों को बढ़ी हुई दर से दिनांक 6-3-83 तक का भुगतान कुछ मार्गों पर दिया गया हैं । कुछ मार्गों पर जहां पर भी नहीं किया गया है, वहां पर उनका भुगतान होगा । यदि इसमें कोई गड़बड़ रह जाय, कहीं कोई बात हो तो माननीय सदस्य पधारें, निश्चित रूप से मेरी यह जिम्मेदारी हैं कि जो बात कही गई है उस सारी बात

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
को पूरा करवाया जाय ।

श्री **रामसिंह विश्नोई** : जयपुर चौमू का है या राजस्थान के लिये है ।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं । मैं जयपुर, चौमू की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री **रामसिंह विश्नोई** : यह बात सही नहीं है । जानकारी करके बोलें ।

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर ऑर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रावतसर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने भी एक बात कही थी । उन्होंने ही नहीं और भी कई सम्माननीय सदस्यों ने उन सारी बातों के बारे में उल्लेख किया था । मैं भी यह मानकर चलता हूं कि दुनियां में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां से पशुओं का इतनी बड़ी संख्या में निष्क्रमण होता हो । इस सारे के लिये कई प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां भी पैदा होती हैं, कई प्रकार के संकट भी आते हैं, कई जगह गोलियां भी चलती हैं, कई जगह, कई इस प्रकार के कुकर्म भी होते हैं, जिनके बारे में मैं यहां पर निवेदन नहीं कर सकता । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह बात सही है इन बातों की व्यवस्था करने के लिये राजस्थान कैनाल एरिया में लैफ्ट बैंक के ऊपर करीब 50 हजार हैक्टेयर के अन्दर पाश्चर्ड लैण्ड डवलपमेंट का कार्यक्रम हमारे मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे विभाग की तरफ से बनाया जा रहा है । भारत सरकार को वह कार्यक्रम भेजा है । मैं इतनी सी जानकारी और दे दूं, मुझे वहां पर इस बात के आश्वासन दिये गये हैं कि सोलर एनर्जी पम्प, जितने भी उसमें पम्प लगेंगे वह पम्प भारत सरकार की तरफ से, हमको निःशुल्क दिये जायेंगे । इसके अलावा हमारी और भी सारी बातों के बारे में उनसे बात चल रही है । मैं मान कर चलता हूं, जब तक पशुओं के निष्क्रमण को रोकने की व्यवस्था नहीं की जायेगी, जब तक यहां पर घास को डवलप करने की व्यवस्था नहीं की जायेगी, हमारे यहां रेगिस्तान रुक नहीं पायेगा । हमारे रेगिस्तान के उन जिलों के पशुपालकों के लिये मैं यह मान कर चलता हूं, राजस्थान के अन्दर 11 जो डेजर्ट के जिले हैं, इनमें पशुपालन हमारे आर्थिक आधार की रीढ़ की हड्डी है, उस आर्थिक आधार को मजबूत बनाये रखने के लिये हमारे लिये बहुत आवश्यक है कि हम उनके लिये कम से कम चारे और पानी की व्यवस्था करें । राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्था उस सारे काम के बारे में की जा रही है ।

श्री **अध्यक्ष** : एक आपको और भी लाभ है कि अकाल के कारण काफी पुराने, दुबले रद्दी पशु हैं, वह मर गये इसलिये अब अच्छी ब्रीड कर सकते हैं, यह फायदा है ।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : अध्यक्ष महोदय, आपने जो फर्माया वह बात तो निश्चित रूप से सही है । चार–पांच साल से लगातार अकाल पड़ रहा है । एक सम्माननीय सदस्य, वह भी बाहर पधार गये, ने कहा था कि आप विदेशी नस्ल के सांडों से ही क्रास ब्रीडिंग का, इनके फोजन सीमन का कार्यक्रम ले रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है । मैं

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
आपसे निवेदन करूंगा सरकार का....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसलिये उनको मैंने इजाजत ही नहीं दी थी। मैंने कहा, उनका दायरा सीमित है शहर-शहर तक, उनको इसमें नहीं बोलना चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके आने से पहले उन्होंने यह बात कही थी। तो मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी इसके बारे में बड़े एक्सपर्ट्स लोगों में आपस में डिस्कशन हो रहे हैं। वे अभी किसी फाइनल निर्णय पर नहीं पहुंच पाये हैं। लेकिन मैं स्वयं अपनी आंखों से आर. ई. में देख कर आया हूं, राठी गाय, जो हमारे यहां की एक तरह से जर्सी गाय है, से काफी अच्छा दूध मिलता है। उससे उन्होंने क्रास ब्रीडिंग किया है। मैंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि सूरतगढ़ के फार्म में करीब 1100 थापारकर नस्ल की गायें हैं और बड़ी अच्छी गायें हैं, गाये लोकल किसानों में वितरित कीजिये ताकि गायों की नस्ल ठीक हो सके। मैंने साण्डों के बारे में भी बात की है मुझे खुशी है कि राज्य सरकार 500/ रुपये पंचायत समिति को साण्ड के लिये देती है, उनके माध्यम से हम नस्ल सुधार का कार्यक्रम चालू करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ 11 जिलों के लिये चार दिन पहले 93 लाख का प्रोजेक्ट भारत सरकार ने और स्वीकृत करके दिया है जिससे फ्रोजन सीमन कार्यक्रम उन 11 जिलों में चलाने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कैम्प्स की भी आलोचना की गई है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आलोचना तो हर बात की हो सकती है। मैंने स्वय जाकर देखा है, बहुत बड़ा काम, अच्छे ढंग का काम वे कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 50 और प्रजनन केन्द्र देना इसलिये तय किया है, हमारा यह मानना है कि राजस्थान की गाय औसत 200 लीटर दूध प्रति वर्ष देती है जबकि अमेरिका की गाय का आठ हजार लीटर और आस्ट्रेलिया की गाय का पांच हजार लीटर प्रति वर्ष बताया गया हैं। हम गाय को मां कहते हैं, प्रणाम भी करते हैं किन्तु मैं एक बात निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि इस 200 को 2000 भी कर देंगे तो भी एक दफा नहीं दिन में दस दफा हम गाय माता को प्रणाम करेंगे। इससे हमारी आर्थिक हालत भी सुधरेगी। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जितने कार्यक्रम हैं, काफी समय हो गया, सम्माननीय सदस्यों का मूड भी दूसरी तरह का है, मैं यही निवेदन करूंगा कि····

श्री अध्यक्ष : उनको आप पर पूरा विश्वास है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बाड़मेर से आने वाले माननीय हेमारामजी की बात के बारे में निवेदन करना चाहूंगा अभी आई. सी. आर. की तरफ से डा. आचार्य आये थे। मैंने उनसे अनुरोध किया था, शायद हंसी मजाक में बात टल न जाय, बाड़मेर के गधे जम्मू-कश्मीर और बांगला देश तक गये हैं। बहुत दूर-दूर तक उनकी मांग है। हमने उनके बारे में प्रयास किया हैं। घोड़ों और गधों की नस्ल सुधार के लिए भी हमारा कार्यक्रम है। राजस्थान में सवा करोड़ के करीब बकरियां हैं। हम रामगढ़ में उनके लिये स्वीटजरलैण्ड के सहयोग से कार्यक्रम चला रहे हैं। इन कार्य-

Page No 221

(श्रीराम गोटेवाल)
क्रमों में जन प्रतिनिधी को साथ जोड़ने के लिये मैंने इस बात का भी निर्णय लिया है, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो केटल फार्म है उनमें जन-प्रतिनिधियों की कमेटी बनाने का तय किया है; उस कमेटी में जिला प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान, एम. एल. ए., एम. पी. और राज्य सरकार द्वारा नोमिनेटेड तीन प्रतिनिधि होंगे। इनकी कमेटी बनेगी ताकि पशुओं के विकास के संबंध में कमेटी के माध्यम से निरन्तर जानकारी रख सकें।

श्री अध्यक्ष: घोड़ों के फार्म नहीं है, घोड़ों की नस्ल राजस्थान में समाप्त हो रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसके लिये अनुरोध किया है, साहब। मैंने गधों के लिये तो पहले ही निवेदन कर दिया। आदरणीय हेमाराम जी ने वह प्रश्न उठा लिया था।

श्री हरि सिंह: कटाक्ष कर रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला: मैं कटाक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। जो काम हमारे जिम्मे सौंपा गया है उसको पूजा की दृष्टि से देख कर · · ·

श्री अध्यक्ष: राजस्थान में सबसे बढ़िया घोड़े भी हेमारामजी की कांस्टयूएंसी में हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला: मैं यही निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस सारे कार्यक्रम के प्रति बड़ी सजग है और इनको क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यही कहता हुआ निवेदन करूंगा जो 14,61,13,000/- की मांग प्रस्तुत की है उसको स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह: अभी मंत्री महोदय ने बताया कि हैल्थ सर्विसेज के बारे में और ब्रीड सुधार के लिये एक जिले को केन्द्र सरकार अडाप्ट करेगी उसके लिए जयपुर जिले को चुना गया है · · ·

श्री अध्यक्ष: वह स्वभाविक था चुनना।

श्री यदुनाथ सिंह: जहां सबसे अधिक केवल पापुलेशन है वहां यह प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो? इसका आधार क्या है? दूसरा, जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने कृष्ण, बंसी और गायों का वर्णन किया है, तो कृपया, यह भी बतावें कि अगली बार विधान सभा में आये तब क्या बंशी बजाते हुए आयेंगे?

श्री अध्यक्ष: अगला चान्स कृष्ण ही लेंगे।

श्री शिवदान सिंह राठौड़: मैंने ध्यानाकर्षित किया था, नोन प्लान में जो डिस्पेंसरीज हैं उनमें दो साल से एक पैसे की दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। उसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : दवाइयों की व्यवस्था की जायेगी।

श्री पीरूराम : राजस्थान के टीबी क्षेत्र के पशु पालने वाले काश्तकार पशुओं का इलाज कराने के लिये हरियाणा जाते हैं, क्या यह अच्छी बात है? इस बारे में मंत्री महोदय ने बताया। मैंने तीन जगह जनरल हास्पिटल की मांग की है तलवाड़ा · · ·

श्री अध्यक्ष: उनके बारे में पहले ही कह

(श्री अध्यक्ष)
दिया। मैंने खास तौर से निवेदन किया था कि आज इतनी रात गये तक जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनका खास ध्यान रखें।

मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि.-.....

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मेरा मत्स्य पालन के लिये निवेदन था ......

श्री अध्यक्ष: अब समय नहीं है माननीय सदस्य। कृपया, नियमों का ध्यान रखें।

मतदान हो रहा हो उस वक्त कोई प्रश्न बीच में नहीं आता है। कृपया।

मांग संख्या 37 व 39 का पारण

मांग संख्या 37

प्रश्न यह है कि मांग सं. 37 कृषि के संबंधमें 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 38,75,71,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि मांग सं. 39-पशु पालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14, 61, 13, 000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 1983 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.26 बजे, सोमवार दिनांक 14 मार्च, 1983 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 431 का विवरण

वर्ष 1981-82 की आवक व मण्डी फीस की सूचना

क्रमांक	जिला	मंडी समिति का नाम	आवक (क्वि.में)	मंडी शुल्क (ह.रु.)
1	2	3	4	5
1.	अलवर	(1) अलवर	45262	99
		(2) खैरथल	34622	52
		(3) खेडली	56883	85
		(4) राजगढ़	278	.4
		(5) गोविन्दगढ़		
2.	भरतपुर	(6) भरतपुर	41072	59
		(7) कामां	21884	30
		(8) डीग	41583	78
		(9) नदबई	18284	26
		(10) बयाना	4275	6
		(11) नगर	31045	48
		(12) मुसावर	405	1
3.	धौलपुर	(13) धौलपुर	869	1
		(14) वाडी	5122	10
4.	सीकर	(15) सीकर	7436	12
		(16) नीमकाथाना	1075	2
		(17) श्रीमाधोपुर	1783	3
		(18) फतहपुर	22442	37
5.	झुन्झुनू	(19) झुन्झुनू	15200	24
		(20) सूरजगढ़	1771	3
		(21) चिड़ावा	2901	4
		(22) नवलगढ़	233	.3
6.	जयपुर	(23) जयपुर (अनाज)	70286	107
		(24) जयपुर (फल-सब्जी)	एन. ए.	एन. ए.
		(25) दौसा	3461	5
		(26) कोटपूतली	3994	7
		(27) बांदीकुई	4824	7
		(28) चाकसू	1381	2
		(29) नरेना	1172	2

(224)

1	2 3		4	5
	(30)	चौमूं	31643	48
	(31)	लालसोट	1879	3
	(32)	रेनवाल		
7. अजमेर	(33)	अजमेर	37771	58
	(34)	मदनगंज	6431	9
	(35)	विजयनगर	14986	24
	(36)	ब्यावर	46346	70
	(37)	केकड़ी	13801	19
8. सवाई माधोपुर	(38)	सवाई माधोपुर	13168	18
	(39)	गंगापुरसिटी	57171	99
	(40)	हिण्डौन	17755	26
	(41)	महुआ मण्डावर	8456	8
9 कोटा	(42)	कोटा	144685	419
	(43)	बांरा	89500	123
	(44)	सुमेरगंज	6330	7
	(45(	रामगंज मंडी	20305	28
	(46)	अंता	41333	47
	(47)	इटावा	8395	10
	(48)	छबड़ा	18179	25
	(49)	सांगोद	159647	23
10. झालावाड़	(50)	भवानी मंडी	14933	25
	(51)	चौमोला	13751	19
	(52)	खानपरा	16024	20
	(53)	झालरापाटन	16643	21
	(54)	इकलेरा		
11. बूंन्दी	(55)	बून्दी	73441	172
	(56)	केशोरायपाटन	23451	28
12 टोंक	(57)	टोंक	12410	17
	(58)	मालपुरा	4761	7
	(59)	निवाई	4917	7
	(60)	देवली	16585	22
	(61)	उनियारा	9120	11
	(62)	टोडारायसिंह	6777	18
13. उदयपुर	(63)	उदयपुर	22613	27
	(64)	नाथद्वारा	2500	4
	(65)	भिण्डर	2064	3
	(66)	फतेहनगर	16060	22

Page No 225

1	2	3	4	5
		(67) आमेट	374	5
		(68) देवगढ़	14212	15
14.	चितौड़गढ़	(69) चितौड़गढ़	22322	34
		(70) रावतभाटा	760	1
		(71) कपासन	13578	19
		(72) निम्बाहेड़ा	39318	55
		(73) बेंगू	6136	9
		(74) प्रतापगढ़	13370	18
		(75) बड़ी सादड़ी	6345	9
15.	भीलवाड़ा	(76) भीलवाड़ा	22819	34
		(77) गुलाबपुरा	2422	4
		(78) माण्डलगढ़	18360	26
		(79) आसींद	6774	10
		(80) शाहपुरा	4199	62
		(81) जहाजपुर	1467	2
		(82) बनेड़ा	4141	6
16.	बांसवाड़ा	(83) बांसवाड़ा	26946	67
17.	डूंगरपुर	(84) डूंगरपुर	7079	1
18.	जोधपुर	(85) जोधपुर	81865	140
		(86) बिलाड़ा	एन. ए.	0
		(87) पीपाड़सिटी	29911	44
19.	पाली	(88) पाली	20432	26
		(89) सोजतरोड़	10940	18
		(90) जैतारण	2128	3
		(91) रानी	6022	94
		(92) सुमेरपुर	63262	92
20.	सिरोही	(93) शिवगंज	2134	3
		(94) आबूरोड	2494	4
21.	नागौर	(95) नागौर	24352	39
		(96) मेड़तासिटी	701	1
		(97) कुचामनसिटी	21218	33
		(98) डीडवाना	21723	36
		(99) डेगाना	19573	31
22.	जालौर	(100) जालौर	10760	22
		(101) भीनमाल	9970	18
		(102) सांचोर	1182	2
23.	बाड़मेर	(103) बाड़मेर	20206	97
		(104) बालोतरा	36097	56

1	2	3	4	5
24.	जैसलमेर	(105) जैसलमेर	—	—
25.	बीकानेर	(106) बीकानेर	94345	160
		(107) नोखा	3125	8
		(108) लूणकरनसर	20169	35
26.	चूरू	(109) चूरू	176	3
		(110) सादुलपुर	2462	5
		(111) तारानगर	483	1
		(112) श्रीडूंगरगढ़	6100	9
		(113) सरदारशहर	13	
		(114) सुजानगढ़	36966	67
		(115) रतनगढ़	एन. ए.	एन. ए.
27.	श्रीगंगानगर	(116) श्रीगंगानगर	एन. ए.	एन. ए.
		(117) रायसिंहनगर	5500	
		(118) श्री विजयनगर	99914	75
		(119) सांगरिया	60570	84
		(120) हनुमानगढ़	136137	170
		(121) श्रीकरणपुर	22	
		(122) पदमपुर	342	1
		(123) गर्जासिंहपुर	एन. ए.	
		(124) केसरीसिंहपुर	53	
		(125) सादुंलशहर	एन. ए.	
		(126) पीलीबंगा	86778	119
		(127) नोहर	1867	3
		(128) भादरा	696	1
		(129) सूरतगढ़	21440	28
		(130) रावतसर	7139	11
		(131) अनूपगढ़	13793	19
		(132) घड़साना वर्ष 1981-82 में स्थापना नहीं हुई।		
		योग	2667815	3993

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 433 की सूची

वर्ष 1979 से फरवरी, 1983 तक इस योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि (लाखों रुपयों में)
1.	1979–80	बाढ़-बचाव कार्य इन्दरकोट	3.34
2.	1980–81	बाढ़-बचाव कार्य इन्दरकोट	0.83
		आनासागर एस्केप चैनल में एकत्रित मलवे की सफाई (नगर पालिका के माध्यम से)	1.43
		वर्ष 1980–81 का योग ..	2.26
3.	1981–82	1. अजमेर नगर बाढ़ कार्य का सर्वे	0.56
		2. बाढ़ से बचाव कार्य तारागढ स्कीम	0.42
		3. कल्याणीपुरा बाइपास चैनल का निर्माण	7.83
		4. कुन्दन नगर चैकडेम	8.11
		5. स्पेशल टी. एण्ड पी.	1.74
		वर्ष 1981–82 का योग ..	10.66
4.	1982–83 (माह फरवरी, 82 तक)		
		1. बाढ़-बचाव कार्य, लोहागल चैक डेम	0.74
		2. कल्याणीपुरा बाइपास चैनल	11.53
		3. कल्याणीपुरा चैक डेम	0.05
		4. कुन्दननगर चैक डेम	0.76
		5. बी. सी. एवं डी. नालों का परावर्तन	0.23
		6. इन्दरकोट नाला का परावर्तन	0.12
		7. अजमेर शहर के बाढ़ बचाव कार्यों के सर्वे कार्य	0.36
		8. कल्याणीपुरा चैनल पर पुल का निर्माण (सा. नि. वि. के माध्यम से)	1.50
		वर्ष 1982–83 का योग ..	15.29
		वर्ष 1979–80 से 1982–83 का योग ..	31.55 लाख रुपए

(220)

परिशिष्ठ-- 3

तारांकित प्रश्न संख्या 434 की सूची

राजस्थान वित्त निगम, जयपुर

अनु. जन-जाति के प्रार्थियों को बसों हेतु ऋण स्वीकृति (1982-83)

प्रार्थियों की सूचि

क्र. सं.	भागीदारों के नाम	गांव व जिला
1	2	3
1.	श्री किशनलाल मीणा श्री मंगल राम मीणा	जयपुर
2.	श्री ओम प्रकाश धाणक्या श्री लक्ष्मी नारायण धानक्या	अखेपुरा (अलवर)
3.	श्री गुलाब चन्द मीणा श्री जय प्रकाश	अमरसर (जयपुर)
4.	श्री फतेहसिंह मीणा श्री बुध राम मीणा	किशनगढ़ (अलवर)
5.	श्री बनोई सिंह मीणा श्री मोहन सिंह मीणा	सिंगरोई (भरतपुर)
6.	श्री कैलाश चन्द्र श्री राम करण	ढाणी दौसा, (जयपुर)
7.	श्री राम किशन मीणा श्री केशरलाल मीणा	बून्दी
8.	श्री शंकर लाल श्री श्रीराम	रूपपुरा (अलवर)
9.	श्री ओम प्रकाश मीणा श्री बदन सिंह मीणा	अलवर
10.	श्री हरि राम मीणा श्री राजेन्द्र कुमार	कोटपुतली (जयपुर)

1	2	3
11.	श्री कालू राम मीणा श्री राम नारायण	खोर मीणा (जयपुर)
12.	श्री धन्ना लाल श्री रामचन्द्र मीणा	जयपुर
13.	श्री रामस्वरूप श्री बोदी लाल	जयपुर
14.	श्री मावाजी मील श्री शंकर मील	दुर्गापुरा (बांसवाड़ा)
15.	श्री रामकिशोर श्री जगदीश	सिकराय (जयपुर)
16.	श्री लल्लू राम श्री मानचन्द	जयपुर
17.	श्री शिबू राम श्री कन्हैया लाल	निठार (भरतपुर)
18.	श्री रामनाथ श्री कानाराम	जयपुर
19.	श्री रेवती प्रसाद मीणा श्री रामस्वरूप	निठार (भरतपुर)
20.	श्री छाजुराम मीणा श्री नानग राम मीणा	महुवा (सवाई माधोपुर)
21.	श्री कुनणमल मीणा श्री मालूराम मीणा	बांड़ियावास (सीकर)
22.	श्री मोहनलाल मीणा श्रीरामसिंह मीणा	नांदड़ी (जयपुर)
23.	श्री भगवानसहाय श्री लक्ष्मीनारायण	बटेश्री (जयपुर)
24.	श्री वीरदी राम मीणा श्री राजाराम मीणा	बजाड़ (बून्दी)

230

1	2	3
25.	श्री भानूसिंह मीणा । श्री तेजसिंह मीणा	जगोसिया (भरतपुर)
26.	श्री ईश्वरलाल मीणा श्री मन्नालाल मीणा	जगतपुरा (भरतपुर)
27.	श्री रामजीमल श्री मुकट बिहारी मीणा	नीम का थाना (सीकर)
28.	श्री गुलाब चन्द मीणा श्री रघुनाथ मीणा	गोकुलपुरा (कोटा)
29.	श्री कन्हैयालाल मीणा श्री प्रभात	लुणियावास, सांगानेर (जयपुर)
30.	श्री कानाराम श्री भौरीलाल	जगतपुरा (जयपुर)
31.	श्री रामभरोसे श्री राजाराम	बैर (जयपुर)
32.	श्री हंसराज मीणा श्री महादेव मीणा	पालड़ी (जयपुर)

परिशिष्ट-4

तारांकित प्रश्न संख्या 437 की सूची

संलग्नक "अ"

कोटा नगर में जल प्रदूषण करने वाले कुल 28 उद्योग विद्यमान हैं, जिसमें 50 किलो लीटर से अधिक औद्योगिक उच्छिष्ठ प्रवाहित करने वाले उद्योगों की संख्या 11 हैं। जिन प्रमुख उद्योगों से जल प्रदूषण कोटा शहर में हो रहा है तथा जिन्होंने मण्डल की सम्मति के लिये आवेदन किया है उनकी सूची निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	उद्योग का नाम
1.	मैसर्स श्री राम फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स, कोटा
2.	मैसर्स श्रीराम रैयन्स, कोटा
3.	मैसर्स प्रीमियर पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स, कोटा
4.	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि., कोटा
5.	मैसर्स जे. के. एक्रायलिक्स लि., कोटा
6.	मैसर्स जे. के. स्टेप्लस एण्ड टांस., कोटा
7.	मैसर्स मल्टीमैटल्स लि., कोटा
8.	मैसर्स इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., कोटा
9.	मैसर्स फोरेन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट एसोशियेशन, कोटा
10.	मैसर्स क्लोरोकेम इण्डस्ट्रीज, कोटा
11.	मैसर्स खाटू वाला इण्डस्ट्रीज, कोटा
12.	मैसर्स हीरा एग्रो इण्डस्ट्रीज, कोटा
13.	मैसर्स गीलार्ड इलेक्ट्रोनिक्स, कोटा
14.	मैसर्स कमलेश इण्डस्ट्रीज, कोटा
15.	मैसर्स रमेश पोया इण्डस्ट्रीज, कोटा
16.	मैसर्स इण्डस्ट्रीयल ओक्सीजन प्रा. लि., कोटा
17.	मैसर्स जगदम्बा इण्डस्ट्रीज, कोटा

(232)

संलग्नक "ब"

प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर कोटा नगर में वायु प्रदूषण करने वाले 9 उद्योग हैं। वायु प्रदूषण से संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति देने की प्रक्रिया वायु नियमों पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर शुरू की जायेगी। फिर भी मण्डल ने निम्नलिखित कोटा स्थित उद्योगों को आधारभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए पत्र लिखे:—

क्र. सं.	उद्योग का नाम
1.	श्रीराम फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, कोटा।
2.	श्री राम रेयन्स, कोटा
3.	जे. के. सिन्थेटिक्स लि., कोटा
4.	जे. के. एक्रायलिक्स लि., कोटा
5.	प्रिमीयर पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स, कोटा
6.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (तापीय परियोजना), कोटा
7.	मल्टी मेटल्स लि., कोटा
8.	जे. के. स्टेपल्स एण्ड ट्रांस., कोटा
9.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., कोटा

———

संलग्नक "स"

राजस्थान के कोटा नगर में स्थित प्रमुख जल प्रदूषित उद्योगों की सूची एवं मंडल द्वारा की गई कार्यवाही:—

क्र. सं.	उद्योग का नाम	प्रदूषण का प्रकार	मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही	उच्छिष्ठ उपचार व्यवस्था	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीराम फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, कोटा।	जल व वायु	सम्मति अवधि में वृद्धि 31-12-83 तक प्रदान की गई।	उपचार व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।	सम्मति की अवधि को 31-12-83 तक सशर्त बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
2.	श्री राम रेयन्स, कोटा	,,	,,	,,	,,
3.	जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा	,,	,,	,,	,,
4.	जे. के. एग्रीयलिक्स, कोटा	,,	,,	,,	,,
5.	जे. के. स्टेपल एण्ड टोज, कोटा	,,	,,	,,	,,
6.	मल्टी मेटल्स लि., कोटा	,,	,,	,,	,,
7.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., कोटा	,,	,,	,,	,,
8.	फोरेन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट एसोशियेशन लि., कोटा	,,	,,	,,	,,
9.	क्लोरोकेम इण्डस्ट्रीज, कोटा	,,	मण्डल द्वारा सम्मति हेतु आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।	किसी प्रकार की उपचार व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।	
10.	खाटूवाला इण्डस्ट्रीज, कोटा	,,	,,	,,	,,

संलग्नक "स" (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6
11.	हीरा एग्रो इन्डस्ट्रीज, कोटा	जल व वायु	मण्डल द्वारा सम्मति हेतु आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।	किसी प्रकार की उपचार व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।	
12.	गिलार्ड इलेक्ट्रोनिक्स, कोटा	,,	,,		
13.	कमलेश इन्डस्ट्रीज, कोटा	जल	,,		
14.	रमेश पोया इन्डस्ट्रीज, कोटा	,,	,,		
15.	इण्डस्ट्रीयल आक्सीजन प्रा. लि., कोटा	,,	,,		
16.	जगदम्बा इण्डस्ट्रीज, कोटा	,,	,,		
17.	प्रीमियर पेपर एन्ड बोर्ड मिल्स, कोटा	जल व वायु	उद्योग के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।		मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

संलग्नक "द"

जिन उद्योगों द्वारा मण्डल से सम्मति प्राप्त किये बिना दूषित जल वाहित किय जा रहा है। उन्हें राज्य मण्डल द्वारा लीगल नोटिस 3-3-83 को जारी किये जा चुके हैं। इन उद्योगों की सूची निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	उद्योग का नाम
1.	मैसर्स जीवन इन्डस्ट्रीज, कोटा
2.	मैसर्स अजय उद्योग, कोटा
3.	मैसर्स अशोका एन्टरप्राइजेज, कोटा
4.	मैसर्स ओम इन्डस्ट्रीज, कोटा
5.	मैसर्स नारायण राइस मिल्स, कोटा
6.	मैसर्स सुदर्शन टैक्सटाइल्स, कोटा
7.	मैसर्स मुरलीधर शंकरलाल, कोटा
8.	मैसर्स श्रीराम राइस मिल्स, कोटा
9.	मैसर्स शाह स्वारगम इन्डस्ट्रीज, कोटा
10.	मैसर्स अमर एन्टरप्राइजेज, कोटा
11.	मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (तापीय परियोजना), कोटा

संलग्नक "क"

क्षेत्रीय कार्यालय का पता	क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	कार्यारम्भ का माह व वर्ष
राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, 33 उषा निवास, शास्त्री नगर, दादाबाड़ी, कोटा	1.	श्री मदन मोहन गोयल	सहायक अभियन्ता	अगस्त, 1978 से सितम्बर, 80
	2.	श्री जितेन्द्र कुमार कपूर	सहायक अभियन्ता	सितम्बर, 1980 से कार्यरत
	3.	श्री भगवान स्वरूप शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता	अगस्त, 1978 से कार्यरत
	4.	श्री बाबूराम चौहान	निरीक्षक	जनवरी, 1982 से कार्यरत
	5.	श्री चन्द्र शेखर शर्मा	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	जनवरी, 1982 से कार्यरत
	6.	श्री कन्हैया लाल	सर्वे खलासी	अगस्त, 1978 से कार्यरत
	7.	श्री भागीरथ सिंह	च. श्रे. क.	जून, 1980 से कार्यरत

नोट:—मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981–82 संलग्न है ।

राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल
जे-2/36, महावीर मार्ग, "सी" स्कीम, जयपुर
(वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष, 1981–82)

परिचय :

निर्मल जल ही जीवन है। जल, थल, नभ, वायु एवं अग्नि के पंच तत्वों में से प्राकृतिक संरचना में जल की मात्रा तीन-चौथाई है। प्रकृति में जैविक क्रियाओं एवं विकास के लिये शुद्ध जल की आवश्यकता एवं अनिवार्यता अकथनीय है। परन्तु प्रकृति द्वारा प्रदत्त निर्मल जल को आज के वैज्ञानिक युग में बढते हुए विकास एवं औद्योगिकरण ने अत्यन्त दूषित करने में अहम् भूमिका निभाई है। यहां तक कि यह जल प्राणी मात्र के पीने के योग्य भी नहीं रहता है। आज के औद्योगिकरण एवं विकासशील युग में जल प्रदूषण की समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है। मानव द्वारा ही स्थापित किए गए उद्योगों से प्रभावित किए गए तेजाब, क्षार व विषैले घुलित एवं अघुलित पदार्थ एवं जहरीले धातुओं से जल की उपयोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हीं पदार्थों से युक्त औद्योगिक उच्छिष्ठ व नगरों से प्रवाहित मल, जल, कूड़ा करकट आदि भी सतही व भू-जल को प्रदूषित कर रहे हैं।

अतः जल प्रदूषण की समस्या से त्रस्त मानव एवं प्राकृतिक सम्पदा को अपने मूल स्वरूप को बनाये रखने के लिये जल के मूल स्वरूप "निर्मल जल" को बनाये रखना ही होगा अन्यथा प्राणीमात्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। इसलिये जल को निर्मल रखने हेतु देश में वर्ष 1974 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम लागू किया गया। उसके अनुसरण में राजस्थान राज्य में जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल का गठन किया गया। इस मण्डल के अधीन राज्य के जल स्त्रोतों की उपयोगिता बनाये रखने की दिशा में प्रभावशाली कार्यवाही हुई है।

जल अधिनियम, 1974, के अन्तर्गत राज्य मण्डल प्रदेश में जल प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण करने एवं इसकी स्वास्थ्य प्रदत्ता बनाये रखने के लिये तथा प्रदूषण के स्त्रोतों का व्यापक सर्वेक्षण कर उसके उचित निधान के लिये कार्यरत है। ऐसी संस्थाओं को जो अपने दूषित जल को नदियां, नालों, कुओं, तालाबों, झीलों में या भूमि पर या अन्यत्र डालते हैं एवं जिससे सतही या भू-गर्भीय जल के प्रदूषण की आशंका हो, को मण्डल शर्तों में बांध कर वाहित जल के निकास की सम्मति प्रदान करता है। औद्योगिक इकाई या संस्था के दूषित जल के निस्त्राव की व्यवस्था (सीवर लाइन में भूमि पर स्ट्रीम में सिंचाई आदि के आधार पर मण्डल द्वारा इन्हें प्रवाहित जल के मानक प्रदान किये जाते हैं। मण्डल द्वारा उद्योगों को दी गई सम्मति के तहत उन्हें अपने दूषित जल के प्रदूषक तत्वों को उचित उपचार रीति द्वारा उपचारित कर इन्हें मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों तक लगाना पड़ता है। घरेलू मल, जल आदि की भी उपचारित कर निपटाया जाना सम्बद्ध स्थानीय संस्था का दायित्व है। जल अधिनियम की अवहेलना करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिनियम में प्रावधान है।

जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण को प्रभारी तौर पर क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने जल (प्रदूषण एवं नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 लागू किया। राज्य के जल स्त्रोतों उद्योगों एवं नगरों में जल, मल की व्यवस्था की पूर्णतया निरीक्षण कर मण्डल ने राज्य में प्रदूषण की समस्या को गम्भीरता का पता लगाया है। इस वर्ष

490 उद्योगों का निरीक्षण कर 193 उच्छिष्ठ के नमूने लिए गये तथा प्रदूषण करने वाले 126 उद्योगों को सम्मति प्रदान की तथा उन्हें प्रदूषण रोकथाम सम्बंधि तकनीकी जानकारी देते हुए दूषित जल उपचार संयन्त्र लगाने के लिये प्रेरित किया। मण्डल के अधिकारियों द्वारा उद्योगों का निरीक्षण कर उनकी तकनीकी एवं प्रशासनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आधुनिकतम व्यवहारिक तकनीकी मार्ग दर्शन प्रदान किया गया। मण्डल के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप ही राज्य के कुछ लघु एवं बड़े उद्योगों ने वाहित जल के प्राथमिक उपचार सयन्त्र लगा दिए हैं अथवा प्रदूषण को रोकने की कार्यवाही की है। लगभग सभी उद्योग इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इसके अलावा पाली शहर में स्थित लगभग 190 सूती कपड़ा उद्योगों के लिये रीको द्वारा सामूहिक तौर पर वाहित जल उपचार संयन्त्र लगाया जा रहा है। इस उपचार संयन्त्र तक इकाई उद्योग के वाहित जल वहन के लिये उपयोग में लायी जाने वाली सीवर लाइन की सेवायें और सूती कपड़े का बारीक रेशों, कूड़े करकट आदि से सुरक्षा के लिए मण्डल ने उद्योगों को दूषित जल के प्राथमिक उपचार पर बल दिया है। मण्डल के परीक्षण पर जयपुर शहर में जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा लगाया गया मल, जल शोधन सयन्त्र सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। राज्य मण्डल समय-समय पर औद्योगिक इकाइयों को जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण संबंधी व्यवहारिक जानकारी संगोष्ठियों एवं प्रसार माध्यमों द्वारा प्रदान करता रहा है।

राज्य मण्डल के अथक प्रयत्नों के बावजूद भी कुछ उद्योगों ने जल अधिनियम की पूर्ण रूपेण अवहेलना की जिसके फलस्वरूप मण्डल को बाध्य होकर ऐसे 80 उद्योगों पर मुकदमें करने पड़े। मण्डल के विरूद्ध 11 दावे दायर किए गए जिसमें 9 उद्योगों की ओर से व 2 मण्डल के कर्मचारियों की ओर से है। जल प्रदूषण की समस्या के समाधान किए जाने हेतु राज्य मण्डल निरन्तर प्रयत्नरत है और आशा करता है कि जन सहयोग, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जा रही सुविधाओं के फलस्वरूप जन-स्वास्थ्य की रक्षा, जल को स्वच्छ एवं निर्मल बनायें रखने में राज्य मण्डल कोई कसर नहीं रखेगा। इन्हीं आशाओं के साथ राज्य मण्डल अपना वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 प्रस्तुत कर रहा है।

राज्य मण्डल :-

निर्मल जल के स्वरूप को बनाये रखने हेतु भारत सरकार द्वारा 1974 में लागू किए गए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम के तहत राजस्थान राज्य में सर्व प्रथम 1975 में राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल का गठन 3 वर्ष के कार्यकाल के लिये किया गया। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इस मण्डल का पुर्नगठन अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ-27(3)एम. पी. एच./जी. आर. 4/78; दिनांक 19-6-78 द्वारा किया गया। दिनांक 1-4-81 एवं 31-3-82 को पुर्नगठित मण्डल के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

उपरोक्त मण्डल का प्रशासनिक गठन चार्ट संख्या एक के अनुसार है।

वर्ष 1981-82 के दौरान मण्डल के विभिन्न पदों की संख्या एवं खाली रहे पदों का विवरण परिशिष्ट संख्या-2 पर दिया गया है।

राज्य मण्डल द्वारा समितियों का गठन :

जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम, 1974 को विभिन्न धाराओं के अधीन कार्य करने हेतु मण्डल द्वारा कई उप-समितियां निर्धारित की गई हैं जो कि चार्ट संख्या 2 से स्पष्ट है।

विभिन्न समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों के नाम व पद आदि का विवरण परिशिष्ट संख्या 3 पर संलग्न किए जा रहे हैं। मण्डल एवं इसकी अन्य उप-समितियों द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।

जल प्रबन्धक एवं तकनीकी उप-समिति :

इस समिति की वर्ष में 7 बैठकें आयोजित की गई जिसमें लिए गए निर्णयों का विवरण निम्न प्रकार है:—

1. उद्योगों को अधिनियम की धारा 25/26 के अन्तर्गत अपना उच्छिष्ठ निस्राव करने हेतु अस्थायी सम्मति प्रदान की गयी और उन्हें निर्धारित समय में प्रदूषित उच्छिष्ठों के उपचार संयन्त्र की व्यवस्था करने और उसे चालू करने के लिये आवश्यक समय प्रदान किया गया।

2. उद्योगों से प्राप्त आवेदनों पर विचार कर पूर्व निर्धारित समय में उच्छिष्ठ।

वर्ष में राज्य मण्डल की 5 बैठकें क्रमशः 27-4-81, 15-5-81, 13-7-81, 10-11-81 व 6-3-82 को हुई। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए :—

1. उद्योगों को अस्थायी समिति स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 1980-81 के प्रतिवेदन अंकेक्षण रहित लेखों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. संशोधित आय-व्यय का अनुमान वर्ष 81-82 एवं आय-व्ययक का अनुमान 82-83 की स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. वित्त एवं कार्मिक उपसमिति की इस वर्ष में हुई बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

अधिनियम की धारा 17(1) में विभिन्न कार्यकलापों का विवरण :—

1. राज्य में स्थित स्थानीय निकायों एवं उद्योगों के मण्डलीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगभग 490 निरीक्षण किए गए एवं इस दौरान अधिनियम के प्रावधानों के प्रबन्धकों को अवगत कराया गया तथा अधिनियम की धारा 25/26 के अन्तर्गत सम्मति प्रपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी आवश्यक सलाह दी गई।

2. मण्डलीय प्रयोगशाला को राज्य सरकार द्वारा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला घोषित किया जा चुका है।

एक परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमिटर जो 1980 में खरीदा गया था उसे चालू करवाया गया। इस उपकरण के चालू हो जाने के बाद राज्य मंडल की प्रयोगशाला में करीब-करीब सब धातुओं का विश्लेषण सम्भव हो सका।

3. मण्डलीय प्रयोगशाला में विश्लेषण के उद्देश्य से क्षेत्रफल कर्मचारियों द्वारा विभिन्न इकाइयों के उचिछष्टों के 193 नमूने एकत्र किये गए तथा 185 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

4. राज्य मंडल के सतत प्रयत्नों व सलाह के फलस्वरूप कुछ उद्योगों द्वारा उछिष्ठ के उपचार संयंत्र लगाये गये हैं।

5. पाली स्थित रंगाई-छपाई के उद्योगों द्वारा वाहित प्रदूषित जल से आस-पास के कुओं के पानी पर होने वाले कुप्रभावों की जानकारी के लिए गत वर्षों क भांति इस वर्ष भी विभिन्न स्रोतों से परिवीक्षण एव विश्लेषण का कार्य निन्तर किया जा रहा है इसी प्रकार खेतड़ी तांबा परियोजना के उच्छिष्ठ आस-पास के कुओं का पानी प्रदूषित होने की सम्भावना को मालूम करने लिए विभिन्न स्त्रोतों के परिवीक्षण का कार्य भी किया जाता रहा।

6. राज्य में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को इस शर्त के साथ उच्छिष्ठ वहित, करने के लिये सम्मति प्रदान की गई कि उद्योगों द्वारा उनकी स्थापना पूर्व दूषित जल की उपचार व्यवस्था सम्पूर्ण की जायेगी।

मण्डल का विचार है कि जल प्रदूषण को रोकने हेतु कारगर कार्यवाही करने के लिए दूषित जल का उपचार मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के करने का उत्तरदायित्व संबंधित उद्योगों का होना चाहिए —

1. उद्योग परिसर के अन्दर प्राथमिक उपचार व्यवस्था को स्थापित करने एवं उसे चलाने का उतरदायित्व प्रत्येक उद्योग का रखा जाय और प्राथमिक उपचार के पश्चात बहने वाले जल की गुणता का समय-समय पर राज्य मण्डल द्वारा जांच की जाय। प्राथमिक उपचार में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में प्राशासनिक विभाग द्वारा समय-समय पर उद्योगों को सलाह दी जानी चाहिए तथा वही प्रशासनिक विभाग संयुक्त उपचार व्यवस्था पर चलाने के लिए जिम्मेदार हो।

2. इसी क्रम में राज्य मण्डल समय-समय पर नये स्थापित होने वाले उद्योगों को अन्य सुविधाएें देते समय राज्य सरकार व अन्य ऐजेन्सियों से अपेक्षा करता है कि उद्योगों के बहित जल की गुणता के आधार पर उपचार-संयंत्र लगाया जाना भी आवश्यक अंग माना जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में माननीय प्रधान मंत्री महोदया ने राज्यों एवं उद्योगों को लाइसेंस आदि देने वाली एजेंसियों को निर्देश दिए कि उनकी स्थापना के साथ ही प्रदूषण की रोकथाम से होने वाले उपाय भी साथ ही साथ किए जाएं।

3. इन क्षेत्रों में उपचार व्यवस्था के लिए प्रत्येक उद्योग परिसर में उचित स्थान उपलब्ध कराने के अतिरिक्त संयुक्त उपचार करने के लिए आवश्यक स्थान निश्चित किया जाना चाहिए । राज्य मण्डल द्वारा विभिन्न उद्योगों को प्रथक से अथवा संयुक्त रूप से उपचार व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में समय-समय पर आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

4. उद्योगों के निजि रूप से या संयुक्त रूप से दूषित जल की उपचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवश्यक आर्थिक सहायता राज्य मण्डल की सिफारिश पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

<u>मण्डल प्रयोगशाला :</u>

1. राज्य मण्डल की प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरणों की उपलब्धि के कारण मानों एवं उद्योगों के उच्छिष्ठ की भौतिक एवं रसायनिक जांच सम्भव हो पाई है । अब तक प्रयोगशाला में 2816 जल एवं दूषित जल के नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है । प्रयोगशाला में निम्न आधुनिक उपकरण भलीभांति विश्लेषण हेतु उपयोग में लाये जा रहे हैं ।

(अ) एटोमिक एब्जोरप्सन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर ।

उपयोग :—कैडमियम, जिंक, तांबा, निकिल, लैड, लोहा आदि के विश्लेषण हेतु ।

(ब) पारा विश्लेषण ।

उपयोग :—धातु एवं कार्बनिक पदार्थ के विश्लेषण हेतु ।

(स) पोलरोग्राफ :

उपयोग :—धातु एवं कार्बनिक पदार्थ के विश्लेषण हेतु ।

2. राज्य सरकार द्वारा मण्डल प्रयोगशाला को अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला घोषित कराने के बाद, केन्द्र सरकार द्वारा भी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला घोषित कराने के लिए प्रयत्न जारी है ।

3. राज्य के भू-जल की समय-समय पर जांच की जा रही है तथा जल स्रोतों को प्रदूषित होने से रोकने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

4. इस वर्ष 193 नमूने एकत्रित किये गये तथा 185 नमूनों का परीक्षण किया गया ।

5. पिछले वर्ष में "बायो ऐसे" परीक्षण आरम्भ किया गया जो कि दूषित जल का विषैलापन मछलियों के प्रति दर्शाता है । इस वर्ष 15 नमूनों पर यह परीक्षण किया गया ।

6. दिन प्रति दिन उपकरणों की संख्या बढने, कार्य बढने तथा उपकरणों ठीक प्रकार से रख-रखाव के लिए प्रयोगशाला हेतु आवश्यक भूमि क्रय की जा चुकी है तथा आशा है कि अगले कुछ वर्षों में मण्डल प्रयोगशाला का अपना भवन हो जायेगा ।

7. मण्डल के कार्य को गति देने के लिए इस वर्ष जोधपुर एवं कोटा में क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना हेतु मौजूद भवनों में आवश्यक स्थान और लिया गया है। क्षेत्रीय प्रयोगशाला कोटा में परीक्षण आरम्भ हो गये हैं। तथा जोधपुर में शीघ्र हो रहे हैं। अतिरिक्त उपकरण रसायनक इत्यादि भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है।

8. भारत सरकार द्वारा वायु अधिनियम, 1981 भी लागू किया जा चुका है। प्रारम्भिक अवस्था में नमूने एकत्रित करने तथा विश्लेषण सम्बन्धी, आवश्यक उपकरणों इत्यादि को क्रय करने की प्रक्रिया की जा रही है।

मण्डल कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम :

मण्डल के विभिन्न अधिकारियों को जल प्रदूषण के विषय में प्रशिक्षित करने की दृष्टि से विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवम् संगोष्ठियों में लेने के लिए भेजा गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षित कार्यों एवं संगोष्ठियों का विवरण परिशिष्ट चार पर उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के अधीन 17 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

राज्य मण्डल द्वारा आयोजित जन-शिक्षा व प्रसारण कार्यक्रम :

प्रारम्भ से राज्य मण्डल का यह प्रयास रहा है कि जन-साधारण को प्रदूषण से होने वाली हानियों से अवगत कराया जाता रहे तथा विभिन्न कार्यक्रमों की सहायता से लघु उद्योगों के लिए सस्ते उपचार संयंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहे। इसी आशय से देश के कोने-कोने से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। विषय की गहनता को सरलता से समझाये जाने का प्रयास किया गया। अतः राज्य मण्डल ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया।

विश्व पर्यावरण दिवस (दिनांक 5 जून, 1981) इस अवधि के दौरान पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं उसके समाधान विभिन्न उपायों को जन-मानस तक पहुंचाने के लिए समाचार-पत्रों (लेखों, कविताओं, विज्ञापनों) आकाशवाणी वार्ता, दूरदर्शन वार्ता, सिनेमा, स्लाइड्स, स्टीकर्स एवं जयपुर के नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या एवं इसके समाधान विषय से सम्बन्धित चलचित्रों का प्रदर्शन आदि का सभी माध्यमों द्वारा सघन प्रचार किया गया।

विभिन्न छविगृहों में निम्न स्लाइड्स का प्रदर्शन किया गया :—

1. बच्चों के सुखी भविष्य के लिये मिट्टी, जल और वायु को दूषित मत कीजिये।

2. बस्तियों में स्वस्थ जीवन के लिए कूड़े-करकट आदि मल-जल को रास्ते में न डालें।

3. नदी, तालाबों, कुओं के जल को प्रदूषित होने से रोकें।

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्लास्टिक स्टिकर्स भी जारी किये गये :—

1. स्वच्छ पर्यावरण सुखी जीवन।

2. पृथ्वी के सीमित संसाधन का संरक्षण कीजिये ।

न्यायिक मामलों में प्रगतिः

राज्य मण्डल का प्रारम्भ से ही यह प्रयास रहा है कि न्यायिक कार्यवाहियां करने के स्थान पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सम्मिलित आवेदन प्रस्तुत करने व उपचार संयन्त्र लगाने हेतु समझाया जाए। जिसमें अधिनियम की धाराओं की पालना हो सके। तथा प्रदूषण की रोकथाम की जा सके। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं जो अधिनियम की धाराओं की पूर्णरूपेण अवहेलना करते चले आ रहे हैं। राज्य मण्डल ने निम्न स्थानों पर फौजदारी मुकदमें/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये।

पाली	फौजदारी मुकदमें अन्तर्गत धारा 24/25 एवं 26 जल अधिनियम		प्रार्थना-पत्र धारा 33 जल अधिनियम
भीलवाड़ा	61	—	6
कोटा	5	1	—

इसी प्रकार राज्य मण्डल पर विभिन्न व्यक्तियों ने मुकदमें दायर किये जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" पर 1 से 5 तक अंकित है।

इसी प्रकार उप कर निर्धारण के विरुद्ध कर दाताओं ने उपकर अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत अपील भी पेश की जिसका विवरण परिशिष्ट "ग" पृष्ठ संख्या 1 से 4 अंकित है।

राज्य मण्डल के वित्तीय स्थिति की लेखेः

राज्य सरकार ने वर्ष 1981-82 के लिये 16.50 लाख रुपये की अनुदान राशि की स्वीकृति दी थी तथा मण्डल के पास वर्ष के प्रारम्भ में 1.36 लाख रुपये की राशि उपलब्ध थी। इस प्रकार कुल 17.86 लाख रुपये का खर्चा हुआ है।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उप-कर अधिनियम, 1977:

भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत उद्योगों तथा जलदाय स्थानीय निकायों पर उनके द्वारा कार्य से ली जा रही जल की मात्रा के आधार पर जल उपकर वसूल करने तथा उसे भारत सरकार को भिजवाये जाने के अधिकार राज्य मण्डल को प्रदत्त किए गए। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वसूली माह अप्रेल, 78 से की जानी थी जब कि राज्य मण्डल द्वारा इसकी क्रियान्विति दिसम्बर, 79 से आरम्भ की गई।

राज्य मण्डल के निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप जल उपकर के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है उसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया जा रहा है :—

क्र. संख्या	वर्ष	संख्या	उपकर निर्धारण	वसूल की गयी राशि	शेष
1	1978-79	27	5,75,105.33	3,35,597.20	2,39,608
2.	1979-80	108	9,24,141.94	6,00,414.22	3,23,727
3	1980-81	319	13,24,613.11	12,10,523.46	1,14,089
4	1981-82	434	8,82,294.82	6,70,082.25	2,12,21,2577

जल उपकर अपील समिति :

जल उपकर राशि का निर्धारण किए जाने के अधिकार राज्य मण्डल के सदस्य-सचिव को जल अधिनियम उपकर की धारा 6 के अन्तर्गत एक अपील समिति राज्य मण्डल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई। उक्त धारा के अन्तर्गत अपील समिति के अध्यक्ष श्री जी. एल. माथुर ने निम्नलिखित पदाधिकारियों को इस समिति का सदस्य मनोनीत किया है।

समिति का गठन निम्न प्रकार है:—

1.	श्री जी. एल. माथुर	अध्यक्ष
2.	श्री इनामुल हक	सदस्य
3.	डा. एन. आर. भसीन	सदस्य

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 राज्य मण्डल द्वारा माह दिसम्बर, 78 से क्रियांवित किया गया। कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों के होते हुए भी उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन शनैः शनैः उचित ढंग से हो रहा है संबंधित उद्योगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 81-82 में 424 उद्योगों को जल उपकर अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया जबकि 80-81 में केवल 319 को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया था। इसी तरह वर्ष 81-82 में 424 उद्योगों का जल उपकर निर्धारण किया गया।

जल उपकर अधिनियम के अधीन मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्न चार्टों के द्वारा दर्शाया गया है :—

1. चार्ट

जल उपकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य मण्डल के सदस्य-सचिव को जल उपकर निर्धारण आदेश प्रसारित करने के अधिकार दिए गये हैं। इन अधिकारों के अतिरिक्त समयान्तर्गत जल उपकर की राशि जमा न कराने वाले उपकरदाताओं के विरुद्ध जुर्माना व ब्याज भी वसूल करने के अधिकार दिए गए हैं।

यदि कोई उप करदाता निर्धारण अधिकारी के आदेशों से सन्तुष्ट नहीं है तो जल उपकर नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपील समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

जल उपकर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों के लिए एक प्रकोष्ठ अलग से बनाया गया है, एक विधि सहायक को अपील समिति के रजिस्ट्रार का काम दिया गया है जिससे अपील समिति का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।

उक्त तथ्यों से यह जाना जा सकता है कि राज्य मण्डल द्वारा उपकर अधिनियम को कुशलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इस सम्बंध में राज्य मण्डल को केन्द्र सरकार द्वारा जल उपकर की राशि 2½ प्रतिशत इन्सेन्टिव उसकी कार्यकुशलता व शीघ्र वसूली को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। वर्ष 81 में भारत सरकार में राज्य सरकार के माध्यम से

मण्डल को वर्ष 1981–82 में जो राशि आवंटित की गई वह निम्न प्रकार है:—

वर्ष	उपकर राशि वसूली का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत "अ"	उपकर राशि का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत "ब"	राज्य मण्डल को देय राशि 80 प्रतिशत "स"	अ,ब,स, का योग
1980-81	68,377	21,083	8,50,459	9,39,119.00
1981-82	74,832	23,073	5,63,334	6,61,239.00

उपरोक्त विवरण में दर्शायी गई राशियों का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अब तक राज्य मण्डल में रु. 6,50,000 ही स्वीकृत किये गये है। शेष रु. 9,50,358 प्राप्त करने है।

राजस्थान, राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल, जो-2/35, महावीर मार्ग, सी स्कीम, जयपुर।

परिशिष्ट–1

1-4-82 को मण्डल के सदस्य	31-3-82 को मण्डल के सदस्य
1	2
1. अध्यक्ष श्री जी. एल. माथुर	श्री जी. एल. माथुर
2. राजकीय सदस्य	अतिरिक्त म. अ. जन. स्वा. अभि. विभाग, जयपुर।
3 निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर	निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
5. निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर	निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर	निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर।
7. प्रशासक, नगर परिषद, जयपुर	प्रशासक, नगर परिषद, जयपुर।
8. प्रशासक, नगर परिषद, उदयपुर	प्रशासक, नगर परिषद, उदयपुर।
9. प्रशासक, नगर परिषद, जोधपुर	प्रशासक, नगर परिषद, जोधपुर।
10. प्रशासक, नगर परिषद, अजमेर	प्रशासक, नगर परिषद, अजमेर।

अराजकीय सदस्य:	11. श्री नारायण सिन्हा, उपाध्यक्ष, नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर	श्री नारायण सिन्हा, उपाध्यक्ष, नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर।
	12. श्री इनामूल हक, अध्यक्ष हक परामर्शदाता, जयपुर,	श्री इनामूल हक, अध्यक्ष हक परामर्शदाता जयपुर।
	13. श्री गिरधारी लाल भार्गव, जयपुर।	श्री गिरधारी लाल भार्गव, जयपुर।
निगमों के सदस्य		
	14. श्री अनिल कुमार प्रबन्ध, निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर।	श्री एन. के. बैरवा, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास
	15. डॉ एन.आर. भसीन, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य दुग्ध उत्पादन विकास निगम, जयपुर।	श्री पी. वी. माथुर, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य दुग्ध उत्पादन विकास निगम, जयपुर।
	16. श्री के. डी. गुप्ता, अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।	श्री के. डी गुप्ता, अति. मख्य. अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, जयपुर।

परिशिष्ट 2

31-3-82 को मण्डल कार्यालय में स्वीकृत तथा रिक्त पदों का विवरण:—

तकनीकी शाखा	नाम 1	पद 2	रिक्त 3	नाम 1	पद 2	रिक्त 3
	अधिशासी अभियन्ता	2	—	प्रारूपकार	1	—
	सहायक अभियन्ता	6	1	वाहनचालक	3	—
	कनिष्ठ अभियन्ता	9	—	सर्वेखलासी	8	—
प्रयोगशाला शाखा	वरिष्ठ रसायनिज्ञ	1	1	व. प्रयोगशाला सहायक	7	—
	रसायनिज्ञ	2	—	—	—	—
	क. रसायनिज्ञ	1	—	प्रयोगशाला परिचालक	1	—
	ख. जीव वैज्ञानिक	1	—	—	—	—
सामान्य लेखा व प्रशानिक शाखा	विधि अधिकारी	2	—	वरिष्ठ लिपिक	4	—
	लेखाकार	1	—	कनिष्ठ लिपिक	14	—
	कार्यालय अधीक्षक	1	1	चतुर्थ श्रेणी	10	—
	निजी सचिव	1	—	—	—	—
	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	—	—	—

1	2	3		1	2	3
जल उपकर	सहायक अभियन्ता	2	--	कनिष्ठ लिपिक	3	—
शाखा	लेखाधिकारी	1	--	—	—	--
	निरीक्षक	4	—	—	—	—

परिशिष्ट-3

31-3-82 को मण्डल की समितियों की सदस्यता :-

	नाम 1	पद 2	
1. नीति निर्धारण योजना एवं संशोधन समिति	1. श्री जी. एल. माथुर	अध्यक्ष, ज. प्र. नि. म.	अध्यक्ष
	2. श्री उम्मेद सिंह	निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर।	सदस्य
	3. --	निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर	सदस्य
	4. श्री आर. डी. वर्मा	मालवीया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर।	सह-सदस्य
	5. डॉ. टी. पी. जैन	मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	सह-सदस्य
	6. श्री गिरधारीलाल भार्गव	—	सदस्य
	7. --	--	—
	8. श्री एम. बी. जैन	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पी. एच. ई. डी., जयपुर।	सह-सदस्य
	9. श्री के. एस. सांखला	मुख्य वन्य जीवन प्रतिपालक, जयपुर।	सह-सदस्य
	10. श्री के. डी. गुप्ता	—	सदस्य सचिव
2. जल प्रबंधक एवं तकनीक उप-समिति	1. श्री जी. एल. माथुर	अध्यक्ष	अध्यक्ष
	2. —	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।	सदस्य
	3. श्री एन. के. बैरवा	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर।	सदस्य

(248)

	1	2	
	4. —	प्रशासक नगर परिषद, जयपुर	सदस्य
	5. श्री एम. एम. डांडेकर	मालवीया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर।	सह-सदस्य
	6. श्री डी. एल. माथुर	अधीक्षक अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, अजमेर।	सह-सदस्य
	7. श्री जे. पी. शुक्ला	ओ. एस. डी. मत्स्य विभाग, स्पेशल स्कीम कृषि, जयपुर।	सह-सदस्य
	8. श्री. ए. के. सेठ	वैज्ञानिक इन्चार्ज, नर्सरी, जयपुर।	सह-सदस्य
	9. श्री आर. के. भार्गव	अधीक्षक रसायनिज्ञ, जन. स्वा. अभि. विभाग, जयपुर।	सह-सदस्य
	10. श्री सुब्रिता सिन्हा	निदेशक, भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर।	सह-सदस्य
	11. श्री एम. एल. सेठ	अधिशासी निदेशक, देहली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स, कं. लि.; नई दिल्ली।	सह-सदस्य
	12. श्री के. डी. गुप्ता	—	सह-सचिव
वित्त एवं कार्मिक उप-समिति	1. श्री गोविन्दलाल माथुर	अध्यक्ष	अध्यक्ष
	2.	निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर।	सदस्य
	3.	निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर।	सदस्य
	4. श्री एन. के. बैरवा	प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर	सदस्य
	5. श्री इनामूल हक	अध्यक्ष, हक परामर्शदाता, जयपुर।	सदस्य

	1	2	
	6. श्री गिरधारी भार्गव जयपुर ।	—	सदस्य
	7. श्री के.डी. गुप्ता	—	सदस्य-सचिव
गुणता एवं सलाहकार उप-समिति	1. —	निदेशक कृषि विभाग, जयपुर ।	अध्यक्ष
	2 डॉ. एन. आर. भसीन	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य दुग्ध उत्पादन विकास निगम, जयपुर ।	सदस्य
	3. डॉ. हरि भगवान	निदेशक (रसायन), भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली ।	सदस्य
	4. —	प्रशासक, नगर परिषद, कोटा ।	सह-सदस्य
	5. श्री ए. के. सेठ	वैज्ञानिक इन्चार्ज, नीरी, जयपुर ।	सह-सदस्य
	6. डॉ. सी. एल. महाजन	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।	सह-सदस्य
	7. प्रो. एम. एम. डान्डेकर	मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर ।	सह-सदस्य
	8. श्री आर. के. भार्गव	अधि. रसायनिज्ञ, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर ।	सह-सदस्य
	9. श्री एस. सी. सक्सैना	--	सदस्य-सचिव
वरिष्ठ पदों की चयन समिति	1. अध्यक्ष 2. अध्यक्ष द्वारा मण्डल के एक सदस्य के नाम का करना । 3. अध्यक्ष द्वारा विशेषज्ञ व्यक्ति के नाम का मनोनयन । 4. सदस्य-सचिव		
कनिष्ठ पदों की चयन समिति	1. अध्यक्ष द्वारा दो व्यक्तियों के नाम का मनोनयन करना । 2. सदस्य-सचिव		

परिशिष्ट 4

राज्य मण्डल के विभिन्न अधिकारियों को निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/सेमीनार इत्यादि में भाग लेने भेजा गया (वर्ष 1981-82)

क्रमांक	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ सेमीनार आयोजक संस्था का नाम	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ सेमीनार का विषय	अवधि	स्थान	अधिकारी /कर्मचारी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	सी.ए.जेड.आर.आई. एवं सी.डब्ल्यू पी.सी.बी.	नेशनल सिम्पोजियम ऑफ इवेल्युएशन ऑफ अवर	27-4-81 से 29·4-81,	जोधपुर	1. श्री वी.के. मालवीय, सहायक अभियन्ता
					2. श्री आर. के. गौड़ क. जीव वैज्ञानिक
2.	सी. डब्लू. पी. सी. बी.	कैडमियम प्रोजेक्ट ऑफ	1-4-81 से -5-81,	नई दिल्ली	1. श्री एस.के. भार्गव, क. रसायनिज्ञ
3.	एन. ई. आर. आई.	एयर क्वालिटी मानिटरिंग	14-4-81 से 15-4-81,	नागपुर	1. श्री एस.के. पाण्डेय, सहायक अभियन्ता
					2. श्री निरंजन माथुर, एस.एल.ए.

4. (क) इण्डियन मीटीरोलोजिकल डिपार्टमेंट	एप्लिकेशन ऑफ मीटीरोलोजी टू एयर पोल्यूशन कन्ट्रोल ।	24-8-81 से 4-9-81 नई दिल्ली	1. श्री जे. के. कपूर, सहायक अभियंता 2. श्री डी. सी. शर्मा, रसायनज्ञ
4. (ख) मै. एस. एफ. इन्डिया लिमिटेड	एयर पोल्यूशन टक्नीक्स	8-9-81 से 16-9-81 कलकत्ता	—संदेव—
5. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी	स्ट्रेटजी एण्ड टैक्नोलोजी आफ वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इन इन्डिया ।	12-9-81 से 13-9-81 बम्बई	1. श्री एस. के. पाण्डेय, सहायक अभियंता 2. श्री जे. के. कपूर, सहायक अभियंता
6. सी. डब्ल्यू. पी. सी. बी.	बायोलोजीकल इण्डिकेटर्स एण्ड इण्डिसेज आफ एन्वायरमेंटल पोल्यूशन ।	21-9-81 से 23-9-81 हैदराबाद	1. श्री आनन्द लाल, सहायक अभियंता 2. श्री आर. के गौड़, क. जीव वैज्ञानिक
7 सी. डब्ल्यू. पी. सी. बी.	सैकण्ड मीटिंग ऑफ अमैन्डमैंट कमेटी टू सुजेस्ट अमैन्डमैंट टू सैस एक्ट, 1977	24 9.81 से 25.9.81 नई दिल्ली	1. श्री एस. के. शुक्ला, विधि अधिकारी 2. श्री एम. के. अग्रवाल, विधि अधिकारी
8. गवर्नमेंट कालेज, कोटा	एन्वायरमेन्टल पोल्यूशनइन डेवलेपिंग कन्ट्रीज	1.10.81से 3.10.81 कोटा	1. श्री एस. के. कुलश्रेष्ठ, अधिशाषी अभियन्ता 2. श्री जे. के कपूर, सहायक अभियन्ता, 3. श्री वी. एस. शर्मा, कनिष्ट अभियन्ता

1	2	3	4	5	6
9.	इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजिनियरस	आल इण्डिया कन्वेशन आन एनवायरनमेंट इंजिनियरिंग	10-1-82 से 21-1-82	तिरूपति	1. श्री स्वदेश पाल, अधि. अभियन्ता
10.	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कोलेज ऑफ इन्डिया	वर्कशाप आन एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट	1-2-82 से 6-2-82	हैदराबाद	1. श्री एस. के. कुलश्रेष्ठ, अधि. अभियन्ता
11.	डिपार्टमेंन्ट ऑफ केमिस्ट्री, राजस्थान विश्वविद्यालय	सिम्पोजियम आन ऐलिमेंटस आफ ऑरगेनिक कम्पाऊण्डस	22-2-82 से 25-2-82	जयपुर	1. श्री डी. सी. शर्मा रसायनिज्ञ
12	कन्वीनर, सेमीनार एण्ड सिम्पोजियम एण्ड हैंड रेडिमेशन टेक्नोलोजी एण्ड इण्डस्ट्रियल ऐप्लिकेशन	ऐप्लिकेशन आफ न्यूक्लियर एण्ड एलाइड टेकनीक्स इन पब्लिक हेल्थ एण्ड पोल्यूशन कन्ट्रोल	12-2-82 से 13-2-82	बम्बई	1. श्री अक्षय भार्गव, सहायक अभियन्ता
13.	एन. ई. ई. आर. आई.	यूनिट प्रोसेस एण्ड आप्रेशन्स इनवेस्ट वाटर ट्रीटमेंट।	3-3-82 से 25-3-82	नागपुर	1. श्री एम. एम. गोयल, सहायक अभियंता 2. श्री ए. के. गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता
14.	देहली प्रोटक्टिविटी काउन्सिल	मैनेजमेंट आफ प्राब्लम्स इन पल्प एण्ड पेपर इंडस्ट्री	24-2-82 से 25-2-82	नई दिल्ली	1. श्री एम. सी. रस्तोगी

परिशिष्ट (क)

राज्य मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों की अवपालना करने पर विभिन्न उद्योगों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों का विस्तृत विवरण

न्यायालय : मुख्य न्यायिक दण्डनायक, पाली में चल रहे मुकदमों की प्रगति

क्रमांक	उद्योग का नाम जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया।	अपराधिक मुकदमा क्रमांक	बैठक जिसमें राज्य मण्डल की स्वीकृति ली गई।	मुकदमों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	जालोर ब्लीचिंग एवं दुर्गा डाइंग वर्क्स, महावीर मार्ग कॉलोनी, पाली।	681/79	मण्डल की 20 वीं बैठक	मुकदमें में परिवादी की शहादत पूर्ण की गयी।
2.	मैं. एस. कुमार एण्ड कं., आदर्श नगर, पाली।	682/79	—	मुकदमें में सभी अभियुक्तगणों पर तामील पूर्ण हुई।
3.	मैं- डाइम्ड प्रोसेसर्स, सिन्धी कॉलोनी, पाली	683/79	—	मुकदमें के 3 अभियुक्तगण में से दो पर तामील पूर्ण हुई।
4.	मैं. डाइंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, महावीर उद्योग नगर, पाली।	684/79	—	मुकदमें में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई।
5.	मैं. नकोज इण्डस्ट्रीज, पाली	685/79	—	मुकदमें में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई।

253

1	2	3	4	5
6.	मैं. झाला ब्लीचिंग वर्क्स, आदर्श नगर, पाली	686/79	—	मुकदमे के छः अभियुक्तगण में से तीन पर तामील पूर्ण हुई।
7.	मैं. अग्रवाल प्रोसेसर्स, कॉलेज रोड, पाली	687/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत वास्ते निश्चित् की गई।
8.	मैं. आशा डाइंग वर्क्स, पाली	688/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई।
9.	मैं. गादिया टेक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज, दरगाह रोड, पाली।	689/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत वास्ते प्रति परीक्षा दिनांक 14-5-82 निश्चित् की गई।
10.	मैं. उम्मेद ब्लीचिंग, सिन्धी कालोनी, पाली	690/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई।
11	मैं. भण्डारी डाइंग एण्ड इण्डस्ट्रीज, माहेश्वरी की बगीची, पाली।	691/79	—	मुकदमे के अभियुक्त क्रमांक एक से चार पर तामील पूर्ण हुई।
12.	मैं. अनमोल डाइंग कम्पनी, महावीर उद्योग, पाली।	692/79	—	मुकदमे में तामील पूर्ण नहीं हुई।
13.	मैं स्टेण्डर्ड डाइंग वर्क्स, न्यू घोसी कौलोनी, पाली।	693/79	—	मुकदमे में तामील पूर्ण नहीं हुई।
14.	मैं. इकबाल ब्लीचिंग, सुमेरपुर रोड, पाली	694/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई।
15.	मैं. जय भारत इण्डस्ट्रीज, मोती कटला, पाली	695/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई।
16.	मैं. जे. बी. ब्लीचिंग वर्क्स, अग्रवाल की बगीची, पाली	696/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई।

17.	मै. प्रकाश डाइंग, महावीर नगर, पाली।	697/79	—	मुकदमे में तीन अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण हुई।
18.	मै. ताज टेक्सटाइल्स, माण्डिया रोड, पाली	970/79	मण्डल की 21 वीं बैठक	मुकदमे के सभी अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण हुई।
19.	मै. फरीद ब्लीचिंग पाली	971/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई।
20.	मै. रफीक डाइंग कम्पनी, जोधपुरिया, वाटी के पास, पाली	972/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई।
21.	मै. कोहिनूर टैक्सटाइल्स, चुरी बाजार, पाली	973/79	—	मुकदमे के सभी अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण हुई।
22.	मै. एस. एस. डाइंग इण्डस्ट्रीज, पाली	974/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण हुई।
23.	मैं. जाबली वाली प्रोसेसर्स, माण्डीया रोड, पाली।	975/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई।
24.	मैं. पंकज कुमार मूंदड़ा एण्ड कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय, पाली	976/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई।
25.	मैं. एम. आई. ब्लीचिंग वर्क्स दोपलीया वास, सुमेरपुर रोड, पाली।	977/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण नहीं हुई।
26.	मैं. वेंकटेश डाइंग वर्क्स, लक्ष्मी मार्केट, पाली	978/79		मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई।
27.	मैं. सी. पी. टैक्सटाईल्स, भाद्राजून रोड़, पाली	979/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण नहीं हुई।

1	2	3	4	5
28.	मैं. मान प्रोसेसर्स, रामलीला मैदान, पाली	980/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई।
29.	मैं. गांधी पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स, स्टेशन रोड, पाली	981/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई।
30.	मैं. महावीर प्रोसेसर्स रामलीला मैदान, पाली	982/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई।
31.	मैं. केसरी चन्द्र, महाराजा डाइंग एण्ड प्रिटींग, मिल्स, पाली	983/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई।
32.	मैं. छीपा गफूर इब्राहीम, सुमेरपुर रोड, पाली	984/79	—	मुकदमे में परवादी की शहादत पूर्ण नहीं हुई।
33.	मैं. के. एच. फैब्रीक्स, सुमेरपुर रोड, पाली,	985/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण नहीं हुई।
34.	मैं. सागर डाईग. क. सुमेरपुर रोड, पाली	986/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई।
35.	मैं. छीपा युसूफ गनी थूली वाला, सुमेरपुर रोड, पाली	987/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई।

36. मै. मनमोहन डिजाइनिंग वर्क्स, महावीर उद्योग नगर, पाली ।	988/ 79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई ।
37. मै. सोनी डाइंग फिनिशिंग वर्क्स, धरमपुर कोरिया, पाली ।	989/ 79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई ।
38. मै. मंजू टैक्सटाइल्स, रामदेव रोड, रूपावास हाउस, पाली ।	990/ 78	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण हुई ।
39. मै. मात टैक्सटाइल्स मिल्स, माण्डिया रोड, पाली ।	991/ 79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई ।
40. मै. धारीवाल टैक्सटाइल्स, महावीर उद्योग नगर, पाली ।	992 /79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई ।
41. मै. परमेश्वर क्लीनिंग वर्क्स, माण्डिया रोड, पाली ।	993 /79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई
42. मै. एम. एम. डाइंग, महावीर उद्योग नगर, मोची कोलोनी, पाली	994 /79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई ।
43. मै. जितेन्द्र डाइंग वर्क्स, धोबियों का बास, पाली ।	995/ 79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई ।
44. मै. अशोक डाइंग कम्पनी, 20 महावीर उद्योग नगर, पाली ।	996 /79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई ।

1	2	3	4	5
45.	मै. कांकरिया टैक्सटाइल्स, इण्डस्ट्रीज, 22, महावीर उद्योग नगर, पाली।	997/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण हुई।
46.	मै. विनोद प्रोसेसर्स, सिन्धी कालोनी, रामदेव रोड, पाली।	998/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण हुई।
47.	मै. अग्रवाल टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर रोड, पाली।	999/79	—	मुकदमे में परीवादी की शहादत ली गई, अभियुक्तगण की ओर से अधिनियम की वैधता के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र न्यायालय में पेश किया गया, परिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया आगामी पेशी वास्ते बहस दिनांक 14-5-82 निश्चित की गई।
48.	मै. उपकार डाइंग कम्पनी, घोसीवाड़ा, पाली।	1000/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण हुई।
49.	मै. जैन डिजाइनिंग कम्पनी, महावीर उद्योग नगर, पाली।	1001/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत मुख्य परीक्षा पूर्ण की गई।
50.	मै. बन्शीधर रामेश्वरदास एण्ड कम्पनी, रामदेव रोड, पाली।	1002/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई।
51.	मै. मनोज डाइंग कम्पनी, मण्डिया रोड, पाली।	1003/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत मुख्य परीक्षा पूर्ण की गई।

1	2	3	4	5
52.	मै. भैरव टेक्सटाइल्स, 4-7 इण्डस्ट्रीज एरिया, पाली ।	1004/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई ।
53.	मै. फोइनोक्स डाइंग कम्पनी एण्ड प्रिंटिग इण्डस्ट्रीज, रूपावास हाउस, सिन्धी कालोनी, पाली ।	1005/79	—	मुकदमे में परिवादी की मुख्य परीक्षा पूर्ण की गई ।
54.	मै. जैन टेक्सटाइल्स, महावीर उद्योग नगर, पाली ।	1006/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण हुई ।
55.	मै. शकील ब्लीचिंग सेन्टर, माण्डिया रोड, पाली ।	1007/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई ।
56.	मै. शान्ती डाइंग वर्क्स, कोरिया दरवाजा, पाली ।	1008/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण हुई ।
57.	मै. कुन्दनमल बस्तीमल, पाली ।	1009/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण हुई ।
58.	मै. दलीप प्रोसेसर्स, रामलीला मैदान, पाली ।	1010/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई ।
59.	मै. परवीन डाइंग वर्क्स, नवलखा रोड, पाली ।	1011/79	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण हुई ।
60.	मै. मोती वाला ब्लीचिंग मिल्स, पाली ।	1012/79	—	मुकदमे में परिवादी की शहादत पूर्ण हुई ।
61.	मै. राजस्थान सुराणा पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स, पाली ।	122/81	—	मुकदमे में अभियुक्तगण पर तामील पूर्ण नहीं हुई ।

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्ड नायक, जयपुर में दायर किये गये मुकदमों का विवरण

1	2	3	4	5
1.	मै. प्रीमियर वेजिटेबल प्रा. लि., झोटवाड़ा, जयपुर ।	मुकदमा क्रमांक तथा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा क्रमांक 71/78,54/78	राज्य मण्डल की 14वीं बैठक ।	न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27-6-80 द्वारा उद्योग के विरुद्ध राज्य मण्डल के हित में निषेधाज्ञा जारी करते हुए आदेश दिया कि उद्योग व्यापारिक उच्छिष्ठ के निस्राव से जल को दूषित होने से बचाने के लिये उपचार संयंत्र लगाकर जल को दूषित होने से बचाने के लिए प्रयोग नहीं करें, इस आदेश के विरुद्ध उद्योग ने माननीय सेशन न्यायालय, जयपुर नगर में एक इस आशय की, निगरानी पेश की कि उद्योग द्वारा जल स्त्रोत को प्रदूषित नहीं किया जाता माननीय न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को मानते हुए अपना निर्णय दिनांक 11-8-80 में यह आदेश दिया कि मेरे विचार में उस आदेश में कोई अवैधता या नियम प्रतिकूलता प्रकट नहीं होती। अतः प्रार्थीगण की निगरानी मय खर्चा अस्वीकार की जाती है किन्तु माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23-10-80 को मूल परिवाद में अभियुक्तगण को आरोप से बरी के आदेश दिये जिसके विरुद्ध में राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील पेश की है जो विचाराधीन है।
2.	मै. हैमराज उद्योग लिमिटेड, झोटवाड़ा, जयपुर ।	100/79	राज्य मण्डल की 20वीं बैठक ।	न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17-6-80 के अनुसार राज्य मण्डल द्वारा प्रस्तुत परिवाद में आंशिक शहादत के पश्चात् यह आदेश दियाकि अभियुक्त के विरुद्ध किसी

			प्रकार आरोप नहीं बनता है। अतः रिहा किये जाते हैं; इस आदेश के विरुद्ध राज्य मण्डल ने माननीय सेशन न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की; जिसकी माननीय सेशन न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18-9-81 के द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त कर पुनः अधीनस्थ न्यायालय में विचारण हेतु मुकदमे को रिमाण्ड किया; जिसकी अग्रिम पेशी वास्ते शहादत दिनांक 28-6-82 निश्चित की गई।
3. मैं. आर. सी. एस. वेनस्पति इण्डस्ट्रीज, 164-181, झोटवाड़ा, जयपुर।	99/ 79	--	निर्णय दिनांक 4-12-80 के अनसार राज्य मण्डल द्वारा प्रस्तुत परिवाद में आंशिक शहादत के पश्चात् यह आदेश दिया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप नहीं बनता है। अतः रिहा किये जाते हैं, इस आदेश के विरुद्ध राज्य मण्डल ने माननीय सेशन न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन है।
1. मैं. जयपुर टैक्सटाइल प्रा. लि. झोटवाड़ा, जयपुर।	109/79	--	न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 3-1-81 के अनुसार राज्य मण्डल द्वारा प्रस्तुत परिवाद में आंशिक शहादत के पश्चात् यह आदेश दिया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप नहीं बनता है। अतः रिहा किये है जाते हैं इस आदेश के विरुद्ध राज्य मण्डल ने माननीय सेशन न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डनायक, भरतपुर में दायर किये मुकदमें की प्रगति

1. मैं सुप्रीम स्ट्रा प्रोडक्ट्स, भरतपुर	167/ 77	राज्य मण्डल की 3वीं बैठक।	मुकदमें में शहादत पूर्ण हुई।

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डनायक, कोटा में दायर किय गये मुकदमों की प्रगति विवरण

1.	मैं. प्रीमियर पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स, उद्योग मार्ग, कोटा।	513/77	राज्य मण्डल की 11वीं बैठक।	मुकदमें में आरोप पूर्व शहादत पूर्ण की जाकर अभियुक्तगण पर चार्ज लगाया गया।

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डनायक, भीलवाड़ा में दायर किये गये मुकदमों की प्रगति

1	2	3	4	5
1.	मैं. राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट लिमिटेड, हमीरगढ़ रोड, भीलवाड़ा।	323/79	राजस्व मण्डल की 20वीं बैठक।	मुकदमा मुख्य न्यायिक दण्डनायक से न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट में स्थानान्तरित किया गया। मुकदमें में अभियुक्तगण पर तामिल पूर्ण नहीं हुई। इससे पूर्व अभियुक्तगण की ओर से जल अधिनियम, 1974 की वैधता को न्यायालय में चुनौती दी गई। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश किया गया।
2.	मैं. मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स लि., भीलवाड़ा	325/79	--	तदैव
3.	मैं. राजस्थान स्पीनिंग एवं विविंग मिल्स, भीलवाड़ा।	322/79	—	तदैव
4.	मैं. मोर्डन वूलन मिल्स लि., भीलवाड़ा	324/79	--	तदैव
5.	मैं. भीलवाड़ा वूलन मिल्स, भीलवाड़ा	326/79	—	मुकदमा न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डनायक से न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट में स्थानान्तरित किया गया। मुकदमें में परिवादी की शहादत पूर्ण की गई तत्पश्चात अभियुक्तगण की ओर से जल अधिनियम, 1974 को वैधता को न्यायालय में चुनौती दी गई अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश किया गया।

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डनायक, पाली में दायर विविध प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33 जल अधिनियम, 1974 का विवरण

1	2	3	4	5
1.	मैं भण्डारी डाइंग, उर्फ मैं. महेश ब्लीचिंग सेन्टर, महेश्वरी की बगीची पाली ।	विविध प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33 जल अधिनियम, 1974 प्रार्थना-पत्र क्र. 37/79	राज्य मण्डल की 20वीं बैठक	न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 3-6-80 द्वारा उद्योग के विरुद्ध राज्य मण्डल के हित में निषेधाज्ञा जारी करते हुए आदेश दिया कि उद्योग बांडी नदी के जल को प्रदूषित न करे तथा यह भी निर्देश दिया कि वे अपना व्यवसायिक उच्छिष्ठ मण्डल द्वारा मानकों के अनुरूप लाकर ही वाहित करे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे की बांडी नदी जल के प्रदूषण की आशंका उत्पन्न हो ।
2.	मैं. अनमोल डाइंग कं. उर्फ भैरूनाथ डाइंग कं, महावीर उद्योग, पाली ।	प्रार्थना-पत्र-क्र. 38/79	तदैव	
3.	मैं. फोइनक्स डाइंग कम्पनी एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, रूपाबास हाउस, सिंधी कालोनी, पाली ।	विविध प्रार्थना-पत्र अन्तगत धारा 33, जल अधिनियम, 1974, प्रार्थना-पत्र क्र. 74/79	राज्य मण्डल की 21वीं बैठक	न्यायालय अपने निर्णय दिनांक 3-6-80 द्वारा उद्योग के विरूद्ध आदेश दिया कि उद्योग बांडी नदी के जल को प्रदूषित न करे तथा यह भी निर्देश दिया कि वे अपना व्यवसायिक उच्छिष्ठ मण्डल द्वारा प्रदतों मानकों के अनुरूप लाकर वाहित करें तथा ऐसा कोई काम न करें जिससे बांडी नदी के जल के प्रदूषण की आशंका उत्पन्न हो । इस निर्णय के विरुद्ध उद्योग ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में संविधान के अनुच्छेद, 226 के अन्तर्गत एक रिट याचिका दायर की, निर्णय को निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए उद्योग जल अधिनियम 1974 की धारा 19 व 24 की संवैधानिकता को भी चुनौती दी, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 2-3-81 द्वारा उद्योग की याचिका खारिज करते हुए निम्न न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, जल अधिनियम की धारा 19 एवं 24 को वैध करार दिया ।

1	2	3	4	5
4.	मैं. फरीद ब्लीचिंग गुडलई मार्ग, प्यारा चौक, पाली ।	विविध प्रार्थना-पत्र क्रमांक 77/79 अन्तर्गत धारा 33, जल अधिनियम, 1974 ।	राज्य मण्डल की 21वीं बैठक।	न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक-3-6-80 द्वारा उद्योग के विरुद्ध राज्य मण्डल के हित में निषेधाज्ञा जारी करते हुए आदेश दिया कि उद्योग बांड़ी नदी के जल को प्रदूषित ना करें तथा व्यावसायिक उच्छिष्ठ मण्डल द्वारा प्रदत्त मानकों के अनुसार बहायें ।
5.	भैरव टैक्सटाइल्स, 4-7 इण्डस्ट्रीयल एरिया, पाली ।	प्रार्थना-पत्र क्रमांक 75/79		न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 3-6-80 द्वारा उद्योग के विरुद्ध राज्य मण्डल के हित में निषेधाज्ञा जारी कर आदेश दिया कि उद्योग बांडी नदी के जल को प्रदूषित न करें तथा यह भी निर्देश दिया कि वे अपना व्यवसायिक उच्छिष्ठ मण्डल द्वारा प्रदत्त मानकों के अनुरुप लाकर वाहित करें तथा ऐसा कोई कार्य न करें जिससे बांडी नदी के जल के प्रदूषित होने की आशंका हो इस निर्णय के विरुद्ध उद्योग ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत एकरिट याचिका दायर की, निर्णय को निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए उद्योग ने जल अधिनियम 1974 की धारा 19 व 24 की संविधानिकता को भी चुनौती दी माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 2-3-81 द्वारा उद्योग की याचिका खारिज करते हुए निम्न न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की तथा जल अधिनियम की धारा 19 व 24 को वैध करार दिया इस आदेश से व्यथित हो मुल्जिम फर्म ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर डी. बी. में अपील दायर की जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

6.	मै. अग्रवाल टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर रोड, पाली।	विविध प्रार्थना-पत्र क्रमांक 76-79	राज्य मण्डल की 21वीं बैठक	तदैव
7.	मै. अग्रवाल टैक्सटाइल्स, सुमेरपुर रोड, पाली।	विविध प्रार्थना-पत्र क्रमांक 190-81	राज्य मण्डल की 29वीं बैठक	न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डनायक, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 3-6-80 द्वारा उद्योग के विरुद्ध राज्य मण्डल के हित में निषेधाज्ञा जारी करते हुए आदेश दिया कि उद्योग अपना व्यवसायिक उच्छिष्ठ बांडी नदी के जल को दूषित न करें तथा उच्छिष्ठ राज्य मण्डल के मानकों के अनुसार बहाये लेकिन उक्त उद्योग ने निम्न न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27-6-80 द्वारा अन्तरिम आदेश पारित किया कि याचिका के निवारण तक उद्योग मण्डल द्वारा पारित सम्मति शर्तों का पालन करेंगे किन्तु 29-8-80 को उद्योग के निरीक्षण के दौरान यह पाया कि न्यायालय के आदेश दिनांक 27-6-80 की अवहेलना कर रहे हैं। अतः मण्डल द्वारा जल अधिनियम, 1974 की धारा 41, उप-धारा (2) के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की मण्डल ने अपनी 29वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की जिसकी अनुपालना में माननीय उच्च न्यायालय में "न्यायालय अवमानना" की प्रार्थना प्रस्तुत की गई जो कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
8.	मै. भैरव टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज, 4-7 इण्डस्ट्रियल एरिया, पाली।	प्रार्थना-पत्र क्रमांक 191/81	29वीं बैठक	तदैव

परिशिष्ट-12

राज्य मण्डल पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दायर किये गये मुकदमें/याचिकाओं की प्रगति का विवरण

1	2	3	4	5
1.	श्री सम्पतराज	संविधान की धारा 226 के अन्तर्गत रिट याचिका	जोधपुर में जल प्रदूषण से फैले पोलिया रोग के सम्बन्ध में याचक ने उच्च न्यायालय जोधपुर में यह प्रार्थना की कि राज्य मण्डल को यह निर्देश दिये जायें कि जल अधिनियम 1974 की धारा 17 के कार्य पूरे क्या हुए धारा 32 के अन्तर्गत तुरन्त कार्यवाही करें।	याचक ने मण्डल द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर याचिका को वापस ले लिया अतः माननीय न्यायालय ने याचिका रद्द कर दी।
2.	श्री बलवन्त राय मेहता	तदैव	उदयपुर में स्थित होटल लेक पैलेस द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश दिये जाने हेतु।	अभी तक याचिका ग्रहण नहीं की गई है राज्य मण्डल ने अपना जवाब पेश कर दिया है।
3.	श्री गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर	संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत याचिका उच्च न्यायालय, जयपुर में पेश की गई।		याचिका अभी ग्रहण नही की गई न्यायालय ने याचक की स्टे की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।

4- मै. फाइनेक्स डाइंग कं. एण्ड प्रिन्टिग वर्क्स; पाली ।	तदैव	विविध प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33 जल अधिनियम 1974 प्रार्थना-पत्र क्रमांक 74/79	न्यायालय ने अपने निर्णय दि. 3-6-80 द्वारा उद्योग के विरुद्ध राज्य मण्डल के हित में निषेधाज्ञा जारी करते हुए आदेश दिया कि उद्योग बांडी नदी के जल को प्रदूषित न करे तथा यह भी निर्देश दिया कि वे अपना व्यवसायिक उच्छिष्ठ मण्डल द्वारा प्रदत्त मानकों के अनुरूप लेकर वाहित करें तथा ऐसा कोई कार्य न करें जिससे बांडी नदी जल के प्रदूषण की आशंका हो।
5. मै. भैरव टैक्सटाइल मिल्स पाली	तदैव	तदैव	तदैव
6. मै. अग्रवाल टैक्सटाइल्स, पाली	तदैव	तदैव	तदैव
7. नारायणलाल	दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र तथा वाद प्रस्तुत किया न्यायालय अपर मुंसिफ एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जयपुर में।	वादी ने राज्य मण्डल द्वारा पारित पदावनति आदेश के विरुद्ध निषेधाज्ञा चाही।	न्यायालय ने वादी के प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया तदुपरांत वादी ने सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। माननीय सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपील खारिज की तथा मूल वाद दि. 8-12-81 को वादी विरुद्ध प्रतिवादी राज्य मण्डल के पक्ष में निर्णय दिया गया। व्यथित वादी ने उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय सेशन न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो न्यायालय में लम्बित है।
8. मदनलाल	तदैव	तदैव	तदैव
9. कैलाश जारवाल	संयुक्त श्रम आयुक्त, राज. सरकार समझौता अधिकारी, जयपुर।	दिनांक 23-6-82 में सेवा समाप्त करने के सम्बन्ध में।	समझौता अधिकारी के समक्ष समझौताकर्ता ने राज्य मण्डल के कर्मचारी को चौकीदार के पद पर नियुक्त करना स्वीकार किया लेकिन

1	2	3	4	5
				श्रमिक पक्ष का कहना था कि उसकी सेवा समाप्ति दि. 23-6-81 से पूरा वेतन देते हुए नियुक्त किया गया तो वह अपनी सहमति दे सकता है। प्रबन्धक पक्ष श्रमिक पक्ष को देय अवकाश देने तक व शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश मानने को सहमत थे परन्तु श्रमिक पक्ष ने यह स्वीकार नहीं किया।
				समझौता विफल होने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12(4) में प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। विफल प्रयास समझौता प्रतिवेदन राज्य सरकार में लम्बित है।
10. रवीन्द्र पाल सिंह क. अभियन्ता		वादी ने न्यायालय अपर मुन्सिफ एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जयपुर में दीवानी प्रक्रिया/संहिता की धारा 39 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र तथा गवाह प्रस्तुत किया।	वादी ने राज्य मण्डल द्वारा पारित सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध निषेधाज्ञा चाही।	अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए राज्य मण्डल को निर्देश दिया की प्रार्थी की सेवा समाप्त न कर वाद निर्णय तक सेवा में रखा जावे। न्यायालय के आदेश 19-12-81 से व्यथित होकर राज्य मण्डल ने माननीय सत्र न्यायालय में आदेश दि. 19-4-81 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। माननीय सत्र न्यायालय ने अपने आदेश दि. 14-5-82 द्वारा राज्य मण्डल की अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि. 19-12-81

को निरस्त किया गया तथा अप्रार्थी वादी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 39 को अस्वीकार किया तथा वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है ।

परिशिष्ट 1(ग)

राज्य मण्डल की जल उप कर समिति के समक्ष दायर अपीलों का विवरण

1.	2.	3.	4.
1.	मै. श्रीराम रेयन्स, कोटा	1/ 79से10/ 79	अपील समिति ने अपने निर्णय दि. 28-4-80 में प्रतिवादी को यह निर्देश दिये कि प्रतिवादी अपीलार्थी के विवरण-पत्रों से सन्तुष्ट नहीं हैं तो उन कारणों से अपीलार्थी को सूचित करना चाहिए।
2.	मै. नैशनल इन्जी., खातीपुरा रोड, जयपुर।	11/ 79से21/ 79	अपील समिति द्वारा दि. 28-4-80 को अपीलार्थी तथा अप्रार्थी प्रतिवादी की बहस सुनी गई। अतिरिक्त बहस सुनवाई के लिए निर्णय स्थगित किया गया।
3.	मै. मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़।	1/80	तदैव
4.	मै. जयपुर उद्योग लि., सवाई माधोपुर।	2/80 से 3/80	अपील समिति ने अपने निर्णय दि. 28-4-80 को अपिलार्थी की अपील खारिज कर दी गई तथा निर्णय दिया कि अपीलार्थी का उच्छिष्ट राज्य मण्डल के मानकों के अनुसार बाहित नहीं करने से 70 प्रतिशत रिबेट का फायदा नहीं दिया जा सकता है।

5. मै. मेवाड़ डिस्टलरी एण्ड केमिकल्स वर्क्स, भोपाल सागर	4/80	अपील समिति ने अपने निर्णय दि. 28-4-80 द्वारा यह निर्णय दिया कि अपीलार्थी उद्योग एक केमिकल उद्योग है जो कि जल उप कर अधिनियम की सूची प्रथम के अन्तर्गत आती है, इसलिए यह उप कर के भुगतान के लिए दायी है ।
6. मै. श्री गंगानगर शुगर मिल्स एण्ड डिस्टलरी, श्री गंगानगर	5/80से14/80	अपील समिति ने अपीलार्थी की अपील अपने निर्णय दि. 28-4-80 द्वारा खारिज कर दी तथा अपील समिति ने यह निर्देश दिया कि अपीलार्थी अधिनियम प्रावधानों के अनुसार उप कर का भुगतान करें। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्डोनेशन के प्रार्थना-पत्र को पर्याप्त कारणों के अभाव में अस्वीकार किया ।
7. मै. श्रीराम रेयन्स, कोटा—4	15/80से16/80	अपील समिति ने अपने निर्णय दि. 28-4-80 द्वारा प्रतिवादी को यह निर्देश दिया कि अपीलों के लम्बित रहने तक प्रतिवादी अपने शास्ति आदेश दि. 10-4-80 की कार्यवाही को अपील नं. 1/79 से 10/79 तक जो कि दि. 27-3-79 को प्रस्तुत की गई को स्थगित रखें ।
8. मै. श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमि.	17/80	अपीलार्थी की अपील, अपील समिति के समक्ष दि. 28-4-80 को वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गयी ।
9. मै. श्रीराम रेयन्स, कोटा	18/80	तदैव
10. मै. जयपुर स्पीनिंग एवं विविंग मिल्स, जयपुर	19/00	तदैव
11. मै. मेवाड़ शुगर मिल्स लि., चित्तौड़गढ़	20/80	तदैव
12. मै जे. के. सिन्थेटिक्स लि., कोटा	21/80 से 22/80	तदव

1	2	3	4
13.	मै. हिन्दुस्तान कापर लि., खेतड़ी नगर, झुन्झुन	23/80	अपीलार्थी की अपील, अपील समिति के समक्ष दि. 28-4-86 को वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई ।
14.	मै. गंगानगर शुगर मिल्स, जयपुर	24/80	तदैव
15.	मै. श्रीराम रेयन्स, कोटा	1/81	तदैव
16.	मै. श्रीराम फर्टीलाइज़र एण्ड कैमि., कोटा	2/81 से 4/81	तदैव
17.	मै. श्रीराम रेयन्स, कोटा-4	5/81से6/81	तदैव
18.	मै. श्रीराम फर्टीलाइजर एण्ड कैमि., कोटा	7/81	तदैव
19.	मै. श्रीराम रेयन्स, कोटा	8।81	तदैव
20.	मै. श्रीराम फर्टीलाइजर एण्ड कैमि., कोटा	9।81	अपीलार्थी की अपील, अपील समिति को आगामी बैठक में वास्ते अधिग्रहण एवं अग्रिम आदेश हेतु प्रस्तुत की जावेगी ।
21.	मै. राज. कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जोधपुर	10।81से11।81	तदैव
22.	मै. श्रीराम रेयन्स, कोटा-4	12।81	तदैव
23.	मै. जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर	13।81से16।81	तदैव

24. मै. गंगानगर शुगर मिल्स, श्रीगंगानगर	17/81	तदैव
25. मै. उदयपुर काटन मिल्स	18/81	तदैव
26. मै. श्रीराम फर्टीलाइजर एण्ड कैमी, कोटा ।	19/81	तदैव
27. मै. जगनाथ जीवन मल वूलन मिल्स, बीकानेर ।	20/81	तदैव
28. मै. श्रीराम फर्टीलाइजर एण्ड कैमी कोटा	21/81	तदैव
29. मै. उदयपुर डिस्टीलरी कं., उदयपुर ।	22/81	तदैव
30. मै. श्रीराम फर्टीलाइजर एण्ड कैमीकल्स, कोटा ।	1/82	तदैव

273

परिशिष्ट-5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

ग्राम पंचायत, इटावा में अनियमितताएं

438. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की ग्राम पंचायत इटावा के भूतपूर्व सरपंच श्री हंसराज के विरुद्ध निर्माण कार्य सामानों की खरीद, जमीनों के आवंटन एवं नियमन तथा हिसाब में गड़बड़ी करने, गबन एवं घोटालों की शिकायतें वहां के तत्कालीन पंचों एवं जनता द्वारा उच्च अधिकारियों को की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गबन एवं घोटालों की जांच हुई तथा संबंधित सरपंच को कारण बताओ, नोटिस भी दिया गया था ?

(3) यदि हां, तो कृपया, विभिन्न कार्यों हेतु की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या सरकार ने उक्त मामलों में तत्कालीन सरपंच को दोषी पाया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) प्रायमिक जांच में सरपंच के दोषी पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध विस्तृत जांच विचाराधीन है। प्राथमिक जांच प्रतिवेदन विस्तृत जांच हेतु उप-जिलाधीश, कोटा को भेजा हुआ है। अतः प्राथमिक जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पलट पर रखा जाना संभव नहीं है।

(4) प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में तत्कालीन सरपंच को दोषी पाये जाने पर राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियमों के नियम (21) (2) के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। सरपंच द्वारा अपने स्पष्टीकरण में आरोपों का खंडन किये जाने पर उपरोक्त नियमों के नियम 21(3) के अन्तर्गत उप-जिलाधीश, कोटा से विस्तृत जांच करवाई जा रही है।

खेल विभाग का बजट

439. श्री **भैरूसिंह गुर्जर** (सारची): क्या खेल-कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पृथक से खेल विभाग कब प्रारम्भ किया गया ?

(2) राजस्थान में खेल विभाग का बजट कितना है ?

(3) खेल विभाग के बजट में से शहरों व ग्रामों के लिये अलग-अलग कितने बजट का प्रावधान है एवं 1982-83 में यह राशि किस प्रकार उपयोग में ली गई ? कृपया, विगतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) खेल विभाग के तहत राज्य भर

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)
में कितने शहरी व ग्रामीण स्टेडियम व खेल के मैदान हैं एवं ये कब निर्मित हुए हैं? कृपया, वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पृथक से खेल विभाग सृजित किये जाने की घोषणा की जा चुकी है। इसकी रूपरेखा अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) वित्तीय वर्ष 1983-84 में आयोजना मद में 5.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

(3) अभी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) खेल विभाग के पास अभी कोई स्टेडियम व खेल का मैदान नहीं है।

पशु चिकित्सालय भवन, बाली

440. श्री असलम खां (बाली): क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बाली कस्बे में पशु चिकित्सालय भवन दान-दाताओं द्वारा बनवाया गयी है? यदि हां, तो कब पशु चिकित्सालय भवन निर्माण पर दानदाताओं द्वारा कितनी राशि खर्च की गयी ?

(2) पशु चिकित्सालय भवन, विभाग ने अपने अधीन कब लिया, भवन के रख-रखाव पर पिछले पांच वर्षों में कितनी राशि खर्च की गयी ?

(3) पशु चिकित्सालय में कितने डॉक्टर व अन्य कितने कर्मचारी हैं ?

(4) क्या चिकित्सालय को मोबाइल वाहन उपलब्ध कराई गयी है ? यदि हां, तो वाहन पिछले कितने सालों से बन्द है ? यदि नहीं, तो सरकार का कब तक वाहन देने का इरादा है ? कृपया, उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बद्ध विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1970 में भवन दानदाताओं द्वारा दान दिया गया है। इस पर उस समय 40,000/- रुपये की लागत आई बताई गई थी।

(2) यह भवन विभाग द्वारा 8-12-70 को अपने अधीन लिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में 7,334/- राशि रख-रखाव पर व्यय की गई।

(3) पशु चिकित्सालय में एक सहायक, शल्य पशु चिकित्सक दो, पशुधन सहायक 3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं।

(4) बाली पशु चिकित्सालय को कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्वेद विभाग द्वारा औषधि क्रय

441. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग में वर्ष 1982-83 के लिये कब-कब के आर्डर की कितनी-कितनी व कौन-कौनसी दवाइयां माह जनवरी, 1983 तक फर्मों की ओर से विभाग में पहुंच चुकी थी ?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) उसके बाद कितनी लागत की दवाइयों के ऑर्डर विभाग द्वारा दिये गये और किस-किस फर्म को ?

(3) क्या यह भी सही है कि फरवरी, 1982 में ही 32 लाख रुपये की दवाइयों की खरीद के लिये निर्णय लिया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है, कि गत दो वर्षों से राजकीय औषधालयों में प्रमुख दवाइयां रोगियों को उपलब्ध ही नहीं हो रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में विभिन्न क्रय आदेशों के द्वारा फर्मों से प्राप्त सामग्री का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

सूचना

क्रमांक 1	क्रय आदेश दिनांक 2	नाम औषध / सामग्री 3	मात्रा 4	राशि 5
1.	27-4-82	दूध	120 किलो	336.00
2.	27-4-82	देशी घी	36 किलो (दो पीपे)	1224.00
3.	7-10-82	देशी घी.	102 किलो	3515.00
4.	23-10-82	गाज	23,000 मीटर	24150.00
5.	23-10-82	बैण्डेज	11,000 दर्जन	116050.00
6.	12-11-82	आकड़े के फूल	200 किलो	1280.00
7.	12-11-82	शतावरी ताजा	1,000 किलो	2100.00
8.	20-11-82	दूध	1,226 किलो	3397.00
9.	10-12-82	साबुन	2,900 दर्जन	41160.00
10.	दिसम्बर, 82	रेवत चीनी	120 किलो	1536.00
11.	दिसम्बर, 82	घी देशी	33 किलो	1089.00
12.	12-1-83	अकीक	276 किलो	783.84
13.	12-1-83	आंवला सूखा	1,447 किलो	3226.00
14.	12-1-83	तगर	207 किलो	4129.00
15.	12-1-83	नमक सेंधा	2502 किलो	5229.00
16.	12-1-83	पाषाणभेद	198 किलो	782.00
17.	12-1-83	कायफल	179 किलो	787.00
18.	12-1-83	हरड़छाल	3,505 किलो	14195.00
19.	12-1-83	दूध	800 किलो	2200.00
20.	13-1-83	सोंठ	1,500 किलो	29400.00
21.	17-1-83	आंवला हरा (ताजा)	100 किलो	147.00
22.	जनवरी, 83	ढक्कन	1,600 नग	320.00

1	2	3	4	5
23.	जनवरी, 83	जौ, सरसों, राई	20, 4, 4 किलो	114.00
24.	जनवरी, 83	धनिया सूखा	230—500 किलो	1,844.00
			योग ..	2,58,993.84
	रसायनशाला उदयपुर, में प्राप्त माल संलग्न सूची अनुसार			3,47,438.45
			कुल योग ..	6,06,432.29

रसायनशाला, उदयपुर में प्राप्त माल की सूची

क्रमांक	नाम फर्म	आदेश दिनांक	नाम वस्तु	मात्रा	राशि
1.	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, जयपुर ।	19-2-82	बैन्डेज	13,408 दर्जन	1,50,792.15
2.	—उक्त—	19-2-82	गाज	17,640 मीटर	
3.	मै. गजेन्द्र ट्रेडर्स, अजमेर ।	23-2-82	लकड़ी सूखी बबुल	3,160 किलो	156.45
4.	मै. शंकर ट्रेडस, अजमेर ।	28-2-82	गंधक आंवलासार	539 किलो	3,634.15
5.	मै. रामगोपाल शर्मा एण्ड कं, जयपुर ।	31-5-82	वत्सनाभ	169 किलो	4,563.00
6.	—उक्त—	10-6-82	हिंगुल हंसपाद	194 किलो	55,391.65
7.	मै. उदयपुर सर्जिकल्स, उदयपुर ।	30-9-82	कॉटन एवजरपेन्ट	15,000 बंडल	1,11,150.00
8.	मै. हरि पैकिंग इण्डस्ट्रीज, अजमेर ।	19-12-81	खाली खोले	2225 नग	21,752.05
				योग ..	3,47,438.45

क्र. सं.	नाम फर्म	राशि
1.	दीनदयाल औषधालय, जयपुर	12,380.75
2.	राजफेड ग्राउण्ड नट, फतहनगर	4,009.00
3	प्रणव प्लास्टिक, अजमेर	36,700.00
4	वन विभाग	27,131.52
5.	जनजाति निगम, उदयपुर	25,782.50
6.	गीता ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	25,882.50
7.	रामदेव सिद्ध हरडे, जोधपुर	9,898.00
	योग ..	1,41,784.27

राज्य में रूरल हाउसिंग बोर्ड का गठन

442. **श्री हरसहाय मीणा** (किशनगंज) व **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय समस्या के समाधान हेतु सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ?

(2) क्या हाउसिंग बोर्ड की भांति "रूरल हाउसिंग बोर्ड" का गठन करने का सरकार विचार रखती है ?

(3) यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय समस्या के समाधान हेतु तीन योजनाएं है:—

(क) गरीब को छप्पर (अनुदान) योजना इस योजना के तहत चयनित परिवार को 750/- रु. अनुदान के रूप में दिये जाते हैं।

(ख) जीवन बीमा निगम व सामान्य बीमा निगम (ऋण) योजना—इस योजना के तहत 5,000/- रु. प्रति मकान के रूप में दिये जाते हैं।

(ग) हुडको (ऋण) योजना, हाउसिंग एण्ड अरबन डवलपमेन्ट कारपोरेशन, दिल्ली द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों की विभिन्न पंचायत समितियों में 3,000/- रु. प्रति मकान ऋण दिया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोयाबीन की किस्में

443. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

प्रदेश में सोयाबीन की कितनी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)
नोटिफाइड किस्में हैं ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में सोयाबीन के लिए पृथक से कोई नोटिफाइड किस्में नहीं है। भारत सरकार द्वारा समस्त देश के लिए जो किस्में नोटीफाइड की हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

नोटिफाइड किस्में

1. अलंकार 9. के. एच. एफ. बी. 2
2. ब्रेग 10. जे. एस. -2
3. पंजाब-1 11. दुर्गा जे.एस.-72-280
4. टी-49 12. पी. के. 327
5. शिलाजीत 13. क्लार्क तनीर
6. सी. ओ.1 14. ली
7. के. एम.1 15. अंकूर
8. जे.एस.-72242
(गोरव)

जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर

444. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत कितने सीनियर डॉक्टर्स 1983 के बाद कब-कब रिटायर होंगे ? कृपया, मय नाम व सेवा-निवृत्ति की तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अस्पताल की ओर से उपलब्ध करा जाने वाली बहुमूल्य औषधियों का किस प्रकार वितरण किया जाता है ?

(3) ऐसी दवाइयां उच्च अधिकारी की सिफारिश पर प्रदान की जाती हैं अथवा आवश्यकता होने पर वार्ड के इंचार्ज ही प्रदान कर देते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त हॉस्पिटल में ऑपरेशन थियेटर छोटा है ? जिससे संबंधित डॉक्टर परेशानी महसूस करते है ? यदि हां, तो थियेटर को बढ़ाने की अलग से क्या योजना है ?

(5) उपरोक्त थियेटर में आधुनिक संयंत्र व एयर कंडीशनर की सुविधा कब तक उपलब्ध होगी ?

उत्तर

(1) अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत सीनियर डॉक्टर्स जो 1983 के बाद रिटायर्ड होंगे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वार्ड के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार बहुमूल्य औषधियां जरूरतमन्द मरीजों को वितरित की जाती हैं ।

(3) ऐसी औषधियां इन्जेक्शन स्काफ द्वारा वार्ड के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार दी जाती हैं ।

(4) जी हां। चार नए थिएटर बना दिए गये हैं ।

(5) इस सम्बन्ध में बजट उपलब्ध होने पर एयर कन्डीशनर की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

सूची

नाम	पद	सेवा-निवृत्ति तिथि
1. डा. एस. वी. मालवीया	प्रोफेसर, निश्चेतन	30-9-84
2. डा. आर. एस. भाटी	प्रोफेसर, अस्थि विभाग	31-5-84
3. डा. बी. एल. असावा	प्रवक्ता, फारेंसिक विभाग	31-12-84
4. डा. जी. एम. माथुर	प्रोफेसर, पी. एस. एम.	31-7-85
5. डा. एम. एस. माथुर	प्रोफेसर, मेडिसन	31-8-85
6. डा. ए. पी. माथुर	प्रोफेसर, रेडियोलोजी	31-12-85
7. डा. टी. एस. अरोड़ा	प्रोफेसर, सर्जरी	31-1-86
8. डा. जे. पी. सेठी	प्रोफेसर, मेडिसन	28-2-86

बीकानेर शहर में दिये गये जल संबंध

445. श्री **रामकंवार बैरवा** (फागी) एवं श्री **देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर नगर में विभाग द्वारा काफी संख्या में बिना नगर परिषद् व न्यास की एन. ओ. सी. के हलफनामा व इकरारनामा के आधार पर जल सम्बन्ध दिए गए हैं ? यदि हां, तो बिना एन. ओ. सी. के जल संबंध किन नियमों अथवा निर्देशों के अन्तर्गत दिए गए ?

(2) क्या सरकार भविष्य में हलफनामा के आधार पर जल संबंध देने के स्पष्ट निर्देश जारी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों व पूर्व में ऐसे जल संबंध क्यों व किसके आदेश से दिये गये ?

(3) बीकानेर शहर में कुल कितने जल उपभोक्ता हैं ? इनमें से बगैर एन. ओ. सी. तथा हलफनामा के आधार पर जल संबंध प्राप्त उपभोक्ता कितने हैं ? कृपया, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । जिलाधीश, बीकानेर की अध्यक्षता में नगर विकास न्यास के अधिकारियों की उपस्थिति में लिये गये निर्णय के आधार पर बीकानेर नगर की कच्ची बस्तियों में गर्मी की ऋतु के माह मई, 1981 में अस्थाई जल संबंध दिये गये थे । इसके पश्चात् जहां लाइनें डाली हुई थीं व राजस्व की हानि हो रही थी, वहां अस्थाई जल संबंध दिये गये हैं, जिनसे शुल्क वसूल किया जा रहा है ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी नहीं, पूर्व में दिये गये जल संबंध के कारण प्रश्न के भाग—1 में अंकित कर दिये गये हैं। विषम परिस्थितियों में अस्थाई जल संबंध दिये जा सकते हैं।

(3) बीकानेर शहर में कुल 28,860 जल उपभोक्ता हैं। इनमें से नगर परिषद् व नगर न्यास से एन. ओ. सी. प्राप्त किये बिना हलफनामे के आधार पर जल संबंध प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 689 है।

बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन

446. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार व कर्मचारियों के बीच बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में कोई समझौता हुआ है ? यदि हां, तो क्या ? कृपया समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस समझौते का पालन हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। समझौते की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। समझौते में वर्णित समस्त मुद्दों को कार्यान्वित करने हेतु आदेश माह जनवरी-फरवरी, 1983 में जारी कर दिये गये हैं।

समझौते की प्रति

परिशिष्ट "ए"

आज माननीय मुख्य मंत्री एवं दोनों कर्मचारी महासघों के प्रतिनिधियों के बीच उनकी मांगों के सम्बन्ध में वार्तालाप हुआ, जिसमें निम्न निर्णय लिये गये :—

(1) कर्मचारी आन्दोलन को तुरन्त प्रभाव से वापिस लिया जाता है। समस्त कर्मचारी राज्य भर में अपने-अपने काम पर अविलम्ब लौटेंगे।

(2) बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये जाते हैं :—

(i) बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट पर नीचे लिये जाने वाले निर्णय अन्तिम होंगे तथा यह पूर्ण व अन्तिम प्रबन्ध होगा। यदि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ समस्यायें उत्पन्न होंगी तो सरकार उनको एक उचित प्रक्रिया निर्धारित कर यथासम्भव जल्दी से जल्दी समाधान करने का प्रयास करेगी।

(ii) कर्मचारियों के लिये नये वेतनमान निर्धारित किये जावेगें। इन प्रस्तावित वेतन-

मानों में वेतन निर्धारण के लिये 1-9-81 को प्राप्त हो रहे वर्तमान मूल वेतन (बेसिक पे) का 5 प्रतिशत जो न्यूनतम 30.00 रुपये व अधिकतम 75.00 रु. होगा, जोड़कर वेतन निर्धारित किया जावेगा एवं इस प्रकार आंकी गई राशि में दिनांक 1-7-1980 को प्राप्त हो रहे महंगाई भत्ता जोड़ने के पश्चात् नये वेतनमानों में अगली स्टेज पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(iii) कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता राज्य भर में उनके नियुक्ति स्थान पर रहने पर ग्रामीण स्तर तक दिया जायेगा, जिसकी दरें निम्न प्रकार रहेंगी :—

(क) वर्तमान में जिन 28 नगरों में यह भत्ता मिल रहा है, वहां दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(ख) उपरोक्त 28 नगरों के अलावा राज्य के अन्य नगरपालिका शहरों में प्रत्येक कर्मचारी को 20.00 रुपये प्रति माह की दर से मकान भत्ता देय होगा।

(ग) उपरोक्त (क) व (ख) में वर्णित नगरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर 10/- रु० प्रति माह की दर से प्रत्येक कर्मचारी को मकान भत्ता देय होगा।

(घ) उपरोक्त मद में वर्ष 1982-83 में कुल 4 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय नहीं की जावेगी। यदि यह व्यय वास्तविक तखमीने लगाते समय बढ़ता दिखता है तो कैटगरी (ख) व (ग) अर्थात् नगरपालिका क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाले भत्ते में तदनुसार कमी की जा सकेगी।

ये मकान किराया भत्ता दिनांक 1-4-1982 से लागू होगा। यह भत्ता राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के कर्मचारियों को देय होगा।

(iv) सिटी कम्पेन्सटरी अलाउन्स की वर्तमान रीति व दरों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा।

(v) कर्मचारियों को नये वेतनमान दिनांक 1-9-1981 से प्रभावित माने जायेंगे। वेतन निर्धारण के पश्चात् जो 31-3-82 तक की राशि उनको देय मानी जावेगी उनमें से उनको 1-6-81 से मिल रही अन्तरिम राहत की राशि समायोजित करली जायेगी। यदि कर्मचारी को कोई देय राशि बन कर बकाया निकलती है तो वह राशि इम्पाउन्ड करके उनके भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जायेगी, जो अग्रिम तीन वर्ष के लिये उसके द्वारा नहीं निकाली जा सकेगी। यदि देय वेतनमान के लाभ की राशि में अन्तरिम राहत की राशि के समायोजित करने के पश्चात् जो राशि वसूल योग्य बनती है, तो उस राशि को 1-4-1982 से देय वेतनमान लाभ की राशि में समायोजित कर ली जायेगी।

(vi) वेतनमानों की राशि राज्य कर्मचारियों और पंचायत समिति, जिला परिषद् के कर्मचारी एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू होगी।

Page No 283

283

(vii) कर्मचारियों को बेरी वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार बाइसिकिल अलाउन्स दिनांक 1-4-82 से प्रभावी मानकर दिया जावेगा ।

(viii) बेरी वेतन आयोग द्वारा अन्य भत्तों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

(ix) उपरोक्त प्रावधानों के ऊपर तथा इनसे सम्बन्धित सारे प्रभावी अनुबन्धों पर होने वाले कुल व्यय की सीमा वर्ष 1982-83 के लिये 30 करोड़ रुपये की होगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार के द्वारा घोषित चार महंगाई भत्ते जो 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 नवम्बर, 1981 तथा 1 जनवरी, 1982 से लागू मानकर घोषित किये गये हैं के अनुसार राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को भी चार महंगाई भत्ते देने की घोषणा करती है । इन चार महंगाई भत्ते के अन्तर्गत देय 31-3-82 तक की राशि राज्य सरकार द्वारा इम्पाउन्ड की जाकर कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा रखी जावेगी जिसमें से 3 साल की अवधि में कोई भी रकम उनके द्वारा नहीं निकाली जा सकेगी ।

(4) पैरा 3 में वर्णित चार किस्तों में से 3 किस्तों की राशि का प्रति माह भुगतान दिनांक 1-4-82 से प्रभावित मानकर दिया जायेगा तथा एक किस्त की राशि को इम्पाउन्ड की जाकर कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा कर दिया जायेगा व अगले तीन (3) वर्ष की अवधि में कोई रकम उनके द्वारा नहीं निकाली जा सकेगी ।

(5) दिनांक 18-3-82 से हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति अवधि को कर्मचारी द्वारा अर्जित उपार्जित अवकाश (प्रिवीलेज लीव) में समायोजित की जा सकेगी । यदि बकाया उपार्जित अवकाश अनुपस्थिति की अवधि से कम है तो शेष अवधि वर्ष 1982-83 में अर्जित होने वाले उपार्जित अवकाश में समायोजित की जा सकेगी । इसके उपरान्त भी यदि कुछ अवधि समायोजन हेतु रह जाय तो वर्ष 82-83 में देय आकस्मिक अवकाश में भी समायोजित की जा सकेगी ।

वेकेशन वाले विभाग में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल की अवधि को बकाया उपार्जित अवकाश (प्रिवीलेज लीव) व वर्ष 1981-82 में अर्जित होने वाली उपार्जित अवकाश (प्रिवीलेज लीव) तथा वर्ष 1982-83 के आकस्मिक अवकाश में इसी क्रम में समायोजन करा सकेंगे । यदि उक्त उपार्जित अवकाश व आकस्मिक अवकाश अनुपस्थिति की अवधि से कम है तो शेष अवधि अर्द्ध वेतन अवकाश को परिवर्तित (कम्यूटेड) करा-कर भी अनुपस्थिति की अवधि में समायोजित की जा सकेगी ।

(6) आन्दोलन की अवधि में जिन कर्मचारियों को हड़ताल के कारण सेवामुक्त किया गया है अथवा निलम्बित किया गया है अथवा पदावनत किया गया है, उनकी सेवामुक्ति, निलम्बन पदावनति के आदेश वापिस ले लिये जायेंगे ।

(284)

(7) कर्मचारी आन्दोलन की अवधि में कर्मचारियों पर चलाये जा रहे फौजदारी मुकदमात वापिस ले लिये जायेंगे और सभी कर्मचारियों को तत्काल रिहा कर दिया जायेगा तथा उनके विरुद्ध चल रही कार्यवाही को समाप्त कर दिया जायेगा। आगजनी, लूटमार, तोड़फोड़ व हमलों से सम्बन्धित मुकदमात को वापिस लेने के बारे में मुख्य मंत्री जी द्वारा पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

(8) कर्मचारियों के विभिन्न मांग-पत्रों में वर्णित मुद्दों पर सरकार का कार्मिक विभाग यथाशीघ्र विचार कर निपटारा करेगा।

आज दिनांक 9 अप्रेल, 1982 को उपरोक्त समझौता राजस्थान सरकार की ओर से माननीय मुख्य मन्त्री एवं कर्मचारियों की ओर से निम्नलिखित प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के साथ जयपुर में अभिलिखित व सत्यापित किया गया।

ह0/-
(शिवचरण माथुर)
मुख्य मन्त्री,
राजस्थान सरकार

ह0/-
1. राम किशोर अग्रवाल
2. गंगाराम योद्धा
3. मोहन लाल जैन
4. सत्यनारायण पारीक
5. गुलाबचन्द नावरिया
6. रामप्रताप खान्डल
7. रामेश्वर लाल वर्मा
8. शिवकिशोर सनाढ्य
9. घनश्याम शर्मा
10. भंवरसिंह धीरावत
11. गुलाबसिंह
12. महावीर प्रसाद जैन

जयपुर जिले में वृक्षारोपण

447. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)** : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष जयपुर जिले में किस-किस विभाग द्वारा कितने-कितने वृक्ष लगाये जाने का लक्ष्य था तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कितने-कितने वृक्ष लगाये गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्ष जो वृक्ष लगाये गये उन पर कितनी राशि व्यय की गई ? कृपया विभागवार व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत वर्ष जिन-जिन विभागों ने पौधे लगाये उनमें से कितने आज भी हरे हैं तथा कितने नष्ट हो गये ? कृपया पंचायत समितिवार व विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में गत वर्षा ऋतु में वन विभाग द्वारा 15.81 लाख पौधे रोपित करने एवं 7.40 लाख पौधे अन्य विभागों आदि को वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के

Page No 285

285

(राज्य मंत्री, वन)

विरुद्ध वन विभाग द्वारा 14.212 लाख पौधे लगाए गए एवं 6. 85 लाख पौधे जन साधारण एवं अन्य विभागों को वितरित किए गए। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु वन विभाग द्वारा वर्ष 1982-83 में 15. 58 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। अन्य विभाग का व्यय विवरण वन विभाग को उपलब्ध नहीं है।

(3) वन विभाग द्वारा रोपित पौधों के जीवित रहने बाबत विस्तृत गणना नियमानुसार माह मार्च, अप्रेल में कराई जावेगी। अन्य विभागों से भी तदनुसार निवेदन किया जा रहा है।

वन विभाग द्वारा 1982 की वर्षा ऋतु में लगाये गये पौधों का विवरण :

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वर्षा ऋतु में रोपित पौधों की संख्या लाखों में
1.	विभागीय कार्य मण्डल	0.045
2.	मिश्रित वृक्षारोपण मण्डल	2.72
3.	फार्म फोरेस्ट्री मण्डल	2.22
4.	वन मण्डल, जयपुर	6.682
5.	साहिबी परियोजना	2.14
	योग	14.212

विभाग द्वारा वर्ष 1982 की वर्षा ऋतु में वितिरित पौधों का विवरण :-

नाम विभाग	वितरित पौधों की संख्या
1. स्थानीय निकाय विभाग	1861
2. कालेज शिक्षा	460
3. चिकित्सा विभाग	200
4. पुलिस विभाग	75
5. परिवार नियोजन समिति, आमेर	250
6. कृषि उप मण्डी, आमेर	500
7. शिक्षाविभाग	450
8. विद्युत उप मण्डल	120
9. नगरपालिका	150
10. केन्द्रीय शिक्षा विभाग	100
11. नगर विमानन विभाग	1600
12. पंचायत समितियां	2823
13. उद्यान विभाग	500
14. मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज	650
15. नगर विकास न्यास, जयपुर	1250
16. जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	3870
17. निजी व्यक्तियों को वितरित किये (कृषि वानिकी सहित)	6.75 लाख

बाल कल्याण योजना

448. श्री हरी सिंह (कुम्हेर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि परिवार एवं बाल योजना जो समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित थी और जिसे 1 जुलाई, 1981 से विकास विभाग के अधीन ले लिया है, के कर्मचारियों के वेतन से नियमानुसार सी. पी. एफ. की राशि अप्रेल, 1977 से व जी. पी. एफ. की राशि वर्ष

(श्री हरिसिंह)
1979 से काटी जाती थी ?

(2) क्या यह सही है कि वह राशि न तो समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बैंक में जमा कराई गई है और न ही उसके लेखे तैयार किये गये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त राशि समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विकास विभाग को नहीं सौंपी गई है? यदि हां, तो उस राशि की देनदारी की जिम्मेदारी किसकी होगी ?

(4) क्या राज्य सरकार इस राशि के लेखे तैयार कराने और उसे राज्य कोष में जमा कराने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। केवल सी. पी. एफ. की राशि दिनांक 1-4-77 से नियमानुसार काटी थी, जी. पी. एफ. की नहीं।

(2) जी नहीं। काटी गई राशि सम्बन्धित कर्मचारियों के खाते में जमा है और उनके लेखे तैयार हैं।

(3) काटी गई राशि कर्मचारियों के खातों में जमा है। इन खातों की पासबुक्स योजना हस्तान्तरण के समय ही पंचायत समितियों को सौंप दी गई थी।

(4) इसका उत्तर भाग (2) व (3) में दिया जा चुका है।

खेल विभाग की स्थापना

449. श्री **जनार्दन सिंह गहलोत (कठोली)**: क्या खेल-कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान में खेल विभाग की स्थापना के बाद क्या इस विभाग का कोई स्वरूप निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खेल विभाग की रूपरेखा राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन व डेयरी विकास

450. श्री **सूरजाराम ढाक (नोखा)**: क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पशुपालन एवं डेयरी विकास धन्धा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान बीकानेर में अधिक है, जबकि निदेशालय जयपुर में है? क्या यह उचित है?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त निदेशालय को बीकानेर जिले में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) पशुपालन तथा डेयरी विकास की गतिविधियां पूरे राजस्थान में व्याप्त हैं। निदेशालय का कार्य पूरे राजस्थान से संबधित है, किसी जिले विशेष से नहीं। अतः इसका जयपुर रहना ही उचित है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार का निदेशालय को बीकानेर स्थानान्तरण करने का कोई विचार नहीं है जिसका कारण प्रश्न के भाग (1) में वर्णित है।

बाड़मेर जिले में औषधि वितरण

451. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में जितनी औषधियां वितरित की जाती हैं उनका केन्द्र बाड़मेर जिले में न होकर जोधपुर में है और सभी वैद्य वहां से जाकर अथवा आर्डर पर औषधियां लाते हैं अथवा सूचना देकर मंगाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन औषधियों का हिसाब-किताब बाड़मेर के मुख्यालय पर रहता है ? जिससे ठीक-ठीक यह ज्ञान नहीं रहता कि किन-किन औषधियों का अभाव है ?

(3) क्या आयुर्वेद विभाग मुख्यालय बाड़मेर पर कोई भी वितरण केन्द्र खोलने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। औषधियों का हिसाब-किताब तो जोधपुर औषध वितरण केन्द्र में ही रहता है, परन्तु जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर को औषधियों के अभाव की जानकारी समय-समय पर होती रहती है।

(3) जी नहीं। विभाग की प्लान सीलिंग के अनुसार सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्ष 1982-83 व 1983-84 में बाड़मेर में औषध वितरण केन्द्र खोलना फिलहाल सम्भव नहीं है।

नगरपालिका, आमेट के कर्मचारियों की सेवा मुक्ति

452. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, आमेट, जिला उदयपुर में कार्यरत कुछ कर्मचारियों को तारीख 8-1-1981 को नौकरी से निकाल दिया गया था ? यदि हां, तो कृपया, उनकी सूची उनकी नियुक्ति तिथि सहित सदन की मेज पर रखें। इन लोगों को नौकरी से हटाने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ लोग करीब 16 माह तक नौकरी में रहे, फिर भी इन्हें हटा दिया गया तथा इन लोगों की नियुक्ति के बाद लिये गये लोगों को अभी तक नौकरी में रखा हुआ है ? क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार कर नौकरी से हटाये गये व्यक्तियों को पुनः नियुक्त करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। इन लोगों को अनियमित नियुक्ति दी जाने के कारण हटाया गया था।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने तीन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र पर पुनर्विचार कर उन्हें पुनः ड्यूटी पर लेने को लिख दिया है एक व्यक्ति ने श्रम न्यायालय में अपील कर रखी है।

(8-1-81 को नगरपालिका द्वारा निकाले गये कर्मचारियों की सूची)

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	नियुक्ति दिनांक	निकालने का दि.
1.	श्री सुमेरदान आढा	सब-नाकेदार	1-8-79	8-1-81
2.	श्री नरपतसिंह देवल	,,		,,
3.	श्री रूपसिंह चूण्डावत	,,		,,
4.	श्री त्रिलोकचन्द छीपा		18-9-79	,,
5.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	,,	25-10-79	,,

उक्त कर्मचारियों को सेवा से निकालने का कारण निदेशालय, स्थानीय निकाय राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एस्टे।एस।एफ। 16(9) डीएलबी/74,8359।द. 29-12-80 द्वारा नियुक्तियां अनियमित होने के कारण निरस्त करने के अनुसार ।

ह.
अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका, आमेट ।

पौध संरक्षण योजना

453. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) एवं : श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पौध संरक्षण योजना से 2 फोरमैन तथा 19 मैकेनिक के पद मितव्ययता के नाम पर कम कर दिये गये हैं और इसके फलस्वरूप पूरे राजस्थान में 13,633 मशीन, यंत्रों का कोई उपयोग नहीं हो सकेगा ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि फसल की सफलता के लिए पौध संरक्षण योजना अत्यन्त आवश्यक है और उप निदेशक, पौध संरक्षण ने भी इसी दृष्टि से उक्त पदों को समाप्त करने का विरोध किया था ? यदि हां, तो इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त पदों को समाप्त नहीं करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) पौध संरक्षण योजना से आर्थिक कटौती अन्तर्गत 2 फोरमैन तथा 19 मैकेनिक के पद समाप्त करने के राज्य सरकार के आदेश वित्त विभाग की सहमति से हुए हैं । विभाग में विभिन्न प्रकार के 19,313 यंत्र मौजूद हैं । उपलब्ध पौध संरक्षण यंत्रों का उपयोग काश्तकारों द्वारा किया जाता है तथा आगे भी किया जायेगा । मशीनों की देखरेख व मरम्मत के लिये खण्ड स्तर/मुख्यालय पर मैकेनिक्स/फोरमैन की जब भी व्यवस्था रहेगी ।

(2) हां, कृषि फसल की सफलता के लिये पौध संरक्षण योजना अत्यन्त आवश्यक है। उप-निदेशक, कृषि (पौध संरक्षण) ने इस बारे में अपनी राय में बताया था कि यंत्रों की मरम्मत हेतु बजट में लगभग 30,000।- से 40,000।- रुपये का ही प्रावधान रहता है जो राशि इस कार्य के लिये बहुत ही कम है, अतः यह सुझाव दिया गया था कि इस कार्य हेतु अधिक राशि का प्रावधान किया जावे। राज्य सरकार ने

(कृषि राज्य मंत्री)
पूरी स्थिति को ध्यान में रखकर मितव्ययता में 2 फोरमन व 19 मैकेनिक्स के पद समाप्त कर दिये। मशीनों की देखरेख व मरम्मत हेतु सघन कपास विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थापित 10 मैकेनिक्स की सेवाओं को काम में लिये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है।

(3) ऐसा कोई प्रश्न वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

बांसवाड़ा जिले में डाक्टर्स के रिक्त पद

454. श्री बहादुरसिंह (दानपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं? कृपया, पंचायत समितिवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। इनमें से कितने केन्द्रों पर डाक्टर्स के पद स्वीकृत हैं उनमें से कितने केन्द्रों पर डाक्टर्स की सेवायें उपलब्ध नहीं हैं और क्यों?

(2) जिन केन्द्रों पर डाक्टर्स की नियुक्ति के आदेश होने के बावजूद डाक्टर्स की नियुक्ति नहीं हुई है उन पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में कुल 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है। सभी केन्द्रों पर डाक्टर्स के पद स्वीकृत हैं एवं सभी केन्द्रों पर डाक्टर्स की सेवायें उपलब्ध हैं।

(2) रिक्त पदों पर डाक्टर्स की नियुक्ति जल्दी ही कर दी जायेगी।

बांसवाड़ा जिले में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों का पंचायत समितिवार ब्यौरा:—

पंचायत समिति	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
1- तलवाड़ा	1- तलवाड़ा
2- कुशलगढ़	2- कुशलगढ़
3- गढ़ी	3- परतापुर
4- घाटोल	4- गनोडा
5- बागीडोरा	5- छींच
6- पीपलखूंट	6- छोटी सरवन
7- सज्जनगढ़	7- छोटा डूंगरा
8- आनन्दपुरी	8- आनन्दपुरी (भूखिया)

राज्य के कतिपय जिलों में गंगा-जमुना नदी का पानी

455. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) एवं श्री भैरु सिंह गुर्जर (खारची): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छठी पंचवर्षीय योजना में गंगा-जमुना नदी का पानी चूरू, झुन्झुनू, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर जिलों को दिलाये जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो अब तक इस ओर क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या सरकार छठी योजना के अन्त तक इन जिलों को यह पानी उपलब्ध करा सकेगी। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, केवल भरतपुर जिले

(सिंचाई मन्त्री)

के लिए यमुना के पानी से वर्षा ऋतु में सिंचाई हेतु गुड़गांव केनाल निर्माणाधीन है।

(2) जी नहीं, गंगा एवं जमुना नदियों के सरप्लस पानी के विभिन्न राज्यों में बंटवारे के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है ।

डूंगरपुर जिले में ए. एन. एम. के पद की ट्रेनिंग हेतु चयनित प्रत्याशी

456. श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर में ए. एन. एम. ट्रेनिंग की भर्ती के समय स्थानीय जिले की कितने आदिवासी उम्मीदवारों को लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि चालू सत्र में जिले में 44 ए.एन.एम. ट्रेनिंग उम्मीदवारों में से 36 राज्य के बाहर की उम्मीदवार ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त मामले की जाँच कर, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में पिछले ए. एम. एम. ट्रेनिंग बैच में किसी आदिवासी प्रशिक्षणार्थी को प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि आदिवासी अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए ।

(2) जी हां, इसका कारण आदिवासी अभ्यर्थियों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त न होना था ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

ट्रेक्टर एवं ट्रोली कर

457. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

क्या सरकार अन्य राज्य की भांति, राजस्थान में भी ट्रेक्टर एवं ट्रोली पर कर समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं ।

हमारी बिक्री कर की दरें ट्रैक्टरों पर अन्य राज्यों के समान ही हैं ।

एम. बी. बी. एस. उत्तीर्ण छात्रों को आर. ए. एस. प्रतियोगिता के लिये पात्रता

458. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी): (1) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि एम. बी. बी. एस. उत्तीर्ण छात्र आई. ए. एस. प्रतियोगिता परीक्षा दे सकते हैं किन्तु वे आर. ए. एस. प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों?

(2) सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । एम. बी. बी. एस. डिग्रीधारी अभ्यर्थी राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सेवाओं के लिये आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिये

(मुख्य मंत्री)

पात्र हैं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उप-मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र

459. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वन मण्डल, बूंदी के रक्षित वन खण्ड उमर पगारा में वन विभाग ने क्लोजर बनाया हुआ है ?

(2) क्या 1976 में इस क्षेत्र में खान लगाने के किसी प्रार्थना-पत्र पर राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन. ओ. सी.) देने से इन्कार कर दिया था ? कृपया, आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उसी वन खण्ड में खान लगाने के लिए 1979 में उप-मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, कोटा ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया ?

(4) क्या उक्त अधिकारी को इस प्रकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार था ? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या उपरोक्त गलत आदेश के संदर्भ में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया गया है एवं फर्म की खानों के पट्टे रद्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) अभाव अभियोग निराकरण विभाग ने सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र पर मुख्य-वन संरक्षक की टिप्पणी मांग कर, प्रार्थी को सूचित किया कि आलोच्य क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृति नहीं दी जा सकती । मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या एफ. 26 (4) 76/ विविध/मुक्ता 16222, दिनांक 2-9-76 व उप-सचिव, अभाव अभियोग निराकरण विभाग के पत्र संख्या मु. म. अ. म. 76/677, दिनांक 30-9-76 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) अनापत्ति प्रमाण-पत्र मण्डल वन अधिकारी, बूंदी द्वारा उप-मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, कोटा के निर्देशों की पालना में जारी किया गया ।

(4) आलोच्य क्षेत्र पर पूर्व में लिये गये निर्णयों को देखते हुए उप-मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, कोटा द्वारा ही मण्डल वन अधिकारी, बूंदी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिये गये निर्देश अनापेक्षित थे ।

(5) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

आदेश की प्रति
(मुख्य मंत्री सचिवालय)

क्रमांक मु.म.।अ.अ.।76।677 जयपुर, दिनांक 30-9-76

केप्टेन विजय सिंह,
सी-42 बापू नगर, जयपुर-4

प्रिय महोदय,

आपने ग्राम उमर, तहसील हिण्डोली, जिला बूंदी में वन विभाग की भूमि का संगमरमर की खान हेतु कुछ क्षेत्र चाहा था। चूंकि जिस क्षेत्र में आप खान चाहते हैं उसमें वन विभाग द्वारा काफी खर्चा करके क्लोजर बनाये गये हैं, इसलिए वह क्षेत्र खान के लिए रिलीज करना संभव नहीं है। यह आपकी जानकारी हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक एफ 26(4)76।विविध।मुक्त। 16222, दिनांक 2-9-76 और से मुख्य वन संरक्षक, राज.,जयपुर निमित्त निदेशक, अभाव अभियोग, मुख्य मंत्री सचिवालय, जयपुर।

विषय :—श्री विजय सिंह, रिटायर्ड चीफ पायलेट को संगमरमर की खान आवंटित करने बाबत।

प्रसंग :—आपका पत्र संख्या मु.म.।अ.अ.।76।677,दिनांक 3-5-76

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय द्वारा वन संरक्षक, पूर्वी वृत,कोटा को मौका देखकर रिपोर्ट करने हेतु निर्देश दिये गये थे जिनकी पालना में वन संरक्षक ने उक्त एरिया का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार :—

1. जिस क्षेत्र में क्लोजर बनाया गया है उस क्षेत्र में खान लगाने की स्वीकृति देना एक गलत परम्परा होगी। राज्य सरकार द्वारा वनों का पुनरुद्धार करने हेतु काफी राशि व्यय कर क्लोजर बनाये गये हैं। अतः क्लोजर में से वन भूमि को रिलीज करना वन संरक्षण की नीति के विपरीत कार्यवाही होगी।

2. आज संपूर्ण देश में अधिक वन लगाने की विचारधारा का आरंभ हुआ है, वर्तमान वन क्षेत्रों को रिलीज कर नए वन लगाना विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होगा।

3. उक्त वन खण्ड के छोटे से क्षेत्र में खान लगाने की स्वीकृति देने से आसपास का काफी वन क्षेत्र प्रभावित होगा। खान लगवाने से श्रमिकगण रहेंगे जिससे आसपास के वन क्षेत्रों में अवैधानिक कटाई की संभावना बढेगी, ट्रकों के आवागमन हेतु सड़क बनेगी जिससे वन की पैदावार नष्ट होगी। अतः वन संरक्षण उक्त एरिया में खान लगाने की स्वीकृति के पक्ष में नहीं है।

यह कार्यालय भी वन संरक्षक द्वारा बताये गये कारणों को मद्देनजर रखते हुए एवं निरंतर घट रहे वन क्षेत्रों को देखते हुए क्लोजर क्षेत्र में खान लगाने की स्वीकृति देने के पक्ष में नही है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या 5142 दिनांक 22-4-76 द्वारा मण्डल वन अधिकारी, बूंदी का प्रतिवेदन संलग्न किया जा चुका है। जिसके अनुसार उस क्षेत्र के विधायक एवं जिलाधीश भी वन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुऐ इस क्षेत्र में खान लगाने की स्वीकृति के पक्ष में नहीं है।

घोरीमन्ना व सिणधरी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या

460. श्री **हेमा राम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर की पंचायत समिति घोरीमन्ना एवं सिणधरी क्षेत्र की प्राथमिक पाठशालाओं में छात्र संख्या एवं अध्यापकों की संख्या क्या-क्या हैं कृपया, स्कूल-वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 1:49 के मापदण्ड से पंचायत समिति, घोरीमन्ना एवं पंचायत समिति, सिणधरी की पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

(3) क्या राज्य सरकार अध्यापकों की उक्त कमी को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कमी की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(4) क्या राज्य सरकार ट्राइबल एरिया की तरह रेगिस्तानी एवं सीमावर्ती जिला बाड़मेर के लिए 1 : 49 के मापदण्ड में परिवर्तन कर 1 : 29 का मापदण्ड एवं प्रत्येक पाठशाला में कम से कम एक अध्यापक के पद की स्वीकृति पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर की पंचायत समिति, घोरीमन्ना की प्राथमिक शालाओं में छात्र संख्या 6,665 एवं स्वीकृत अध्यापकों के पद ,125 हैं व 125 अध्यापक कार्यरत हैं। पंचायत समिति, सिणधरी क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में छात्र संख्या 6,090 एवं स्वीकृत अध्यापकों के पद 120 हैं तथा 117 कार्यरत हैं। शालाओं की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। पंचायत समिति, घोरीमन्ना की शालाओं, में वर्तमान में 1:49 के मापदण्ड से 70 पदों की कमी हैं तथा पंचायत समिति, सिणधरी की शालाओं में 57 पदों की कमी है।

(3) जी हां। वर्ष 1983-84 में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय लिया जा चुका है। शिक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त होते ही पद आवंटित कर दिये जावेंगे।

(4) 1:49 का मापदण्ड सम्पूर्ण क्षेत्रों के लिए है तथा इसके अनुसार हर स्वीकृत प्राथमिक शाला में कम से कम एक अध्यापक का पद स्वीकृत है, चाहे छात्र संख्या 49 से कम हो।

सूची

पंचायत समिति, घोरीमन्ना

क्र. सं.	प्राथमिक शाला का नाम	अध्यापकों के स्वीकृत पद	छात्र संख्या		योग
			छात्र	छात्रा	
1	2	3	4	5	6
1	घोरीमन्ना	8	294	89	383
2.	भीमथल	1	37	3	40
3.	माऊडा	1	67	5	72
4.	पन्बूबेरा	1	50	5	55
5.	सूदाबेरी	1	48	8	56
6.	सुरते की बेरी	1	55	3	58
7.	भीलों की बस्ती (लूखू)	2	65	25	90
8.	कोलियाना	1	49	6	55
9.	कातरला	1	78	7	85
10.	रोहिला पूर्व	1	60	2	62
11.	चैनपुरा	1	55	4	59
12.	कुण्डावा	1	50	—	50
13.	आलम सरिया	1	53	7	60
14.	शिवमन्दिर	1	48	10	58
15.	सीलगन	1	60	9	69
16.	मीठी	1	32	6	38
17.	मुकनतला	2	92	9	101
18.	कबूली	1	35	14	49
19.	गड़ड़िया	1	50	14	64

1	2	3	4	5	6
20.	जालबेरी	1	45	9	54
21.	कुमारों का तला	1	79	1	80
22.	मीठड़ा खुर्द	2	102	14	116
23.	नेड़ी नाड़ी	1	63	2	65
24.	खरड़	1	59	11	70
25.	बारूडी	1	47	7	54
26.	कांछी की ढाणी	1	31	17	48
27.	डाबड़	2	81	10	91
28.	गादेवी	1	44	3	47
29.	मंगले की बेरी	1	48	5	53
30.	सिघासवा चौहान	1	47	10	57
31.	रोली	1	38	4	42
32.	बांटा	2	76	7	83
33.	माली खाल	1	60	12	72
34.	सालू की ढाणी	2	89	2	91
35.	मोखावा	1	49	4	53
36.	सनावड़ाकलां	1	44	1	45
37.	बारासण	1	73	3	76
38.	गोलियाकलां	1	42	5	47
39.	गुलाणियों की ढाणी	1	46	5	51
40.	धांधलावास	1	56	9	65

1	2	3	4	5	6
41.	लुणवा जागीर	2	122	4	126
42.	ग्रामलियाला	1	49	1	50
43.	माखरपुरा	2	106	1	107
44.	मगे की ढाणी	1	26	—	26
45.	गोलिया गर्वा	1	71	3	74
46.	बचयाशाला नगर	1	38	16	54
47.	ग्रालपुरा	1	49	1	50
48.	पादरडी	1	40	9	49
49.	डेडावास	1	67	2	69
50.	लूम्बावास	1	25	7	32
51.	रतनपुरा	1	86	14	100
52.	गुडामालानी	7	309	104	413
53.	पीपराली	2	91	7	98
54.	पूजाबेरी	1	42	2	44
55.	धोलीनाडी	1	42	—	42
56.	मेगवालों की बस्ती (माणकी)	1	51	12	63
57.	डाबली	1	38	2	40
58.	बोरचारणान	1	39	1	40
59.	रामजी का गोल	1	51	3	54
60.	गांधव खुर्द	1	39	7	46

1	2	3	4	5	6
61.	माणकी	2	77	21	98
62.	डबोई	1	31	–	31
63.	बोरी गांव	1	42	4	46
64.	पुरावा	1	35	4	39
65.	कोठाला	1	43	4	47
66.	ढाकों का तला	1	50	–	50
67.	रोहिला पश्चिम	1	77	8	85
68.	शोभाला दर्शान	2	78	13	91
69.	बिसारनिया	1	51	13	64
70.	मलीसर	1	52	5	57
71.	मूणिया	2	89	6	95
72.	करने की ढाणी	1	30	–	30
73.	शशि की बेरी	1	47	5	52
74.	भांगे का तला	1	36	4	40
75.	हिरानियोंका तला	1	44	–	44
76.	नवा तला राठौड़ान	1	51	6	57
77.	अहमद का तला	1	62	8	70
78.	किसनोरिया	1	44	2	46
79.	बामनोर अमीरशाह	1	62	6	68
80.	बामनोह भवरशाह	2	87	21	108
81.	पाबूबेरी	1	46	4	50
82.	बाघा	1	60	3	63
83.	बांधनियां का तला	1	36	4	40
84.	आकल	1	49	1	50

1	2	3	4	5	6
85.	ओगाला	2	88	5	93
86.	कारटिया	1	45	3	48
87.	पीपलीबेरी	1	57	5	62
88.	खारी	2	87	14	101
89.	केकड़	2	104	6	110
90.	बाछला	1	56	1	57
91.	बावतलाई	1	46	2	48
92.	बूल	1	32	4	36
93.	भेरुडी	1	46	16	62
94.	भागभरे की बेरी	1	61	12	73
95.	मंगासरा	1	57	8	65
96.	आलेटी	1	47	1	48
	कुल योग ..	125	5883	782	6665

o

Page No 299

(२९९)

पंचायत समिति, सिणधरी

क्र. सं.	प्राथमिक शाला का नाम	अध्यापकों के स्वीकृत पद	छात्र संख्या		योग
			छात्र	छात्रा	
1	2	3	4	5	6
1-	प्रा. पा. अर्चियों की ढाणी	1	52	8	60
2-	,, एड अमरसिंह	1	71	1	72
3-	,, एड मानसिंह	1	45	1	46
4-	,, ऐवाडीमानजी	1	56	10	66
5-	,, ओकातिया	2	105	8	113
6-	,, करना	1	46	2	48
7-	,, कगाऊ	1	35	—	35
8-	,, कुड़ला	2	69	12	81
9-	,, कुशालों की ढ़ाणी	1	47	3	50
10-	,, कोशलू	2	92	3	95
11-	,, केरली नाडी	1	57	9	66
12-	,, कुम्हारों का तला	1	62	6	68
13-	,, खरटिया	1	63	6	69
14-	,, खरटिया जूनागांव	1	51	2	53
15-	,, खारा महेचा	1	55	1	56
16-	,, खारियाखुर्द	1	44	5	49
17-	,, खरीगो की ढाणी	1	28	1	29
18-	,, खारकी बेरी	1	48	5	53
19-	,, खारियापानी का होद	1	51	5	56
20-	,, कुडाला	1	53	8	61
21-	,, खुडासा	1	39	6	45
22-	,, गालानाडी	1	52	3	55
23-	,, गालाबेरी,	2	105	9	114
24-	,, गंगासरा	1	18	2	20
25-	,, गोलिया जीवराज	1	30	15	45
26-	,, गोलिया महेचा	1	40	7	47
27-	,, गोलिया जैतमाल	2	104	11	115
28-	,, चाडों की ढाणी	2	112	4	116

1 2	3	4	5	6
29- प्रा. शा. छोटू	2	111	2	113
30- ,, जालीखेडा	1	88	17	105
31- ,, जूनामीठाखेडा	2	69	1	70
32- ,, टाकूबेरी	2	77	5	82
33- ,, टूकिया	1	25	5	30
34- ,, डागेंवा	1	35	5	40
35- ,, डूगाणियों की ढाणी	1	40	4	44
36- ,, दोलानियों का तला	1	25	5	30
37- ,, डूडियों की ढाणी	1	40	5	45
38- ,, दरगुडा	1	50	–	50
39- ,, धनवा	2	85	6	91
40- ,, धनतला	1	28	4	32
41- ,, धन्ने की ढाणी	1	94	5	99
42- ,, धोलानाडी	1	42	5	47
43- ,, धोलानाडा	1	86	8	94
44- ,, नई उन्दरी	1	33	12	45
45- ,, नाकोडा (लोहिडा)	1	35	–	35
46- ,, निम्बल	1	49	2	51
47- ,, नोसर	3	116	24	140
48- ,, नेहरों की ढाणी	1	75	2	77
49- ,, पायलारखुर्द	1	76	5	81
50- ,, वक्सेकातला	1	46	2	48
51- ,, बाभनी	1	36	1	37
52- ,, बानोकातला	1	60	3	63
53- ,, बेरीवालातला	2	62	5	67
54- ,, बोडवा	2	86	4	90
55- ,, भाटा	1	26	2	28
56- ,, भूकाथानसिंह	1	35	1	36
57- ,, भूकाभगतसिंह	1	57	5	62
58- ,, भोजासर	2	82	4	86
59- ,, मगने की ढाणी	3	122	13	135
60- ,, मण्डावला	1	67	7	74

1	2	3	4	5	6
61.	प्रा. पा. मालपुरा	1	74	—	74
62.	,, मीठीबेरी	2	139	14	153
63.	,, मीठियातला	1	25	7	32
64.	,, रानासरखुर्द	2	114	12	126
65.	,, रावतसर	4	184	17	201
66.	,, लाभसुथारकातला	1	64	5	69
67.	,, लूखोंकातला	1	58	2	60
68.	,, लोलावा	1	46	4	50
69.	,, सारणोंकातला	1	85	9	94
70.	,, सरणूचिमनजी	1	92	2	94
71.	,, समदड़ोकातला	1	55	5	60
72.	,, सडा	3	133	12	145
73.	,, साजन्टा	1	29	4	33
74.	,, सिणधरी	8	278	79	357
75.	,, सिणधरीचारणान	1	41	1	42
76.	,, सियाकों की ढाणी	1	39	12	51
77.	,, सेवनियाला	2	71	6	77
78.	,, नया सोभेसरा	1	86	10	96
79.	,, सोभाला	2	88	8	96
80.	,, सडेचा	1	32	12	44
81.	,, होडू	2	110	10	120
82.	,, सणपा	2	96	10	106
	रिक्त पद	3			
	योग ..	120	5527	563	6090

माण्डल नगरपालिका

461. श्री **बिहारीलाल पारीक** (मांडल): क्या स्वायत शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाडा जिले की माण्डल नगरपालिका को भंग करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था ?

(2) यदि हां, तो कब एवं इसे क्रियान्वित नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(3) माण्डल नगरपालिका के चुनाव कब तक करा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(3) शेष नगरपालिकाओं के चुनावों के साथ इसके भी चुनाव कराये जा सकेंगे।

पद्मश्री, पद्मभूषण पदक के लिए की गई सिफारिश

462. श्री **केसरीचन्द चौधरी** (किशनगढ): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1981-82 व 1982-83 में राज्य सरकार ने पदम श्री, पदम भूषण आदि पदक दिलाने के लिए क्या किन्हीं व्यक्तियों की सिफारिश भारत सरकार को की है ?

(2) यदि हां, तो कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सिफारिशें गोपनीय होने के कारण जन हित में सूची सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकेगी ।

रामपुरा (नीम का थाना) बांध निर्माण में अवाप्त भूमि

463. श्री **मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीमका थाना तहसील में रामपुर (पाटन) बांध कब बनाया गया था और उसमें कितने काश्तकारों की कितनी चाही व बारनी भूमि अवाप्त की गई थी ?

(2) उपरोक्त बांध में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा किस-किस काश्तकार ने नहीं लिया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि मुआवजा लिये बिना ऐसे काश्तकारों की भूमिका इन्तकाल सिचाई विभाग के नाम बदल दिये गये जबकि काश्तकार ही जमीन की काश्त करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार काश्तकारों को वापस खातेदारी हक दिलाने की कार्यवाही करेगी ।

उत्तर

(1) रामपुर (पाटन) बांध का कार्य सन् 1969 में पूर्ण किया गया । इसके लिये 127 काश्तकारों की 78.37 एकड चाही 108, 41, एकड बारानी 74.4 एकड़ टहरी व 19-28 एकड बंजड भूमि अवाप्त की गई थी ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सिंचाई मन्त्री)

(3) जी हां। सिचाई विभाग द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक प. 21(3) सि.178 दिनांक 10-9-79 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित काश्तकारों द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अवाप्त भूमि का नामान्तरण उनके नाम पुन: किये जाने में सिंचाई विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

भूमि का मुआवजा नहीं लेने वाले काश्तकारों की सूची:—

क्रम संख्या	काश्तकार का नाम
1	2
	ग्राम रामपुर
1.	माफी पुजारी देवदास कृषक क्षूता तेजा माली
2.	माफी हनुमान जी चेला गंगादास
3.	माफी शिवजी डूलानाथ पुत्र गमनाथ जोगी
4.	मामुजा नेदराज
5.	मोमसिंह प्रभुसिंह
6.	कृष्णा पुत्र चेता
7.	श्री उमरावसिंह राधाकृष्ण भंवरसिंह
8.	प्रभुसिंह गणपतसिंह पिता भूरसिंह
9.	गोपालसिंह सांवलसिंह जगन्नाथसिंह पिसरान जसूसिंह
10.	प्रभुसिंह गणपतसिंह इसरान भूरसिंह 1-2 गोमू पुत्र भीमा माली
11.	वलदेव सिंह पुत्र भंवर सिंह
12.	उमराव सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपुत्र
13.	भरत्या पुत्र हरभजन महाराज
14.	भूरा पत्या जन्दर पिसरान मीरा
15.	भगतावर सिंह प्रभु सिंह पिता भंवरसिंह 2-3 किशन वगैरह
16.	गोमा पुत्र भीमा माली, राधाकृष्ण पुत्र भंवर सिंह
17.	बलदेव सिंह पुत्र भंवर सिंह 1/2, बहादुर सिंह पुत्र शम्भू सिंह 1-2
18.	प्रभु सिंह वगैरह
19.	,,
20.	सुरजा पुत्र उमेर 1/2, गोरधन पुत्र हरदेव 1/2
21.	वलदेव सिंह वगैरह
22.	राधा कृष्ण पुत्र भगवान सिंह
23.	उक्त ,,
24.	रावत सिंह पुत्र मूला सिंह

1	2
25.	भूरा रामलाल पिसराम नथया गुजर
26.	भूरसिंह नीहालसिंह पिसरान अर्जुसिंह 2/3 भंवरसिंह पिसरान गोविन्द सिंह 1/3
27.	हनूता पुत्र गोपाल सिंह
28.	हनूता पुत्र मीवा माली
29.	भूरया पुत्र रेगा, नथ्या पुत्र रज्जा, टीकू भान्या धन्ना इसरान गंगासहाय
30.	भूरसिंह प्रभूसिंह पिसरान भवानीसिंह 1/3, बदरी पुत्र हीरा माली 2/3, गंगासिंह पुत्र सम्पतसिंह
31.	श्रीमति मोवर बेवा मूलसिंह 213; हीरया, गोपाल, भूरया, पिसरान इसत 1/3
32.	भगवती प्रसाद बनवारीलाल पिसरान रजपाल
33.	घुन्नीलाल पुत्र शेडूमल
34.	गोपीनाथ सिंह पुत्र भंजन सिंह
35.	मालिया पुत्र डाई ममगू
36.	भूरवा बसी पिसरान बक्ष
37.	उमराव सिंह राधा कृष्ण सिंह
38.	मीना राम पुत्र डेरा राम
39.	गोविन्द सिंह
40.	बंशी पुत्र गोरी सहाय वैश्य
41.	गंगू सिंह पुत्र सांगूसिंह
42.	छाजू सिंह
43.	उक्त
44.	पूरा पुत्र मंगल सिंह
45.	ओंकार जग्गू भरतया अहीर
46.	बद्री पुत्र हीरया
47.	भामे सिंह
48.	छूता पुत्र शेडू माली
49.	तेजया पुत्र शेडू माली
50.	माधिया पुत्र शेडा माली
51.	नारायन सिंह
52.	मोम सिंह
53.	बंशीधर पुत्र गोरी सहाय महाजन
54.	अनार कंवर
55.	इसरया पुत्र नाथा गुजर
56.	भूरया पुत्र राधा गुजर

1	2
57.	वंशीधर पुत्र गोविन्द सहाय 2/3 उदय सिंह 1/3
58.	सुगन सिंह
59.	उदय सिंह
60.	मुकन्द सिंह
61.	प्रभू सिंह
62.	मल सिंह
63.	भूरया पुत्र सुआ राम
64.	नारायण पुत्र लेखा
65.	बखतावरसिंह
66.	अंगडिया पुत्र मीणा
67.	गणेश पुत्र सूरज मल
68.	भंवर सिंह पुत्र नहाल सिंह
69.	मौरा पुत्र भीका माली
70.	दूला नाथ पुत्र राम नाथ
71.	केदू पुत्र माधा
72.	रूढा पुत्र गोधा, सूरजा पुत्र रामनारायण
73.	अमर सिंह

ग्राम नौराना

74.	मूलिया अर्जुन सेडू पुत्र नानगराम
75.	ओंकार पुत्र मालिया नन्नू राम पुत्र शोना
76.	मूल सिंह वाल सिंह जयसिंह
77.	ओंकार पुत्र किशन मीणा 1/2 मूला अर्जुन 1/4 शेडू मीणा 1/4
78.	मामराज कान्या व सेढू
79.	मौरया सावलिया अहीर
80.	मोरया पुत्र शौजी अहीर
81.	सावलिया पुत्र शौजी अहीर
82.	जोहरी हनुमान 1/2 हरिया 1/2
83.	मौरिया व नन्नू मीणा
84.	अर्जुन पुत्र रूमा मौरिया सावलिया
85.	सावलिया पुत्र शुजी मारिया
86.	मौरिया नन्नू

1	2
87.	भौरिया पुत्र शंकर
88.	गोकुल सिंह व जसवन्त सिंह नरसिंह सलतान सा. रायपुर
	ग्राम नारदा
89.	नारायन पुत्र सोहन सिंह
90.	रामेश्वर गोरी सहाय वैश्य
91.	मालिया व शोजा

चित्तौड़गढ़ मुख्यालय के रेफरेल अस्पताल की क्रमोन्नति

464. श्री **शोभराज मल** (चितौड़-गढ़), श्री **घनश्याम जैन** (बेगूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार का चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के रेफरेल अस्पताल को **'बी'** श्रेणी में क्रमोन्नत करने का इरादा है ? यदि **हां**, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । उपलब्ध **सुविधायें** अन्य जिलों के मुकाबले पर्याप्त हैं ।

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 488 का परिशिष्ट

मंत्रिमण्डल के वर्तमान सदस्यों पर 14-7-81 से 31-1-83 तक यात्रा भत्ता व टेलिफोन पर हुए व्यय का विवरण (उक्त व्यय प्राप्त बिलों के आधार पर है जिनका भुगतान हो चुका है।)

क्रम संख्या	नाम व पद	यात्रा व्यय			टेलिफोन पर व्यय		
		दैनिक भत्ता	यात्रा भत्ता	योग	कार्यालय	निवास	कॉलम (6)व(7) का योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री शिवचरण माथुर मुख्य मंत्री	10889.10	23822.20	34711.30	36111.70	176124.55	212236.25
2.	श्री परसराम मदेरणा सिंचाई मंत्री	7421.50	4364.40	11785.90	15275.05	57262.95	72538.00
3.	श्री चंदन मल बैद राज. नहर मंत्री	9499.00	20443.46	29942.46	21235.25	33600.60	54835.85
4.	श्री बृज सुन्दर शर्मा वित्त मन्त्री	11450.50	9133.00	20583.50	27601.20	52841.20	80442.40
5.	श्री हीरालाल देवपुरा राजस्व मंत्री	1275.00	2342.16	3617.16	3443.60	1508.30	4951.90
6.	श्री खेतसिंह राठौड चिकित्सा एवं स्वा. मंत्री	—	—	—	2545.00	6949.50	9494.50
7.	श्रीमती कमला शिक्षा मंत्री	9843.00	4097.48	13940.48	48728.45	92695.75	141424.20

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	श्री हनुमान प्रभाकर सहायता एवं सहकारिता मंत्री	1530.00	846.00	2376.00	3243.00	—	3243.00
9.	श्री दुलाराम समाज कल्याण मंत्री	1555.50	—	1555.50	—	15088.50	15088.50
10.	श्री अहमद बक्श सिंधी विधि एवं न्याय मंत्री	2052.75	2222.80	4275.55	—	1002.20	1002.20
11.	श्री जय कृष्ण शर्मा राज्य मंत्री यातायात	10609.00	9959.16	20568.16	45789.00	80477.80	126266.80
12.	प्रद्युम्न सिंह राज्यमंत्री स्वा. शासन	8083.50	1995.50	10079.00	33562.00	62248.80	95810.80
13.	श्री श्रीराम गोटेवाला राज्य मंत्री पशुपालन	7921 00	19650 20	27571 20	37702.00	53017 10	90719.10
14	श्री दिनेश राय डांगी राज्य मंत्री आयुर्वेद	0696 50	—	8696.50	45607.85	84772.85	130380.70
15.	श्री घासीराम यादव राज्य मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति	12163.50	3710.64	15874.14	81387.95	76559.40	157947.35
16.	श्री चेतराम मीणा राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण वि.	12632.50	1293.50	13926.00	19158.00	18245.60	37403.60
17.	श्री गोविन्द सिंह गुर्जर राज्य मंत्री वन	13849.00	2436.50	16285.50	41585.05	57087.20	98672.25
18.	श्री नरेन्द्रसिंह भाटी राज्य मंत्री पुनर्वास	—	—	—	53958.15	159284.60	213242.75
19.	श्री शीश राम ओला राज्य मंत्री विकास एवं पंचायत	14485.00	6489.16	20974.16	25479.65	77724.35	103204.00

20. श्री राम किशन वर्मा राज्य मंत्री मेड्व ऊन तथा खेलकूद	—	—	—	5764.00	6109.25	11873.25
21. श्री देवेन्द्र सिंह राज्य मंत्री - कृषि	3162.00	621.12	3783.12	102.00	—	102.00
22. श्री सुरेन्द्र व्यास राज्य मंत्री जन सम्पर्क	2065.50	1293.32	3358.82	7174.50	2113.50	9288.00
23. श्री बी. डी. कल्ला राज्य मंत्री पर्यटक	20787.25	16146.03	36933.28	22378.80	22851.35	45230.15
24. श्री गोविन्द ग्रामलिया उप-मंत्री आयोजना	12145.20	14906.36	257051.56	78238.65	30626.80	108865.45
25. श्रीमती कमला भील उप-मंत्री, स्वास्थ्य	14180.50	16264.14	30444.64	56907.00	147225.90	204132.90
26. श्री जगतारसिंह उप-मंत्री सिंचाई	3378.75	383.12	3761.87	767.20	7512.30	8279.50
27. श्री छोगालाल बाकोलिया उप-मंत्री	3922.75	4455.04	3377.79	3659.40	2746.00	6405.40
28. श्री सी. एल. कंवरिया भू.पू. मंत्री चिकित्सा	6528.00	458.24	6986.24	20783.60	27212.95	47996.55
29. श्री रामपाल उपाध्याय भू. पू. मंत्री सहकारिता	8440.50	644.96	9085.46	58279.10	48577.50	106856.60

(310)

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 495 की सूची

प्रतापगढ़ शहर में वर्ष 1981 व 1982 में हुई चोरी व डकैती के अपराधों की सूची :—

वर्ष–1981

क्र. सं.	नाम थाना	मुकदमा सं.	जुर्म धारा	चोरी गया माल	बरामद हुआ माल	नतीजा
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रतापगढ़	6।81	380 ता. हि.	500।-	500।-	चालान
2.	,,	2।81	379 ता. हि.	50।-	–	अदमपता
3.	,,	16।81	379 ता. हि.	250।-	–	अदमपता
4.	,,	43।81	379 ता. हि.	100।-	–	अदमपता
5.	,,	82।81	380 ता. हि.	400।-	400।-	चालान
6.	,,	140।81	381 ता. हि.	1200।-	–	अदमपता
7.	,,	151।81	379 ता. हि.	925।-	–	अदमपता
8.	,,	168।81	379 ता. हि.	–	–	अदमवकुआ
9.	,,	174।81	380 ता.हि.	600।-	–	अदमपता
10.	,,	175।81	379 ता. हि.	280।-	280।-	चालान
11.	,,	196।81	379 ता. हि.	100।-	–	अदमपता
12.	,,	234।81	379 ता. हि.	1500।-	1500।-	चालान
13.	,,	276।81	380 ता. हि.	1000।-	–	अदमपता
14.	,,	279।81	380 ता. हि.	50।-	50।-	चालान
15.	,,	281।81	379 ता. हि.	2725।-	–	अदमपता
16.	,,	280।81	379 ता. हि.	400।-	400।-	चालान
				10080।-	3130।-	

वर्ष—1982

1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रतापगढ़	121।82	379 ता. हि.	150।-	150।-	चालान
2.	,,	124।82	379 ता. हि.	100।-	—	अदमपता
3.	,,	162/82	380 ता. हि.	500।-	300।-	चालान
4.	,,	167।82	379 ता. हि.	1000।-	—	अदमपता
5.	,,	168।82	379 ता. हि.	150।-	150।-	चालान
6.	,,	180।82	379 ता. हि.	250।-	—	अदमपता
7.	,,	244।82	379 ता. हि.	375।-	—	अदमपता
8.	,,	261।82	379 ता. हि.	550।-	—	अदमपता
9.	,,	292।82	379 ता. हि.	280।-	280।-	चालान
				3355।-	880।-	

तहसील प्रतापगढ़ में वर्ष 1981 में डकैती व चोरी के अपराध

क्र. सं.	नाम थाना	मुकदमा सं.	धारा	नतीजा	चोरी गये माल की कीमत	बरामद हुए माल की कीमत
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रतापगढ़	2/81	379 ता. हि.	अदमपता	50/-	—
2.	,,	6/81	380 ता. हि.	चालान	500/-	500/-
3.	,,	16/81	379 ता. हि.	अदमपता	250/-	—
4.	,,	32/81	379 ता. हि.	चालान	1000/-	1000/-
5.	,,	43/81	379 ता. हि.	अदमपता	100/-	—
6.	,,	53/81	379 ता. हि.	अदमपता	300/-	—
7.	,,	74/81	380 ता. हि.	चालान	400/-	400/-
8.	,,	82/81	380 ता. हि.	चालान	400/-	400/-
9.	,,	124/81	380 ता. हि.	अदमपता	380/-	—
10.	,,	140/81	381 ता. हि.	अदमपता	1200/-	—
11.	,,	147/81	380 ता. हि.	अदमपता	34/-	15/-
12.	,,	151/81	379 ता. हि.	अदमपता	925/-	—
13.	,,	168/81	379 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
14.	,,	171/81	379 त. हि.	चालान	50/-	50/
15.	,,	174/81	380 ता. हि.	अदमपता	600/-	—
16.	,,	175/81	379 ता. हि.	चालान	280/-	280
17.	,,	177/81	379 ता. हि.	अदमपता	200/-	—
18.	,,	178/81	379 ता. हि.	अदमपता	240/-	—
19.	,,	186/81	379 ता. हि.	अदमपता	500/-	—
20.	,,	196/81	379 ता. हि.	अदमपता	100/-	—
21.	,,	234/81	379 ता. हि.	चालान	1500/-	1500/-
22.	,,	265/81	379 ता. हि.	चालान	250/-	250/-
23.	,,	276/81	380 ता. हि.	अदमपता	1000/-	—
24.	,,	279/81	380 ता. हि.	चालान	50/-	50/-
25.	,,	289/81	379 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
26.	,,	300/81	379 ता. हि.	चालान	400/-	400/-
27.	,,	281/81	379 ताा. हि.	अदमपता	2325/-	—
28.	सुहागपुरा	1/81	379 ता. हि.	चालान	400/-	200/-
29.	,,	31/81	379 ता. हि.	चालान	500/-	500/-
30.	धमोतर	4/81	379 ता. हि.	चालान	3600/-	3600/-
31.	,,	20/81	380 ता. हि.	अदमपता	500/-	—
32.	धमोतर	40/81	379 ता. हि.	चालान	300/-	300/-
33.	सालमगढ़	27/81	379 ता. हि.	चालान	1000/-	1000/-
34.	,,	39/81	379 ता. हि.	चालान	2000/-	2000/-
35.	,,	42/81	379 ता. हि.	चालान	100/-	100/-
36.	,,	47/81	379 ता. हि.	चालान	700/-	700/-

1	2	3	4	5	6	7
37.	सालमगढ़	85/81	380 ता. हि.	अदमपता	500/-	—
38.	रटाजना	2/81	379 ता. हि.	अदमपता	280/-	—
39.	,,	16/81	379 ता. हि.	चालान	1000/-	1000/-
40.	,,	17/81	379 ता. हि.	अदमपता	369/-	—
41.	,,	35/81	379 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
42.	,,	61/81	379 ता. हि.	चालान	5550/-	5550/-
43.	,,	62/81	379 ता. हि.	चालान	150/-	150/-
44.	धमोतर	4/81	379 ता. हि.	चालान	3600/-	3600/-
45.	,,	20/81	380 ता. हि.	अदमपता	500/-	—
46.	,,	40/81	379 ता. हि.	चालान	300/-	300/-
47.	अरनोद	22/81	379 ता. हि.	अदमपता	1400/-	—
48.	,,	28/81	379 ता. हि.	अदमपता	200/-	—
49.	,,	29/81	380 ता. हि.	चालान	2175/-	2175/-
50.	,,	31/81	379 ता. हि.	चालान	2000/-	2000/-
51.	,,	43/81	379 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
52.	,,	48/81	380 ता. हि.	अदमपता	2000/-	—
53.	,,	49/31	379 ता. हि.	अदमपता	1400/-	—
54.	,,	54/81	379 ता. हि.	अदमपता	1000/-	—
55.	,,	58/81	379 ता. हि.	अदमपता	—	—
56.	,,	60/81	379 ता. हि.	अदमपता	100/-	—
57.	,,	105/81	379 ता. हि.	चालान	900/-	900/-
58.	,,	109/81	379 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
59.	जाखम	16/81	379 ता. हि.	चालान	1200/-	1200/-
60.	,,	32/81	379 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
61.	,,	38/81	379 ता. हि.	चालान	1000/-	1000/-
62.	,,	40/81	379 ता. हि.	चालान	2000/-	2000/-
63.	,,	44/81	379 ता. हि.	चालान	250/-	250/-
				योग ..	49958-00	33320-00

वर्ष 1982 में डकैती व चोरी के अपराध, तहसील प्रतापगढ़

क. सं.	नाम थाना	मुकदमा सं.	धारा	नतीजा	चोरी गयी सम्पत्ति का मूल्य	बरामद हुई सम्पत्ति का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रतापगढ़	2।82	380 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
2.	,,	6।82	380 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
3.	,,	16।82	379 ता. हि.	अदमपता	225।-	—
4.	,,	17।82	380 ता. हि.	अदमपता	1000।-	—
5.	,,	25।82	379 ता. हि.	चालान	125।-	125।-
6.	,,	34।82	379 ता. हि.	चालान	75।-	75।-
7.	,,	46।82	379 ता. हि.	अदमपता	700।-	—
8.	,,	80।82	379 ता. हि.	चालान	125।-	125।-
9.	,,	121।82	379 ता. हि.	चालान	150।-	150।-
10.	,,	124।82	379 ता. हि.	अदमपता	100।-	—
11.	,,	130।82	379 ता. हि.	अदमपता	100।-	—
12.	,,	142।82	379 ता. हि.	चालान	150।-	150।-
13.	,,	162।82	380 ता. हि.	चालान	500।-	300।-
14.	,,	167।82	379 ता. हि.	अदमपता	1000।-	—
15.	,,	168।82	379 ता. हि.	चालान	150।-	150।-
16.	,,	180।82	379 ता. हि.	अदमपता	250।-	—
17.	,,	203।82	379 ता. हि.	चालान	72800।-	72800।-
18.	,,	205।82	379 ता. हि.	चालान	150।-	150।-
19.	,,	209।82	379 ता. हि.	अदमपता	1200।-	—
20.	,,	232।82	379 ता. हि.	चालान	1000।-	1000।-
21.	,,	236।82	380 ता. हि.	चालान	1406।-	1406।-
22.	,,	244।82	379 ता. हि.	अदमपता	375।-	—
23.	,,	261।82	379 ता. हि.	अदमपता	500।-	—
24.	,,	292।82	379 ता. हि.	चालान	280।-	280।-
25.	,	311।82	379 ता. हि.	अदमपता	1200।-	—
26.	,,	345।82	380 ता. हि.	अदमपता	550।-	—
27.	,,	352।82	380 ता. हि.	अदमपता	550।-	—
28.	,,	365।82	379 ता. हि.	चालान	350।-	350।-
29.	,,	402।82	379 ता. हि.	चालान	450।-	450।-
30.	धमोतर	7।82	379 ता. हि.	चालान	2000।-	2000।-
31.	,,	27।82	380 ता. हि.	चालान	300।-	300।-
32.	,,	33।82	379 ता. हि.	चालान	400।-	400।-
33.	,,	40।82	379 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
34.	,,	41।82	379 ता. हि.	चालान	500।-	500।-
35	,,	54।82	379 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
36	,,	55।82	379। ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
37.	,,	58।82	379 ता. हि.	चालान	100।-	25।-
38.	,,	59।82	379 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—

1	2	3	4	5	6	7
39.	सालमगढ़	31182	379 ता. हि.	चालान	2001-	2001-
40.	,,	32182	379 ता. हि.	चालान	9001-	9001-
41.	,,	40182	379 ता. हि.	चालान	6001-	6001-
42.	,,	54182	379 ता. हि.	चालान	5001-	5001-
43.	,, रदजना	5182	379 ता. हि.	चालान	50001-	50001-
44.	,,	8182	379 ता. हि.	चालान	20001-	20001-
45.	,,	9182	379 ता. हि.	चालान	30001-	30001-
46.	,,	19182	379 ता. हि.	अदमपता	8501-	—
47.	,,	63182	379 ता. हि.	अदमपता	1001-	—
48.	अरनोद	18182	379 ता. हि.	चालान	1001-	1001-
49.	,,	27182	379 ता. हि.	चालान	8001-	8001-
50.	,,	29182	380 ता. हि.	चालान	5801-	5801-
51.	,,	32182	379 ता. हि.	चालान	1051-	1051-
52.	,,	43182	379 ता. हि.	चालान	20001-	20001-
53.	,,	51182	379 ता. हि.	अदमवकुआ.	—	—
54.	,,	53182	379 ता. हि.	अदमपता	5301-	—
55.	,,	65182	379 ता. हि.	अदमपता	10001-	—
56.	,,	67182	379 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
57.	,,	82182	379 ता. हि.	अदमपता	1501-	
58.	,,	90182	380 ता. हि.	अदमपता	4001-	—
59.	,,	95182	380 ता. हि.	अदमपता	1501-	—
60.	,,	97182	380 ता. हि.	चालान	15001-	15001-
61.	,,	104182	380 ता. हि.	चालान	4001-	4001-
62.	,,	132182	379 ता. हि.	अदमपता	5001-	—
63.	,,	134182	379 ता. हि.	चालान	8001-	8001-
64.	,,	154182	379 ता. हि.	चालान	601-	601-
65.	,,	157182	379 ता. हि.	चालान	3001-	3001-
66.	,,	1182	379 ता. हि.	चालान	4001-	4001-
67.	,,	7182	380 ता. हि.	अदमपता	1001-	—
68.	,,	15182	379 ता. हि.	चालान	5001-	5001-
69	,,	18182	379 ता. हि.	अदमपता	60001-	—
70.	,,	20182	379 ता. हि.	चालान	50001-	50001-
71.	,,	42182	379 ता. हि.	अदमवकुआ	—	—
		सुहागपुरा	शून्य सूचना			
				योग ..	128286-00	105481-00

नोट:—वर्ष 1981 व 1982 में डकैती का कोई अपराध प्रतापगढ़ शहर व तहसील में पंजीवद्ध नहीं हुआ है ।

Page No 316

(316)

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 498 की सूची

जिला जैसलमेर में सेना के लिए फील्ड फायरिंग रेंज हेतु जारी कराये गये ग्रामों की सूची

1. मैणगी
2. केरू
3. टावरकी
4. आईन्ता
5. सूजिया
6. मालीगड़ा
7. बालाना
8. अर्जनहार
9. मलका
10. कलां
11. एटा
12. नवातला
13. मावा
14. खारा नरावता

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 500 का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
1.	बागड़ों का बास	6
2.	मूतेड़ा	7
3.	रायसिंह का बास	12
4.	स्याई	25
5.	कुम्भा का बास	31
6.	बाघा का बास	34
7.	बिमलपुरा	41
8.	खनीपुरा	46
9.	बरवाड़ा	57
10.	जोधपुरा	63
11.	देवपुरा	66
12.	जयसिंपुरा	67
13.	गुवारड़ी	68
14.	डोला का बास	87
15.	गौरी का बास	88
16.	मालेड़ा	158
17.	जायवाली	159
18.	डहरा	161
19.	समरपुरा	164

ग्राम जहां वर्ष 82-83 में हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	स्वीकृत हैण्ड पम्पों की संख्या
1	2	3	4
1.	नांगल गोविन्द	2	8
2.	बाढ़ अभयकरणपुरा	32	1
3.	चक टाकरडा	69	1

318

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 503 की सूची

उन कृषकों की सूची जिनको मुआवजा नहीं चुकाया जा सका है:--

क्र.सं. 1	कृषक का नाम 2	निवास स्थान 3	विशेष विवरण 4
(अ) जिनके अवार्ड जारी किये जा चुके हैं तथा भुगतान हेतु सहायक अभियन्ता को दिनांक 5-3-83 को चैंक दिया जा चुका है:—			
1.	श्री मोहनलाल आत्मज श्री रामकल्याण ब्राह्मण	सोरखण्ड	अवार्ड के भुगतान हेतु चैंक जारी किया गया है एवं काश्तकारों को भुगतान शीघ्र किये जा रहे हैं।
2.	श्री केसरा, कान्या, रतना, हीरा 1/2 मथुरा आत्मज गणेश गूजर 1/2	,,	उपरोक्तानुसार
3.	कल्याण आत्मज भैरू गूर्जर	,,	अवार्ड के भुगतान हेतु चैंक जारी किया गया है एवं काश्तकारों को भुगतान शीघ्र किये जा रहे हैं।
4.	किशना, बिश्ना आत्मज मन्ना चमार	,,	अवार्ड के भुगतान हेतु चैंक जारी किया गया है एवं काश्तकारों को भुगतान शीघ्र किये जा रहे हैं।
5.	रामेश्वर कस्तूरी बेवा किशनलाल महाजन	,,	,, ,,
6.	श्री देवीलाल आत्मज नानगा माली	,,	,, ,,
7.	श्री मोरूलाल कंवरी बेवा कान्हा केशर मोती चतरी पुत्रियां कान्हा चमार	देवपुरा	,, ,,
(ब) जिन कृषकों को अवार्ड जारी नहीं हुए :—			
1.	श्री रामकल्याण किशनलाल कुम्हार	सौरखण्ड	अवाप्ति के समय गैर खातेदार से मुआवजा नहीं दिया जा सकता।
2.	श्री कालू नारायण गूजर गैर खातेदार	,,	,, ,,

319

1	2	3	4
3.	श्री गजानन्द पुत्र कन्हैयालाल माली गैर खातेदार	सोरखण्ड	अवाप्ति के समय गैर खातेदार से मुआवजा नहीं दिया जा सकता
4.	श्री प्रभूलाल धन्नालाल बा. मोती पुत्र भोख गोपाल।नारायण चमार गोविन्दा गूजर सूरजमल /धूर्णीलाल गुर्जर गैर खातेदार	,,	,, ,,
5.	मोहन/कान्हा नायक (गैर खातेदार)	देवपुरा	,, ,,
6.	बिरधीलाल चम्पालाल चमार	,,	,, ,,
7.	जगन्नाथ/चम्पा चमार गैर खातेदार	,,	,, ,,
8.	धन्नालाल/बजरंगलाल मेघवंशी	,,	,, ,,
9.	माफी देवजी पुजारी श्री कुण्ठा/ धूनीलाल गूजर सोरखण्ड कलां	सोरखण्ड	भूमि मंदिर से संबंधित है अतः अधिकार हेतु प्रमाण-पत्र पेश किये जाते हैं।

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 504 की "स" सूची

राजस्थान में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं पर वर्ष 1982–83 में व्यय की गई राशि का विवरण (लाख रुपयों में):—

क्र.सं.	योजना का नाम	जनवरी, 83 तक व्यय की गई धनराशि	विशेष विवरण
1	2	3	4
	(अ) वृहद् परियोजनायें :—		
1.	जाखम	385.83	
2.	गुड़गांव नहर	94.60	
3.	नर्मदा	24.06	
4.	सिद्धमुख	1.14	
	भाग (अ) का योग ..	505.63	
	(ब) मध्यम परियोजनायें :—		
1.	भीम सागर	92.80	
2.	हरिश्चन्द्र सागर	50.77	
3.	छापी	27.00	
4.	परवन लिफ्ट	21.22	
5.	सावन भादों	12.17	
6.	बिलास	14.65	
7.	सोम कमला आम्बा	137.28	
8.	सोम कागदर	126.75	
9.	बागन परावर्तन	43.08	
10.	बस्सी	46.64	
11.	गोसुन्दा	31.00	
12.	कोठारी	103.26	
13.	मेजा फीडर	177.47	
14.	पांचना	67.50	
15.	खारी फीडर	1.58	
16.	लसाडिया	0.09	
	भाग (ब) का योग ..	953.26	

1	2	3	4
	(स) आधुनिकीकरण कार्य:—		
1.	छापरवाड़ा	1.36	
2.	कालसागर	0.88	
3.	मोरेल	1.47	
4.	जग्गर	5.15	
5.	जयसमन्द (अलवर)	2.75	
6.	पार्वती (धोलपुर)	15.27	
7.	जसवन्त सागर	1.88	
8.	बाकली	5.74	
9.	जवाई	2.31	
10.	माशी	15.16	
11.	पार्वती बारां	16.37	
12.	अलनिया	11.88	
13.	गुढ़ा	27.93	
14.	परवन पिकअप वियर	14.84	
15.	जयसमन्द नहर (उदयपुर)	15.92	
16.	राजसमन्द	13.92	
17.	गम्भीरी	17.88	
18.	मेजा नहर	14.66	
19.	गंग नहर	—	
20.	प्रोरोरेटा एवं अन्य	30.60	
	भाग (स) का योग ..	214.21	
	(अ), (ब) एवं (स) का योग ..	1673.10	

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 506 का विवरण

राजस्थान वित निगम, जयपुर

निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जिलेवार ऋण स्वीकृति का विवरण वर्ष 1980–81, 1981–82 एवं 1982–83 (दिसम्बर):—

क्रमांक	जिला	1980–81		1981–82		1982–83	
		संख्या	राशि (लाख रु.)	संख्या	राशि (लाख रु.)	संख्या	राशि (लाख रु.)
1.	अजमेर	11	7.96	23	13.26	26	6.56
2.	अलवर	7	0.87	12	1.98	10	1.88
3.	बांसवाड़ा	9	0.72	7	1.76	9	1.45
4.	बाड़मेर	5	0.43	6	0.75	6	0.90
5.	बीकानेर	7	1.44	11	2.36	14	3.93
6.	बून्दी	19	1.64	8	0.98	9	1.70
7.	भरतपुर	3	0.73	6	1.73	16	2.99
8.	भीलवाड़ा	16	1.90	27	3.15	31	6.70
9.	चित्तौड़गढ़	4	0.44	13	1.92	27	5.03
10.	चूरू	4	0.50	7	0.89	4	0.85
11.	डूंगरपुर	7	0.84	11	1.27	6	0.76
12.	जयपुर	23	4.13	56	9.96	81	15.97
13.	जैसलमेर	–	–	1	0.11	–	–
14.	जालोर	–	–	1	0.08	1	0.20
15.	झालावाड़	13	1.11	25	2.34	11	1.56
16.	झुन्झुनूं	4	0.70	18	3.57	22	3.76
17.	जोधपुर	16	1.38	29	3.95	38	7.11
18.	कोटा	4	0.71	6	1.79	3	0.60
19.	नागौर	12	1.46	18	2.53	16	2.54
20.	पाली	4	0.38	9	1.17	12	2.52
21.	सवाई माधोपुर	2	0.26	7	0.99	9	1.80
22.	सीकर	6	1.20	13	3.17	8	1.90
23.	सिरोही	–	–	1	0.11	4	1.09
24.	श्रीगंगानगर	4	0.30	5	0.45	7	0.96
25.	टोंक	12	1.22	19	2.78	16	2.82
26.	उदयपुर	4	0.46	7	0.89	5	1.06
27.	धौलपुर	–	–	–	–	–	–
	योग ..	195	30.78	346	63.94	391	76.63

सूची 2

पुनर्जीवन योजना के तहत स्वीकृत ऋण की जिलेवार सूचना:—

क्रम. संख्या	जिला	स्वीकृत	
		इकाइयों की संख्या	राशि (रुपये लाखों में)
1.	अजमेर	1	1.30
2.	अलवर	2	4.36
3.	जयपुर	5	5.63

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 515 की सूची

राजस्थान खेल परिषद् के वर्तमान पदाधिकारियों की सूची:—

1.	श्री गणेश सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री जे. सी. पालीवाल	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती रीना मुखर्जी	कोषाध्यक्ष
4.	श्री आपजी कल्याण सिंह	सदस्य
5.	श्री गोपाल सैनी	,,
6.	श्री खुशीराम	,,
7.	श्री कमल किशोर वैद	,,
8.	श्री एन. एल. कछारा	,,
9.	श्री एम. सी. चौहान	,,
10.	श्री मुनील विश्नोई	,,
11.	श्री के. एल. सैनी	,,
12.	श्री अजीज उल्ला खां	,,
13.	श्री आर. सी. माथुर	,,
14.	श्री थान सिंह, एम. एल. ए.	,,
15.	श्री भंवर लाल, एम. एल. ए.	,,
16.	शिक्षा सचिव, राजस्थान	,,
17.	महानिरीक्षक आरक्षी, राजस्थान	,,
18.	वित्त सचिव, राजस्थान	,,
19.	निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान	,,
20.	निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान	,,
21.	निदेशक, विकास विभाग, राजस्थान	,,

Page No 324

(324)

"अ"

वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित किये गये प्रशिक्षण शिविर का विवरण:—

क्रम. संख्या	खेल का नाम	स्थान	खिलाड़ियों की संख्या
1.	ऐथलेटिक्स	जयपुर	31
2.	बैडमिन्टन	जयपुर	4
3.	बास्केटबॉल	जयपुर	84
4.	साइक्लिंग	अ-त्रिवेन्द्रम	19
		ब-हिसार	13
6.	फुटबाल	जयपुर	37
6.	जिम्नास्टिक	जयपुर	36
7.	हॉकी	जयपुर	45
8.	महिला हॉकी	जयपुर	16
9.	कबड्डी	जयपुर	48
10.	खो-खो	जयपुर	24
11.	सॉफ्टबॉल	जोधपुर	30
12.	तैराकी	अजमेर	1
13.	टेबिल-टेनिस	अजमेर	4
14.	वॉलीबॉल	अ-जयपुर ब-उदयपुर	24 33
15.	कुश्ती (अ. प.)	अ-अजमेर ब-जयपुर	40 38
16.	भारोत्तोलन	जयपुर	19
17.	हैण्डबॉल	जयपुर	34
18.	शरीर शौष्ठव	जोधपुर	10
			590

325

"स"

1981-82 में परिषद् द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर लगाये गये शिविरों की सूची:—

क्र. सं.	प्रशिक्षण स्थल का नाम	खेल का नाम	प्रशिक्षणार्थी की निर्धारित संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	ऐथलेटिक्स	26
		फुटबॉल	24
		क्रिकेट	36
		जिम्नास्टिक	14
		हॉकी	36
		टेबिलटैनिस	14
		कुश्ती	12
		भारोत्तोलन	10
2.	बीकानेर	ऐथलेटिक्स	26
		बास्केट बॉल	28
		साईक्लिंग	18
		फुटबाल	24
		जिम्नास्टिक	14
		हॉकी	36
		वॉलीबॉल	24
		भारोत्तोलन	10
3.	जोधपुर	ऐथलेटिक्स	26
		बास्केटबॉल	28
		क्रिकेट	36
		साईक्लिग	18
		फुटबॉल	24
		जिम्नास्टिक	14
		टेबिलटैनिस	14
		वॉलीबॉल	24
		बॉक्सिंग	8
4.	जयपुर	ऐथलेटिक्स	26
		बैडमिन्टन	14
		बास्केटबॉल	28
		साईक्लिंग	18
		क्रिकेट	36
		फुटबॉल	24

1	2	3	4
4.	जयपुर	जिम्नास्टिक	12
		हॉकी	36
		जूडो	12
		कबड्डी	24
		खो-खो	12
		लॉनटेनिस	12
		तैराकी	24
		टेबिलटैनिस	14
		वॉलीबाल	24
		भारोत्तोलन	10
		कुश्ती	12
		योगा	20
5.	कोटा	ऐथलेटिक्स	26
		बास्केटबॉल	28
		बैडमिन्टन	14
		क्रिकेट	36
		फुटबॉल	20
		हाकी	36
		टेबिलटैनिस	14
		वॉलीवाल	24
		कुश्ती	12
6.	उदयपुर	तीरन्दाजी	12
		ऐथलेटिक्स	26
		वास्केटबॉल	28
		बैडमिन्टन	12
		क्रिकेट	26
		फुटबॉल	24
		जिम्नाष्टिक	14
		हॉकी	36
		कबड्डी	24
		वॉलीबाल	24

1	2	3	4
6.	उदयपुर	टेबलटैनिस	14
		भारोत्तोलन	10
		कुश्ती	12
		योग ..	1374

केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर, आबू पर्वत पर वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में खिलाड़ियों की सूचना:—

	खेल का नाम	1981-82	1982-83
1.	ऐथलेटिक्स	30	23
2.	बास्केटबाल	21	27
3.	क्रिकेट	25	25
4.	फुटबाल	18	22
5.	हॉकी	32	42
6.	तैराकी	—	28
7.	टेबिलटैनिस	11	—
8.	वॉलीबाल	32	31
	योग ..	169	198

वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित किये गये प्रशिक्षण शिविरों का विवरण:—

क्र. सं.	खेल का नाम	स्थान	खिलाड़ियों की संख्या
1.	ऐथलेटिक्स	जयपुर	38
2.	बैडमिन्टन	जयपुर	4
3.	बास्केटबाल	जयपुर	58
4.	महिला क्रिकेट	जयपुर	16
5.	क्रिकेट	अ-बीकानेर	14
		ब-अजमेर	10
		स-जयपुर	14
		द-उदयपुर	14
6.	साइक्लिंग	दिल्ली	9
7.	फुटबाल	जयपुर	18
8.	जिम्नास्टिक	अजमेर	8
9.	हॉकी	जयपुर	30
10.	कबड्डी	जयपुर	24
11.	खो-खो	जयपुर	24
12.	सोफ्टबाल	झालावाड़	30
13.	टेबिलटैनिस	अजमेर	11
14.	वॉलीवाल	अ-उदयपुर	21
		ब-भीलवाडा	12
15	कुश्ती (अ.प.)	स-जयपुर	10
		द-जोधपुर	(लगभग) 36
16.	भारोत्तोलन	जयपुर	17
17.	हैण्डबाल	जयपुर	40
		योग..	458

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा वर्ष 82-83 में आयोजित किये गये विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों की सूचना:—

क्र. सं.	खेल का स्थान	खेल का नाम	खिलाड़ियों की संख्या	शिविरों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	जोधपुर	फुटबाल	48	2
2.	पाली	कुश्ती	24	2
3.	पाली	बास्केटबाल	36	2
4.	नाथद्वारा	कुश्ती	24	2
5.	चित्तौड़गढ़	ऐथलेटिक्स	52	2
6.	चित्तौड़गढ़	क्रिकेट	72	2
7.	डूंगरपुर	फुटबाल	48	2
8.	ब्यावर	फुटबाल	48	2
9.	भीलवाड़ा	वॉलीबाल	48	2
10.	बीकानेर	क्रिकेट	72	2
11.	चूरू	फुटबाल	48	2
12.	चूरू	हॉकी	72	2
13.	कोटा	ऐथलेटिक्स	52	2
14.	कोटा	बास्केटबाल	48	2
15.	कोटा	हॉकी	72	2
16.	नोहर	फुटबाल	48	2
17.	भरतपुर	क्रिकेट	92	3
18.	पाली	भारोत्तोलन	20	2
19.	लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	बास्केटबाल	48	2
20.	लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	वॉलीबाल	48	2
21.	जोधपुर	बॉक्सिंग	8	1
22.	पाली	साइक्लिंग	18	1
23.	उदयपुर	बैडमिंटन	14	1
24.	देवगढ़ (उदयपुर)	वॉलीबाल	24	1
25.	नाथद्वारा	वॉलीबाल	24	1
26.	डूंगरपुर	तीरन्दाजी	12	1
27.	अजमेर	बैडमिन्टन	14	1
28.	ब्यावर	टेबिलटैनिस	14	1
29.	भीलवाड़ा	साइक्लिंग	18	1
30.	भीलवाड़ा	जिम्नास्टिक	12	1

Page No 330

(330)

1	2	3	4	5
31.	बीकानेर	साइक्लिंग	18	1
32.	कोटा	टेबिलटैनिस	16	1
33.	कोटा	बैडमिन्टन	14	1
34.	कोटा	लॉनटैनिस	18	1
35.	श्री गंगानगर	ऐथलेटिक्स	26	1
36.	श्री गंगानगर	बास्केटबाल	24	1
37.	नोहर	कुश्ती	12	1
38.	मेडता सिटी (नागौर)	जिम्नास्टिक	12	1
39.	जयपुर	साइक्लिंग	18	1
40.	जयपुर	जिम्नास्टिक	12	1
41.	जयपुर	महिला हॉकी	14	1
42.	जयपुर	लान टैनिस		1
43.	जयपुर	टेबिलटैनिस	14	1
44.	जयपुर	महिला वॉलीबाल	12	1
45.	अलवर	ऐथलेटिक्स	26	1
46.	अलवर	बास्केटबाल	24	1
		भारोत्तोलन	10	1
		हॉकी	36	1
47.	भरतपुर	हॉकी	36	1
48.	भरतपुर	हॉकी	36	1
49.	भरतपुर	महिला हॉकी	14	1
50.	भरतपुर	वॉलीवाल	24	1
51.	भरतपुर	कुश्ती	12	1
52.	सवाई माधोपुर	फुटबाल	24	1
53.	सवाई माधोपुर	टेबिलटैनिस	14	1
54.	सवाई माधोपुर	वॉलीबाल	24	1
55.	पिलानी	ऐथलेटिक्स	26	1
56.	पिलानी	भारोत्तोलन	10	1
57.	पिलानी	जूडो	12	1
		योग ..	1728	

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 5.1 की सूची

ऐशियाड 82 के पदक विजेताओं की सूची

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल	पदक
1.	कु. वर्षा सोनी	महिला हॉकी	स्वर्ण पदक
2.	कु. गंगोत्री भण्डारी	महिला हॉकी	स्वर्ण पदक
3.	श्री के. जी. एम. खान	घुड़सवारी	स्वर्ण पदक
4.	श्री रिसालदार विशालसिंह	घुड़सवारी	स्वर्ण पदक
5.	श्री लक्ष्मण सिंह	गोल्फ	स्वर्ण पदक
6.	श्री दफेदार रघुवीर सिंह	घुड़सवारी	स्वर्ण पदक
7.	कु. हमीदा बानों	ऐथलेटिक्स	रजत पदक
8.	श्री गोपाल सेनी	ऐथलेटिक्स	रजत पदक
9.	डा. कर्णीसिंह	निशानेबाजी	रजत पदक
10.	श्री राजकुमार	ऐथलेटिक्स	कांस्य पदक
11.	श्री दफेदार प्रहलाद सिंह	घुड़सवारी	कांस्य पदक

Page No 332

(332)

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 521 की सूची

वेरी वेतन आयोग ने वैद्यों के निम्नांकित वेतनमान निश्चित करने हेतु सुझाव दिया था: –

1.	वैद्य श्रेणी द्वितीय	800–20–900–25–1000–30–1300–40–1500
2.	वैद्य श्रेणी प्रथम	900–25–1000–30–1300–40–1500–50–1600
3.	वैद्य श्रेणी प्रथम (चयनित श्रृंखला)	1120–30–1300–40–1500–50–1800

परिशिष्ट-अ

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 520 की सूची)

बीकानेर जिले में गत 5 वर्षों में कराये गये चारागाह विकास एवं व्यय की सूची

वर्ष	नाम वन मंडल	क्षेत्रफल है. में	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83 माह जनवरी 83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1978-79	बीकानेर	300 है0	1.07	0.45	0.15	0.15	0.14	0.12	2.08
	छतरगढ़	2000 है0	7.11	3.00	0.996	1.00	0.996	1.00	14.102
	बेरियावाली	3200 है0	10.11	4.80	1.60	1.60	1.59	0.70	20.40
	योग ..	5500 है0	18.29	8.25	2.746	2.75	2.726	1.82	36.582
1979-80	बीकानेर	200 है0	–	1.00	0.60	0.44	0.35	0.06	2.45
	छतरगढ़	2500 है0	–	9.50	4.50	1.38	1.57	0.57	17.52
	बेरियावाली	4750 है0	–	15.35	7.73	2.38	2.33	0.99	28.78
	योग ..	7450	–	25.85	12.83	4.20	4.25	1.62	48.75
1980-81	बीकानेर	250 है0	–	–	1.25	0.625	0.16	0.14	2.175
	छतरगढ़	2000 है0	–	–	10.00	7.80	1.40	0.85	20.05
	बेरियावाली	3480 है0	–	–	15.58	10.42	3.46	1.33	30.79
	योग ..	5730 है0	–	–	26.83	18.845	5.02	2.32	53.015

333

Page No 334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1981-82	बीकानेर	134 है0	—	—	—	0.96	0.63	0.11	1.70
	छतरगढ़	468 है0	—	—	—	2.67	1.27	0.27	4.21
	बेरियावाली	600 है0	—	—	—	3.89	2.15	0.56	6.60
	योग ..	1202	—	—	—	7.52	4.05	0.94	12.51
1982-83	बीकानेर	695 है0	—	—	—	—	4.04	4.92	8.96
	छतरगढ़	771 है0	—	—	—	—	5.77	2.27	8.04
	बेरियावाली	1650 है0	—	—	—	—	8.03	8.71	16.74
	योग ..	3116 है0	—	—	—	—	17.84	15.90	33.74
	महायोग ..	22998 है0	18.29	34.10	42.406	33.315	33.886	22.60	184.597

परिशिष्ट—"ब"

बीकानेर जिले में चरागाह भूमि एवं वर्षवार चराई हेतु खोले गये चरागाहों का विवरण

क्र. सं.	नाम वन मण्डल	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र हैक्टेयर	चराई हेतु खोले गये अथवा नहीं खोले गये		
				80-81	81-82	82-83
1	2	3	4	5	6	7
1	बीकानेर	1. काडा ब्लोक जोड बीड	900 है.	हां	हां	हां
		2. सरा	400 है.	—	—	—
		3. सरा ए	300 है	—	—	—
		4. सरा बी	200 है.	—	—	—
		5. वडडा ए	300 है.	—	—	—
		6. वडडा बी	300 है.	—	—	—
		7. गाढवा ए	200 है	—	—	—
		8. गाढवाला बी	200 है.	—	—	—
		9. गाढवाला सी	300 है.	—	—	—
		10. गाढवाला डी	200 है.	—	—	—
		11. गाढवाला ई	200 है.	—	—	—
		12. किल्चु	300 है.	—	—	—
		13. नापसिर ए	300 है.	—	—	—
		14. कोटडी ए	300 है.	—	—	—
		15. नापासर-बी	200 है.	—	—	—
		16. कोटडी बी	200 है.	—	—	—
		17. कोटडी सी	200 है.	—	—	—
		18. नापासर-सी	300 है.	—	—	—
		19. नापासर डी	320 है.	—	—	—
		20. गारबदेसर	200 है.	—	—	—
		21. गारबदेसर (एसडीएफ)	50 है.	—	—	—
		22. सरदारपुरा	300 है.	—	—	नहीं
		23. केला	200 है.	—	—	हां
		24. कोलायत-बी	200 है.	—	—	—
		25 बिच्छवाल	175 है.	—	—	—
		26. दो.एल.के.डी	300 है.	—	—	नहीं

1	2	3	4	5	6	7
		27. राजासर	580 है.	नहीं	–	हां
		28. उदरागसर	200 है.	–	नहीं	–
		29. बीच्छवाल सिलबी पेस्टरोल	200 है.	–	–	–
		30. 7 सीएचडी	250 है.	–	–	–
		31. 2 एम.के एम.	100 है.	–	–	–
		32. मालासर	34 है.	–	–	–
		33. मेहरासर	100 है.	–	–	–
		34. तेजाना	100 है.	–	–	–
		35. गडियाला	50 है.	–	–	–
		36. लूणकरणसर	50 है.	–	–	–
		37 लीलासर	50 है.	–	–	–
		38. मोकम्पुर	100 है.	–	–	–
		39. सुरजडी	100 है.	–	–	–
		40. नोपासर सिल्वी पे.	50 है.	–	–	–
		41. लाल सर	50 है.	–	–	–
		42. सालासर	60 है.	–	–	–
		43. मेहरासर	60 है.	–	–	–
		44. मोरखाना	25 है.	–	–	–
2.	छतरगढ़	1. 2 के. एम	56 है.	हां	हां	हां
		2. 1 आर. जे. डी.	142 है.	–	–	–
		3. 2 डी. के. डी	72 है.	–	–	–
		4 1 एल. के. डी/1 पी.बी.	120 है.	–	–	–
		5 1 के. के. एम.	162 है.	–	–	–
		6. 3/5 के. के. एम.	234 है.	–	–	–
		7. 2 के. के. एम.	120 है.	–	–	–
		8. 2 डी. एल. एम.	198 है.	–	–	–
		9. 2 डी. एस. एम.	90 है.	–	–	–
		10. 5 डी. एल.	350 है.	–	–	–
		11. 1 आर. एम. पी.	168 है.	–	–	–
		12. 1 आर. एम. एम. (ए)	228 है.	–	–	–
		13. 1 आर. एफ. सी. बी.	156 है.	हां	हां	हां

1	2	3	4	5	6	7
2. छत्तर गढ़ (क्रमशः)	14.	1. आर. एम. बी.	108 हैं.	हां	हां	हां
	15.	3/5 डी. एल.	78 है.	,,	,,	,,
	16.	2 डी एल. एम.	72 है.	,,	,,	,,
	17.	1. डी. के. डी. ए.	84 है.	,,	,,	,,
	18.	1 डी. के. बी.	162 है.	,,	,,	,,
	19.	1 एल. के. डी.	258 है.	,,	,,	,,
	20.	6 आर. जे. डी.	144 है.	,,	,,	,,
	21.	2/3 के. के. एम.	138 है.	,,	,,	,,
	22.	6 डी. एल. एम.	306 है.	,,	,,	,,
	23.	6 जी. एम. ए.	132 है.	,,	,,	,,
	24.	6 जी. एम. बी.	84 है.	,,	,,	,,
	25.	2/3 आर. जे. बी.	50 है.	,,	,,	,,
	26.	3 ए. डब्ल्यू. एम (ए)	144 है.	नहीं	,,	,,
	27.	3 ए. डब्ल्यू. एम. (बी)	156 है.	,,	,,	,,
	28.	629-700 आर. डी.	200 है	,,	,,	,,
	29.	593-800 आर. डी.	392 है	,,	,,	,,
	30.	5/7 जी. एम.	228 है	,,	,,	,,
	31.	1 एस. एल. डी.	192 है	,,	,,	,,
	32.	2 डी. एल.	222 है	,,	,,	,,
	33.	2/4 डी. एल.	138 है	,,	,,	,,
	34.	4 डी. ए.	246 है	,,	,,	,,
	35.	6/8 के. के. एम.	204 है	,,	,,	,,
	36.	610-720 आर. डी.	162 है.	,,	,,	,,
	37.	2 एल. के. बी.	216 है.	,,	,,	,,
	38.	2 ए. डब्ल्यू. एम.	216 है.	नहीं	नहीं	नहीं
	39.	3 ए. डब्ल्यू. एम. सी.	144 है.	,,	,,	,,
	40.	घेघड़ा स्कीम	198 है.	,,	,,	,,
	41.	10 डी. के. डी. (ए)	192 है.	,,	,,	,,
	42.	10 डी. के. डी. (बी)	200 है.	,,	,,	,,
	43.	सतासर बारानी	300 है.	,,	,,	,,
	44.	6 एल. के. बी.	92 है.	,,	,,	,,
	45.	4 एल. डब्ल्यू. एम. (सी)	180 है.	,,	,,	,,
	46.	444/200 आर. डी.	180 है.	,,	,,	,,

(338)

1	2	3	4	5	6	7
2.	छत्तरगढ़ (समाप्त)	47. 232/234आर. डी.	198 है.	नहीं	नहीं	हां
		48. 1 एस. डब्ल्यू. एम.	168 है.	,,	,,	,,
		49. 3 एस. डब्ल्यू. एम.	132 है.	,,	,,	,,
		50. 636 आर. डी.	168 है.	,,	,,	,,
		51. मोतीगढ़ (अ ब स)	400 है.	,,	,,	,,
		52. 11. डी. के. डी.	130 है.	,,	,,	,,
		53. 8 जी. एम.	66 है.	,,	,,	,,
		54. 1/2 सी. एच. डी.	175 है.	,,	,,	,,
3.	बेरियावाली	1. 6. पी. बी. ए.	120 है.	हाँ	हां	हां
		2. 2. ए. डी. एम.	168 है.	,,	,,	,,
		3. 6. पी. बी. बी.	120 है.	,,	,,	,,
		4. 10 के. जे. डी.	240 है.	,,	,,	,,
		5. 9/11 के. जे. डी.	232 है.	,,	,,	,,
		6. 12 के. जे. डी.	252 है.	,,	,,	,,
		7. 27 के. वाई. डी.	228 है.	,,	,,	,,
		8. 28 के. वाई. डी.	246 है.	,,	,,	,,
		9. 4. पी. एच. एम.	192 है.	,,	,,	,,
		10. 5/7 के. एल. डी.	282 है.	,,	,,	,,
		11. 1. ए. डी. एम.	106 है.	,,	,,	,,
		12. 15 के. जे. डी.	270 है.	,,	,,	,,
		13. 132 आर. डी. पी. बी.	276 है.	,,	,,	,,
		14. 1/3 बी. एल डी.	264 है.	,,	,,	,,
		15. 5 बी. एल. डी.	150 है.	,,	,,	,,
		16. 7 बी. एल. डी.	186 है.	,,	,,	,,
		17. 6 बी. एल. डी.	276 है.	,,	,,	,,
		18. 10।14 के. जे. डी.	174 है.	नहीं	,,	,,
		19. 14।16 के. जे. डी.	174 है.	,,	,,	,,
		20. 3।6 के. जे. डी.	174 है.	,,	,,	,,
		21. 11 के. जे. डी.	198 है.	,,	,,	,,
		22. 28 बी. डी.	160 है.	,,	,,	,,
		23. 31 के. वाई. डी.	120 है.	,,	,,	,,
		24. 132 आर.डी.पी.बी.ए.	168 है.	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
3.	बेरियावली (क्रमश:)	25. 132 आर.डी.पी.बी (बी)	168 है.	नहीं	हां	हां
		26. 15 के. जे.डी.पी.बी. (बी)	164 है.	,,	,,	,,
		27. 8 बी. एल. डी.	168 है.	,,	,,	,,
		28. 9 बी. एल. डी.	168 है.	,,	,,	,,
		29. 132 आर. डी. पी. बी./ 7 बी. एल. डी.	180 है.	,,	,,	,,
		30. 2/5 पी. बी. (बी)	194 है.	,,	,,	,,
		31. 6/8 बी. एल. डी.	180 है.	,,	,,	,,
		32. 11 बी. एल. डी.	180 है.	,,	,,	,,
		33. 1/3 एस. एल. एम.	180 है.	,,	,,	,,
		34. 29 के. वाई. डी.	180 है.	,,	,,	,,
		35. 23 के. वाई. डी.	150 है.	,,	,,	,,
		36. 26 के. वाई. डी.	120 है.	,,	,,	,,
		37. 1 के. वाई. डी.	282 है.	,,	,,	,,
		38. 5 के. एल. डी.	224 है.	,,	,,	,,
		39. 7 के. एल. डी.	144 है.	,,	,,	,,
		40. 7/9 के. एल. डी.	134 है.	,,	,,	,,
		41. 7/8 के. एल. डी.	204 है.	,,	,,	,,
		42. 4/6 के. एल. डी.	144 है.	,,	,,	,,
		43. के. वाई. डी.	112 है.	,,	,,	,,
		44. के. वाई. डी.	204 है.	,,	,,	,,
		45. 12 डी. ओ. एल.	102 है.	,,	,,	,,
		46. 20 के. जी. डी./1एच. डब्ल्यू. एन.	80 है.	,,	नहीं	,,
		47. 30 के. वाई. डी.	100 है.	,,	,,	,,
		48. 3 एस.जे.एम./5 के.एल.डी.	90 है.	,,	,,	,,
		49. 5 के. एल. डी.	80 है.	,,	,,	,,
		50. 7/10 पी. बी.	100 है.	,,	,,	,,
		51. पहलवान का बेरा	150 है.	,,	,,	,,
		52. 18 के. जी. डी.	150 है.	,,	,,	,,
		53. 30/32 के. वाई. जी.	200 है.	,,	,,	,,

1	2	3		4	5	6	7
3.	बेरियावली (क्रमशः)	54.	1 पी. एच. एम./ 10 के. एल. डी.	150 है.	नहीं	नहीं	हां
		55.	4 पी. एच. एम./ 2 बी. ग्रार. डब्ल्यू. एम.	200 है.	,,	,,	,,
		56.	19 बी. डी./ 1 बी. एम.	150 है.	,,	,,	,,
		57.	113 एस. एस. एम.	175 है.	,,	,,	,,
		58.	8 बी. एल. डी.	150 है.	,,	,,	,,
		59.	6 बी. एल. डी.	175 है.	,,	,,	,,
		60.	21 के. जे. डी.	200 है.	,,	,,	,,
		61.	31 के. वाई. डी.	200 है.	,,	,,	,,
		62.	1 एस. डब्ल्यू. एम.	200 है.	,,	,,	,,
		63.	158 ग्रार.डी.पी.बी.एल.	200 है.	,,	,,	,,
		64.	134 ग्रार. डी. पी. पी. ए.	150 है.	,,	,,	,,
		65.	134 ग्रार.डी.पी.पी.बी.	150 है.	,,	,,	,,
		66.	158 ग्रार.डी.पी.बी.एल.	200 है.	,,	,,	,,
		67.	12 बी. एल. टी.	200 है.	,,	,,	,,
		68.	5 जे. जे. एम.	150 है.	,,	,,	,,
		69.	5/7 जी. एम. एल. टी.	150 है.	,,	,,	,,
		70.	18/20 के. जे. टी./ 2 एच. डब्ल्यू. एम.	80 है.	,,	,,	नहीं
		71.	31/33 के. वाई. डी.	80 है.	,,	,,	,,
		72.	4 पी. एच. एम.	80 है.	,,	,,	,,
		73.	4 पी.एच.एम./2बी.ग्रार.	120 है.	,,	,,	,,
		74.	6 बी.एल.डी./ 4एस.एल एम.	80 है.	,,	,,	,,
		75.	14 पी.बी/3 एम./जी. एम.	80 है.	,,	,,	,,
		76.	215 पी.बी.	80 है.	,,	,,	,,
		77.	2 बी. ग्रार. डब्ल्यू. एल.	150 है.	,,	,,	,,
		78.	32 के. वाई. डी. ए. बी.	160 है.	,,	,,	,,
		79.	6 पी. एच. एम.	80 है.	,,	,,	,,
		80.	2 बी. ग्रार. डब्ल्यू. एन.	100 है.	,,	,,	,,
		81.	2 बी.ग्रार.डब्ल्यू.एन.	150 है.	,,	,,	,,
		82.	12 बी. एल. डी.	150 है.	,,	,,	,,
		83.	2 एम. डी. एम.	150 है.	,,	,,	,,

1	2		4	5	6	7
3.	बेरियावली (समाप्त)	84. 2 एम. डी. एम.	160 है.	नहीं	नहीं	नहीं
		85. अमरपुरा (अ)	125 है.	,,	,,	,,
		86. अमरपुरा (ब)	125 है.	,,	,,	,,
		87. सिघोंदसर	100 है.	,,	,,	,,
		88. अमर पुरा खसरा नं. 207	100 है.	,,	,,	,,
		89. ,, ,, ,, 210/20	100 है.	,,	,,	,,
		योग ..	33043 है.			

(342)

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 522 का विवरण

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, चान्दोली (अलवर) को
स्वीकृत औषध बजट एवं वितरित की गई औषधियों का
विवरण

(रुपयों में)

वर्ष	स्वीकृत औषध बजट	वितरित की गई औषधियां	बजट से कम राशि की औषधियां
1980-81	3700	3399-35	800-65
1981-82	3300	1084-00	2216-00
1982-83 (फरवरी, 1983 तक)	4100	2019-00	2081-00

नोट: —वर्ष 1982-83 की शेष औषधियों को भी मांग-पत्र एवं उपलब्धता के
आधार पर वितरण करने के निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।